सत्यमेव जयते

संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

की निष्पादन लेखापरीक्षा

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

सफ़ाई में भलाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

2015 की प्रतिवेदन सं. 28

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संपूर्ण स्वच्छता अभियान / निर्मल भारत अभियान
की निष्पादन लेखापरीक्षा पर

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार (सिविल)
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
2015 की प्रतिवेदन सं. 28
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सारांश	ix
अध्याय-1	**प्रस्तावना**	1
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक दृष्टि में	1
1.3	उद्देश्य एवं क्रियाकलाप	3
1.4	कार्यक्रमों का वित्त पोषण	5
1.5	प्रचालन व्यवस्था	6
1.6	विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार भारत में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति	7
1.6.1	यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट	7
1.6.2	संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन	9
1.6.3	निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रभाव तथा स्थिरता का निर्धारण अध्ययन	10
1.7	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा पद्धति	11
1.7.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	11
1.7.2	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	12
1.7.3	लेखापरीक्षा नमूना	12
1.7.4	लेखापरीक्षा मापदण्ड तैयार करने के स्रोत	13
1.7.5	लेखापरीक्षा पद्धति	14
1.7.6	लेखापरीक्षिती की प्रतिक्रिया	15
1.7.7	रिपोर्टिंग पद्धति	15
अध्याय-2	**योजना**	16
2.1	प्रस्तावना	16
2.2	परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने में विसंगतियां	16
2.3	वार्षिक कार्यान्वयन योजना	19

2.3.1	ग्रा.पं. योजना का ब्लॉक योजना तथा आगे जिला योजना में समेकन न किया जाना	19
2.3.2	अन्य विसंगतियां	20
2.4	लाभार्थियों के आवृतन में कमी	21
2.4.1	ग.रे.नी. के लाभार्थी	21
2.4.2	ग.रे.उ. के लाभार्थी	21
2.4.3	लाभार्थियों के चयन में अन्य विसंगतियां	21
2.4.4	संतृप्ति हेतु ग्रा.पं. का चयन	22
2.4.4.1	संतृप्ति हेतु ग्रा.प. का गैर चयन	22
2.4.4.2	अन्य विसंगतियां	23
2.5	संरचनात्मक व्यवस्था	23
2.5.1	योजना की कमी: राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी	24
2.5.2	योजना की कमी: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी	25
2.5.3	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन न करना	27
2.5.4	जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन न करना	28
2.5.5	ब्लॉक अनुसंधान केन्द्र (ब्लॉ.अ.के.) का गठन न करना	29
अध्याय-3	**परियोजना कार्यान्वयन**	31
3.1	लक्ष्य एवं उपलब्धियां	31
3.1.1	उपलब्धियों में कमी	31
3.1.2	अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धि	33
3.1.3	योजना के अंतर्गत 22 जिलों को शामिल न करना	34
3.2	परियोजना कार्यान्वयन	37
3.2.1	व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.)	37
3.2.1.1	अप्रचलित शौचघर	37
3.2.1.2	अपूर्ण निर्माण	41
3.2.1.3	बॉल्टी शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में गैर-परिवर्तन	43

3.2.1.4	ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा व्य.घ.शौ.	44
3.2.1.5	अन्य कमियां	45
3.2.2	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	47
3.2.2.1	सा.स्व.प. का गैर अनुरक्षण	47
3.2.2.2	अन्य कमियां	48
3.2.3	विद्यालय के शौचालय	51
3.2.3.1	निर्माण में अनियमितताएं	52
3.2.3.2	अन्य अनियमितताएं	53
3.2.4	आंगनवाड़ी शौचालय	54
3.2.4.1	वित्तीय अनियमितताएं	55
3.2.4.2	अन्य अनियमितताएं	56
3.2.5	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	57
3.2.5.1	प्रारम्भ न की गयी ठो.त.अ.प्र. गतिविधियां	57
3.2.5.2	ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं	58
3.2.6	ग्रामीण स्वास्थ्य बाजार तथा उत्पादन केन्द्र	59
3.2.6.1	प्रारम्भ न किए गए ग्रा.स्वा.बा. कार्य	60
3.2.6.2	ग्रा.स्वा.बा. परियोजनाओं में अनियमितताएं	60
3.2.7	परिक्रामी निधि	63
3.2.7.1	परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में कमियां	63
अध्याय-4	**निधियों का प्रबंधन**	67
4.1	योजना कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण का स्रोत	67
4.2	योजना के अंतर्गत निधियों का न्यून उपयोग	68
4.3	निधियों की केन्द्रीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी	71
4.4	निधियों की राज्यीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी	72
4.5	कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अतंरण में विलंब	73
4.6	योजना की निधियों का दुरूपयोग	74
4.7	₹ 364.20 करोड़ की राशि की निधियों का विपथन	74
4.8	निधियों का अनियमित अंतर-जिला अंतरण	76
4.9	₹ 212.14 करोड़ की निधियों का अवरूद्ध होना	76

4.10	कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	76
4.11	₹ 575.18 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया	77
4.12	अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार	77
4.13	योजना निधियों का अनुचित लेखाकरण	77
4.14	आंकड़ों में विसंगतियाँ	80
4.15	लेखाओं की लेखापरीक्षा में विलंब	81
4.16	लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	82
4.17	विविध अभ्युक्तियां	82
अध्याय-5	**सूचना, शिक्षा एवं संचार**	85
5.1	सू.शि.सं. गतिविधियों का महत्व	85
5.2	निधियों की उपयोगिता	85
5.2.1	निधियों का विपथन	86
5.2.2	राज्य स्तर पर निधियों की उपयोगिता में अनियमितताएं	86
5.3	उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	88
5.4	सू.शि.सं. हेतु वार्षिक कार्रवाई योजना को तैयार न किया जाना	89
5.5	अन्य विसंगतियां	89
5.5.1	प्रेरकों को कार्य पर न रखा जाना	89
5.5.2	सू.शि.सं. कर्मियों को प्रशिक्षण	90
5.5.3	लोकसभा टी.वी. पर सू.शि.सं. अभियान	91
5.6	सू.शि.सं. की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	92
अध्याय-6	**अभिसरण**	95
6.1	अभिसरण – एक सामरिक नीति के रूप में	95
6.2	अन्य विभागों के साथ अभिसरण	95
6.3	अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	97
6.4	औद्योगिक समूहों की भूमिका	99

6.5	गै.स.सं. की भूमिका	100
6.6	भारतीय रेल के साथ अभिसरण	101
अध्याय-7	**अनुश्रवण और मूल्यांकन**	103
7.1	प्रस्तावना	103
7.2	निधियों का उपयोग न होना	104
7.3	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.)	104
7.4	राज्य स्तर पर मूल्यांकन अध्ययन	108
7.5	राज्य स्तर पर अनुसंधान अध्ययन	108
7.6	समवर्ती अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	109
7.7	राष्ट्रीय पुनरीक्षा मिशन	110
7.8	राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण (रा.स्त.अ.)	110
7.9	अन्य स्तरों पर अनुश्रवण	112
7.9.1	निरीक्षण	112
7.9.2	राज्य पुनरीक्षा मिशन	113
7.9.3	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा	114
7.9.4	सामाजिक लेखापरीक्षा	115
7.9.5	विभागीय अनुश्रवण	116
अध्याय-8	**निष्कर्ष**	117
	अनुबंध	121-223
	शब्दावली	224-225

प्राक्कथन

केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के बावजूद भी जमीनी वास्तविकता अत्यधिक डांवाडोल है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम पर अत्यधिक निधियों का व्यय हो चुका है। धारणागत ढांचे को भी सतत रूप से परिवर्तित किया गया था। तथापि, मुख्य मुद्दा खुले में शौच की समाप्ति ही है, एक ऐसा आचरण जो न केवल हमारे राष्ट्र के प्रतिबिम्ब पर एक दाग है, जन स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि मानव गरिमा के भी प्रतिकूल है।

यह अखिल भारतीय लेखापरीक्षा ग्रामीण स्वच्छता के प्रबन्ध का मूल्यांकन करता है तथा उन कारणों का विश्लेषण करता है कि सरकार क्यों इस संगीन सामाजिक-आर्थिक सूचक, जो हमारे पड़ोसियों की तुलना में भी भारत के वैश्विक श्रेणी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पर विफल है। यह कार्यक्रम, जो करीब तीन दशकों से मिशन मोड में चल रहा है, विभिन्न सरकारी अभिकरणों, भागीदार गै.स.सं तथा कार्पोरेट में अपेक्षित मिशनरी उत्साह का आहवान करने में भी सफल नहीं हुआ है। कार्यक्रम के सफल होने के लिए आवश्यक समायोजित दृष्टिकोण जैसे संसाधनों-धन, जन तथा वस्तु का उपयोग, लक्षित जनसंख्या के बीच जागरूकता पैदा करना, निगरानी तंत्र तथा प्रभावी प्र.सू.प्र. के उपयोग, प्राय: अविद्यमान है। यदि कार्यक्रम को सफल बनाना है तो इनके क्रियान्वयन में इन कमियों को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हम आशा करते हैं कि भारत के सविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई यह रिपोर्ट अति राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सम्मिलित नियोजकों तथा प्रशासकों को कुछ संकेतो का उल्लेख करेगा।

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

भारत के एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होने के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक सभी को समुचित तथा सस्ती स्वच्छ सुविधाएं सतत् आधार पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकें। स्वच्छता सुविधाओं तथा समाज के स्वास्थ्य स्तर के बीच सीधा संबंध एक सर्वमान्य तथ्य है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, किसी न किसी रूप में, 1954 (प्रथम पंचवर्षीय योजना) से अस्तित्व में रहा है। भारत सरकार ने 1986 में एक आपूर्ति संचालित, बुनियादी सुविधा आधारित तथा शौचालय निर्माण हेतु उच्चस्तरीय सब्सिडी सहित एक कार्यक्रम (केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम-के.ग्रा.स्वा.का.) आरम्भ किया। यह मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान प्रदान करने पर केन्द्रीत था। के.ग्रा.स्वा.का. के अंतर्गत स्वच्छता विस्तार की मंद वृद्धि से असंतुष्ट होकर भारत सरकार ने 1999 में "मांग जनित दृष्टिकोण" आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) आरम्भ किया।

लेखापरीक्षा हेतु इस विषय को हमने क्यों चुना?

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान 2012 तक सभी के लिए शौचालय सुविधा सुनिश्चित कराने एवं सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों में मार्च 2013 तक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। 2012 में सं.स्व.अ. को निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें 2022 तक निर्मल भारत की अवधारणा

सार्थक करने का संशोधित उद्देश्य सम्मिलित था इस प्रकार स्वच्छता लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लगभग एक दशक आगे कर दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने स्वच्छता अभियानों की कार्यपद्धति तथा संसाधनों के उपयोग की समीक्षा करने का निर्णय लिया ताकि सं.स्व.अ. के अंतर्गत 2012 तथा 2013 के वर्षों हेतु नियत मौलिक लक्ष्यों के संबंध में वस्तुस्थिति जॉची जा सके। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (अंतिम वर्ष 2015 को लेकर) के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों पर इसके प्रभाव के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता की भी इस विषय के चयन में भूमिका रही। निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता का आकलन करना था।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा से क्या प्रकट हुआ?

योजना

12 राज्यों के नमूना - जॉच में लिए गए 73 (49 प्रतिशत) जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार योजनाएँ ब्लाक येाजनएँ तथा तदन्तर जिला योजना में समेकित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो.) में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) वार आबंटन नहीं दर्शाए गये थे। वा.का.यो. वर्तमान वर्ष/आगामी वर्षों इत्यादि में निर्मल बनाये जा सकने वाले ग्रा.पं. की पहचान के आधार पर व्यापक स्वच्छता तथा जल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सामुदायिक संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुसार नहीं तैयार की गई थीं।

(पैराग्राफ 2.4.1, 2.4.2)

परियोजना कार्यान्वयन

गरीबी सीमा से नीचे के परिवारों हेतु 426.32 लाख तथा गरीबी सीमा से ऊपर के परिवारों हेतु 469.76 लाख वैयक्तिक परिवारिक शौचालयों (व.घ.शौ.) के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में परियोजना जिले केवल क्रमश: 222.32 लाख (52.15 प्रतिशत) तथा 207.55 लाख (44.18 प्रतिशत) व.घ.शौ. का निर्माण 2009-10 से 2013-14 के दौरान कर सके। मंत्रालय ने 16 राज्यों में फरवरी 2011 तक 693.92 लाख व्य.घ.शौ. के निर्माण की उपलब्धि प्रदर्शित की जबकि इन राज्यों में 367.53 लाख परिवारों (जनगणना 2011) के गृह परिसरों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थीं।

(पैराग्राफ 3.1.1, 3.1.2)

आठ राज्यों के नमूना जॉच में लिए गए 53 जिलों में निष्क्रिय शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत (71.86 लाख परिवारों में से 24.03 लाख) से अधिक पाया गया जिसके कारण निर्माण की निम्न गुणवत्ता, अपूर्ण ढॉचा, गैर-रख रखाव, इत्यादि थे।

(प्रैराग्राफ 3.2.1.1)

हमने पाया कि 12.97 लाख व.घ.शौ. का निर्माण, जिस पर ₹186.17 करोड़ का व्यय हुआ, योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों/गैर सरकारी संस्थाओं (गै.स.सं.), इत्यादि के द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.त.अ.प्र.) आधारभूत संरचना के निर्माण में ₹7.81 करोड़ की राशि की वित्तीय अनियमितताएँ जैसे अनुमोदन के बिना व्यय, निधियों का विपथन, इत्यादि पायी गई। यह भी देखा गया कि छ: राज्यों के 21 चयनित जिलों

में ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र खोलने के लिए दिए गए ₹1.38 करोड़ के ऋण में से ₹1.20 करोड़ की राशि की वसूली समयावधि के पश्चात् भी वसूल नहीं की जा सकी थी।

(पैराग्राफ 3.2.1.4, 3.2.5.2 तथा 3.2.6.2)

निधि प्रबंधन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009-14 के दौरान मंत्रालय ने राज्यों द्वारा मांगी गई निधियों में से केवल 48 प्रतिशत ही जारी की जिसमें से 16 राज्यों ने अपने हिस्से की निधियां या तो जारी नहीं की या कम जारी की। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹13494.63 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल ₹10157.93 करोड़ ही योजना कार्यान्वयन पर व्यय किये गये। वार्षिक आधार पर अप्रयुक्त राशि 40 प्रतिशत से 56 के मध्य रही।

(पैराग्राफ 4.2, 4.3 तथा 4.4)

हमें छः राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कनार्टक, महाराष्ट्र तथा ओडिशा) में ₹2.28 करोड़ के दुर्विनियोजन के छः मामले मिले। आन्ध्र प्रदेश झारखण्ड तथा मणिपुर में ₹25.33 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले भी पाए गये। इसके अतिरिक्त,13 राज्यों में ₹283.12 करोड़ की योजना निधियाँ विपथित कर उनका उपयोग स्टाफ अग्रिम, पूंजीगत परिसम्पत्तियों की रचना, अवकाश वेतन पेंशन अंशदान, वाहनों की खरीद तथा कार्यालय स्वच्छता जैसे उद्देश्यों पर किया गया। साथ ही छः राज्यों में ₹81.08 करोड़ की राशि अन्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं को विपथित कर दी गई।

(पैराग्राफ 4.6, 4.7)

यह पाया गया कि नौ राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, में ₹212.14 करोड़ की राशि 4 महीनों से 29 महीनों की अवधियों हेतु राज्य/ब्लाक/ग्रा.पं. स्तर पर निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रही। साथ ही, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मणिपुर तथा ओडिशा के छः राज्यों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों को दिये गए ₹48.97 करोड़ के अग्रिम 16 से 120 महीनों से लम्बित थे। यह भी देखा गया कि ग्यारह राज्यों में योजना निधियों पर उपार्जित ₹5.58 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ 4.9, 4.10, 4.13.iii)

सूचना, शिक्षा तथा संचार

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. एक मांग जनित योजना है जिसके लिए ग्रामीण जनता में स्वच्छता तथा आरोग्य के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु सू.शि.सं. का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। परन्तु हमने देखा कि सू.शि.सं. को उचित महत्व नहीं दिया गया तथा 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के दौरान सू.शि.सं. का 25 प्रतिशत सू.शि.सं. से असंबंध गतिविधियों पर लगाया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹788.60 करोड़ के व्यय के बावजूद, मंत्रालय अपने सू.शि.सं. अभियान का मूल्यांकन करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 5.2.1)

अभिसरण

अभिसरण संबंधित सरकारी कार्यक्रमों से सहायता द्वारा इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। 2007 के सं.स्व.अ. दिशानिर्देशों के

अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग.रे.नी. हेतु निर्मित सभी घरों में सं.स्व.अ. के तहत एक शौचालय बनवाया जाना था। परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-12 के दौरान अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं था। 2012-14 के दौरान इंदिरा आवास योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण में केवल व.घ.शौ. का लघु प्रतिशत (औसतन 6 प्रतिशत) ही बताया गया। तथापि, म.गॉ.रा.ग्रा.रो.ग.यो. के साथ अभिसरण अथवा स्थानीय या अन्य स्रोतों से सहायता लेकर अन्य संघटकों जैसे विद्यालय शौचालय आंगनवाड़ी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं के अंतर्गत कोई उपलब्धियॉ नहीं थी। मंत्रालय अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर किसी भी कॉरपोरेट निकाय को सम्मिलित करने में भी विफल रहा। साथ ही मानव मल के असुरक्षित निपटान तथा रेलपटरियों पर खुले में शौच की प्रथाओं को हतोत्साहित करने हेतु भारतीय रेलवे के साथ कोई प्रबंध नहीं किये गये।

(पैराग्राफ 6.3, 6.4 तथा 6.6)

निगरानी एवं मूल्यांकन

मंत्रालय निगरानी एवं मूल्यांकन (नि.मू.) अन्य प्रभार के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा तथा 2009-10 से 2013-14 के दौरान केवल ₹0.32 करोड़ (शीर्ष के अंतर्गत बुक किये गये ₹22.40 करोड़ में से) नि.मू. के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर व्यय किये गए तथा शेष ₹22.08 करोड़ की राशि को अन्य गतिविधियों की ओर विपथित कर दिया गया।

(पैराग्राफ 7.2)

कार्यक्रम की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए.प्र.सू.प्र.) द्वारा ऑनलाईन निगरानी का आश्रय लिया जिसके द्वारा जिलों/ग्राम पंचायतों को डेटा अपलोड करना था। परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऑनलाईन प्राप्त डेटा की विश्वसनीयता जॉचने की मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों से प्रतिपरीक्षण द्वारा भी डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं कर रहा था। इस चूक के परिणामस्वरूप एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर भौतिक प्रगति अधिक सूचित की गई। साथ ही, मंत्रालय ने कोई समवर्ती मूल्यांकन अथवा कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा नहीं की थी।

(पैराग्राफ 7.3 तथा 7.6)

निष्कर्ष तथा अनुशंसा

हमारी लेखापरीक्षा विचारणीय लक्ष्यों के प्राप्त करने में स्वच्छता कार्यक्रम के विफलता को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। धारणागत ढांचे आपूर्ति प्रेरित से मांग प्रेरित और अन्ततः 'संतृप्त एवं अभिसरण' दृष्टिकोण के रूप मे बदलते रहे औऱ फिर भी इस लम्बी यात्रा से सीख लेने तथा प्रयोगो का इस देश में स्वच्छता स्थिति पर बहुत प्रभाव डाला हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हमारे लेखापरीक्षा ने योजना स्तर पर कमियों को उजागर किया है जो कार्यक्रम के सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित पॉच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम पर करीब 10,000 करोड़ का व्यय किया गया था तथा बड़े स्तर पर विपथन, बर्बादी तथा अनियमितताएं पाई गई। 30 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत

घरेलू शौचालय घटिया स्तर के निर्माण, अपूर्ण संरचना, रख-रखाव नहीं होने आदि जैसे कारणों से समाप्त/ प्रयोग में लाने लायक नहीं थे।

हमने कम निष्पादन हेतु कमियों तथा अध:शायी कारणों का विश्लेषण किया है तथा रिपोर्ट पर कुछ अनुशंसाएं की हैं जिस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब तक क्रियान्वयन वास्तविक योजना पर आधारित तथा बड़े स्तर पर सूचना, शिक्षा तथा लक्षित जनसंख्या में व्यावहारिक परिवर्तन लाने हेतु संचार अभियान (सं.अ.) समर्थित नहीं है, बुनियादी स्तर पर समग्र अभिशासन में सुधार नहीं होता तो सिर्फ संसाधनों के विकास से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु जो अनुशंसा की है केवल वह ही विश्वसनीय आवधिक जांच स्थिति तथा समयबद्ध उपचारी उपायों को उपलब्ध करा सकता है। रा.ग्रा.स्वा.मि. जैसे संबद्ध कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु प्रभावी तंत्र ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां सरकार को स्वच्छ भारत के अभिप्रेत लक्ष्य की प्राप्ति पर एकाग्र होने की आवश्यकता है।

अध्याय-1 प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा, 2 अक्तूबर 2014 को प्रारम्भ किया गया जो 2019 तक शतप्रतिशत खुला शौच मुक्त भारत पर लक्षित है। इससे पूर्व, खुले शौच का निवारण हेतु इसी प्रकार के लक्ष्य 2012 के लिए निर्धारित किए गए थे जिसे 2017 तक संशोधित किया गया तथा फिर इसे 2022 तक निर्धारित किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता हेतु योजनागत मध्यस्थता कम से कम पिछले तीन दशकों से जारी है। अद्यतन वि.स्वा.सं. की रिपोर्ट "पेयजल एवं स्वच्छता की प्रगति : 2012 अद्यतन" के अनुसार, खुले में शौच कर रहे व्यक्तियों की संख्या एशिया में लगातार कम हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत फिर भी विश्व में खुले में शौच कर रहे व्यक्तियों की उच्चतम संख्या (60.09 प्रतिशत) वाला देश बना हुआ है जो वास्तव में चिंता का विषय है।

असुरक्षित पेय जल का सेवन, मानव मल की अनुचित निस्तारण व्यवस्था; अनुचित वातावरणिक स्वच्छता तथा व्यक्तिगत एवं खाद्य स्वच्छता की कमी विकासशील देशों में कई रोगों के मुख्य कारण रहे हैं। उच्च शिशु मृत्यु-दर भी खराब स्वच्छता के कारण ही है।

1.2 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक दृष्टि में

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान प्रारम्भ किए गए स्वच्छता कार्यक्रमों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तनों के साथ कमोवेश समान कार्य शामिल हैं (**चार्ट 1.1**)। इस लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि में दो योजनाएं: संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) तथा निर्मल भारत अभियान

(नि.भा.अ.) शामिल है। सं.स्व.अ. का 01 अप्रैल 2012 से नि.भा.अ. के रूप में नाम बदल दिया गया था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को त्वरित करना था जिससे कि सं.स्व.अ. की मॉग-संचालित दृष्टिकोण के पूरक रूप में संतृप्तता की स्थिति वाले दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके। नि.भा.अ. निर्मल ग्राम पंचायतों का सृजन करने हेतु संतृप्त परिणामों के लिए सभी समुदाय को शामिल करने की अभिकल्पना करता है।

चार्ट -1.1: ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रमिक विकास

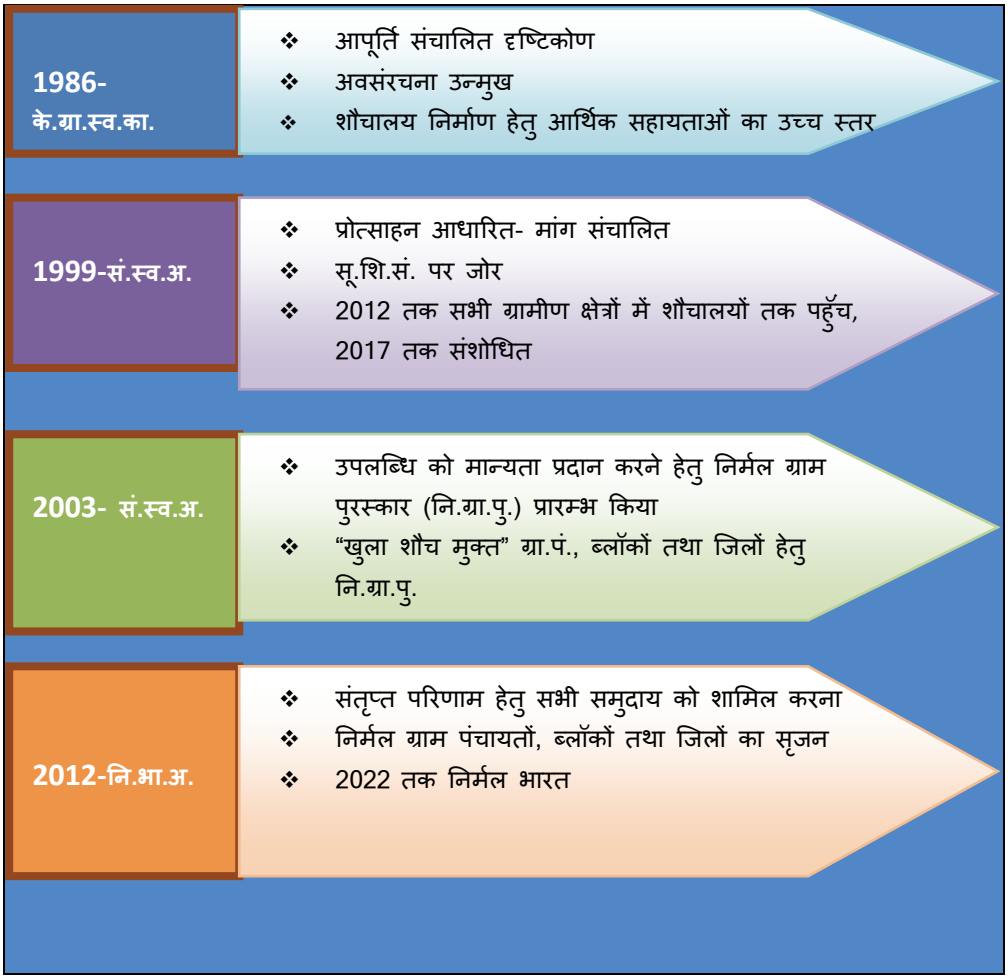

1.3 उद्देश्य एवं क्रियाकलाप

जहाँ तक मुख्य विचार एवं प्रक्रिया का प्रश्न है समय के साथ कार्यक्रम बदलते रहे परंतु उनके मुख्य उद्देश्य तथा क्रियाकलाप निम्नलिखित रहे:

उद्देश्य	कार्य/घटक
जागरूकता तथा शिक्षा के माध्यम से धारणीय स्वच्छता सुविधाओं हेतु सामुदायिक तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रेरित करना	• **प्रारम्भिक कार्य** जैसे स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यों की स्थिति का आंकलन करने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण/आधार-रेखा सर्वेक्षण, जिला/ग्रा.पं. स्तर पर मुख्य कार्मिकों का अभिविन्यास तथा राज्य योजना तैयार करना; • प.यो.ई. के सभी स्तरों पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य परिसरों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर सुविधाओं हेतु मांग को गति प्रदान करने के लिए **सू.शि.सं.[1] कार्य** • कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण, चिनाई कार्य, ईंट-बनाने, शौचालय पैन बनाने, नल-साजी में स्वं.से.सं. को प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यों हेतु भी **क्षमता निर्माण।**
सभी की शौचालयों तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को तीव्र करना	• विस्तृत संरचना, जिसमें या तो सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत पात्र श्रेणियों को सहायता प्रदान करके या फिर प्रेरणा द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया हो, सहित व्यक्तिगत परिवार शौचघरों का निर्माण। • ग्रामीण स्वास्थ्यकर बाज़ारों तथा उत्पादन केन्द्रों (ग्रा.स्व.बा. एवं उ.के.) की स्थापना जो स्वच्छ शौचघरों के निर्माण हेतु

[1] सूचना, शिक्षा तथा संचार

	आवश्यक सामग्रियों, हार्डवेयर तथा डिजाईन में कार्य कर रहे बाजारों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागत प्रभावी, वहनीय स्वास्थ्यकर सामग्री, शोषक एवं कम्पोस्ट गड्ढों, वर्मी-कम्पोस्टिंग, धुलाई प्लेटफार्म, प्रभावित घरेलू जल फिल्टर तथा आवश्यक अन्य स्वच्छता एवं हाईजीन की अतिरिक्त वस्तुओं को उपलब्ध करा रहे हों।
छात्रों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर आदतों का सक्रिय विस्तार प्रारम्भ करना तथा उन विद्यालयों को जो सर्वशिक्षा अभियान में शामिल नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल करना।	• उन सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी, जहॉ बच्चों के लिए शौचालय नहीं थे, में विद्यालयों में लडकियों हेतु शौचालयों पर अधिक जोर सहित **सांस्थानिक शौचालयों का निर्माण।**
पारिस्थितिक सुरक्षक तथा धारणीय स्वच्छता हेतु प्रभावी लागत तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना.	• ग्राम में उस स्थान, जो सभी के लिए स्वीकार्य तथा सुगम हो, में **सामुदायिक स्वस्थ्यकर परिसरों (सा.स्व.प.) का निर्माण** जो शौच सीटों, स्नान कक्षों, धुलाई प्लेटफार्मों, वॉश बेसिनों आदि की उपयुक्त संख्या से मिलकर बने हो।
सामुदायिक प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सफाई हेतु ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केन्द्रीकृत हों।	• कम्पोस्ट गड्ढा, वर्मी कम्पोस्टिंग, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्रो, निम्न लागत वाली जलनिकासी, शोषक चैनल/गड्ढा, व्यर्थ जल का पुन: उपयोग तथा घरेलू कचरे के एकत्रण, वियोजन एवं निपटान की प्रणाली आदि, जैसे कार्यों हेतु **ठोस एवं तरल व्यर्थ प्रबंधन (ठो.त.व्य.प्र.) इकाईयों की स्थापना**

1.4 कार्यक्रमों का वित्त पोषण

भारत सरकार ने 2009-10 से 2013-14 तक स्वच्छता हेतु ₹ 8,634.61 करोड़ जारी किए हैं जिसमें से ₹ 918.18 करोड़ 2009-10 की समाप्ति पर अंत शेष था जो 2013-14 की समाप्ति तक ₹ 2,450.52 करोड़ (166.89 प्रतिशत की वृद्धि सहित) तक बढ़ गया। यह राशि वर्ष की समाप्ति पर संघ तथा/अथवा राज्य की समेकित निधि के बाहर विभिन्न बैंक खातों में संचित रहा जो सुझाव देता है कि निधियों की कोई कमी नहीं थी बल्कि आवंटित निधियों का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था। ब्यौरे **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका-1.1: जारी निधि, व्यय तथा अव्ययित शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष	निर्गम	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	शेष	व्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5-6)	8=(6/5*100)
2009-10	1,190.61	1,038.85	22.79	2,252.25	1,334.07	918.18	59.23
2010-11	918.18	1,526.42	17.04	2,461.64	1,174.58	1,287.06	47.72
2011-12	1,287.06	1,440.59	15.17	2,742.82	1,335.73	1,407.09	48.70
2012-13	1,407.09	2,438.47	17.45	3,863.01	1,521.21	2,341.80	39.38
2013-14	2,341.80	2,190.28	31.71	4,563.79	2,113.27	2,450.52	46.31

(स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

निधीयन व्यवस्था इस प्रकार है कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी/समुदाय सभी संघटन-वार निर्धारित सहभाज्य प्रतिशतता के अनुसार सहयोग करते है जैसाकि समय-समय पर जारी योजना के दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई है (ब्यौरे **अनुबंध 1.1** में)।

1.5 प्रचालन व्यवस्था

योजना पिछले कुछ दशकों से मिशन मोड में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक स्तर पर कार्यान्वयन, उत्तरदायित्वों के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाली एक संगठनात्मक संरचना **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है। राज्य/सं.शा.क्षे. के नोडल मिशन जो केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करते हैं,को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य के बराबर अंश सहित इसे जिला कार्यान्वयन अभिकरण/अभिकरणों को जारी करना होता है।

चार्ट-1.2: सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना

1.6 विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार भारत में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति

1.6.1 यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट

देश में ग्रामीण स्वच्छता को सुधारने में प्रगति 1990 से 2012 की अवधि के दौरान निराशाजनक रही क्योंकि उन्नत स्वच्छता का विस्तार केवल18 प्रतिशतता अंकों तक बढ़ा जबकि निकटवर्ती देशों में यह 27 तथा 41 प्रतिशतता अंकों के बीच थी जैसा **चार्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट-1.3: प्रतिशतता अंक परिवर्तन 1990-2012

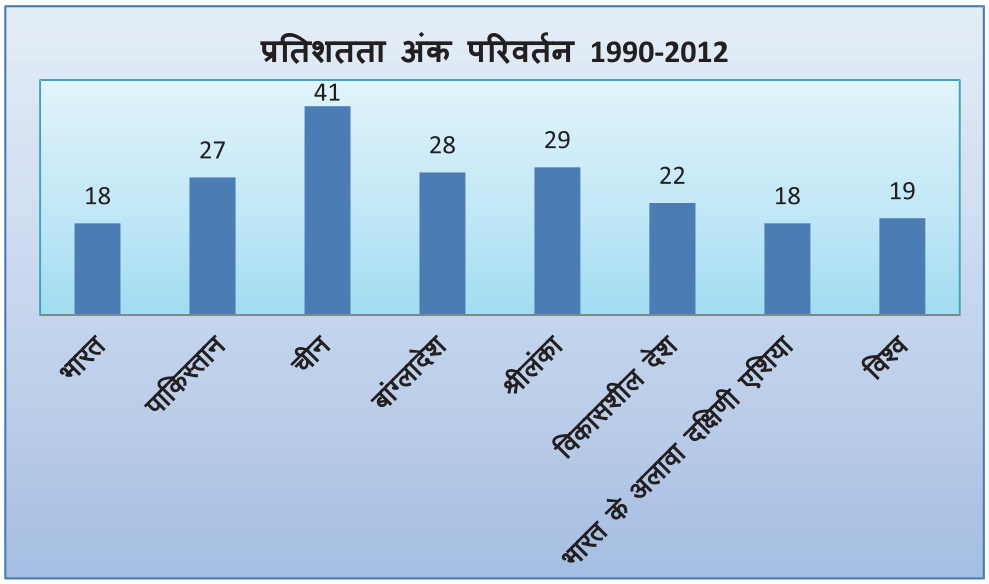

यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट[2] के अनुसार, 2012 में भी जिस समय देश में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम शतप्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करने पर लक्षित था फिर भी केवल 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की उन्नत स्वच्छता तक पहुंच थी जो 47 प्रतिशत के विश्व स्तर से काफी नीचे थी (विस्तृत डाटा **अनुबंध 1.2** में।) पाकिस्तान (34 प्रतिशत) तथा बांग्लादेश (58 प्रतिशत)

[2] पेय जल एवं स्वच्छता पर प्रगति: 2012 अद्यतन यूनिसेफ एवं वि.स्वा.सं. द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

जैसे देश अपनी ग्रामीण जनसंख्या को उन्नत स्वच्छता प्रदान करने में भारत से आगे थे (**चार्ट-1.4**)।

चार्ट-1.4: उन्नत स्वच्छता का उपयोग 2012

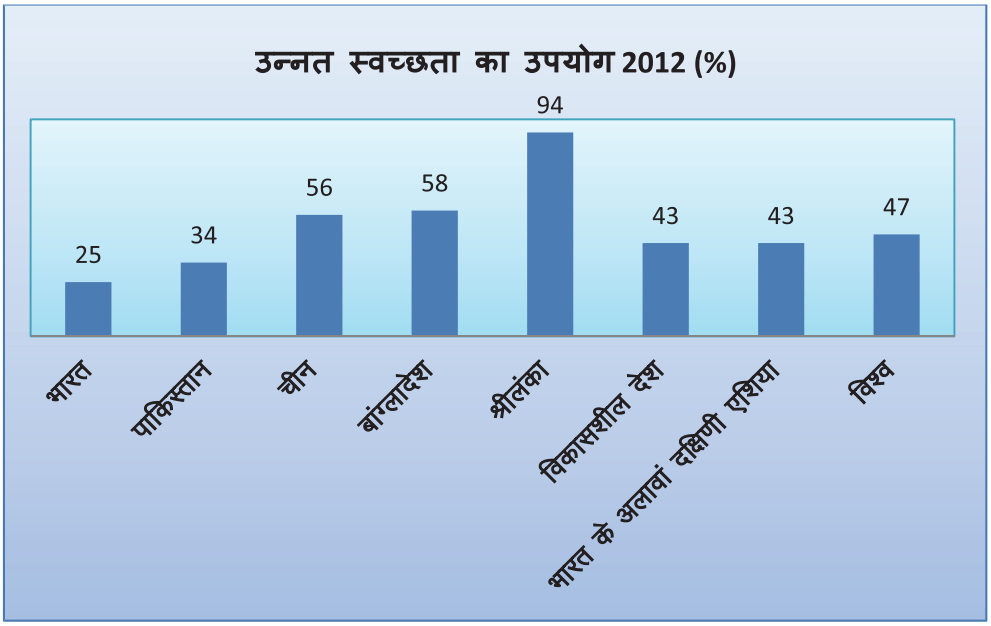

यह चिंता का विषय है कि प्रत्येक स्वच्छता कार्यक्रम, जो खुले शौच के निवारण पर लक्षित है, के साथ खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या का उच्च रहना जारी रहा। एशिया में गिरती प्रवृत्ति की स्थिरता के बावजूद वि.स्वा.सा. द्वारा भारत को विश्व में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की उच्चतम संख्या (60.09 प्रतिशत) वाले देशों के रूप में दर्ज किया गया था। **चार्ट 1.5** में चित्रण कारणों की पहचान की मांग करता है।

चार्ट-1.5: विश्व में खुला मलोत्सर्ग

(आंकड़े हजारों में)

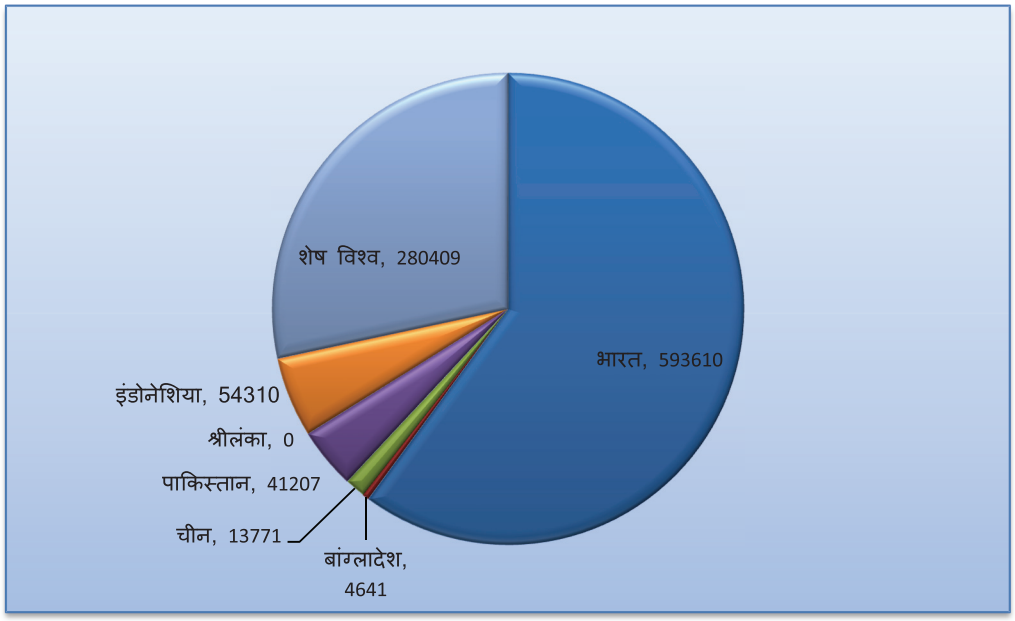

1.6.2 संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन

भारत के योजना आयोग ने मई 2013 में "संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन" जारी किया था। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने देश के 27 नमूना राज्यों में फैले 122 जिलों, 206 ब्लॉकों तथा 1,207 ग्राम पंचायतों को शामिल करके यह अध्ययन किया था। इस अध्ययन में की गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां **तालिका 1.2** में दी गई है:

तालिका-1.2: संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन में अभ्युक्तियां

क्र.सं.	अभ्युक्ति
1.	खुले में शौच करने वाले लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण परिवारो, जिसमें से 67 प्रतिशत शौचालयों की अनुपलब्धता/अपर्याप्तता के कारण ऐसा करने को बाध्य थे, का कम से कम एक सदस्य।
2.	'जानकारी की कमी' तथा स्थापित पुरानी पद्धति उन परिवारों के मामले में जहॉ शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थी, खुले में शौच के प्रमुख कारण थे।
3.	लगभग 46 प्रतिशत परिवारों में फ्लशिंग हेतु पर्याप्त पानी था तथा नल का पानी केवल 3.61 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध था।
4.	4.4 प्रतिशत परिवार बकिट शौचालय का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन हेतु योजना में प्रावधान के बावजूद उसका उपयोग कर रहे थे।

क्र.सं.	अभ्युक्ति
5.	83 प्रतिशत चयनित ग्रा.पं. में कोई स्वास्थ्यकर परिसर नहीं था।
6.	लगभग 13.8 प्रतिशत परिवार अभी भी नि.ग्रा.पु. से पुरस्कृत ग्रा.पं. खुले में शौच कर रहे थे।

1.6.3 निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रभाव तथा स्थिरता का निर्धारण अध्ययन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'नि.ग्रा.पु. के प्रभाव तथा स्थायित्व पर अध्ययन' करने हेतु मार्च 2011 में एक अभिकरण को नियुक्त किया था। अध्ययन, उच्च, औसत तथा निम्न निष्पादन वाले राज्यों से प्रत्येक से चार का चयन करके बारह राज्यों में प्रारम्भ किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट ने प्रकट किया कि कई परिवारों के पास चालू शौचालय नहीं थे तथा नि.ग्रा.पु. से पुरस्कृत ग्रा.पं. में खुला मलोत्सर्ग जारी था। अध्ययन की महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को **तालिका 1.3** में सारांशित किया गया है।

तालिका-1.3: नि.ग्रा.पु. अध्ययन में अभ्युक्तियां

क्र.सं.	अभ्युक्ति
1.	कुल नमूना नि.ग्रा.पु.-ग्रा.पं. के लगभग 19 प्रतिशत परिवारों की किसी भी प्रकार के शौचालय तक पहुंच नहीं थी।
2.	23 प्रतिशत परिवारों में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से बंद शौचालय पाए गए थे।
3.	लगभग 16 प्रतिशत परिवारों के पास ऐसे शौचालय थे जो या तो भरे हुए थे या फिर उनका पशु शैड अथवा भंडारण स्थान के रूप में उपयोग किया गया था।
4.	लगभग 67 प्रतिशत परिवारों के सभी सदस्य नियमित रूप से खुले में शौच हेतु नहीं जा रहे थे जब कि लगभग 19 प्रतिशत की किसी भी प्रकार के शौचालय तक पहुँच नहीं थी और शेष 14 प्रतिशत का कम से कम एक सदस्य शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच के लिए जा रहा था।
5.	केवल 26 प्रतिशत परिवारों के पास क्रियात्मक शौचालय थे। तथापि, क्रियात्मक प्रतिशतता से काफी अधिक करीबन 67 प्रतिशत परिवारों के सभी सदस्यों को नियमित रूप से शौचघर का उपयोग करना बताया गया था।
6.	जहाँ तक स्वच्छता सुविधाओं के अंतर्गत शतप्रतिशत परिवारों तथा संस्थानों को शामिल करने का संबंध है तो वि.ग्रा.पु. की स्थिति को अधिकांश राज्यों में स्थायी नहीं पाया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा पद्धति

1.7.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी कि क्या:

i. विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतियॉ पर्याप्त तथा प्रभावी थीं और योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति पर लक्षित थीं;

ii. योजना के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निधियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी, दर्ज तथा उपयोग किया गया था;

iii. योजना के विभिन्न संघटको के अंतर्गत इकाईयों की संख्या के रूप में निर्धारित लक्ष्य देश में निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाले सभी ग्रा.पं. के साथ 2022 तक निर्मल भारत के वीजन को प्राप्त करने तथा बनाए रखने हेतु पर्याप्त थे;

iv. लाभार्थी के चयन की प्रणाली पारदर्शी थी तथा योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत अवसंरचना के निर्माण एवं सुधार, योजना दिशानिर्देश में निर्धारित वित्तीय एवं गुणवत्ता प्रतिमानों की अनुपालना में थी;

v. योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा तथा संचार की सामरिक नीति सामुदायिक संग्रहण के माध्यम से सं.स्व.अ./नि.भा.अ. की मांग को उत्पन्न करने में प्रभावी थी;

vi. नि.भा.अ. कार्यों का अन्य कार्यक्रमों/पणधारकों के साथ अभिसरण, जैसाकि अभिकल्पित था, को प्रभावी ढ़ंग से प्राप्त किया गया था।

vii. कार्यक्रम के परिणामों की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु स्थापित क्रियाविधि पर्याप्त तथा प्रभावी थी;

1.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस लेखापरीक्षा में 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि हेतु प्रचालन में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के सभी संघटकों को शामिल किया। इस में मंत्रालय में कार्यक्रम प्रभाग तथा 26 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.)[3] जहॉ योजना प्रचालनाधीन थी, के कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। गोवा, पुदुचेरी तथा सिक्किम राज्यों/सं.शा.क्षे. का प्रतिवेदन की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत नगण्य व्यय के कारण-चयन नहीं किया था।

नीति स्तर पर तथा जैसे सरकार से प्राप्त उत्तरों में प्रस्तुत है मार्च 2014 के बाद महत्वपूर्ण विकास को भी पूर्ण परिप्रेक्ष्य दर्शाने हेतु प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.7.3 लेखापरीक्षा नमूना

नमूने के चयन हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय ढांचे का उपयोग किया गया था:

- प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. में से कुल संस्वीकृत परियोजना लागत के रूप में आकार की माप से प्रतिस्थापन विधि के साथ आकार की समानुपाती संभावना का उपयोग करके 25 प्रतिशत जिलों (न्यूनतम दो के तहत) को चुना गया था;

[3] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, दादर एवं नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल।

- प्रथम चरण में प्रत्येक चयनित जिले के अंतर्गत, 20 प्रतिशत ब्लॉकों (न्यूनतम 2 के तहत) का चयन प्रणात्पोगत यादृच्छिक नमूना (प्रा.या.न.) पद्धति द्वारा किया गया था;
- दूसरे चरण में प्रत्येक चयनित ब्लॉक के अंतर्गत, 25 प्रतिशत ग्रा.पं. (अधिकतम 10 के तहत) का चयन प्र.या.न. पद्धति द्वारा किया गया था;
- प्रत्येक चयनित ग्रा.पं. के अंतर्गत, 10 लाभार्थियों (एक ग्राम से अधिकतम पॉच) को प्र.या.नि. पद्धति द्वारा भौतिक सत्यापन तथा लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु लाभार्थी (परिवार) सूची से चुना गया था;

लेखापरीक्षा नमूना में शामिल को नीचे **चार्ट-1.6** में दिया गया है:

चार्ट-1.6: नमूना चयन

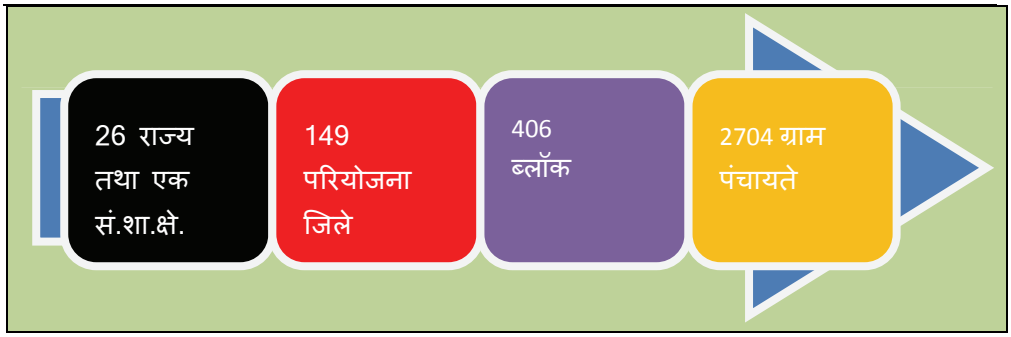

आगे 23979[4] लाभार्थियों को नमूना सर्वेक्षण हेतु शामिल किया गया था। नमूना जिलों के विवरण **अनुबंध-1.3** में दर्शाए गए हैं।

1.7.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड तैयार करने के स्रोत

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त मापदण्ड के संदर्भ में की गई थी:

[4] पंजाब को छोड़कर

- 2007, 2010 तथा 2011 में जारी प्रचालन दिशानिर्देशों तथा नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012 के तीन सैट; पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएं तथा परिपत्र
- मंत्रालय द्वारा जारी सू.शि.सं. दिशानिर्देश 2010, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर प्रोत्साहन तथा संचार नीति ढांचा 2012-2017;
- सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार के आदेश;
- स्वच्छता दूत/प्रेरक की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश;
- निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु दिशानिर्देश;
- योजना की वैबसाईट (tce.gov.in) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) के अंतर्गत बताई गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, प्रशासनिक नियमावली तथा प्रक्रियाओं की अनुपालना।

1.7.5 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2014 में मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र उद्देश्यों तथा मापदण्ड की व्याख्या की गयी थी। इसके साथ ही संबंधित महालेखाकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में योजना के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभागों के साथ प्रवेश सम्मेलन किए गए थे। इसके पश्चात, मई 2014 से अक्तूबर 2014 तक मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों में योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा के समापन के पश्चात सितंबर 2014 से मार्च 2015 के दौरान तेईस राज्यों में निर्गम सम्मेलन किए गए थे।

1.7.6 लेखापरीक्षिती की प्रतिक्रिया

16 मार्च 2015 को मंत्रालय को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी किया गया था। मंत्रालय ने अपने पत्र व्यवहार दिनांक 7 अप्रैल 2015 में राज्यों से उत्तर प्राप्त करने में दो महीनों की अतिरिक्त अवधि की मांग की। तथापि, तीन महीनों के बीत जाने के बाद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। मंत्रालय के साथ निर्गम सम्मेलन 9 जून 2015 को किया गया था तथा सम्मेलन में मंत्रालय द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर ध्यान दिया गया और प्रतिवेदन में उनका समावेश किया गया है।

1.7.7 रिपोर्टिंग पद्धति

निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक कथित उद्देश्य पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अध्याय 2 से 8 में चर्चा की गई है। अध्याय 2 योजना के कार्यकलापों के बारे में विचार करता है, अध्याय 3 परियोजना कार्यान्वयन पर विचार करता है, अध्याय 4 निधियों के प्रबंधन पर विचार करता है तथा अध्याय 5, 6 एवं 7 क्रमश: सू.शि.सं., अभिसरण तथा मॉनीटरिंग पर विचार करते हैं। लेखापरीक्षिती के उत्तर, जहॉ कहीं प्राप्त हुए, पर ध्यान दिया गया है तथा उन्हें उपयुक्त रूप से निष्कर्षों में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित अनुशंसा(एं) प्रत्येक अध्याय में दी गई है।

अध्याय-2 योजना

2.1 प्रस्तावना

उपयुक्त योजना को किसी भी कार्यक्रम की सफलता हेतु एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में माना गया है। तदनुसार, योजनाएं प्रमाण-आधारित होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सं.स्व.अ./नि.भा.अ. ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर आदतों, जिला/ग्रा.पं. स्तर पर मुख्य कार्मिकों के अभिविन्यास तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना की स्थिति निर्धारण करने हेतु आधार-रेखा सर्वेक्षणों को शामिल किया।

2.2 परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने में विसंगतियां

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) को निधीयन मानदण्डों में परिवर्तन के कारण संशोधन किया जाना था तथा परियोजना प्रस्ताव में जिलों के संबंध में उपलब्ध आधार रेखा सर्वेक्षण तथा नवीनतम जनगणना आंकड़ा को शामिल किया जाना था। प्रस्ताव को ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जाना तथा ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए था। परियोजना के संशोधन के प्रस्ताव को संबंधित विभाग द्वारा राज्य योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.मं.सं.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। रा.यो.मं.स. द्वारा इसकी स्वीकृति हो जाने पर, प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रेषित किया जाना था। प.का.यो. को तैयार करने तथा स्वीकृति में पाई गई विसंगतियां निम्नानुसार थीं :

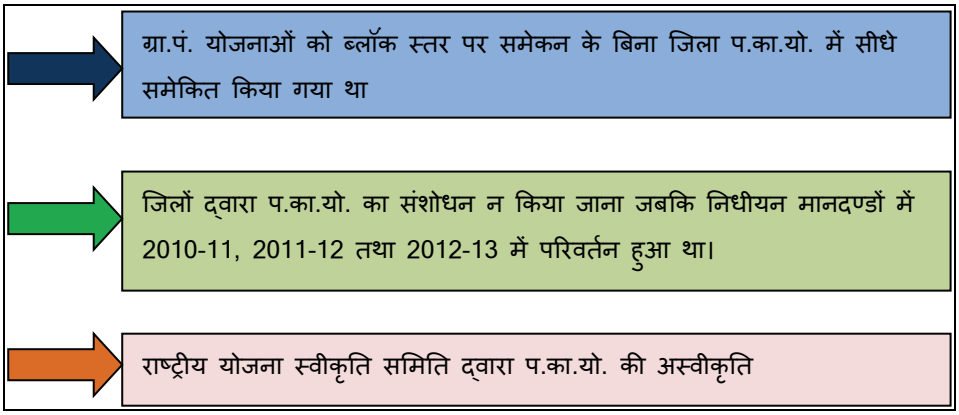

ब्यौरे **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं। प.का.यो. में लक्ष्यों के प्रक्षेपण में पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

क्र.सं.	राज्य	विसंगतियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4 नमूना जांच किए गए जिलों में आधार रेखा सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार ग.रे.नी. के परिवारों की कुल संख्या 30,831 थी। परंतु स्वीकृत प.का.यो. में लक्षित ग.रे.नी. के परिवारों की संख्या 41,074 थी। इस प्रकार, 10,243 अधिक ग.रे.नी. के परिवारों को स्वीकृत प.का.यो. में लक्षित दर्शाया गया था। अरूणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी सिआंग तथा पश्चिमी सिआंग में, 2012 के आधार रेखा सर्वेक्षण के अनुसार 22,883 ग.रे.नी. के परिवार थे जिनमें से शामिल किए जाने वाले 8,182 परिवारों का शेष छोड़ते हुए 31.03.2012 तक 14,701 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया गया था। तथापि, 3 उल्लेखित जिलों का 17,112 व्य.घ.शौ. इकाईयों (8,930 इकाईयों द्वारा बढ़ाया गया) हेतु प्रस्ताव किया गया।
2.	असम	यद्यपि प.का.यो. आधार रेखा सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित की गई थी फिर भी 792744 व्य.घ.शौ. की आवश्यकता के प्रति केवल 628773 को प.का.यो. में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रकार, 163971 व्य.घ.शौ. को प.का.यो. में कम प्रक्षेपित किया गया था।
3.	झारखण्ड	राज्य के संशोधित प.का.यो. के अनुसार 51.60 लाख लक्षित ग्रामीण परिवार थे जिनमें से 15.82 लाख[1] परिवारों को मार्च 2012 तक पहले ही शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार, शेष 35.78 लाख[2] परिवारों को लक्षित किया जाना था। तथापि, परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (प.मा.इ.) ने अतिरिक्त 1.35

[1] ग.रे.नी.: 13,91,920 संख्याएँ तथा ग.रे.उ.: 1,89,833 संख्याएँ

[2] ग.रे.नी. 11,12,930 संख्याएँ तथा ग.रे.उ.:24,65,883 संख्याएँ

		लाख परिवारों के आवृतन का प्रस्ताव किया जिसने योग को 37.13 लाख[3] परिवार तक किया। इसके अतरिक्त, रामगढ़ जिले ने ग.रे.नी. के परिवारों हेतु पहले से निर्मित 8651 शौचालयों का प्रावधान किया।
4.	उत्तर प्रदेश	आधार रेखा सर्वेक्षण की तुलना पर प.का.यो. तैयार करते समय आठ जिलों[4] ने 6.36 लाख व्य.घ.शौ. की कम योजना की थी तथा पांच जिलों[5] ने 0.22 लाख व्य.घ.शौ. की अधिक योजना की थी।

मामला अध्ययन: मिजोरम

जिला जल एवं स्वच्छता समितियों ने आठ जिलों में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को शामिल करते हुए सं.स्व.अ./नि.भा.अ. परियोजनाओं की जिला प.का.यो. तैयार की जिन्हें राज्य वा.का.यो. में संघटित किया गया तथा रा.यो.अ.स. को प्रस्तुत किया गया था। कथित राज्य वा.का.यो., जिसमें अनियमित रूप से शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी शामिल किए गए थे, को श.यो.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, यह जरूरतमंद जनसंख्या जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग.रे.नी. की श्रेणियों से संबंधित थी जिन्हें अन्यथा योजना के अंतर्गत स्वच्छता सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सकता था, के कम आवृतन का कारण बना।

इस प्रकार प.का.यो. को तैयार करने के अधोत्थान अर्थात् ग्रा.पं.यो. का ब्लॉक योजना में तथा योजना का जिला योजना में समेकन, की अनुपालना नहीं की गई थी।

[3] ग.रे.नी. 12,34,989 संख्याएँ तथा ग.रे;उ.: 24,78,370 संख्याएँ

[4] देवरिया, हरदोई, जालौन, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सीतापुर तथा वाराणसी जिले

[5] औरैया, बिजनौर, गोरखपुर, लखिमपुर खीरी, पीलीभीत जिले

2.3 वार्षिक कार्यान्वयन योजना

2.3.1 ग्रा.पं. योजना का ब्लॉक योजना तथा आगे जिला योजना में समेकन न किया जाना

वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो.) का उद्देश्य निर्मल ग्रामों का सृजन करने हेतु एक प्रणालीगत पद्धति में कार्यक्रम को स्पष्ट दिशा प्रदान करना है। वा.का.यो. से निम्न अपेक्षित है:

क) वा.का.यो. के उद्देश्यों के प्रति पिछले वर्ष के दौरान नि.भा.अ. के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य द्वारा की गई प्रगति पर रिपोर्ट

ख) परिवर्तन, यदि कोई है, हेतु कारण तथा टिप्पणियां

ग) प्रस्तावित वित्तीय वर्ष हेतु नि.भा.अ. के प्रत्येक संघटक के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय अनुमानों सहित कार्यों की एक योजना

घ) मासिक/त्रैमासिक प्रक्षेपित लक्ष्य

ड.) सफलता कहानियों, अच्छे कार्यों, प्रारम्भ किए परिवर्तनों, नई प्रौद्योगिकियों आदि पर लेख

वार्षिक योजनाओं को परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संतृप्त की जाने वाली ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) की पहचान करके तैयार किया जाना है। इन ग्रा.पं. योजनाओं का ब्लॉक कार्यान्वयन योजनाओं में तथा आगे जिला कार्यान्वयन योजनाओं में समेकन किया जाना है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) को उपयुक्त रूप से जिला कार्यान्वयन योजनाओं को राज्य कार्यान्वयन योजना के रूप में समेकित करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों के 73 (49 प्रतिशत) नमूना जांच किए गए जिलों में, ग्रा.पं. योजना को ब्लॉक तथा आगे जिला योजना में संघटित नहीं किया गया था जैसा **अनुबंध 2.2** में ब्यौरा दिया गया है।

2.3.2 अन्य विसंगतियां

बा.का.यो. को तैयार करने/संस्वीकृति में पाई गई अन्य विसंगतिया थीं

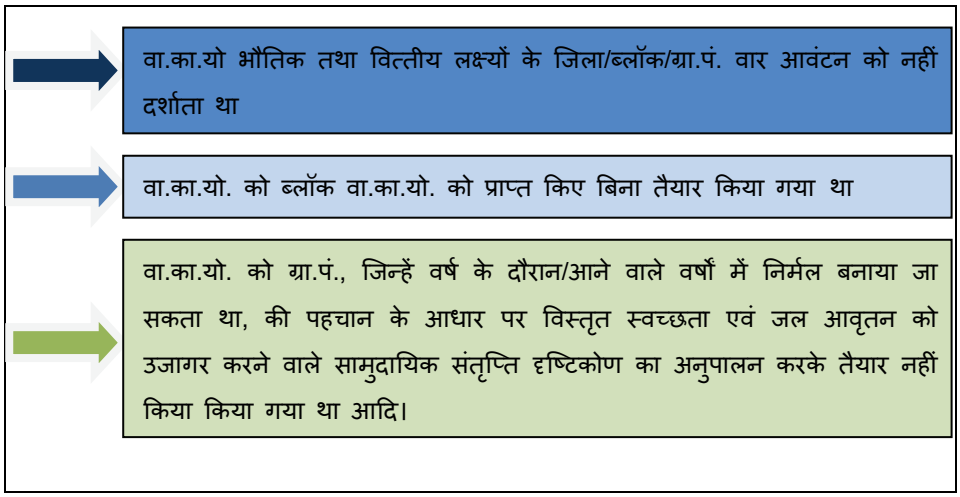

ब्यौरे **अनुबंध-2.3** में दिए गए हैं।

मामला अध्ययन: बिहार

(राज्य वा.का.यो. में जिला वा.का.यो. का गलत समेकन)

बिहार में 10 नमूना जांच किए गए जिलों में से नौ जिलों के बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा तैयार की गई वा.का.यो. में यह पाया गया था कि 2011-12 के दौरान जिला वार व्यय के आंकड़ों को राज्य वा.का.यो. में ₹24.82 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके अतिरिक्त, उसी वर्ष के लिए गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.ऊ) हेतु व्य.घ.शौ. के अंतर्गत प्राप्ति क्रमश: 86,798 तथा 18,911 इकाईयों के आधिक्य में थी। 2012-13 के दौरान, राज्य वा.का.यो. में दो जिलों के व्यय आंकड़ों को जिला वा.का.यो. से ₹2.29 करोड़ तक अधिक दर्शाया था। तथापि, तीन जिलों के लिए यह जिला वा.का.यो. से ₹7.99 करोड़ तक कम था। इसी प्रकार, 2012-13 के दौरान राज्य वा.का.यो. में ग.रे.नी. हेतु ब्य.घ.शौ. के प्राप्ति आंकड़ों को दो जिलों में 557 तथा तीन जिलों द्वारा ग.रे.ऊ. हेतु 494 तक अधिक बताया गया था। इसके अतिरिक्त, दो जिलों में जिला वा.का.यो. से राज्य वा.का.यो. में ग.रे.ऊ. तथा ग.रे.नी. हेतु व्य.घ.शौ. के प्राप्ति आंकड़ों को क्रमश: 2439 तथा 1804 तक कम बताया गया था।

2.4 लाभार्थियों के आवृतन में कमी

2.4.1 ग.रे.नी. के लाभार्थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों (**जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय** तथा **नागालैण्ड**) के चयनित जिलों में ग.रे.नी. के परिवारों की व्य.घ.शौ. हेतु पहचान नहीं की गई थी। ग.रे.नी. के परिवारों के अन्य अनियमितताओं को **अनुबंध 2.4** में प्रगणित किया गया है।

2.4.2 ग.रे.उ. के लाभार्थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः राज्यों (**बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय तथा नागालैण्ड**) के चयनित जिलों में ग.रे.उ. के परिवारों की व्य.घ.शौ. हेतु पहचान नहीं की गई थी। ग.रे.उ. के परिवारों के चयन में अन्य अनियमितताओं को **अनुबंध 2.5** में प्रगणित किया गया है।

2.4.3 लाभार्थियों के चयन में अन्य विसंगतियां

लाभार्थियों के चयन में पाई गई अन्य विसंगतियां थीं:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों (**जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल**) की चयनित ग्रा.पं. में परिवारों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत नहीं था।
- **अरूणाचल प्रदेश** में, जि.ज.स्व.मि. ने किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत वार निर्माण किए जाने वाले व्य.घ.शौ. की संख्या को निर्धारित नहीं किया था परंतु जिला स्तर पर निदेशक, सं.घ.वि.ई./ज.स्व.स.सं. द्वारा जिलों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

- **मणिपुर** में, 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 46.64 करोड़ की लागत के 1,08,508 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया जाना था परंतु 1,59,298 व्य.घ.शौ. की भौतिक उपलब्धि बताई गई थी। 50,790 व्य.घ.शौ. के अतिरिक्त निर्माण के लिए कारण एक पारदर्शी प्रकार से ग्रा.पं./ग्राम सभा अथवा सामान्य निकाय की बैठक द्वारा ग.रे.उ. तथा ग.रे.नी. के परिवारों की पहचान न होना बताया गया था।

2.4.4 संतृप्ति हेतु ग्रा.पं. का चयन

2.4.4.1 संतृप्ति हेतु ग्रा.प. का गैर चयन

नि.भा.अ. दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि वा.का.यो. को संतृप्ति-पहलू का पालन करते हुए उन ग्रा.पं., की पहचान के आधार पर जिन्हें वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में निर्मल बनाया जा सकता है, उनमें विस्तृत स्वच्छता एवं जल आपूर्ति की प्रचुरता पर विशेष ध्यान देकर तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना, 30 राज्यों की, 220279 ग्रा.पं. में कार्यान्वित की गई थी जिनमें से मंत्रालय ने 38941 तथा 26165 ग्रा.पं. को वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान खुला शौच मुक्त (खु.शौ.मु.) बनाने की योजना बनाई थी फिर भी वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केवल क्रमश: 17346 ग्रा.पं. (44 प्रतिशत) 1274 ग्रा.पं. (4..8) प्रतिशत को खु.शौ.मु. बनाया गया था। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 2.6** में दिए गए हैं।

आगे, यह पाया गया कि 13 राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश**) में वर्ष 2013-14 के दौरान 4967 ग्रा.पं. की संतृप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के प्रति किसी भी ग्रा.पं. को संतृप्त नहीं किया गया था।

2.4.4.2 अन्य विसंगतियां

ग्रा.पं. की संतृप्ति हेतु पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

- **अरूणाचल प्रदेश** में पश्चिम सिआंग जिले के अलावा संतृप्ति हेतु किसी ग्रा.पं. का चयन नहीं किया गया था।
- **उत्तर प्रदेश** के कुशीनगर जिले ने ग्रा.पं. को 2010-11 में व्य.घ.शौ. के साथ पहले से संतृप्त घोषित किए जाने के बावजूद ग.रे.नी. के परिवारों के, 2866 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु 83 ग्रा.पं. को कुल ₹ 0.63 करोड़ की निधियां जारी की (2011-12)
- उत्तराखण्ड के 1455 ग्रा.पं. वाले अल्मोड़ा तथा यू.एस. नगर में संतृप्ति हेतु किसी भी ग्रा.पं. को लक्षित/प्रस्तावित नहीं किया था।

2.5 संरचनात्मक व्यवस्था

योजना के दिशानिर्देश राज्य में योजना के संचालन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन तथा ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त राज्यों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों तथा जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों के गठन की अभिकल्पना करते हैं। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5.1 योजना की कमी: राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी

नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012 अभिकल्पना करते हैं कि रा.ज.स्व.मि. को एक वर्ष में कम से कम दो बैठक करनी चाहिए। बैठकें, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की तरह महत्वपूर्ण थी क्योंकि परियोजना जिलों में पर्यवेक्षण, सबंधित विभागों के साथ अभिसरण तथा प्रत्येक जिले हेतु वा.का.यो. तैयार करने के माध्यम से इसकी नि.भा.अ. के कार्यान्वयन में एक निर्णायक भूमिका थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था, कि 60 बैठकों की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सात राज्यों (**छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश**) में कोई अभिलेखित बैठक नहीं की गई थी तथा 2012-14 के दौरान आठ राज्यों में केवल 12 बैठकें (20 प्रतिशत) की गई थीं। इन राज्यों में अपेक्षित/की गई बैठकों को नीचे दिए गए **चार्ट-2.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1 रा.ज.स्व.मि. की बैठकें

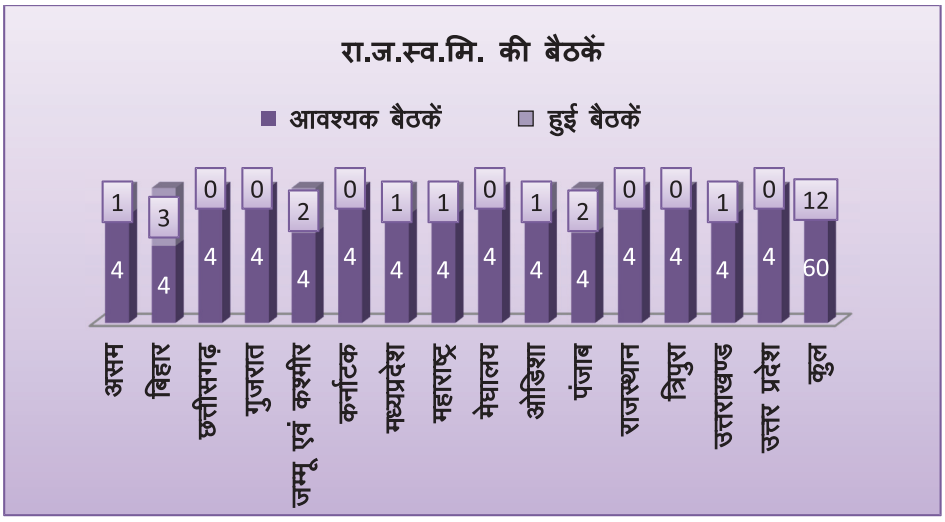

ब्यौरे **अनुबंध 2.7.1** में दिए गए हैं।

2.5.2 योजना की कमी: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी

जि.ज.स्व.मि. से उपयुक्त सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) नीतियों तथा अन्य सबंधित विभागों के साथ अभिसरण सहित जिला नि.भा.अ. परियोजना की योजना तैयार करना तथा कार्यान्वित करना अपेक्षित था। इससे जिला वार्षिक कार्य योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा मॉनीटर करना अपेक्षित था। इस उद्देश्य हेतु मिशन को कम से कम तिमाही में एक बार बैठक करना अपेक्षित था। फिर भी यह पाया गया था कि 12 राज्यों के 71 जिलों में 568 बैठकों की आवश्यकता के प्रति 2012-14 के दौरान केवल 141 बैठकें (25 प्रतिशत) की गई थीं जैसा नीचे **चार्ट-2.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.2: जि.ज.स्व.मि. की बैठके

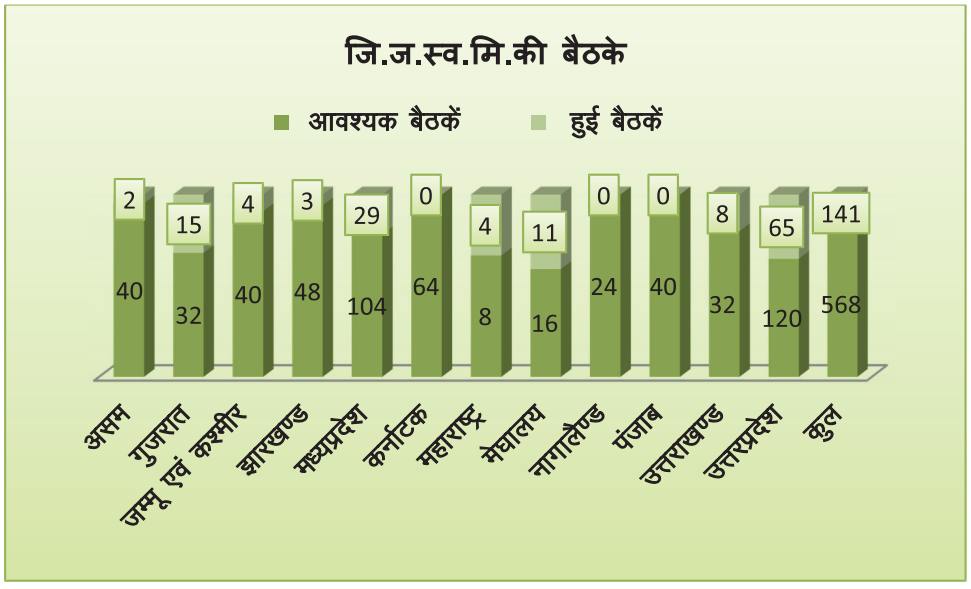

ब्यौरे **अनुबंध-2.7.2** में दिए गए हैं।

रा.ज.स्व.मि./जि.ज.स्व.मि. के संघटन में पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

राज्य	विसंगतियां
कर्नाटक	2009 में गठित रा.ज.स्व.मि. में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि आदि विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया था। रा.ज.स्व.मि. के पंजीकरण के विवरण नोडल अभिकरण में अभिलेखों से उपलब्ध नहीं थे। सात[6] जिलों में जि.ज.स्व.नि. का गठन नहीं किया गया था। तथापि जि.पं. बेलगॉव में जि.ज.स्व.मि. ने भी 2013-14 की समाप्ति तक एक भी बैठक नहीं की थी।
महाराष्ट्र	तीन जिलों (रायगढ़ बुलधाना तथा नागपुर) में कोई अलग जि.ज.स्व.मि. का गठन नहीं किया गया था तथा योजना मौजूदा जल प्रबंधन समिति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। चार[7] ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों तथा आठ[8] समूह अनुसंधान केन्द्रों[9] में पर्याप्त रूप से स्टाफ नहीं था तथा मार्च 2014 को कमी क्रमश: 57 प्रतिशत तथा 67 प्रतिशत थी।
मणिपुर	भा.स. के पत्र (जुलाई 2010) के अनुसार, संचार तथा क्षमता विकास इकाई (सं.क्ष.वि.इ.) में राज्य समन्वयक, मा.सं.वि. विशेषज्ञ, सू.शि.सं. विशेषज्ञ, तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ होना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि न तो राज्य समन्यक और न ही अभिकल्पित विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थीं। विभिन्न ब्लॉकों में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों का एक दल, जबकि दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी, भी गठित नहीं किया गया था।
पंजाब	योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला, ब्लाक तथा ग्रा.पं. स्तर पर कोई अतिरिक्त स्टाफ संस्वीकृत/नियुक्त नहीं किया गया था।

[6] चित्रदुर्ग, देवनगिरी, मांडया, उत्तर कन्नड़, रायपुर तथा तुमकुर

[7] रायगढ़ जिला: ताला ब्ला.अ.के.; बुलघाना जिला: लोनार ब्लाक.अ.के.; नागपुर जिला: काटोल ब्ला.अ.के. तथा परभानी जिला: सायलू ब्ला.अ.के.

[8] बुलधाना जिला: लोनार एवं संग्रामपुर स.अ.के.; नांदेड़, जिला: नयगांव स.अ.के.; जलगांव जिला: अमलनेर स.अ.के.; नागपुर जिला: नारखेड़ स.अ.के.; हिंगोली जिला: औंधा नागनाथ एवं हिंगोली स.अ.के.; सतारा जिला: पाटन स.अ.के.

[9] समूह अनुसंधान केन्द्र ग्रा.पं.का एक समूह है।

इन महत्वपूर्ण मौलिक निकायों का गठन न करने तथा इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों की विरलता एक कमजोर योजना तथा कार्यान्वयन की प्रगति, लक्ष्यों की अप्राप्ति का विश्लेषण, सुधार हेतु नीति निर्धारण आदि की अपेक्षा से कम की जा रही समीक्षा का द्योतक है, जो कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित हैं।

2.5.3 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन न करना

ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन कार्यक्रम के प्रयोजन, संघटन, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु एक उप-समिति के रूप में किया जाना था। ग्रा.ज.स्व.स. को निर्मल ग्रामों हेतु विस्तृत तथा संतृप्त दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रत्याशित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 594510 ग्रामों, जिनमें योजना कार्यान्वित की जानी थी, में से 30 राज्यों के 51014 ग्रामों में ग्रा.ज.स्व.स. का गठन भी नहीं किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध 2.8** में दिए गए हैं।

नमूना जांच की गई 509 ग्रा.पं. में से पांच राज्यों की 454 ग्रा.पं. (89 प्रतिशत) में ग्रा.ज.स्व.स. का गठन नहीं किया गया गया था जैसा नीचे **तालिका-2.1** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.1: उन ग्रा.पं. का विवरण जहॉ ग्रा.ज.स्व.सं. का गठन नहीं किया गया था

क्र.सा.	राज्य	नमूना जांच की गई ग्रा.प. की संख्या	ग्रा.पा. की संख्या जहॉ ग्रा.पं.स्व.स. गठन नहीं किया गया था
1.	जम्मू एवं कश्मीर	77	77
2.	कर्नाटक	129	115
3.	पंजाब	100	100
4.	राजस्थान	147	109
5.	पश्चिम बंगाल	56	53
	कुल	**509**	**454**

[स्रोत:नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

इसके अतिरिक्त, **उत्तर प्रदेश** में सभी 15 नमूना जांच किए गए जिलों में योजना को ग्रा.ज.स्व.स. के माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा असम में ग्रा.ज.स्व.स. में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं की गई थी। छत्तीसगढ की 102 ग्रा.पं. में न तो ग्रा.ज.स्व.स. का पंजीकरण किया गया था और न ही विशिष्ट उपनियम तैयार किए गए थे। ग्रा.पं. के सरपंच तथा सचिव समिति के क्रमश: अध्यक्ष तथा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। **झारखण्ड** में मार्च 2014 तक छ: नमूना जांच किए गए जिलों में से तीन[10] में अभी भी 115 ग्रा.ज.स्व.स. का गठन किया जाना था।

2.5.4 जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन न करना

सभी राज्यों को राज्य स्तर पर सू.शि.सं., मा.स.वि. तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) के अधीन जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन करना भी अपेक्षित था। राज्य हेतु संचार नीति ज.स्व.स.सं. द्वारा नियोजित की जानी थी तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसको नियमित रूप से मॉनीटर करना था। उन राज्यों जहॉ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता को दो अलग विभागों द्वारा संभाला जाता है वहॉ ज.स्व.स.सं. के साथ एक संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सं.क्ष.वि.इ.) को जोड़ा जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं**

[10] दुमका: 2664 ग्रामों में 2593 ग्रा.ज.स्व.स., गढ़वा: 848 ग्रामों में 812 ग्रा.ज.स्व.स. तथा रॉची: 1319 ग्रामों में 1311 ग्रा.ज.स्व.स.।

कश्मीर तथा मेघालय) में से किसी में भी ज.स्व.स.सं. का गठन नहीं किया गया था।

2.5.5 ब्लॉक अनुसंधान केन्द्र (ब्लॉ.अ.के.) का गठन न करना

जैसी दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी जागरूकता उत्पन्न करने, प्रयोजन, संघटन, समुदायों ग्रा.पं. तथा ग्रा.ज.स्व.स. के प्रशिक्षण के संबंध में निरंतर सहायता प्रदान करने हेतु ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों (ब्ला.अ.के.) की स्थापना की जानी थी। ब्ला.अ.के. को साफ्टवेयर सहयोग के संबंध में जि.ज.स्व.मि. को एक विस्तारित सहयोगी के रूप में सेवा प्रदान करनी थी एवं जि.ज.स्व.मि. तथा ग्रा.पं./ग्रा.ज.स्व.स. के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना था।

हमने पाया कि 11 राज्यों में नमूना जांच किए गए 63 जिलों में से 58 जिलों में ब्ला.अ.के. की स्थापना नहीं की गई थी जैसा नीचे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3: ब्ला.अ.के. की स्थिति

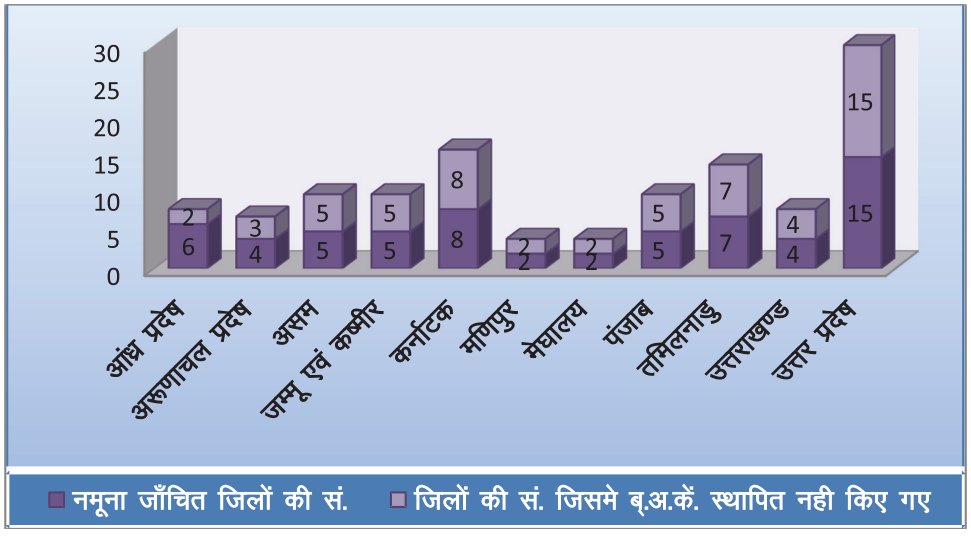

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

ब्यौरे **अनुबंध 2.9** में दिए गए हैं:

ब्ला.अ.के. के अभाव में, जि.ज.स्व.मि. तथा ग्रा.पं. के बीच कोई सम्पर्क नहीं था, इस प्रकार वह ग्राम समुदायों के बीच स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता सृजन, प्रयोजन तथा संघटन में बाधा डाल रहा था।

अनुशंसाएं:

- **वा.का.यो. तथा प.का.यो. को ब्लॉक तथा जिला योजना में समेकित किए जाने हेतु मूलभूत स्तर से प्राप्त किया जाना चाहिए। प.का.यो. को स्वच्छता आदतों की नवीनतम स्थिति का पता लगाने हेतु घर-घर सर्वेक्षण करके आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।**
- **योजना तथा मॉनीटर करने के लिए अपेक्षित संगठनात्मक व्यवस्था को भारत सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर रहे सभी राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए।**

अध्याय-3 परियोजना कार्यान्वयन

3.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

3.1.1 उपलब्धियों में कमी

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.), सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में शौचालयों के माध्यम से सभी को शौचालयों तक पहुँच प्रदान करके तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केन्द्रित सामुदायिक प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली विकसित करके ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करने का लक्ष्य रखते हैं। इन संघटकों के अंतर्गत 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियॉ नीचे तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका-3.1: लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के विवरण

(लाख में)

संघटक	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी	*प्रतिशत कमी*
व्य.घ.शौ.-ग.रे.नी.	2009-14	426.32	222.32	204.00	47.85
व्य.घ.शौ.-ग.रे.उ.	2009-14	469.76	207.55	262.21	55.82
सा.स्व.प.	2009-14	0.42	0.12	0.30	71.43
विद्यालय शौचालय	2009-14	9.28	4.87	4.41	47.52
आंगनबाड़ी शौचालय	2009-14	4.59	2.04	2.55	55.55
ठो.त.अ.प्रं.	2009-14	उ.न	0.20	उ.न.	उ.न.

[स्रोत: पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

उपरोक्त विवरणों से यह देखा जा सकता है कि व्य.घ.शौ. की उपलब्धि में 48 से 56 प्रतिशत की कमी थी। सा.स्व.प., विद्यालयी शौचालयों तथा आंगनबाड़ी शौचालयों के मामले में कमी लक्ष्यों के प्रति क्रमश: 71, 48 तथा 56 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में शामिल किसी भी वर्ष में ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे; इसलिए उपलब्धियों की लक्ष्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकी (उपरोक्त आंकड़ों का ब्यौरा **अनुबंध 3.1** में दिया गया है)

मंत्रालय ने बताया कि वास्तव में उपलब्ध हो सकने वाली निधियों का संदर्भ लिये बिना वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण किये जा सकने वाले शौचालयों का प्रक्षेपण करके राज्यों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का आरंभ होने से पूर्व ही वा.का.यो. तैयार कर ली जाती थीं। इसके अतिरिक्त, योजना के एक मांग संचालित कार्यक्रम होने के कारण मंत्रालय ने राज्यों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों पर कोई सीमा नहीं रखी और इसप्रकार प्रस्तावित लक्ष्य उपलब्ध निधियों के साथ किये जा सकने वाले लक्ष्यों में काफी अधिक थे। तथापि, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मूलभूत स्तर पर अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमताएं कम उपलब्धि का कारण हो सकती हैं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय को राज्यों के निष्पादन तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर उनकी मांग के अनरूप लक्ष्यों को व्यावहारिक स्तरों पर सीमित करना चाहिए जिससे कि कार्यान्वयन की उपयुक्त निगरानी की जा सके।

3.1.2 अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धि

जनगणना 2011(फरवरी 2011) के अनुसार, 514.64 लाख ग्रामीण परिवारों के पास परिसर के भीतर शौचालय सुविधा थी, परन्तु मंत्रालय में अभिलेखों के अनुसार, से.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत फरवरी 2011 तक ग्रामीण परिवारों में 768.07 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका था। यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों में वै.पा.शौ. आंकड़ों में बड़ी भिन्नताएं थीं तथा निम्नलिखित 16 राज्यों में मंत्रालय ने जनगणना 2011 के आंकड़ों की तुलना में उपलब्धि को अधिक बताया था:

तालिका-3.2: जनगणना 2011 की तुलना में बढ़ायी गई उपलब्धि के विवरण

क्र.सं.	राज्य	जनगणना 2011	मंत्रालय	आधिक्य	*जनगणना 2011 की तुलना में प्रतिशत आधिक्य*
		परिसर के भीतर शौचालय सुविधा वाले परिवार	02/2011 तक निर्मित वै.पा.शौ.		
1	आन्ध्र प्रदेश	45,85,620	72,35,242	26,49,622	57.78
2	छत्तीसगढ़	6,36,991	17,98,136	11,61,145	182.29
3	गुजरात	22,35,623	40,36,449	18,00,826	80.55
4	हरियाणा	16,63,159	19,04,459	2,41,300	14.51
5	हिमाचल प्रदेश	8,72,545	9,89,600	1,17,055	13.42
6	झारखण्ड	3,57,289	15,24,722	11,67,433	326.75
7	कर्नाटक	22,34,534	36,54,793	14,20,259	63.56
8	मध्य प्रदेश	14,59,201	54,98,678	40,39,477	276.83
9	महाराष्ट्र	49,46,854	63,99,597	1452,743	29.37
10	ओडिशा	11,46,552	34,25,625	22,79,073	198.78
11	राजस्थान	18,64,447	34,70,005	16,05,558	86.11
12	सिक्किम	77,694	94,600	16,906	21.76
13	तमिलनाडु	22,20,793	64,26,175	42,05,382	189.36
14	त्रिपुरा	4,95,053	5,69,354	74,301	15.01
15	उत्तर प्रदेश	55,45,881	1,51,07,255	95,61,374	172.40
16	पश्चिम बंगाल	64,11,152	72,57,522	8,46,370	13.20
	कुल	**3,67,53,388**	**6,93,92,212**	**3,26,38,824**	**88.80**

[स्रोत: पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय 2011]

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि परिसरों के भीतर शौचालय सुविधाओं वाले 367.53 लाख परिवारों के प्रति मंत्रालय ने उपलब्धि को 326.39 लाख द्वारा बढ़ाया तथा फरवरी 2011 तक 693.92 लाख वै.पा.शौ. की उपलब्धि को दर्शाया। यह अंतर आगे और बढ़ सकता है क्योंकि जनगणना 2011 ने उन पारिवारिक शौचालयों को शामिल किया होगा जिनका निर्माण नि.भा.अ./सं.स्व.अ. योजना के अंतर्गत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सिक्किम में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 92,370 परिवारों के प्रति मंत्रालय द्वारा 94,600 वै.पा.शौ. अर्थात् कुल परिवारों से अधिक, का निर्माण बताया गया।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि उपलब्धि में अंतर संभवत: राज्यों द्वारा अधिक नि.ग्रा.पु. पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ सीमा तक अधिक बताए जाने (विशेष रूप से ग.रे.उ. के शौचालयों में), व्यवहार में बदलाव में कमी के कारण कुछ शौचालयों का उपयोग न करने/बेकार होने, खराब निर्माण गुणवत्ता आदि तथा शौचालयों की गणना की पद्धति में अंतर के कारण था।

3.1.3 योजना के अंतर्गत 22 जिलों को शामिल न करना

सं.स्व.अ. को 01 अप्रैल 2012 से नाम बदल कर नि.भा.अ. कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को त्वरित करना था जिससे कि संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सं.स्व.अ. के मांग संचालित दृष्टिकोण के अनुपूरण से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके। नि.भा.अ. में निर्मल ग्राम पंचायतों का

सृजन करने की दृष्टि से संतृप्त परिणामों हेतु समग्र समुदाय को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परन्तु यह पाया गया कि नि.भा.अ. को 12 राज्यों/सं.शा.क्षे. के 22 जिलों में कार्यान्वित नहीं किया गया था जैसा नीचे **तालिका-3.3** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.3: जिले जहां नि.भा.अ. योजना कार्यान्वित नहीं की गयी थी

क. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिलों की संख्या	क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिलों की संख्या
1.	अं.एवं नि. द्वीपसमूह	3	7.	लक्षद्वीप	1
2.	चंडीगढ़	1	8.	पुदुचेरी	1
3.	दमन एवं दीव	2	9.	पंजाब	1
4.	दिल्ली	7	10.	राजस्थान	1
5.	गुजरात	1	11.	उत्तर प्रदेश	1
6.	कर्नाटक	1	12.	तमिलनाडु	2
				कुल	**22**

[स्रोत: मंत्रालय की स.प्र. सू.प्र. से प्राप्त डाटा]

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को परियोजना जिलों में सभी ग्रा.पं. में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था तथा कुछ ग्रा.पं., जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को कार्यान्वित किया गया था, को वर्ष 2009-14 के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. की परियोजना वा.का.यो. में समेकित नहीं किया गया था जैसा नीचे तालिका-3.4 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.4: उन ग्रा.पं. के ब्यौरे जहॉ योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी

वर्ष	परियोजना जिलों में कुल ग्रा.पं.	ग्रा.पं. जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को कार्यान्वित नहीं किया गया था	वा.का.यो. में समेकित न की गई ग्रा.पं.
2009-10	2,54,163	33,815	351
2010-11	2,54,163	33,803	12
2011-12	2,54,163	33,732	83
2012-13	2,54,163	33,815	शून्य
2013-14	2,54,163	33,815	शून्य

[स्रोत:पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इस प्रकार, परियोजना जिलों में 2.54 लाख ग्रा.पं. में से योजना को 0.34 लाख ग्रा.पं. में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कुछ जिलों/ग्रा.पं. में योजना के गैर-कार्यान्वयन का योजना के समग्र उद्देश्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल करने का मुख्य उद्देश्य विफल होता है।

मंत्रालय ने बताया कि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को परियोजना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी ग्रा.पं. में कार्यान्वित किया जा रहा था तथा यह शहरी जिलों में कार्यात्मक नहीं था। इसके अतिरिक्त, कुछ सं.शा.क्षे. में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. हेतु कोई मांग नहीं थी क्योंकि उनके स्वयं के स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे थे जिनमे बेहतर प्रोत्साहन प्रदान दिए जा रहे थे।

मंत्रालय के उत्तर को मंत्रालय की स.प्र.सू.प्र. पर उपलब्ध सूचना के परिप्रेष्य में देखा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि योजना को ग्रामीण जनसंख्या वाले 22 जिलों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

3.2 परियोजना कार्यान्वयन

3.2.1 व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.)

उपरोक्त संघटक का लक्ष्य प्रत्येक परिवार में एक अधिरचना सहित एक स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करके सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करना है। प्रोत्साहन सभी ग.रे.नी परिवारों तक सीमित है तथा अ.ज./अ.ज.जा. ग.रे.उ. के परिवार छोटे एवं मझोले किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से अपंग तथा महिला मुखिया वाले परिवारों को दिया जाना है। घरेलू शौचालयो के निर्माण का जिम्मा स्वयं परिवार द्वारा उठाया जाना चाहिए तथा शौचालयो की निर्माण समाप्ति तथा उपयोग पर परिवार को प्रोत्साहन दिया जाना है। राज्यों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान वै.पा.शौ. हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं जैसा आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2.1.1 अप्रचलित शौचघर

संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह अनिवार्य है कि योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों का उपयुक्त रूप से अनुरक्षण किया जायें ताकि वे लाभार्थी के उपयोग हेतु क्रियात्मक रह सकें। तथापि, मंत्रालय द्वारा कराए गए आधार रेखा सर्वेक्षण 2012 के अनुसार, व्यक्तिगत

परिवारों में कुल ₹7.05 करोड़ शौचालयों में से, करीबन ₹1.45 करोड़ (20.54 प्रतिशत) शौचालय निष्क्रिय थे (राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध 3.2** में)। इस तथ्य का आठ राज्यों के नमूना जांच किए गए 53 जिलों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान पुष्टि हुई, जहाँ निष्क्रिय शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत (कुल ₹71.86 लाख परिवारों में 24.03 लाख) से अधिक पाया गया था,) अप्रचलित निष्क्रिय शौचालयों की ऐसे उच्च अनुपात के कारण निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण संरचना, गैर-अनुरक्षण, आदि थे जैसा नीचे **तालिका 3.5** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.5: निष्क्रिय/गैर-क्रियात्मक वै.घ.शौ.

क्र. सं.	राज्य	जिला	कुल व्य.घ.शौ.	निष्क्रिय इकाई	अभ्युक्तियाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	22495	7191	इन इकाईयों का जीवनकाल समाप्त हो गया था।
2.	बिहार	10	1284309	472011	निर्माण की खराब गुणवत्ता
3.	गुजरात	2	2055	2055	निम्न गुणवत्ता एवं अपूर्ण निर्माण, शोष गर्तों का गैर-निर्माण आदि
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5	118124	9719	कारण नहीं बताए गए थे।
5.	झारखण्ड	6	430158	284478	बहते पानी की अनुपलब्धता, गैर अनुरक्षण, जागरुकता की कमी, आंशिक निर्माण, भारी वर्षा, तूफान आदि के कारण अधिरचना का ढहना।
6.	तमिलनाडु	7	2580635	374919	अनुपयुक्त अधिरचना
7.	उत्तराखण्ड	4	448000	35000	कारण नहीं बताए गए थे।
8.	उत्तर प्रदेश	15	2300454	1218121	लाभार्थियों द्वारा अनुपयुक्त बिना अनुरक्षण के रहे।
	कुल	**53**	**7186230**	**2403494**	

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

इसके अतिरिक्त, सात राज्यों में 5527 परिवारों के संयुक्त भौतिक सत्यापन/लाभार्थी सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि 3050 परिवारों (55 प्रतिशत) में शौचालय या तो निष्क्रिय थे या अपूर्ण पड़े थे, अत: लाभार्थी द्वारा उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.6** में दिए गए हैं:

तालिका-3.6: लाभार्थी सर्वेक्षण: अप्रचलित/गैर-क्रियात्मक वै.पा.शौ.

क्र.स.	राज्य	कुल व्य.घ.शौ.	निष्क्रिय इकाईयां	*प्रतिशत*
1.	असम	330	63	19.09
2.	बिहार	1263	593	46.95
3.	छत्तीसगढ	1024	852	83.20
4.	गुजरात	190	128	67.37
5.	झारखण्ड	1115	704	63.14
6.	राजस्थान	1205	519	43.07
7.	त्रिपुरा	400	191	47.75
	कुल	**5527**	**3050**	**55.18**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

रोगपोरी ग्रा.पं., तिनसूकई, असम में बाहरी ढाँचे के बिना शौचालय

चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश की पैडापलेम ग्रा.पं. में उपयोग में नहीं लाया गया शौचालय

आधार रेखा सर्वेक्षण 2012 के दौरान तथा लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई निष्क्रिय शौचालयों की समस्या ग्रामीण स्वच्छता हेतु एक गम्भीर

समस्या उत्पन्न करती है। निष्क्रिय शौचालयों की उच्च संख्या सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को ग्रामीण स्वच्छता की समस्या से निपटने में अप्रभावी बनाती है जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा वित्तीय निवेश निष्फल सिद्ध होता है इसके कारण निर्माण की खराब गुणवत्ता, जल सुविधाओं तथा सततता की कमी, स्थिरता, वित्तीय तथा आचरण संबंधी बाध्यताएं प्रतीत होते हैं। मंत्रालय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए तथा शोधक कार्रवाई हेतु कारणों का पता लगाना चाहिए।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि परिवारो के बर्ताव संबंधी परिवर्तन की कमी, सं.स्व.अ. की आरंभिक अवधियों के दौरान काफी कम प्रोत्साहन की वजह से निर्माण की खराब गुणवत्ता, इत्यादि कारणों से कुछ व्य.घ.शौ. वास्तव में निष्क्रिय हो गए।

3.2.1.2 अपूर्ण निर्माण

सात राज्यों के 19 चयनित जिलों में यह पाया गया था कि 6155 परिवारों को दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वै.पा.शौ. के निर्माण से पहले ही ₹2.57 करोड़ के प्रोत्साहन दिए गए थे जिसका परिणाम निधियों के अनुपयोग तथा वै.पा.शौ. के अपूर्ण निर्माण में हुआ। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.7** में दिए गए है:

तालिका-3.7: अपूर्ण निर्माण तथा निधियों का अनुपयोग

क्र.सं.	राज्य	जिला	परिवारों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
1.	छत्तीसगढ़	4	259	94.00	वै.पा.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था
2.	हरियाणा	5	133	4.04	95 मामलों में व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था तथा 38 मामलों में वे अपूर्ण थे।
3.	कर्नाटक	4	27	1.10	व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था/अपूर्ण थे।
4.	केरल	1	1,667	37.97	प्रोत्साहन अप्रयुक्त रहे।
5.	मेघालय	1	1,255	70.56	1,255 अपूर्ण व्य.घ.शौ. के रूप में निधियां अवरूद्ध रहीं।
6.	नागालैण्ड	2	43	1.16	43 परिवारों ने सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत प्रदान की गई सामग्री का उपयोग नहीं किया था।
7.	राजस्थान	2	2,771	48.02	व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया तथा निधियाँ अप्रयुक्त रहीं।
	कुल	**19**	**6,155**	**256.85**	

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अंकलेश्वर तालूका,गुजरात की उछाली ग्रा.पं. के रमेशभाई माथुरभाई का व्य.घ.शौ.

पाओमाटा केन्द्र (सेनापति जिला) मणिपुर में ध्वस्त व्य.घ.शौ.

3.2.1.3 बाल्टी शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में गैर-परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्रों में बाल्टी शौचालयों का निर्माण अनुमत नहीं है। योजना दिशानिर्देश मौजूदा बाल्टी शौचालयों के स्वस्थ्य शौचालयों में परिवर्तन का प्रावधान करते हैं। जनगणना 2011 **(अनुबंध 3.3)** के अनुसार, ₹12.73 लाख परिवारों में अस्वच्छ शौचालय थे जहॉ मल को मानव (₹5.86 लाख) द्वारा हटाया जाता था, जानवरों (₹3.17लाख) द्वारा सफाई की जाती थी अथवा खुले नाले (₹3.70 लाख) में निपटान किया जाता था। तथापि, यह पाया गया था कि चार राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, तथा ओडिशा**) के चयनित जिलों में ऐसे अस्वच्छ बाल्टी शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित नहीं किया गया था। मणिपुर में संचार एवं क्षमता इकाई के पास राज्यों बाल्टी शौचालयों की मौजूदगी के संबंध में डाटा नहीं था जबकि शेष तीन राज्यों के विभागों ने अपने राज्य में अस्वच्छ शौचालयों की स्थिति का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

उत्तराखण्ड में, प.मा.ई. के अभिलेखों के अनुसार, राज्य में कुल 1242 अस्वच्छ शौचालय थे जिनमें से केवल 736 (59 प्रतिशत) को नवम्बर 2014 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन कर दिया गया था।

3.2.1.4 ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा व्य.घ.शौ. का निर्माण

योजना दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि शौचालयों के निर्माण का जिम्मा स्वयं परिवार द्वारा उठाया जाना चाहिए तथा ठेकेदारों अथवा अन्य अभिकरणों/गै.स.सं. के माध्यम से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कराए गए निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। 10 राज्यों के 31 चयनित जिलों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹186.17 करोड़ के व्यय वाले 12.97 लाख व्य.घ.शौ. का निर्माण ठेकेदारों/गै.स.सं. इत्यादि को लगाकर कराया गया था। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका-3.8: ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा निर्मित व्य.घ.शौ.

क्र.स.	राज्य	जिले	व्य.घ.शौ. की इकाईयां	राशि (₹ लाख में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	1,313	33.76
2.	बिहार	10	1026535	17016.00
3.	गुजरात	2	2055	52.11
4.	कर्नाटक	2	NA	27.75*
5.	महाराष्ट्र	1	51	0.97
6.	मणिपुर	1	174	5.00
7.	ओडिशा	8	207390	उ.न.
8.	राजस्थान	4	59,585	1443.00
9.	तमिलनाडु	1	189	10.77
10.	पश्चिम बंगाल	1	60	27.20
	कुल	**31**	**1297352**	**18616.56**

(*64 चैको के माध्यम से अदा किया गया जिनमें इकाईयों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था)

[स्रोत:नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

मामला अध्ययन: बिहार

बिहार में व्य.घ.शौ. का निर्माण विभागीय रूप से/गै.स.सं., जिन्हे मुख्य रूप से सू.शि.सं. कार्यों, माँग सृजन करने तथा जि.ज.स्व.स. द्वारा स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त किया गया था। 2009-13 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों की जि.ज.स्व.स. ने 10.27 लाख शौचालयों का निर्माण किया तथा विभागीय अधिकारियों /गै.स.सं. को ₹170.16 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, गै.स.स. को अनुमानों की स्वीकृति के बिना एक मॉडल डिजाईन वाले निम्न लागत के शौचालयों के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार कार्य आदेश वै.पा.शौ. की गुणवत्ता आश्वासन को बिना ध्यान में रखे जारी किए गए थे।

3.2.1.5 अन्य कमियां

राज्यों में लेखापरीक्षा के दौरान, मांग के बिना हार्डवेयर खरीद, प्रोत्साहन का आंशिक भुगतान, प्रोत्साहन का गैर-संवितरण आदि जैसी विभिन्न अन्य कमियां भी पाई गईं । राज्य-वार ब्यौरे नीचे तालिका 3.9 में दिए गए हैं:

तालिका-3.9: व्य.घ.शौ.-अन्य कमियां

क्र.स.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	**असम**	₹3.31 करोंड़ की लागत पर खरीद की गई हार्डवेयर सामग्री की जिलों से किसी भी मांग के बिना रा.ज.स्व.मि. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.य. के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु जिलों को आपूर्ति की गई थी (दिसम्बर 2013 से मई 2014)। परिणामस्वरूप, हार्डवेयर सामग्री जिलों के पास व्यर्थ पड़ी थी।

क्र.स.	राज्य	अभ्युक्ति
2.	गुजरात	16 लाभार्थियों के मामले में 1,200 का नगद प्रोत्साहन अदा करने के बजाय सरपंच ने नगद ₹840 अदा किए तथा 360 की शेष राशि की स्वच्छता किटों (जैसे टॉयलेट सीट, कनेक्टिंग पाईप तथा टाईलें) का संवितरण किया था।
3.	हिमाचल प्रदेश	दो ग्रा.पं. (बेहरल तथा शिला) में, ब्लाक से प्राप्त (अप्रैल 2012 तथा जून 2012) ₹3.67 लाख को लाभार्थियों द्वारा व्य.घ.शौ. के निर्माण के बावजूद अगस्त 2014 तक संवितरण नहीं किया गया था। संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (जून 2014) कि लाभार्थियों द्वारा समय पर व्य.घ.शौ. का निर्माण न किए जाने के कारण प्रोत्साहन का संवितरण नहीं किया गया था।
4.	कर्नाटक	जि.पं. टुमकुर के अंतर्गत 101 ग्रा.पं. ने शौचालयों के निर्माण हेतु 2009-10 के दौरान ₹4.02 करोड़ की लागत पर सामग्रियों की खरीद की थी। जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निधियों/भण्डार के कथित दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर मु.का.अ., जि.पं., टुमकुर द्वारा जाँच-पडताल की गई थी (मई 2012)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार ₹1.50 करोड़ की सामग्री लाभार्थियों को संवितरित की गई थी तथा ₹0.36 करोड़ की कीमत की सामग्री गायब पाई गई थी। ₹2.16 करोड़ के मूल्य की सामग्री धन के अवरोधन के रूप में अप्रयुक्त पड़ी थी। जि.पं. दावानेगेरे के अंतर्गत ग्रा.पं., कुनकोवा में ₹70,200 का भुगतान 17 अयोग्य लाभार्थियों को किया गया था जिनके फोटोग्राफ फर्जी परिवर्तित तथा झूठे थीं। जि.पं., टुमकुर के अंतर्गत ग्रा पं. ऊरूकेरे ने लाभार्थियों को पात्र प्रोत्साहन अदा किये जाने के बावजूद व्य.घ.शौ. हेतु गड्ढे खोदने के प्रति ₹2.43 लाख का परिहार्य व्यय किया।
5.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स में लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु पूर्ण प्रोत्साहन अदा न करके था ₹5.16 करोड़ तक का भुगतान कम किया गया था। दो चयनित जिलों में, ₹8.98 करोड़ की मूल्य के सामान की खरीद सामान्य वित्तीय नियमावली का अनुपालन किए बिना की गई थी।
6.	तमिलनाडु	थिरूवन्नामलाई जिले में शौचालयों के निर्माण हेतु 26,317 परिवारों को ₹5.79 करोड़ (₹2,200 की दर से) का प्रोत्साहन अदा नहीं किया गया था।

3.2.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा.स्व.प.), जिसमें टॉयलेट सीटों, स्नान कक्षों, धुलाई प्लेटफार्मो, वाशबेसिन, इत्यादि की पर्याप्त संख्या शामिल हो, को ग्राम में सभी के लिए स्वीकार्य तथा सुगम स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे परिसरों का निर्माण राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (रा.यो.स्वी.स.) की स्वीकृति से केवल तभी किया जाना था जब ग्राम में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान की कमी हो तथा समुदाय इसके प्रचालन तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाए।

3.2.2.1 सा.स्व.प. का गैर अनुरक्षण

योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान के बावजूद, बारह राज्यों में सा.स्व.प. का अनुरक्षण तथा रखरखाव उपयुक्त नहीं था तथा पानी की अनुपलब्धता लोगों द्वारा पहुँचने योग्य न होने अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति में होने इत्यादि के कारण सा.स्व.प. गैर-क्रियात्मक परिव्यक्त, रहे जिसका **अनुबंध 3.4** में ब्यौरा दिया गया है।

लाथी तालूका, अमरेली जिला, गुजरात का सा.स्व.प., नाना राजकोट ग्रा.पं.

जि.ज.स्व.मि. सेनापति, मणिपुर के अंतर्गत मायबा ग्राम में निर्धारित सुविधाओं के बिना सा.स्व.प.

3.2.2.2 अन्य कमियां

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ मामलों में सा.स्व.प. का निर्माण रा.यो.स्वी.स. की स्वीकृति प्राप्त किए बिना,

सामुदायिक अंशदान की वसूली बगैर किया गया था, अपूर्ण छोड़ दिया गया था अथवा योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निर्माण किया गया था। राज्य -वार अभ्युक्तियां नीचे तालिका-3.10 में दी गई है:

तालिका-3.10: सा.स्व.प.-अन्य कमियां

राज्य	अभ्युक्ति
गुजरात	सा.स्वा.प. का निर्माण रा.यो.मं.स. की स्वीकृत के बिना किया गया था।
झारखण्ड	जि.ज.स्व.मि., रॉची ने 39 सा.स्व.प. के निर्माण हेतु ग्रा.ज.स्व.स. को ₹56.49 लाख का अग्रिम दिया (जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के बीच)। मार्च 2014 तक, केवल 18 सा.स्व.प. पूर्ण हुए थे तथा शेष 21 सा.स्व.प. प्रथम अग्रिम प्रदान करने की तिथि से 25 से 57 महीनों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण थे। गर्वा जिले में, ₹0.38 करोड़[1] की लागत से 19 सा.स्व.प. का निर्माण विभिन्न उच्च विद्यालयों में किया गया था जो दिशानिर्देशों के प्रतिकूल था क्योंकि वह बड़े पैमाने पर समुदाय के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं थे।
जम्मू एवं कश्मीर	सामुदायिक अंशदान के रूप में देय ₹54.77 लाख के प्रति चयनित जिलों द्वारा केवल ₹14.73 लाख को वास्तव में बहियों में दर्ज किया गया था जिसका परिणामस्वरूप ₹40.04 लाख की राशि कम दर्ज की गयी।
कर्नाटक	जि.पं. टूमकूर के अंतर्गत ग्रा.पं. बेलादारा के अंतर्गत हनुमान गिरी ग्राम में ठेकेदार को ₹1.72 लाख के भुगतान के पश्चात अक्तूबर 2012 में सा.स्व.प. का निर्माण बीच में छोड़ दिया गया । 20 महीनों (जून 2014) के पश्चात भी ग्रा.पं. द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तथा कार्य दोबारा शुरू कराने/पूरा करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
केरल	अलथूर ब्लॉक पंचायत तथा भलमपुझा ब्लॉक पंचायत द्वारा सा.स्व.प. के निर्माण हेतु क्रमश: ₹9.00 लाख (अप्रैल-अक्तूबर 2012) तथा ₹1.80 लाख (अगस्त 2011) प्राप्त किए गये परंतु राशियों का उपयोग नहीं किया गया । ब्ला.पं. राशि के गैर-उपयोग हेतु कोई कारण प्रदान नहीं कर सके ।
मणिपुर	जि.ज.स्व.मि. (सेनापति) में, 19 सा.स्व.प. का निर्माण रा.यो.स्वी.स. की स्वीकृति के बिना तथा सामुदायिक अंश प्राप्त किये बिना किया गया ।

[1] एक सा.स्व.प. के ₹1.99 लाख के अनुमानित मूल्य के आधार पर परिकलित

मिजोरम	जि.ज.स्व.स. ने स्वीकृत राज्य वा.का.यो. से बाहर महिला स्वाच्छता परिसर (म.स्व.प.) की 62 इकाईयों का निर्माण किया तथा सा.स्व.प. हेतु आबंटित निधियों में से ₹10.38 लाख का व्यय किया। म.स्व.प. का निर्माण न तो जिला प.का.यो. में शामिल था और न ही रा.यो.स्वी.स./राज्य.यो.स्वी.स; द्वारा स्वीकृत किया गया।
राजस्थान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चार सा.स.प. का निर्माण योजना प्रावधानों के विपरित किया गया था।

सा.स्व.प. इसके अनुरक्षण हेतु गैर-प्रावधान के कारण सा.स्व.प. उपयोग में नही थे, ग्रा.पं. नेर चौक; ब्लॉक: बल्ह, तथा जिला: मण्डी; हिमाचल प्रदेश

जि.ज.स्व.मि. कांग्योक्यी, मणिपुर के अंतर्गत संदगशेन्बा मारिंग ग्राम में निर्धारित सुविधाओं के बिना सा.स्व.प.

3.2.3 विद्यालय के शौचालय

ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को विस्तृत रूप से अपनाने हेतु एक प्रवेश मार्ग है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में दो शौचालय इकाईयों, लड़कों एंव लडकियों हेतु एक/एक, का निर्माण किया जाना था। योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक शौचालय की लागत के प्रति ₹20,000 (दिसम्बर 2007) की सहायता का प्रावधान था जिसे बाद में संशोधित कर 35,000 (जून 2010) तक कर दिया गया था, का प्रावधान करती है।

सांगे, दिरांग, पश्चिम कामेंग जिले में बिगड़ी हुई स्थिति में विद्यालय का शौचालय

वांगहू, सिंगचंग ब्लॉक, पश्चिम कामेंग जिले में बिगड़ी हुई स्थिति में विद्यालय का शौचालय

3.2.3.1 निर्माण में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि विभिन्न विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण बिना मॉडल डिजाईन अपनाये/स्वीकृत प.का.यो. से बाहर किया गया था अथवा वे अपूर्ण रहे। पांच राज्यों के चयनित

जिलों में पाई गई कमियों का ब्यौरा नीचे **तालिका -3.11** में दिया गया है:

तालिका-3.11: विद्यालय के शौचालय

क्र.सं.	राज्य	जिला	शौचालय	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	384	76.80	मॉडल ड्राईंग/डिजाईन का अनुसरण किए बिना विद्यालय के शौचालयों का निर्माण
		1	38	12.97	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत शौचालयों की संख्या से अधिक शौचालयों का निर्माण
2.	हरियाणा	3	28	9.08	विद्यालयों के शौचलयों का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया अथवा अपूर्ण थे।
3.	केरल	1	39	5.95	निधियाँ अप्रयुक्त रहीं तथा विद्यालयों के शौचालय अपूर्ण रहे।
4.	मिजोरम	2	51	19.64	विद्यालयों के शौचालयों का निर्माण स्वीकृत प.का.यो से बाहर होने से अनियमित था।
5.	राज्स्थान	1	66	9.90	शौचालयों के निर्माण में विलम्ब, से अधिक परिहार्य हुआ।
	कुल	**9**	**606**	**134.34**	

[स्त्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

3.2.3.2 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों[2] में विद्यालय शौचालयों का निर्माण विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या की आवश्यकता के अनुसार नहीं किया गया था। **केरल** तथा **महाराष्ट्र** में विद्यालय के

[2] आन्ध्र प्रदेश (करीमनगर), बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

शौचालयों की कमी पाई गई तथा **कर्नाटक** और **पंजाब** में खराब गुणवत्ता के शौचालयों का निर्माण किया गया था। विद्यालय के शौचालयों के निर्माण तथा अनुरक्षण में अन्य अनियमितताएँ 17 राज्यों में भी पाई गई थीं जैसा **अनुबंध -3.5** में दिया गया है।

3.2.4 आंगनवाड़ी शौचालय

बच्चे नए विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते है तथा आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) खुले शौच के प्रति बच्चों के व्यवहार, मानसिकताओं तथा आदतों को बदलने हेतु उपयुक्त संस्थान हैं। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी में शिशु अनुकूल शौचालय (शि.अ.शौ.) हेतु प्रावधान किया गया था। आंगनवाड़ी शौचालय की इकाई लागत को ₹5,000 (अप्रैल 2006) से संशोधित कर ₹8,000 (अप्रैल 2012) कर संशोधित कर दिया गया था।

खामलंग ग्रा.पं., नामपौंग ब्लॉक, चांगलांग जिला अरूणाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी शौचालय

अडोल ग्रा.पं; अंकलेश्वर तालुका, भरूच जिला, गुजरात में आंगनवाड़ी शौचालय

3.2.4.1 वित्तीय अनियमितताएं

तीन राज्यों में, आवश्यकता से अधिक शौचालयों का निर्माण, प्रोत्साहन का अधिक आवंटन, निधियों के विपथन आदि जैसी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थीं जैसा नीचे **तालिका -3.12** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.12: आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	चांगलंग जिले में, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ₹9.75 लाख (₹5000 प्रति इकाई) की लागत से आंगनवाड़ी शौचालयों की 195 अधिक इकाईयों का निर्माण किया गया।	9.75
		पश्चिम सियांग जिले में, स्वीकृत 2 शौचालयों के प्रति कार्यान्वयन अभिकरण ने 44 इकाईयों (₹5000 प्रति इकाई की दर से 2008-09 के दौरान 20 इकाईयां तथा ₹10,000 प्रति इकाई की दर से 2009-10 से 2013-	3.17

		14 तक 24 इकाईयों) का निर्माण किया। इस प्रकार, ₹3.17 लाख का व्यय अप्राधिकृत था।	
		भौतिक रूप से निरीक्षण किए गए 12 आंगनवाड़ी शौचालयों में से 10 इकाईयां निष्क्रिय पाई गई जिसके परिणामस्वरूप ₹50000 प्रति इकाई की दर से ₹50000 का व्यय व्यर्थ रहा।	0.50
2.	**मिजोरम**	रा.यो.स्वी.स. ने ₹0.72 करोड़ के परिव्यय सहित आं.के. हेतु 718 शौचालयों का निर्माण स्वीकृत किया जिसमें से ₹0.50 करोड़ की राशि का उपयोग 504 मौजूदा शौचालयों की मरम्मत पर किया गया।	50.00
3.	**राजस्थान**	20 ब्लॉकों को ग्रा.पं. को अंतरित ₹1.37 करोड़ की राशि एक से छः वर्षों की अवधियों हेतु अप्रयुक्त रही क्योंकि जि.ज.स्व.स. सीकर, भीलवाड़ा, करौली तथा श्रीगंगानगर द्वारा संस्वीकृतियाँ जारी किए जाने के बावजूद ग्रा.पं. शि.अ.शौ. का निर्माण करने में विफल रही।	137.03
		जि.ज.स्व.स. उदयपुर ने ₹5000 प्रत्येक की दर से 189 शि.अ.शौ. (16 सितम्बर 2007 को खेरवाड़ा ब्लॉक-114 तथा 28 मार्च 2006 को सालूम्बर ब्लॉक -75) के निर्माण हेतु ₹9.45 लाख की संस्वीकृयाँ जारी कीं। जबकि शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया फिर भी निर्माण की दर को जून 2010 में बढ़ाकर ₹8000 प्रति शौचालय कर दिया गया था। इस प्रकार ₹8000 प्रति शौचालय की संवर्धित दर पर ₹0.15 करोड़ की संशोधित संस्वीकृतियाँ खेरवाड़ा ब्लॉक में 111 शौचालयों तथा सालूम्बर ब्लॉक में 75 शौचालय हेतु जारी की गई थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण में विलम्ब के कारण ₹5.58 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ।	5.58
		कुल	**206.03**

3.2.4.2 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया था कि शिशु अनुकूल शौचालयों (शि.अ.शौ.) का निर्माण कई राज्यों में नहीं किया गया था तथा कुछ राज्यों में निजी भवनों से चलाई जा रही आंगनवाड़ियों को योजना के

अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु लक्षित लक्ष्य नहीं किया गया। राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां **अनुबंध 3.6** में दी गई हैं।

3.2.5 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.त.अ.प्र.) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु परिवारों की संख्या के आधार एक ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित वित्तीय सहायता के साथ प्रत्येक ग्रा.पं. के लिए ठो.त.अ.प्र. को परियोजना मोड़ में शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्रा.पं.के स्थाई ठो.त.अ.प्र. परियोजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ बनाया जा सके। इस संघटक के अंतर्गत,

कम्पोस्ट पिट्स, वर्मी कम्पोस्टिंग, सामान्य एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र, निम्न लागत निकासी, सोख्ता नाली/गड्ढे, व्यर्थ जल का पुन: उपयोग एवं घरेलू कूड़े को संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान हेतु प्रणाली आदि जैसे कार्य प्रारम्भ किए जा सकते थे। परियोजनाओं की राज्य.यो.स्वी.सं. द्वारा स्वीकृति की जानी थी।

3.2.5.1 प्रारम्भ न की गई ठो.त.अ.प्र. गतिविधियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों (**अरूणाचल प्रदेश**, **जम्मू एवं कश्मीर**, **कर्नाटक**, **मेघालय तथा त्रिपुरा)** में**, आन्ध्र प्रदेश** तथा **झारखण्ड** के पाँच-पाँच जिलों तथा **मध्य प्रदेश** के 13 जिलों में ठो.त.अ.प्र. गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की गई थीं। अन्य राज्यों में**,** लेखापरीक्षा ने कई विसंगतियां पाई जैसे कि अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का गैर-अनुरक्षण**,** अपूर्ण निर्माण कार्य इत्यादि । इन विसंगतियों का ब्यौरा **अनुबंध-3.7** में दिया गया है।

3.2.5.2 ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं

इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठो.त.अ.प्र. अवसंचना के निर्माण में स्वीकृति के बिना व्यय करने, निधियों के विपथन आदि जैसी कुल ₹7.81 करोड़ की विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं थी जिनका ब्यौरा नीचे **तालिका-3.13** में दिया गया है:

तालिका-3.13: ठो.त.अ.प्र. का निर्माण

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	231.00	जि.ज.स्व.मि., चित्तूर ने भूमि की पहचान/अलगाव के बिना ₹2.31 करोड़ की कीमत के कूड़ेदानों तथा तिपहिया साईकिलों की खरीद की तथा जनवरी से मार्च 2014 के दौरान 184 ग्रा.पं. को इनकी आपूर्ति की।
2.	हिमाचल प्रदेश	1	50.23	जि.ग्रा.वि.अ. मंडी द्वारा 2009-14 के दौरान इस गतिविधि का कार्यान्वयन नहीं किया गया था तथा इस संघटक में से ₹50.23 लाख का उपयोग सू.शि.सं. कार्यों हेतु किया था।
3.	मिजोरम	2	74.46	दो जि.ज.स्व.स. के ठो.त.अ.प्र. के अंतर्गत ₹74.46 लाख के व्यय वाले कार्य राज्य.यो.स्वी.स. द्वारा स्वीकृत नहीं थे। जिलों के लिए ठो.त.अ.प्र. हेतु मुख्य योजना तैयार नहीं की गई थी।
4.	नागालैण्ड	2	2.30	2011-12 के दौरान जि.ज.स्व.मि. जूनेबोटो ने ठो.त.अ.प्र. संघटक से स्थापना के अधिकारियों एवं स्टाफ को मानदेय के भुगतान हेतु ₹0.80 लाख की राशि का विपथन किया था। इसीप्रकार, दीमापुर जिले में, जि.ज.स्व.मि. ने दरोगा पत्थर में सा.स्वा.प. के निर्माण हेतु ₹1.50 लाख की राशि का अपवर्तन (2011-12) किया।
5.	पंजाब	1	91.85	लुधियाना में, ₹35.20 लाख (केन्द्रीय अंश: ₹28.80 लाख, लाभार्थी अंश: ₹6.40 लाख) की ग्राहा राशि के प्रति ₹127.05 लाख का व्यय ठो.त.अ.प्र. कार्यों अर्थात् 28 तालाबों के नवीकरण, पर किया गया जिसके परिणाम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
				स्वरूप अन्य संघटकों से निधियों का विपथन न करके ₹91.85 लाख का अधिक व्यय हुआ।
6.	राजस्थान	1	14.46	जि.ज.स्व.स., चूरू ने ग्रा.पं.लूनास (ब्लॉक तारानगर) में ठो.त.अ.प्र. कार्य हेतु ₹13.41 लाख संस्वीकृत किए (जुलाई 2013) परन्तु ग्रा.पं. को ₹15.00 लाख का अंतरण किया गया । ₹1.59 लाख की अधिक राशि को जून 2014 तक वसूली नहीं जा सकी थी। जि.ज.स्व.स., चुरू ने ब्लॉक राजगढ़ को ग्रा.पं. धनथल लेखू, भागेला तथा सूरतपुरा में ठो.त.अ.प्र. के अंतर्गत नाले के निर्माण हेतु ₹6.77 लाख (तथा ग्रा.पं. पहाड़सर, रामपुरा तथा कलन्ताल में के निर्माण हेतु ₹6.10 लाख) का अंतरण किया (अगस्त 2012) ग्रा.पं. ने न तो नालों का निर्माण किया और न ही राशियों को वापस किया।
7.	तमिलनाडु	5	316.94	₹316 लाख का व्यय कम्पोस्ट पिट्स, सोख्ता गढ्ढो, कूड़ेदान आदि जैसी व्यक्तिगत मदों पर किया गया था। ठो.त.अ.प्र. की किसी भी परियोजना की पूर्ण रूप में योजना नहीं की गई थी।
	कुल	**13**	**781.24**	

3.2.6 ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केन्द्र

ग्रामीण स्वच्छता बाजार सहित सामाजिक उद्देश्य वाणिज्यिक उघम है। ग्रा.स्व.वा. का मुख्य लक्ष्य एक स्वच्छ वातावरण हेतु विभिन्न प्रकार के शौचालयों के निर्माण तथा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, सेवाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है। उत्पादन केन्द्र (उ.के.) स्थानीय स्तर पर किफायती सस्ते स्वच्छता सामग्रियों का उत्पादन करने का साधन हैं। वे स्वतंत्र अथवा ग्रा.स्व.बा. का भाग हो सकते थे। उ.के./ग्रा.स्व.बा. को स्वयं सेवा समूह (स्व.से.स.)/महिला संगठन/

पंचायतों/गै.स.सं. आदि द्वारा खोला तथा संचालित किया जा सकता था। तथा अधिकतम ग्राहा ब्याज मुक्त ऋण ₹3.50 लाख प्रति ग्रा.स्व.बा./उ.के. था तथा इसे प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात 12-18 किश्तों में वसूला जाना था।

3.2.6.1 प्रारम्भ न किए गए ग्रा.स्व.बा. कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों[3] के चयनित जिलों में ग्रा.स्व.बा. तथा उ.के. नहीं खोले गए थे।

उत्तराखण्ड में, अल्मोड़ा, देहरादून, पौढी तथा यू.एस. नगर में ग्रा.स्व.बा. तथा उ.के. की स्थापना हेतु ₹5.65 लाख जारी किए गए थे। छः केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति देहरादून में केवल एक केन्द्र स्थापित किया गया था वह भी लेखापरीक्षा (जून 2014) किये जाने के समय प्रचलन में नहीं था। शेष जिलों में बजट जारी करने के बावजूद कोई ग्रा.स्व.बा./उ.के. की स्थापना नहीं की गई थी। इसके बावजूद जारी की गई राशि को 18 महीनों से 4 वर्षों तक के विलम्ब से वसूला गया ।

3.2.6.2 ग्रा.स्व.बा. परियोजनाओं में अनियमितताएं

छः राज्यों के 21 चयनित जिलों में, ग्रा.स्व.बा./उ.के. को खोलने हेतु ₹1.38 करोड़ का ऋण अदा किया गया था परंतु ₹1.20 करोड़ की राशी वसूली नहीं जा सकी थी जैसा नीचे **तालिका-3.14** में ब्यौरा दिया गया है:

[3] आन्ध्र प्रदेश, (करीमनगर एवं श्रीकाकूलम के अतिरिक्त), अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा हिमाचल प्रदेश,जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर (सेनापति जिला), मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा त्रिपुरा

तालिका-3.14: ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	जिला	दी गई राशि (₹ लाख में)	वसूली न गई राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	असम	3	23.68	23.68	जिला तिनसुखिया, गोलपारा तथा उदलगुड़ी में 2008-09 से ग्रा.स्वा.बा./उ.के निष्क्रिय हो गए तथा ₹23.68 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकीं।
2.	गुजरात	4	21.90	20.30	नमूना जांच किए गए जिलों में 41 ग्रा.स्व.बा. की स्थापना हेतु विभिन्न स्व.से.स./गै.स.सं. को ₹21.90 लाख के ऋण का संवितरण किया गया था। जिसमें से ₹1.60 लाख की मार्च 2014 तक वसूली की गई थी तथा शेष ₹20.30 लाख की राशि वसूली हेतु बकाया थी। किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों ग्रा.स्व.बा. में चालू नहीं थे।
3.	मध्य प्रदेश	4	16.50	14.25	अनूपपुर, देवास, सागर, तथा शाहडोल के जि.ज.स्व.मि. में 16 ग्रा.स्व.बा.. की स्थापना करने हेतु स्व.से.स. को ऋण के रूप में ₹16.50 लाख प्रदान किए गए थे। इनमें से केवल एक ग्रा.स्व.बा. (शक्ति स्व.से.स., टोकखुर्द, जिला देवास) क्रियात्मक (अगस्त 2014) था तथा दो[4] ग्रा.स्व.बा. ने ऋण की संस्वीकृति की तिथि से नौ वर्षों के पश्चात ₹2.25 लाख वापस किए। शेष 14.25 लाख वसूली हेतु लंबित थे (अगस्त 2014)।
4.	ओडिशा	1	5.00	0.33	जि.ज.स्व.मि. कोरापूट ने ग्रा.स्व.ब. की स्थापना हेतु ₹3.50 लाख की अधिकतम स्वीकार्य राशि के प्रति

[4] शक्ति स्व.से.स. ने प्राप्त ₹50,000 में से ₹25,000 का पुनर्भुगतान किया तथा गंगा स्व.से.सं. ब्यूहारी शाहडोल ने ऋण प्राप्त करने के नौ वर्षों के पश्चात ₹2.00 लाख का पुनर्भुगतान किया।

क्र.सं.	राज्य	जिला	दी गई राशि (₹ लाख में)	वसूली न गई राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
					सेमलीगूढ में एक स्व.से.स. को मई 2013 में ₹5.00 लाख का ऋण जारी किया। स्व.से.स. ने ग्रा.स्व.बा. की स्थापना नहीं की तथा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के पश्चात जून 2014 में इसके प्रति ₹0.33 लाख बकाया छोड़ते हुए 4.67 लाख वापस किया।
5.	तमिलनाडु	4	21.00	11.80	ग्रा.स्व.बा./उ.के. की स्थापना हेतु स्व.से.स./गै.स.सं. को दिया गया ऋण पांच वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी वसूला नहीं गया था तथा ग्रा.स्व.बा./उ.के. गैर अप्रचलित हो गए।
6.	उत्तर प्रदेश	5	49.74	49.74	पांच नमूना जांच किए गए जिलों को ग्रा.स्व.बा./उ.के. हेतु ₹49.74 लाख के ऋण प्रदान किए गए थे जिन्हें वसूला नहीं जा सका था।
	कुल	**21**	**137.82**	**120.10**	

केस अध्ययन : पश्चिम बंगाल-ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र

नन्दीग्राम पंचायत समिति (पं.स.) ने मोहम्मदपुर, हरीपुर तथा गोकुलनगर ग्रा.पं. में 500 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु ग्रा.स्व.बा. को ₹1.60 लाख अदा किए। पं.स. ने ग्रा.स्व.बा. को न तो कोई कार्य आदेश दिया और न ही किसी लाभार्थी सूची की आपूर्ति की।

पांच चयनित जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि ग्रा.स्व.बा. को व्य.घ.शौ., विद्यालय के शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ सू.शि.सं. कार्यों हेतु लगाया गया था न कि दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शौचघरों के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, सेवाएं तथा मार्गदर्शन आदि प्रदान करने के लिए किया गया था। इस प्रकार, व्य.घ.शौ. के निर्माण में ग्रा.स्व.बा. की संलग्नता दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी।

3.2.7 परिक्रामी निधि

योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन केन्द्रों (उ.के.)/ग्रामीण स्वच्छता बाजारों (गार.स्वा.ग.) की स्थपना करने के लिए गै.स.सं/ स्वं.से.स./महिला संगठनों/पंचायतों को निधियां प्रदान करने के लिए एक परिक्रामी निधि का सृजन किया जाना है। अधिकतम ग्रास ब्याज मुक्त ऋण ₹3.50 लाख प्रति ग्रा.स्व.बा./उ.के. था तथा ऋण प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात 12-18 किश्तों में इसकी वसूली की जानी थीं।

3.2.7.1 परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में कमियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 राज्यों[5] के चयनित जिलों तथा **राजस्थान** के पांच जिलों में परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था। परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थीं जिसका विवरण जैसा नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका-3.15: परिक्रामी निधि का संचालन

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	2012-14 के दौरान राज्य में जिलों को ₹1.20 करोड़ जारी किए गए थे। परंतु इसके संवितरण तथा अनुवर्ती वसूली की निगरानी करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। आदिलाबाद मण्डल में, अगस्त-अक्टूबर 2013 के दौरान दो स्व.से.स. को व्य.घ.शौ के निर्माण हेतु 38 लाभार्थियों को आगे संवितरण करने के लिए ₹0.95 लाख प्रदान किए गए थे। अगस्त 2014 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। ₹0.50 करोड़ की राशि जि.ज.स्व.मि. चित्तूर द्वारा जि.ग्रा.वि.अ. चित्तूर को जारी (मार्च 2013) की गई थी परंतु जि.ग्रा.वि.अ.

[5] अरूणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा,जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब तथा उत्तराखण्ड

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
		द्वारा निधियों के संवितरण/उपयोग के विवरण उपलब्ध नहीं थे। जि.ग्रा.वि.अ. विशाखापटनम तथा स.ज.अ.वि.प्रा. पदेरू को जारी ₹0.30 करोड़[6] दो वर्षों से अधिक से समायोजन हेतु बकाया थे।
2.	बिहार	किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में किसी भी सहकारी समितियों अथवा स्व.से.स., ग.रे.उ. के परिवारों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के मालिक को निधियां प्रदान नहीं की गई थीं। तथापि, व्य.घ.शौ. तथा ठो.त.अ.प्र. के निर्माण हेतु 7 गै.स.सा., 24 ग्रा.पं. तथा चार सहायक अभियन्ताओं ₹0.83 करोड़[7] को प्रदान किए गए थे जिनमें से ₹0.74 करोड़ अगस्त 2014 तक वसूली किए बिना रहे।
3.	छत्तीसगढ़	केवल जि.ज.स्व.स., विलासपुर ने ₹0.03 करोड़ की परिक्रामी निधि का सृजन किया था तथा शेष 15 जि.ज.स्व.स. ने नवम्बर 2014 तक कुल ₹7.92 करोड़ की पारिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया था।
4.	गुजरात	2009-12 के दौरान पारिक्रामी निधि से खेड़ा जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि. आनन्द को ₹0.50 करोड़ का संवितरण किया गया था जि.ग्रा.वि.स. तथा उधार लेने वालों के बीच कोई स.ज्ञा. निष्पादित नहीं किया गया था। य़द्यपि राशि को 12 से 18 महिनों में वसूला जाना था फिर भी कोई राशि वसूली नहीं गई थी (सितम्बर 2014)
5.	हिमाचल प्रदेश	तीन नमूना जांच किए गए जिलों में से दो (मण्डी तथा नाहन) में, 2007-10 के दौरान परिक्रामी निधि से स्व.से.स., महिला मण्डलों, आदि को कुल ₹0.60 करोड़ के ऋण (मण्डी: ₹0.16 करोड़ तथा नाहन: ₹0.44 करोड़) दिये गये थे। इनमें से, ₹0.44 करोड़ की वसूली की गई थी तथा 0.16 करोड़ (मण्डी: 0.12 करोड़ तथा नाहन4.30 लाख) अगस्त 2014 तक बकाया थे। जि.ग्रा.वि.अ. (मण्डी तथा नाहन) द्वारा 2010-14 के दौरान कोई भी ऋण संवितरित नहीं किया गया था तथा जि.ग्रा.वि.अ. हमीरपुर द्वारा अगस्त 2014 तक परिक्रामी निधि संचालित नहीं की गई थी।
6.	ओडिशा	नमूना जांच किए गए जिलों हेतु आवर्ती निधि के लिए ₹4.00 करोड़ संस्वीकृत किए गए थे परंतु आठ नमूना जांच किए गए जिलों में से सात[8] में मार्च 2014 तक इसका उपयोग नहीं किया गया था। तथापि, जि.ज.स्व.मि., कोरापुट ने व्य.घ.शौ. को बढ़ावा देने हेतु ₹50,000 प्रति स्व.से.स. की दर से 42 महिला स्व.से.स. को, उनकी साख केा सत्यापित किए बिना तथा कोई स.ज्ञा. किये बिना, जारी करने हेतु जिला मिशन शक्ति समन्वयक, कोरापुट को ₹0.21 करोड़ जारी (सितम्बर 2010) जारी किए। स्व.से.स. ने स्वीकृत

[6] जि.ग्रा.वि.अ., विशाखापत्तनम =25 लाख : स.ज.जा.वि.प्रो.अ,पंदेरू- ₹5 लाख

[7] भोजपुर: व्य.घ.शौ. हेतु चार गै.स.सं. को ₹16.50 लाख, पटना: ओ.त.अ.प्र.हेतु चार स.अ. को ₹6.90 लाख तथा पश्चमी चम्पारण: व्य.घ.शौ. हेतु 24 ग्रा.पं. को ₹60 लाख

[8] जि.ज.स्व.मि.,अंगूल, बारगढ़, जाजपुर, केन्द्रापाड़ा, मयूरभंज, पुरी तथा सुन्दरगढ़

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
		उद्देश्य हेतु निधि का उपयोग नहीं किया फिर भी उनसे राशियाँ वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिक्रामी निधि से प्रदान किए गए ₹0.21 करोड़ में से ₹0.19 करोड़ अगस्त 2014 तक बकाया रहे थे।
7.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली में 19 ब्लॉकों में वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु ग.रे.उ. के 2124 परिवारों को 2009 से पहले ₹0.50 करोड़ के ऋण का संवितरण किया गया था। 27 नवम्बर 2012 तक ₹0.23 करोड़ बकाया था परंतु इसे दिसम्बर 2014 तक वसूला नहीं गया था।
8.	उत्तरप्रदेश	चार नमूना जांच किए जिलों (आजमगढ, देवरिया, गोरखपुर तथा कुशीनगर) को ₹10 लाख प्रत्येक की परिक्रामी निधि प्रदान की गई थी। परंतु जिलों ने राशि को परिकल्पना के अनुसार व्यय नहीं किया।
9.	पश्चिम बंगाल	कटवा-।। पं.स. ने अक्तूबर 2013 में ग्रा.स्वा.बा. को परिक्रामी निधि के रूप में ₹1.50 लाख की राशि जारी की परंतु इसे परिक्रामी निधि न मानकंर ग्रा.स्वा.बा. को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया था। इंगित किए जाने पर ₹0.40 लाख की वसूली की गई थी तथा ₹1.10 लाख की शेष राशि को अभी भी ग्रा.स्व.बा. से वसूल की जानी थी। सूती-।। पं.स. ने अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 तक दो कार्यरत ग्रा.स्व.बा./अतिररिक्त उत्पादन केन्द्रों (अ.उ.के.) को ₹1.20 करोड़ की अग्रिम का अदा किया था। इस अग्रिम में से, अगस्त 2014 तक ₹9.20 लाख का समायोजन किया गया था तथा शेष ₹1.10 करोड़ असमायोजित पड़े थे।

निष्कर्ष में, योजना का कार्यान्वयन तथा ग्रामीण स्वच्छता पर परिणामी प्रभाव प्रभावशाली नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के बावजूद, ग्रामीण जनसंख्या का एक प्रमुख भाग उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। व्य.घ.शौ हेतु परिवारों का चयन ठीक नहीं था जो ग.रे.नी. तथा ग.रे.उ. परिवारों की कम कवरेज का कारण बना। कई मामले पाये गए जिनमें ₹186.17 करोड़ की लागत पर ₹12.97 लाख वै.पा.शौ. का निर्माण नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल ठेकेदारों/गै.स.स. को संलग्न करके कराया गया था। कुछ राज्यों में बाल्टी शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित नहीं किया गया था। कई राज्यों में निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण संरचना अथवा गैर-अनुरक्षण के

कारण अप्रचलित शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत से अधिक(कुल ₹71.86 लाख परिवारों में से 24.03 लाख) पाया गया था। ठो.त.अ.प्र. भी प्रारम्भ नहीं किए गए थे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अस्वच्छता की संभावना बढ़ जाती है। 14 राज्यों परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था जिससे स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक किफायती तथा सस्ती स्वच्छता-सामग्रियों से वंचित रहे। यह सभी तथ्य कार्यान्वयन में अदक्षता तथा परिणामस्वरूप अप्रभावीकारिताओं हेतु यह सभी विषय योजना के उद्देश्यों की अप्राप्ति की ओर इंगित करते हैं।

अनुशंसाएं

- **व्य.घ.शौ. संस्थागत, शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्यों को एक समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु अधिक यथार्थ योजना, डाटा प्रमाणीकता तथा कड़ी मॉनीटरिंग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- **निष्क्रिय व्य.घ.शौ की बड़ी संख्या को ध्यान के मद्देनजर मंत्रालय को स्वच्छता आचरणों की आवधिक समीक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके पिछड़े हुए मामलों में सामयिक कार्यवाही की जा सके।**

अध्याय-4 निधियों का प्रबंधन

4.1 योजना कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण का स्रोत

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.)/निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) एक भाग के रूप में लाभार्थी/सामुदायिक अंशदान सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच लागत सहभाजन पद्धति तथा एक भाग के रूप में लाभार्थी/सामदायिक अंशदान सहित एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की गई थी। सहभाजन की प्रतिशतता घटक-वार निर्धारित की गई थी जिसका विवरण **अनुबंध-1.1** में दिया गया है।

निधियों को जारी करने के लिए, राज्यों/सं.शा.क्षे. (राज्यों द्वारा से वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं (वा.का.यो.) तैयार कर वित्त वर्ष की शुरूआत से पूर्व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की योजना स्वीकृति समिति (यो.स्वी.स.) के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

यो.स्वी.सं. द्वारा स्वीकृति तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर, संबंधित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) जो कि एक सर्वोच्च राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरण है, को जारी करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को दिये जाने वाले केन्द्रीय निधियों के आवंटन का निर्धारण किया जाता था। राज्यों को अपनी अनुकूल हिस्सेदारी रा.ज.स्व.मि. को जारी करनी होती थी। निधियों के प्रवाह को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.1 :सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन हेतु निधियों का प्रवाह

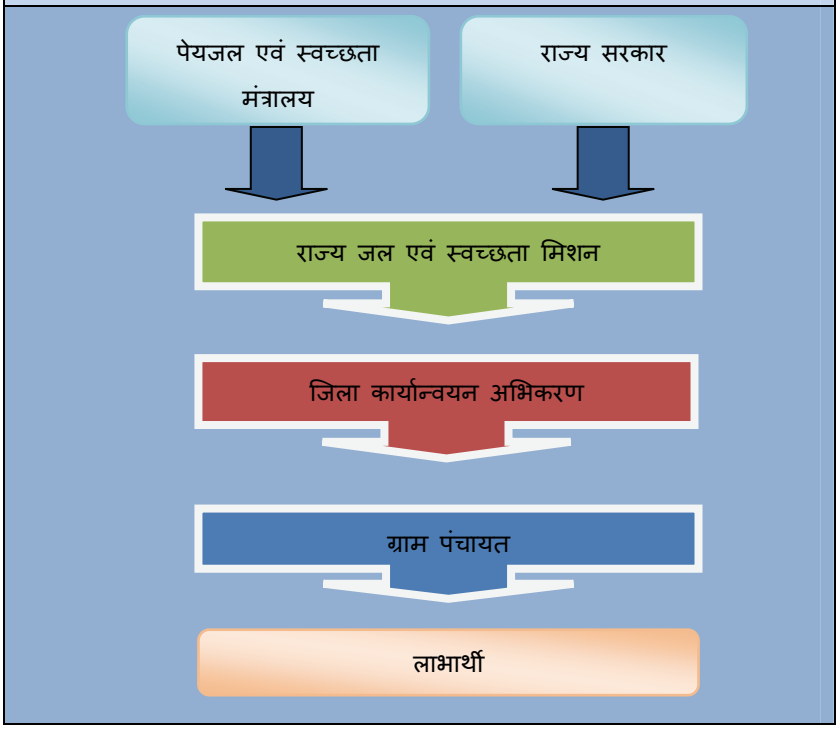

4.2 योजना के अंतर्गत निधियों का न्यून उपयोग

2009-14 के दौरान योजना के लिए ₹ 13494.63 करोड़ की कुल निधियां उपलब्ध थीं जिसमें से इसके कार्यान्वयन पर ₹ 10157.93 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3336.70 करोड़ की राशि अनुप्रयुक्त रही जो कि कुल उपलब्ध निधियों का 24.73 प्रतिशत था। वार्षिक आधार पर भी, निरंतर रूप से काफी बड़ी राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में अव्ययित रही जिसकी प्रतिशतता 45 प्रतिशत से लेकर 61 प्रतिशत तक थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वार्षिक अव्ययित शेष में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जैसाकि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

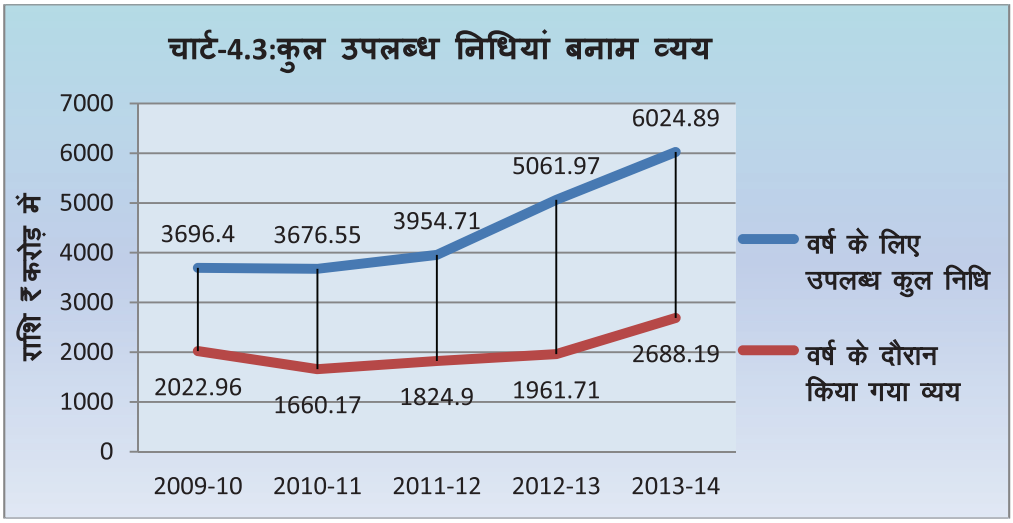

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

उपलब्ध निधियों के प्रति योजना पर व्यय में वार्षिक कमी सभी राज्यों में भिन्न थी जिसका विवरण **अनुबंध-4.1** में दिया गया है। जिन राज्यों द्वारा अत्यधिक कमी सूचित की गई थी उनका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	राज्य जहॉ कमी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच	राज्य जहॉ कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी
2009-10	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल (**15**)	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, दा. एवं न. हवेली, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, ओडीशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान एवं त्रिपुरा (**13**)
2010-11	बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल (**8**)	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दा. एवं न. हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडीशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा (**22**)
2011-12	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दा. एवं ना. हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, ओडीशा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब,

वर्ष	राज्य जहॉ कमी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच	राज्य जहॉ कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी
	(10)	राजस्थान, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश (17)
2012-13	हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल (5)	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दा. एवं न. हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडीशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड (24)
2013-14	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल (9)	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दा. एवं न. हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडीशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश (20)

वित्तीय प्रगति में कमी के लिए मुख्य कारण वित्त वर्ष के अंत में निधियों की प्राप्ति, लक्ष्यों के भौतिक सत्यापन में लगा समय, ब्लॉकों/ग्रा.पं. से मांग की कमी, ब्लॉक/जिला स्तरों पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने में लिया गया समय, लक्षित स्वच्छता अवसंरचना का निर्माण न किया जाना, सू.शि.सं. गतिविधियों पर कम व्यय, स्व्च्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु हार्डवेयर की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए अपेक्षित ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्रों की अनुपस्थिति तथा मॉनीटरिंग की कमी बताए गए थे। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-4.2** में दिए गए हैं। बहुत सी ऐसी अक्षमताएं खराब योजना तथा संरचनात्मक प्रबंधनों के प्रभावी संचालन में कमी के कारण हुई थीं जिसकी चर्चा **अध्याय-3** में की गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों द्वारा निधियों की वार्षिक आवश्यकता के कुल 30 प्रतिशत को कार्यशील पूंजी आवश्यकता के कारण अव्ययित रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, परिक्रामी आवर्ती निधि तथा ग्रा.स्वा.बा./उ. .के. हेतु संस्वीकृत अग्रिम भी अव्ययित शेष का कारण बने थे।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि योजना दिशानिर्देशों में कार्यशील पूंजी का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, जिला परियोजना परिव्यय के केवल पांच प्रतिशत जोकि अधिकतम ₹ 50 लाख था, का परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग किया जा सकता था तथा ग्रा.स्वा.बा./उ.के. की आवश्यकता को केवल आवर्ती निधि में से ही पूरा किया जाना था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में अव्ययित शेष का कारण आधारभूत स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में अक्षमताएं थीं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत राज्यों में अधिक अव्ययित निधियाँ आधारभूत स्तर पर अपर्याप्त क्षमता तथा मांग सृजन में अपर्याप्त सफलता के कारण थीं।

4.3 निधियों की केन्द्रीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी

2009-14 के दौरान राज्यों द्वारा मांगी गई ₹ 17897.70 करोड़ की राशि के प्रति मंत्रालय ने ₹ 12310.71 करोड़ की राशि आवंटित की । इसमें से मंत्रालय ने केवल ₹ 8634.61 करोड़ जारी किए । राज्यों द्वारा मांगी गई राशियों के प्रति मंत्रालय द्वारा जारी निधियों की वर्ष-वार स्थितियाँ निम्नलिखित थी:

चार्ट-4.3: मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां

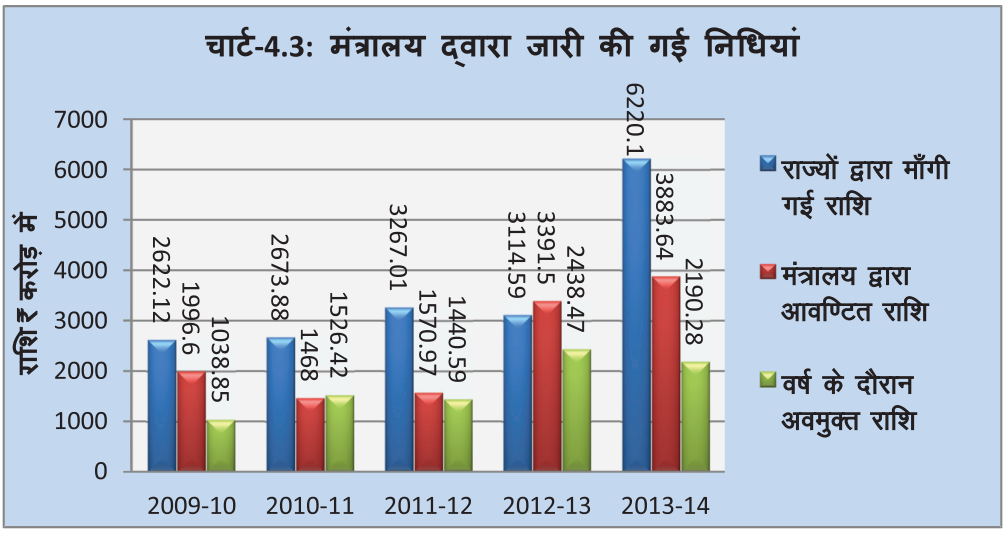

[स्त्रोत: पेयजल एंव स्वच्छता मंत्रालय]

इस प्रकार, प्रभावी रूप से मंत्रालय द्वारा जारी वास्तविक निर्गम राज्यों द्वारा अपेक्षित निधियों का केवल 48 प्रतिशत था जोकि मांग को पूरा करने हेतु अपर्याप्त था।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों ने अपनी स्वीकृत वा.का.यो. के आधार पर मांगे रखी थी, परन्तु आवंटन एंव निर्गम राज्यों के निष्पादन तथा मंत्रालय के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए गए थे।

मंत्रालय को आवंटन तथा निर्गम के बीच अंतर को कम करने के लिए राज्यों को अधिक यथार्थवादी रूप में निधियों का आवंटन करना होगा ।

4.4 निधियों की राज्यीय हिस्सेदारी के निर्गम में कमी

राज्य स्तर पर भी निधियों के निर्गम में कमी पाई गई थी। **16** राज्यों में, निधियों का राज्यीय योगदान या तो जारी नहीं किया गया था या कम जारी किया गया था। राज्य-वार विवरण **अनुबंध- 4.3** में दिए गए हैं।

मामला अध्ययन: राजस्थान, असम एवं आन्ध्र प्रदेश में राज्य अंश का निर्गम न किया जाना

मंत्रालय ने 2010-11 के दौरान ₹ 2.82 करोड़ की राशि जारी की थी (राजस्थान के चुरू जिले के लिए ₹ 1.04 करोड़ तथा राजस्थान के सीकर जिले के लिए ₹ 1.78 करोड़)। परन्तु, राज्य की अनुकूल हिस्सेदारी जारी नही की गई थी। असम में, 2011-12 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 4.01 करोड़ की राशि केन्द्रीय हिस्सेदारी से जिलों को राज्य अंश के रूप में जारी की थी। इसी प्रक्रिया का अनुसरण जिला स्तर पर भी किया गया था । पांच नमूना परीक्षित जिलों में 2009-14 के दौरान केन्द्र अंश से राज्य अंश के रूप में ₹ 8.72 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया था। इसी प्रकार, आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में 2010-13 के दौरान केन्द्र अंश से राज्य अंश के प्रति ₹ 0.63 करोड़ की राशि का विपथन किया गया था।

राज्य अंश में कमी राज्य सरकारों की ओर से प्रतिबद्धता की कमी तथा ग्रामीण स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब को दर्शाता है।

4.5 कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अतंरण में विलंब

सर्वोच्च स्तर (रा.ज.स्व.मि.) से अंतिम कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् ग्रा.पं. को योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों के अंतरण में निर्धारित समय[1] से अधिक का विलंब हुआ था। राज्य-वार विवरण अनुबंध **-4.4** में दिया गया है

मामला अध्ययन: योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों के अंतरण में विलंब

जम्मू एंव कश्मीर में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर निधियों के अंतरण में विलंब हुआ जिसके कारणवश सर्वोच्च स्तर से अंतिम कार्यान्वयन अभिकरणों तक निधियों के प्रवाह में कुल विलंब 50 दिनों से लेकर लगभग दो वर्षों तक रहा था जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

स्तर	निधियों के निर्गम में विलंब (दिन)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रा.ज.स्व.मि. से जि.ज.स्व.मि.	103 से 323	48 से78	102 से 584	6 से 8	33 से 105
जि.ज.स्व.मि. से जि.यो.अं.	88 से 141	13 से 153	1 से 146	24 से 121	5 से 84
जि.यो.अं. से पू.वि.अ.	13 से 30	0 से 34	8 से 11	18 से 27	6 से 45
रा.ज.स्व.मि. से पू.वि.अ.	257 से 589	61 से 265	114 से 747	50 से 139	71 से 123

विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन में लिया गया समय -राज्य सरकार/जिला एवं ब्लाक स्तर पर नोडल अभिकरण- **मेघालय/राजस्थान/ मध्यप्रदेश,** जिला कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत उप.प्र. की समीक्षा में लिया गया समय- **झारखण्ड** तथा **उत्तराखण्ड** को निधियॉ जारी करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना।

[1] नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार, रा.ज.स्व.मि. के द्वारा अनुकूल राज्यीय अंश सहित केन्द्रीय अनुदानों को जि.ज.स्व.मिं. को 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना था जिन्हें फिर इन निधियों की प्राप्ति के 15 के भीतर इन्हें ग्रा.पं. को अंतरण करना था।

4.6 योजना की निधियों का दुरूपयोग

लेखापरीक्षा में **आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं ओडीशा** के छः राज्यों में ₹ 2.28 करोड़ की राशि की योजना निधियों के दुरूपयोग के छः पक्के मामलें पाये गये।

असम में, 2006-07 के दौरान असम के बोन्गायगांव जिले में ₹ 1.88 करोड़ की राशि कपटपूर्वक आहरित की गई थी। मामले की जांच के.जां.ब्यू. द्वारा की गई थी जिसने राशि की वसूली के लिए आरोपी व्यक्तियों के प्रति सिविल केस दावा दर्ज करवाने की सलाह दी (फरवरी 2011) थी। परन्तु, जून 2014 तक, राज्य सरकार की अनुमति के अभाव में सिविल दावा दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, बोन्गायगांव जिले को 2006-07 से कोई निधि जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों के प्रति सिविल दावा दर्ज करने में सरकार की ओर से लापरवाही के कारण बोन्गायगांव जिले के लाभार्थी सं.स्व.अ. कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे।

इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड एवं मणिपुर के तीन राज्यों में ₹ 25.33 करोड़ की राशि के तीन संदिग्ध दुरूपयोग के तीन मामले थे। दुरूपयोग के पुष्टिकृत एवं संदिग्ध मामलों के विवरण **अनुबंध-4.5** में दिया गया है।

4.7 ₹ 364.20 करोड़ की राशि की निधियों का विपथन

योजना के अंतर्गत निधियों के अनुदान की नियम एवं शर्तों में यह निर्धारित था कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें जारी किया जा रहा था तथा इसके किसी भी अंश को विपथित नहीं किया जाना था। 2009-13 की अवधि हेतु मंत्रालय में लेखे की लेखापरीक्षित

विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि 13 राज्यों[2] में ₹ 283.12 करोड़ की राशि की योजना निधियों को विपथित कर स्टाफ अग्रिम, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, अवकाश वेतन पेंशन अंशदान, वाहन खरीद तथा कार्यालय स्वच्छता जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। निधियों का विपथन कमजोर आंतरिक नियंत्रणों का घोतक था। लेखापरीक्षा में पाए गए निधियों के विपथन के उदाहरणों का विवरण **अनुबंध-4.6** में दिया गया है।

गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के छः राज्यों में ₹ 81.27 करोड़ की राशि को अन्य योजनाओं अर्थात सां.स्था.क्षे.वि.यो. मनरेगस तथा अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं में विपथित किया गया था जिसका विवरण **अनुबंध-4.6** में दिया गया है।

मामला अध्ययन: योजना की निधियों का अप्राधिकृत विपथन

ओडीशा में जि.ज.स्व.मि., जाजपुर में शौचालयों के निर्माण हेतु 25 निजी कॉलेजो को ₹0.12 करोड़ प्रदान किया था, तथा व्यय को प्रभार योजना के घटक 'स्कूल शौचालय' पर प्रभारित किया गया था। चूंकि, योजना में निजी कॉलेजों में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रावधान नहीं हैं, निजी कॉलेजों को ₹0.12 करोड़ का भुगतान अनियमित था। जिसके कारण निधियों का अप्राधिकृत विपथन हुआ था।

नि.भा.अ. निधियों का अन्य योजना की तरफ विपथन दर्शाता है कि वा.क.यो. में स्थापित लक्ष्य यथार्थ नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया कि यदि निधियों के किसी अन्य योजना विपथन या कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अस्वीकार्य व्यय का कोई मामला लेखे की लेखापरीक्षित विवरणी में सूचित किया जाता था तो मंत्रालय द्वारा राज्यों से धन की वापसी/पुर्नप्राप्ति के प्रयास किए जाते थे।

[2] बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश

4.8 निधियों का अनियमित अंतर-जिला अंतरण

जिले की संस्वीकृत वा.का.यो. के आधार पर योजना के अंतर्गत वित्तपोषण किया जाता है। तदनुसार, जिलो के बीच निधियों के आंतरिक अंतरण को दिशानिर्देशों में परिकल्पित नहीं किया गया था। हालांकि **आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश** के छः राज्यों में जिला प्राधिकारियों ने 2009-14 के दौरान ₹ 120.42 करोड़ की निधियों का अंतर-जिला अंतरण किया था। यह दर्शाता है कि राज्यों ने जिलों के बीच निधियों का असमान वितरण किया था। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-4.7** में दिए गए हैं।

4.9 ₹ 212.14 करोड़ की निधियों का अवरूद्ध होना

आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के नौ राज्यों में **₹** 212.14 करोड़ की राशि राज्य/जिला/ ब्लॉक/ग्रा.पं. स्तर पर 4 माह से लेकर 29 माह तक की अवधियों के लिए अवरूद्ध/अप्रयुक्त रही जिसका विवरण **अनुबंध 4.8** में दिया गया है।

4.10 कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल, मणिपुर एवं ओडीशा के छः राज्यों में विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को भुगतान किए गए ₹ 48.97 करोड़ की राशि के अग्रिमों को समायोजित नहीं किया गया था। यह अग्रिम 16 से 120 माह की अवधियों से बकाया थे। ऐसे अग्रिमों के गलत उपयोग/गैर-वसूली की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। राज्य-वार विवरण **अनुबंध- 4.9** में दिए गए है।

4.11 ₹ 575.18 करोड़ के उपयोगित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया

नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के पैरा 13.1.3 की शर्तो के अनुसार, रा.ज.स्व.मि. द्वारा पिछले वित्त वर्ष के लेखे की लेखापरीक्षित विवरणियों के साथ उप.प्र. के प्रस्तुतीकरण के पश्चात ही मंत्रालय द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान निधियों की दूसरी किस्त जारी की जानी थी। विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹ 575.18 करोड़ की राशि के उ.प्र. **असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, ओडीशा, पुड्डुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल** के 14 राज्यों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उ.प्र. प्रस्तुत न किये जाने के राज्य-वार विवरण **अनुबंध 4.10** में दिए गए हैं।

4.12 अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार

दिशानिर्देश[3] प्रशासनिक गतिविधियों के लिए परिव्यय की 5 प्रतिशत (2012-13 से 4 प्रतिशत) तक की राशि का प्रावधान करते हैं। लेखे की लेखापरीक्षित विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि 26 मामलों में प्रशासनिक गतिविधियों पर किया गया व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था जिसका उल्लेख **अनुबंध-4.11** में किया गया है। अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय के तथ्य वार्षिक लेखे में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए थे, परन्तु, मंत्रालय ने सूचित तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया । यह आंतरिक नियंत्रणो की कमी को दर्शाता है।

4.13 योजना निधियों का अनुचित लेखाकरण

योजना दिशानिर्देशो[4] के अनुसार, योजना की निधियों को बैंक खाते में रखा जाना था। इस पर उपर्जित ब्याज को योजना संसाधनो के भाग के रूप में

---

[3] के.ग्रा.स्व.का. 2007 दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 15 तथा नि.आ.सं. दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 5.11

[4] सं.स्व.अ. दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 18 तथा नि.मा.अ. दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 14.1

माना जाना था। परन्तु, योजना की निधियों का अनुरक्षण योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था जैसाकि निम्नलिखित अभ्युक्तियों से स्पष्ट है

(i) बहु बैंक खाते तथा अन्य योजना निधियों का एकत्रीकरण

एक बैंक खाते के अनुबंध के उल्लंघन में **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल** के 11 राज्यों में चयनित रा.ज.स्व.मि., जिलों एवं ब्लॉको बहु बैंक खाते (दो से दस तक) में संचालित किए गए थे। योजना निधियों का अन्य केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के साथ भी एकत्रीकरण किया गया था। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-4.12** में दिए गए है।

मामला अध्ययन: अन्य योजनाओं की निधयों के साथ नि.भा.अ. निधियों का अनुरक्षण

महाराष्ट्र में, योजना की निधियां अन्य योजनाओं की निधियों के साथ अनुरक्षित की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप लेखाओं में उन प्राप्तियों एवं भुगतानों का समावेश हो गया था जो योजना से सबंधित नहीं थे। गलत लेखांकन के कारण वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमश: 12 जिलों (₹ 17.53 करोड़), नौ जिलो (₹ 11.40 करोड़) तथा छ: जिलों (₹ 9.42 करोड़) में निधियों का नकारात्मक आंरभिक शेष हो गया जो संस्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय दर्शाता है।

केरल में, योजना निधियो को ग्रा.पं. की अपनी निधि के साथ रखा जाता था। अत: जब भी ग्रा.पं. की अपनी निधि शून्य हो जाती थी, अन्य व्ययों (योजना से संबधित नहीं) की लागत को पूरा करने के लिए ग्रा.पं. द्वारा जारी चेको का भुगतान स्वत: नि.भा.अ. निधि से होता था। यह दो ग्रा.पं. अर्थात थ्रिसूर जिलें में पुथुक्कड़ तथा पल्लकड़ जिले में अगली में पाया गया था जहाँ 2009-10 तथा 2013-14 के दौरान जलप्रभारों के भुगतान तथा गैर-योजना उद्देश्यों के लिए क्रमश: ₹ 3.19 लाख एवं ₹ 10 लाख की राशि की योजना निधियों का विपथन हुआ था।

इस प्रकार, बहु बैंक खातों के परिचालन तथा अन्य योजनाओं के साथ निधियों के एकत्रीकरण के कारण लेखापरीक्षा में योजना

पूर्व आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 2012-13 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नि.म.ले.प. द्वारा इंगित रा.ज.स्व.मि. द्वारा बहु बैंक खातों के परिचालन के प्रति सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तथापि, मामले को सुधारा नहीं गया था जैसाकि बहु लेखाओं के निरंतर अनुरक्षण से स्पष्ट था।

निधियों के उचित उपयोग की नहीं पुष्टि की जा सकी।

(ii) बचत बैंक खाते का गैर-अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि छ: राज्यों में, योजना की निधियाँ अपितु दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप से बचत बैंक खाते में नहीं रखी गई थीं। बल्कि, निधियों को चालू खाते **(अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, नागालैण्ड),** निजी जमा खाते **(राजस्थान)** तथा सिविल जमा **(नागालैण्ड)** में रखा गया था। उसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में योजना की निधियां राज्य राजकोषों के माध्यम से प्रचालित की गई जबकि तमिलनाडु में योजना की निधियां वेतन एंव लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रदान की गई थीं। निधियों के बचत बैंक खाते में गैर-अनुरक्षण के परिणामस्वरूप ₹ 122 लाख तक की राशि के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 10 से लेकर 365 दिनों तक कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों की उपलब्धता विलंबित हुई थी। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-4.12** में दिए गए हैं।

(iii) ब्याज घटक का लेखांकन न किया जाना

नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के पैरा 14.1 के अनुसार, नि.भा.अ. निधियों पर उपर्जित ब्याज को नि.भा.अ. संसाधनों के रूप में माना जाएगा। तथा **आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, झारखंण्ड, मणिपुर, मेघालय, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान एंव उत्तर प्रदेश** के 11 राज्यों में यह पाया गया कि योजना निधियों पर उपार्जित **₹** 5.58 करोड़ को ब्याज को हिसाब में नहीं लिया गया था। राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियों का विवरण विस्तारपूर्वक **अनुबंध 4.12** में दिया गया है।

4.14 आंकड़ों में विसंगतियाँ

योजना दिशानिर्देशों[5] के अनुसार रा.ज.स्व.मि. द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी (ले.ले.वि.)[6] के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। मॉनीटरिंग उद्देश्य[7] हेतु मंत्रालय द्वारा विकसित समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.) नामक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय एंव भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी उनसे अपेक्षित था। तथापि, 2009-13 की अवधि के लिए उ.प्र., ले.ले.वि. तथा स.प्र.सू.प्र. में डाटा की संवीक्षा से 19 राज्यों के इन आधारभूत अभिलेखों में दर्शायें गए आंकड़ो में कई विसंगतियों का पता चला जैसा कि नीचे उल्लिखित है :

i. 52 मामलों में, एक ही वित्त वर्ष के उ.प्र., ले.ले.वि. एंव स.प्र.सू.प्र. में दर्शाए गए प्रारंभिक एंव अंतशेष मेल नहीं खाते थे **(अनुबंध-4.13)**।

ii. 58 मामलों में, एक ही वित्त वर्ष के उ.प्र., ले.ले.वि. एंव स.प्र.सू.प्र. में दर्शाए गए व्यय के आंकड़े मेल नहीं खाते थे (अनुबंध 4.14)

iii. 59 मामलों में, एक ही वित्त वर्ष के उ.प्र., ले.ले.वि. एंव स.प्र.सू.प्र. में दर्शाए गए ब्याज के आंकड़े मेल नहीं खाते थे (अनुबंध-4.15)।

तीन आधारभूत लेखांकन अभिलेखों में योजना के आंकड़ों में विसंगतियां जो सही तरीके से दर्ज किये जाने पर मेल खानी चाहिए थी, का समाधान नहीं किया गया था। यह मंत्रालय के भीतर कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है। ऐसी परिस्थिति में, जारी की गई निधियों की वास्तविक राशि, किया गया

---

5 नि.भा.अ. दिशानिर्देशों का पैरा 13.1.13

6 नि.मा.अ. दिशानर्देशों का पैरा 22

7 नि.भा.अ. दिशानिर्देशों का पैरा 19

व्यय, अर्जित ब्याज तथा राज्यों के पास शेष अव्ययित ब्याज को लेखापरीक्षा में सही यथार्थत: सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया कि उ.प्र,ले.ले.वि. तथा स.सू.प्र.प्र. में सूचित आंकड़ो का पुनर्मिलान, मंत्रालय में एक निरंतर प्रक्रिया थी तथा राज्यों को विसंगतियों के बारे में बता दिया जाता था और कोई विसंगतियां पाये जाने पर स्पष्टीकरण मांग लिए जाते थे। यह भी बताया गया कि स.सू.प्र.प्र. के आंकड़े मोटे अनुमान थे तथा ले.ले.वि. में दिए गए आंकड़ो को अंतिम माना जाता था।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि स.सू.प्र.प्र. को एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जिसके माध्यम से परियोजना जिलों द्वारा भौतिक एंव वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। अत: स.सू.प्र.प्र. आंकड़ों को केवल मोटे अनुमानों के रूप में नहीं माना जा सकता।

4.15 लेखाओं की लेखापरीक्षा में विलंब

रा.ज.स्व.मि. द्वारा वित्त वर्ष के अंत के छ: माह के भीतर चार्टड अकाउंटेट द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना तथा अगले वर्ष की दूसरी किस्त के निर्गम से पूर्व मंत्रालय को ले.ले.वि. प्रस्तुत करना अपेक्षित[8] था। तथापि, यह पाया गया कि रा.ज.स्व.मि. द्वारा लेखाओं की सामायिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिसके कारण मंत्रालय को ले.ले.वि. प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। ले.ले.वि. को देर से प्रस्तुत करने के कारण अगली किस्त जारी नहीं की जा सकी या वित्त वर्ष के अंत में निधियों का विलंबित निर्गम किया गया जिसे **अनुबंध 4.16** में दर्शाया गया है।

[8] नि.मा.अ.के दिशानिर्देशों के पैरा 13.1.13 के साथ पठित पैरा 22

4.16 लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

रा.ज.स्व.मि. से अपेक्षित[9] था कि वह ले.ले.वि. के साथ मंत्रालय को लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां प्रस्तुत करें। यह पाया गया कि लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों को रा.ज.स्व.मि. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली 19 राज्यों से संबंधित प्राप्त होने वाली 95 अभ्युक्तियों में से केवल छः अभ्युक्तियां ही मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई थी। नियंत्रण तंत्र की प्रभाविता से समझौता किया गया जिसके कारण लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग अधूरी सिद्ध हो गई। विवरण **अनुबंध-4.17** में दिए गए है।

4.17 विविध अभ्युक्तियां

(i) योजना की निधियों से अनियमित कटौती

मणिपुर में, मार्च 2013 एंव मार्च 2014 के दौरान नमूना चयनित में सरकार ने जि.ज.स्व.मि. के पक्ष में राज्यीय अनुकूल हिस्सेदारी के रूप में ₹ 1.77 करोड़ की राशि जारी की थी। परन्तु, यह पाया गया था कि वैट (₹ 8.38 करोड़) विभागीय प्रभार (₹ 0.18 करोड़) तथा श्रम उपकर (₹ 1.50 लाख) के प्रति ₹ 0.27 करोड़ राशि की कटौती की गई थी जो कि दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी। उसी प्रकार, **नागालैण्ड** में, राज्य अंश में से, वित्त विभाग ने 2011-12 के दौरान कार्य प्रभारित घटक के रूप में ₹ 0.21 करोड़ की राशि की कटौती की थी जो कि अनियमित थी।

[9] नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के अतंर्गत समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध -11 (एफ.) में लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां

(ii) संवर्द्धित परियोजना लागत

मिजोरम में, मानदंडो के आधार पर ₹ 20.13 करोड़ की वास्तविक परियोजना लागत के प्रति रा.यो.स्वी.स.ने 2009-14 के दौरान राज्य में सूं.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 26.99 करोड़ आवंटित किए थे जिसके कारण ₹ 6.87 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ था। संस्वीकृत मानदड़ों से अधिक निधियों को अतिरिक्त आवंटन में निधियों के गलत उपयोग का जोखिम रहता है। इसी प्रकार, रा.यो.स्वी.स. द्वारा संस्वीकृत 1038 शौचालयों में से चंफई तथा लंगलेई के दो जिलों में स.शि.अ. द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 61 शौचालयों तथा निजीं स्कूलों में 249 शौचालयों का निर्माण किया जाना था जबकि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. दिशानिर्देश निजी एंव रा.शि.अ. द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं देते। अत:, वा.का.यो[10] में 310 निजी/रा.शि.अ. चलित स्कूलों के अनियमित समावेश के कारण स्कूल के शौचालयों की संख्या संवर्धित हुई जिसके कारण परियोजना के कुल आवंटन में ₹ 119.35 लाख (₹ 38,500[11]× 310) की वृद्धि हुई । पश्चिम बंगाल में, जलंगी एंव रानीनगर-11 पं.स. ने 2012-13 के दौरान आंगनवाड़ी/स.बा.वि.से.यो. केन्द्रों के लैट्रीन/शौचालय निर्माण हेतु अनुमानों में सामग्री के अधिक प्रापण के प्रति विर्निदिष्ट से अधिक दर स्वीकृत करके ग्रा.स्व.वा. को ₹ 0.14 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया ।

---

[10] आधारभूत पुर्नसर्वेक्षण, 2009 के अनुसार

[11] शौचालय की इकाई लागत

(iii) परिवारों को प्रोत्साहन का दुगना भुगतान

चार राज्यों के दस चयनित जिलों में, 149 परिवारों को ₹ 4.66 लाख का दुगना प्रोत्साहन प्रदान किया गया । विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिए गए है:

तालिका-4.1: परिवारों को दुगुना प्रोत्साहन

क्र.सं.	राज्य	जिले	परिवारों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1.	हरियाणा	3	83	3.10	परिवारों के ग्राम-वार बही-खातों के गैर-अनुरक्षण के कारण दुगना भुगतान
2.	कर्नाटक	2	56	1.81	पहले से ही शौचालय होने के बावजूद प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे।
3.	त्रिपुरा	2	9	0.95	दो बार प्रोत्साहन दिए गए थे।
4.	पश्चिम बंगाल	3	40	-	40 परिवारों को व्य.ध.शौ. का दुगना लाभ दिया गया था।
योग		**10**	**149**	**4.66**	

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से एकत्रित डाटा]

अनुशंसा:

- **मंत्रालय/राज्य सरकारें को निर्धारित समय सीमा तक निर्मल भारत बनाने के लिए वा.का.यो. को तैयार करने की शुचिता बनाए रखने हेतु निधि सहभाजन वचनबद्धता पूरी करें।**
- **मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रतिवेदित वित्त के आंकड़े एवं भौतिक प्रगति के मिलान के लिए तंत्र रखे एवं विकास करें।**

अध्याय-5 सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.)

5.1 सू.शि.सं. गतिविधियों का महत्व

निर्मल[1] स्थिति को प्राप्त करने एवं महत्वपूर्ण रूप से इसे बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हर व्यक्ति एवं परिवार अलग शौचालयों के होने एवं अन्य अच्छी स्वच्छता अभ्यासों के लाभों को समझें। सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिक बदलावों की मांग करने एवं बढ़ावा देने की प्रमुख आवश्यकता के साथ, यू.स्व.अ./नि.भा.अ. दिशानिर्देशों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया था। सुरक्षित स्वच्छता, मांग सृजन, उपयोगिता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा स्थिरता के लिंक के विभिन्न पहलुओं पर व्यवहार में बदलाव लाने में सू.शि.सं. अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इनका अभिप्राय परिवारों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की सुविधाओं के लिए मांग का सृजन करना है। इस घटक के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों को क्षेत्र-विशिष्ट होनी चाहिए तथा क्षेत्र के निवासियों को इस रूप से शामिल किया जाना चाहिए कि लोगों में शौचालयों का निर्माण करने की इच्छा जागृत हो।

5.2 निधियों की उपयोगिता

2009-10 से 2013-14 के दौरान केन्दीय एवं राज्य स्तर पर सू.शि.सं. गतिविधियों में निधियों की उपयोगिता नीचे तालिका-5.1 में दी गई है-

[1] निर्मल- खुले में मलत्याग का नहीं होना तथा स्वच्छ

तालिका-5.1: निधियों की उपयोगिता (₹ लाख में)

वर्ष	व्यय		
	केन्द्र स्तर	राज्य स्तर	कुल
2009-10	1110.97	11485.39	12596.36
2010-11	499.97	11512.97	12012.94
2011-12	812.02	10948.25	11760.27
2012-13	3300.00	12581.44	15881.44
2013-14	5771.41	20837.77	26609.18
कुल	11494.37	67365.82	78860.19

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

5.2.1 निधियों का विपथन

मंत्रालय ने 'एन.जी.पी. समारोह हेतु विज्ञापन' (₹ 2.50 करोड़), 'स्मृति चिन्ह' का क्रय' (₹ 2.00 करोड़), 'सर्वेक्षण अभिकरण' (₹ 0.94 करोड़), 'इवेंट मैनेजमेंट' (₹ 0.42 करोड़), 'खानपान प्रभार' (₹ 9.74 लाख), 'किराए पर वाहन लेना' (₹ 8.37 लाख) तथा 'विज्ञान भवन की बुकिंग समेत अन्य प्रभार' (₹ 0.20 करोड़) (विवरण अनुबंध-5.1 में दिए गए हैं)। जैसे कुछ मदों पर व्यय दर्ज किया था, जो योजना के सू.शि.सं. शीर्ष के अंतर्गत कु.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के सू.शि.सं. घटक से संबंधित नहीं थे परिणामस्वरूप, वर्षों 2009-10 से 2011-12 के दौरान कुल सू.शि.सं. व्यय का 25 प्रतिशत सू.शि.सं. से संबंध न रखने वाली गतिविधियों पर किया गया था।

5.2.2 राज्य स्तर पर निधियों की उपयोगिता में अनियमितताएं

विभिन्न राज्यों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 8.40 करोड़ की राशि के सू.शि.सं. निधियों के उपयोग में विपथन, गैर-उपयोगिता, अपव्यय, निष्फल उपयोग या अनियमितताएं पाई गयी थीं। विवरण अनुबंध- 5.2 में दिए गए है।

मामला अध्ययन: उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले द्वारा सू.शि.सं. गतिविधियां	
डी.एस.एम कौसाम्बी ने निम्नलिखित अनियमितताओं के साथ 2013-14 के दौरान विभिन्न सू.शि.सं. गतिविधियों पर ₹ 2.49 करोड़ का व्यय किया था:	
एक बार सू.शि.सं.	सभी स्तर पर, अर्थात् जिला, ब्लॉक एवं ग्रा.पं. स्तरों पर प्रत्येक वर्ष में गतिविधियों को संचालित करने की बजाय, 2013-14 की अवधि में व्यय हेतु ₹ 3.77 करोड़ की स्वीकार्य राशि के प्रति 2013-14 के दौरान डी.एस.एम ने जिले की 440 ग्रा.पं. में सू.शि.सं. गतिविधियों पर ₹ 2.49 करोड़ का व्यय किया था।
सू.शि.सं. योजना के आधिक्य में व्यय	2013-14 के दौरान सू.शि.सं. व्यय हेतु स्वीकार्य वार्षिक योजना परिव्यय (₹ 8.20 करोड़) के 10 प्रतिशत (₹ 0.82 करोड़) के प्रति, जिले ने ₹ 2.49 करोड़ का व्यय किया जोकि ₹ 1.67 करोड़ अधिक था।
अधिक/संदिग्ध व्यय	1775 आंगनवाड़ियों के मदर ग्रुपों की क्षमता विकास पर डी.एस.एम. नें ₹ 036 करोड़ का व्यय किया जबकि आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार जिले में केवल 968 आगनवाड़ियां थीं। इसके कारण, 807 आंगनवाडी केन्द्रों पर ₹ 0.12 करोड़ तक का अधिक एवं संदिग्ध व्यय हुआ था।
दोगुने भुगतान	440 ग्रा.प. में, केवल एक बार नुक्कड़ नाटक संचालित किया गया था। परंतु उसके लिए अलग प्रमाणपत्र न होने पर भी एक ग्रा.पं. में दो नुक्कड़ नाटकों के लिए भुगतान किया गया था। संलग्न फोटोग्राफों की प्रति में कई तरफ से एक ही नाटक की फोटोग्राफों को दर्शाया गया था, जो दोगुने भुगतान की संभावना को दर्शाता है।
ग्रा.ज.स्व.स./ ग्रा.स्वा.स्व.स. की बैठकों के लिए भुगतान	जिले के ग्रा.ज.स्व.स. तथा ग्रा.स्वा.स्व.स. की बैठकों हेतु ₹ 0.48 करोड़ का भुगतान (प्रति बैठक ₹ 5400) किया गया था। दोनो समितियों की बैठकें ग्रा.पं. में उसी दिन हुई थी परंतु भुगतान दो बैठकों के लिए किया गया था। इस प्रकार, आधी राशि (₹ 0.24 करोड़) छोड़ी जानी चाहिए थी। हालांकि, सू.शि.सं. हेतु अधिकतम स्वीकार्य राशि ₹ 0.16 करोड़ थी।
सकल प्रक्रियात्मक अनियमितताएं	• ₹ 2.49 करोड़ वाले निविदा नोटिस जिसका विज्ञापन राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिया जाना था, उसे दो स्थानीय समाचार पत्रों में 30 एवं 31 जनवरी 2014 को प्रकाशित किया गया था जिसके कारण निर्धारित एक माह की बजाय निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए केवल 5 दिनों का समय मिला था। • बिना कारणों को बताए निविदा नोटिस में निर्धारित तीन वर्षों' की बजाय न्यूनतम 13 वर्षो के अनुभव की शर्त डाल दी गई थी। इसके कारण मैसर्ज जरुरतमंद ग्रामीण समाज का कल्याण एवं चित्रण,

लखनऊ को छोड़कर सभी बोलीदाता अयोग्य ठहराए गए और उनकी अकेले की बोली स्वीकार कर ली गई थी।

- समझौते के दिन ₹ 1.00 करोड़ का अग्रिम संस्वीकृत एवं प्रदान किया गया था जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
- नियमों के अनुसार अपेक्षित ₹ 0.25 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा (भुगतानो का 10 प्रतिशत) ठेकेदार से नहीं ली गई थी।

5.3 उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 राज्यों/सं.शा.क्षे. में 517 जिलों ने वर्ष 2013-14 के दौरान सू.शि.सं. के अंतर्गत 54.16 लाख गतिविधियों को निष्पादित करने की योजना बनाई थी, जिसमें से वह वास्तव में केवल 17.11 लाख (31.60 प्रतिशत) को संचालित कर पाए थे जैसाकि अनुबंध 5.3 में दिया गया है।

उत्तराखंड (77.62 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (46.95 प्रतिशत) एवं महाराष्ट्र (39.97 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य राज्यों में सू.शि.सं. गतिविधिया में निराशाजनक स्थिति में थी क्योंकि उपलब्धि स्तर अखिल-भारतीय औसत (31.60 प्रतिशत) से काफी नीचे था शून्य से लेकर 28 प्रतिशत तक था। इसके अतिरिक्त, ₹ 872.62 करोड़ के प्रस्ताव के प्रति, वास्तविक व्यय केवल ₹ 52.17 करोड़ (5.98 प्रतिशत) था। उत्तराखंड में, वास्तविक व्यय बजट का 64 प्रतिशत था परन्तु अन्य राज्यों/सं.शा.क्षे.में यह शून्य से लेकर 25.33 प्रतिशत तक था। 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुछ राज्यों में निधियों की उपलब्धता की तुलना में उपयोगिता के विवरण अनुबंध-5.4 में दिए गए हैं।

2009-10 से 2012-13 के दौरान विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा योजनाबध्द एवं निष्पादित गतिविधियों के विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, स.प्र.सू.प्र. पर वर्ष 2013-14 के लिए सू.शि.सं. गतिविधियों के विवरणों की उपलब्धि के बावजूद यह सूचित किया गया था कि सू.शि.सं. गतिविधियों की उपलब्धि को मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभाग में अनुरक्षित नहीं किया गया था।

ऐसे विवरणों की गैर-उपलब्धता एवं गैर-अनुरक्षण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मंत्रालय सू.शि.सं. गतिविधियों को उचित प्राथमिकता नहीं दे रहा था।

5.4 सू.शि.सं. हेतु वार्षिक कार्रवाई योजना को तैयार न किया जाना

मंत्रालय ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान सू.शि.सं. के अंतर्गत ₹ 115.07 करोड़ का बजट आवंटित किया था। यद्यपि उसने इस राशि के उपयोग हेतु कोई सू.शि.सं./ संचार माध्यम योजना तैयार नहीं की थी। यह नोट किया गया था कि मंत्रालय भा.रा.च.वि.नि., वि.द्द.प्र.नि. एवं प्रसार भारती जैसे अभिकरणों से संचार माध्यम योजनाएं आमंत्रित कर रहा था तथा मंत्रालय में काफी विचार-विमर्श के पश्चात् यह योजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। उसी प्रकार, विभिन्न राज्यों[2] में नमूना परीक्षित परियोजना जिले में भी निर्धारित सू.शि.सं. वार्षिक कार्रवाई योजना का निर्माण करने में विफल रहे जिसके कारणवश घटक के कार्यान्वयन काम चलाऊ स्तर पर रहा।

5.5 अन्य विसंगतियां

5.5.1 प्रेरकों को कार्य पर न रखा जाना

सामाजिक भागीदारी को संगठित करने के साथ ग्राम स्तर पर संचार मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए दिशानिर्देश स्वच्छता दूत नामक ग्राम स्तरीय प्रेरकों

[2] आन्ध्र प्रदेश (चित्तौर, खम्माम एवं श्रीकाकुलम), अरुणाचल प्रदेश, असम (प्रत्येक वर्ष तैयार नहीं किया गया), गुजरात (2009-10), हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम (2009-11), ओडीशा (2009-11), पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश (2009-10 से 2011-12), उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल (पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर एवं जलपाईगुड़ी)

को कार्य पर लगाए जाना निर्धारित करते हैं। स्वच्छता दूतों के अलावा, भारत निर्माण स्वयंसेवकों, आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कर्मचारी, विद्यालय के अध्यापकों आदि को भी मांग सृजन तथा व्यवहार बदलाव संचार की शुरूआत करने के लिए कार्यरत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 16 राज्यों[3] में घर-घर जाकर बातचीत करने तथा पारस्परिक संचार हेतु नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में स्वच्छता दूत या अन्य प्रेरक कार्यरत नहीं थे।

5.5.2 सू.शि.सं. कर्मियों को प्रशिक्षण

केन्द्र, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर सू.शि.सं. कर्मियों को स्वास्थ्य के निवारक एवं उपचारात्मक पहलूओं के बार में जनता में जागरूकता बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, यह भी वांछित था कि सू.शि.सं. गतिविधियों में ग्रामीण समुदायों, सामान्य जनता, विद्यालयों में बच्चों को भी स्वच्छता की शिक्षा प्रदान किया जाना शामिल था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि नौ राज्यों[4] में सू.शि.सं. कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना समेत) के अदीलाबाद, चित्तौड़, खम्माम एवं श्रीकाकुलम जिलों, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, राजस्थान (90 प्रतिशत), उत्तराखंड (पौड़ी को छोड़कर) तथा पश्चिम

---

[3] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना समेत), अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र (80 ग्रा.पं. में से 33), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडीशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल (बर्द्धमान को छोड़कर)

[4] असम, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

बंगाल (जलपाईगुड़ी एवं उत्तर दीनजपुर) में स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किया गया था। जहां तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्वच्छता पर प्रशिक्षण देने की बात है तो आन्ध्र प्रदेश के चित्तौड़ एवं खम्माम जिलों, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय (पूर्वी गारो हिल्स), पंजाब, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल (उत्तर दिनजपुर एवं जलपाईगुड़ी) में कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

5.5.3 लोकसभा टी.वी. पर सू.शि.सं. अभियान

अप्रैल 2012 में तथा फिर से जून 2013 में लोकसभा टेलिवजन (लो.स.टी.वी.) ने मंत्रालय के प्रचार/जागरूकता अभियान के लिए लो.स.टी.वी. पर विचार करने के लिए मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अपने प्रस्ताव में, लो.स.टी.वी. ने बताया कि सम्पूर्ण भारत में कई स्थापित चैनलों से अधिक इस चैनल की काफी अधिक पहुँच थी तथा टाईम्स नाउ, एन.डी.टी.वी 24X7, एन.डी.टी.वी. प्रोफिट, सी.एन.बी.सी. टी.वी 18 तथा हेडलाइन्स टुडे जैसे अंग्रेजी भाषा के चैनलों से अपनी रेटिंग की तुलना की।

मंत्रालय ने नोट किया कि लो.स.टी.वी. के माध्यम से प्रसारण ने अधिक श्रोतागण के साथ सू.शि.सं. अभियान का देशभर में व्यापक प्रसारण-क्षेत्र सुनिश्चित किया था तथा 180 दिनों की अवधि हेतु प्रत्येक दिन 40 स्पॉटों के साथ 30 सैकेंड के विज्ञापन स्पॉट के साथ कार्यक्रम की शुरूआत करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, यह उसी प्रकार से स्थित अधिक रेटिंग वाले हिन्दी भाषा के चैनलों से रेटिंग की तुलना करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के सचिव ने भी मई 2012 में लो.स.टी.वी. के दर्शकों की संख्या पर सवाल उठाया था तथा यह पाया कि मंत्रालय को प्रसारण के लिए ग्रामीण

जनता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जो लो.स.टी.वी. पर संभव नहीं था। उत्तर में यह बताया गया था कि लो.स.टी.वी के पास राजनीतिक वर्ग समेत दर्शकों की काफी संख्या थी जो स्वच्छता कार्यक्रम को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा द्वारा आवृत्त अवधि के दौरान मंत्रालय ने लो.स.टी.वी. को ₹ 2.90 करोड़ जारी किए थे परंतु इस संदर्भ में विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा सचिव की टिप्पणियों के बावजूद लो.स.टी.वी. अभियान के प्रभाव मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ा।

5.6 सू.शि.सं. की प्रभावकारिता का मूल्यांकन

योजना का दिशानिर्देश संचार सामग्री के आवधिक मूल्यांकन तथा गुणवत्ता एवं मात्रा में संचार गतिविधियों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पक्षेतर अभिकरण के माध्यम से विभिन्न सू.शि.सं. गतिविधियों के प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करने का प्रबन्ध करता है।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छता एवं सफाई: समर्थन एवं संचार कार्यनीति ढांचा 2012-17 के अनुसार, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर समर्थन एवं संचार कार्यनीति की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु यह प्रणाली महत्तवपूर्ण है ताकि आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सके। समर्थन प्रयासों के मार्गदर्शन तथा स्वच्छता के मुद्दो पर बातचीत को बढ़ावा देने के प्रति प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक विश्लेषण को कार्यान्वित किया जाना था। समर्थन की पहल तथा अभियानों को मापने एवं मॉनीटरिंग प्रगति के लिए सहमत संकेतकों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, ग्याहरवें पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग ने योजना के अंतर्गत सू.शि.सं. गतिविधियों के कार्यान्वयन पर गंभीरता से टिप्पणी की थी। यह भी देखा गया था कि सू.शि.सं. गतिविधियों को सामुदायिक स्तर पर आवश्यक जागरूकता के सृजन के प्रयास के बिना ही कार्यान्वित किया गया था। इन गतिविधियों की शुरूआत निधि के उपयोग के क्रियाकलाप के रूप में सामान्य प्रशासनिक तरीके से की गई थी, न कि जागरूकता सृजन एवं मांग सृजन प्रक्रियाओं से संगठित रूप से संबध्द थी। यह भी नोट किया गया था कि पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद सू.शि.सं. गतिविधियां प्रभावी नहीं थी।

2010 के सू.शि.सं. दिशानिर्देशों में प्रावधान के बावजूद कार्यनीति ढ़ांचा 2012-17 में मॉनीटरिंग उपकरणों की आवश्यकता तथा मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग की अभ्युक्तियों की आवश्यकता के बावजूद मंत्रालय ने योजना पर सू.शि.सं. की प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु किसी प्रकार का मूल्यांकन कराने का प्रयास नहीं किया था। उसी प्रकार, 10 राज्यों[5] में कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

कार्यनीति ढ़ांचे में निर्धारित मॉनीटरिंग उपकरणों को भी विकसित नहीं किया गया तथा समर्थन एवं संचार घटकों के प्रभाव तथा कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था।

निष्कर्षत: हम यह कह सकते हैं कि सं.स्व.अ/नि.भा.अ. एक मांग आधारित योजना है जिसके लिए सू.शि.सं. काफी महत्वपूर्ण है। हमने पाया कि सू.शि.सं. को उचित महत्व नहीं दिया गया था। सू.शि.सं. गतिविधियों को योजना के

[5] असम, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडीशा, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल

लिए सामरिक महत्व के रूप में न लेकर अपितु निधि उपयोग हेतु प्रशासनिक क्रियाकलाप के रूप में लिया गया था। सू.शि.सं. गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने हेतु संचित निधियों को अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया था। प्रेरक (स्वच्छता दूतों) जो ग्राम स्तर पर व्यवहार बदलाव संचार द्वारा मांग सृजन करने में मदद कर सकते थे, उनकी कई राज्यों में नियुक्ति नहीं की गई थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 788.60 करोड़ के व्यय के बावजूद, मंत्रालय भी अपने सू.शि.सं. अभियान का आकलन करने में विफल रहा था।

अनुशंसा:

- **स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छता के महत्व तथा महिलाओं की स्मिता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए आधार स्तर को लक्षित करते हुए सू.शि.सं. गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए ताकि लोग शौचालय का निर्माण एवं उपयोग निरंतर रूप से करें।**

अध्याय-6 अभिसरण

6.1 अभिसरण – एक सामरिक नीति के रूप में

अभिसरण एक सामरिक नीति है जिससे संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के सहयोग से समुचित परिणाम सुनिश्चित किया जाता है। सं.स्व.अ./ नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में इसका अभिसरण दूसरे विभागों के अलावा, कार्यक्रम स्तर पर एक या साझा लक्ष्य समूह के आधार पर म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो., इं.आ.यो., स.बा.वि.से.यो., सां.स्था.क्षे.वि.यो. आदि के साथ किए जाने का उल्लेख था।

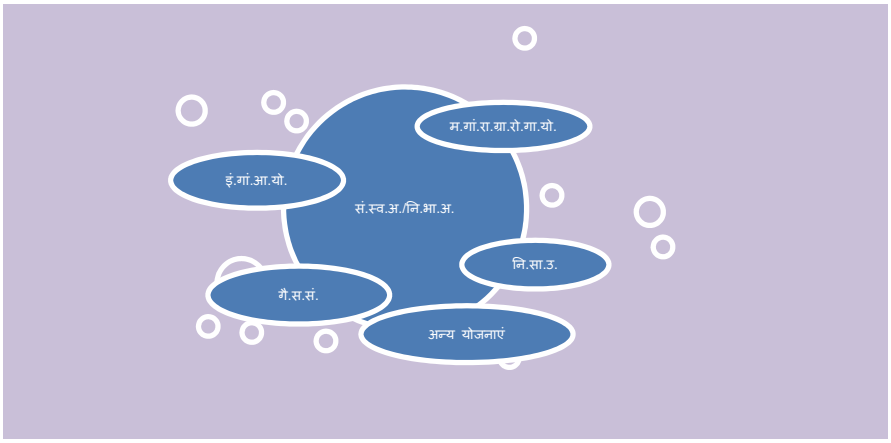

ऐसा अनुबंधित है कि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. में निधियों की कमियों को दूसरी योजनाओं से समन्वित करके पूरा किया जाएगा। आगामी पैराओं में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की स्थिति की चर्चा की गई है।

6.2 अन्य विभागों के साथ अभिसरण

योजना के दिशानिर्देशों में विचारित है कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.मं.स.) का गठन किया जाएगा, विभिन्न पण-धारियों जैसे राज्य, प्राथमिक शिक्षा विभाग

(प्रा.शि.वि.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.), महिला एवं बाल विकास (म.बा.वि.) मंत्रालय तथा ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा इं.आ.यो. के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करने होंगे, जिससे उन्हें दोनों योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा सके। आगे सं.स्व.अ./नि.भा.अ. पर सू.शि.सं. सामग्री को इं.आ.यो. के प्रचार सामग्री में शामिल करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने राज्यों प्रा.शि.वि., म.बा.वि. के प्रतिनिधियों को शामिल करके रा.यो.मं.स. का गठन किया था। आगे, ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विशेषज्ञों का भी अधिक प्रतिनिधित्व था। तथापि, रा.ग्रा.स्वा.मि. जो योजना के कार्यान्वयन (विशेषकर मांग उत्पन्न करने में) अपने सहयोगी स्टाफ के बड़े नेटवर्क की सहायता से जैसे प्र.सा.स्वा.स. (प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियतावादी) अपने अत्यंत निचले स्तर पर उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था, का प्रतिनिधित्व रा.यो.मं.स. ने नहीं किया था, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हुई।

राज्य स्तर पर भी पाँच राज्यों[1] में संबद्ध विभागों के बीच ताल-मेल सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे योजना का समग्र कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। आगे सात राज्यों[2] सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा इं.आ.यो. के

[1] अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड

[2] अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मेघालय, राजस्थान, (जालौर एवं बांसवाड़ा को छोड़कर) उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश

लिए कोई संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, तथा चार राज्यों[3] में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. पर सू.शि.सं. को इं.आ.यो. की प्रचार सामग्री में शामिल नहीं किया गया था।

6.3 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इं.आ.यो. के अंतर्गत ग.रे.नी. के लोगों के लिए बनाए जाने वाले सभी घरों में शौचालय का प्रावधान अथवा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय के लिए प्रोत्साहन देना अपेक्षित था। म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच का प्रावधान सितम्बर 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था, तथा मजदूरी पर ₹4500 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान जून 2012 से किया था।

योजना के दिशानिर्देशों में विभिन्न स्वच्छता सुविधाओं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्यकर परिसर (सा.स्वा.प.) विद्यालय शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय तथा ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबंधन (ठो.त.कू.प्र.) परियोजना आदि पर होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य/सं.क्षे. की सरकारों के संसाधनों, बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग की अनुदानों तथा सां.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स्था.क्षे.वि.यो. अथवा पंचायत की निधियों से पूरा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-2010 से 2011-12 में योजना के किसी भी घटक में कोई अभिसरण नहीं था तथा वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में केवल इं.आ.यो तथा म.गां.रा.रो.गा.यो. के साथ व्य.घ.शौ. का कुछ

[3] अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

अभिसरण था। वर्ष 2012-13 में 30 राज्यों/सं.क्षे. में निर्मित कुल 45.59 लाख व्य.घ.शौ. इकाइयों में से 0.31 लाख (0.67 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण केवल 8 राज्यों में इं.आ.यो. तथा म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. के साथ अभिसरण के साथ हुआ था एवं 22 राज्यों/सं.क्षे. में अभिसरण की उपलब्धि शून्य बतायी गई थी। 2013-14 में उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा 18 राज्यों में व्य.घ.शौ. के कुल 49.76 लाख निर्माण में से 6.03 लाख (12.12 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण इं.आ.यो. तथा म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. के साथ अभिसरण के साथ हुआ। योजना के अन्य घटकों के अंतर्गत यथा सा.स्वा.प., विद्यालय शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय एवं ठो.त.कू.प्र. परियोजना का म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. अथवा अन्य निधियों की सहायता के साथ उपरोक्त रूप में कोई अभिसरण नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना घटकों के अभिसरण के अंतर्गत उपलब्धि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान संतोषजनक नहीं थी। (विवरण **अनुबंध 6.1** तथा **6.2** में दिया गया है)। राज्य प्रभावी रूप से अभिसरण सुनिश्चित करने में असफल रहे जैसा कि **अनुबंध 6.3** में वर्णित है।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि नि.भा.अ. का म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो./ इं.आ.यो. के साथ अभिसरण सं.स्व.अ. के नि.भा.अ. में रूपान्तरण के बाद 1 अप्रैल 2012 के बाद प्रारम्भ किया गया था लेकिन उससे पूर्व सं.स्व.अ. का अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण चलन में नहीं था। तथापि, म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. के साथ अभिसरण से वांछित परिणाम

प्राप्त नहीं हुए थे और इसीलिए इसे नए स्वच्छ भारत अभियान में बन्द कर दिया गया था। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि रा.ग्रा.स्वा.मि. के साथ अभिसरण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष था तथा एक बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ आयोजित की गई थी तथा मामले को उठाया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्य.घ.शौ./व्य.घ.शौ. के लिए प्रोत्साहन राशि की अदायगी इं.आ.यो. घरों के निर्माण का प्रावधान सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के सभी दिशानिर्देशों में 2007 से ही अस्तित्व में था। सा.स्वा.प. के निर्माण के संबंध में निधियों का अंशदान पंचायत के अपने संसाधनों से, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य निधि से तथा विद्यालय शौचालय के संबंध में राज्य/सं.क्षे. सरकारें अभिभावक शिक्षक संगठन तथा पंचायतें निर्धारित राशि से ऊपर अपने स्वयं के संसाधनों से अंशदान देने के लिए अप्रैल 2012 से ही स्वतंत्र हैं।

6.4 औद्योगिक समूहों की भूमिका

योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि औद्योगिक समूहों को औद्योगिक सामाजिक दायित्व के आवश्यक अंग के रूप में प्रोत्साहित किया जाए कि वे स्वच्छता के मामले को सू.शि.सं., मा.सं.वि. या प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के द्वारा उठाएं।

तथापि, यह देखा गया कि औद्योगिक समूहों तक पहुँचने का कार्य केवल मई 2013 में प्रारम्भ हुआ।

इसी प्रकार राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा ने पाया कि औद्योगिक समूह आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा मेघालय में योजना में शामिल नहीं

किए गए थे। यद्यपि औद्योगिक समूह के साथ पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर गोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें नि.भा.अ. में औद्योगिक सहभागिता की व्यवस्था की गई थी किन्तु पांच नमूना जांच किए गए जिलों में न तो इन्हें नि.भा.अ. में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और न ही उन्हें कोई ग्रामीण स्वच्छता का कार्य सौंपा गया था। इस प्रकार, 2009 के औद्योगिक समूह सामाजिक उत्तरदायित्व स्वैच्छिक दिशानिर्देशों की उपलब्धता के बावजूद मंत्रालय के लचर रवैये के कारण औद्योगिक समूहों को इस कार्य में शामिल नहीं किया जा सका।

6.5 गै.स.सं. की भूमिका

नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में सू.शि.सं. कार्यकलापों में तथा मांग उत्पन्न करने की क्षमता निर्माण, तथा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं उपयोग में गै.स.सं. को सम्मिलित करते हुए गै.स.सं. की भूमिका को उत्प्रेरक के रूप में विचारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों[4] में गै.स.सं. की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा था। आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एवं श्रीकाकुलम में क्रमश: 69 एवं नौ गै.स.सं. योजना के कार्यान्वयन में शामिल थे। तथापि, आदिलाबाद, चित्तूर, करीमनगर तथा खम्मम जिले में कोई गै.स.सं. शामिल नहीं था।

[4] जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल

6.6 भारतीय रेल के साथ अभिसरण

भारतीय रेल[5] प्रतिदिन लगभग 14 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराती है। यात्रा के दौरान यात्री प्रतिदिन लगभग 3980 मी.ट. मानव जनित कचरा उत्पन्न करते हैं जो यात्री डिब्बों से 'खुला विसर्जन' किस्म के शौचालय से प्रत्यक्ष रूप से रेल पटरियों पर पूरे देश में फैल जाता है। यह वातावरण को प्रदूषित करता है तथा स्टेशनों के साथ साथ उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की समस्या पैदा करता है जहॉ से रेलगाड़ी गुजरती हैं।

लोक लेखा समिति ने अपनी तिरासीवीं रिपोर्ट (2008-09) में रेलगाड़ियों में शौचालयों के स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अनुशंसा की थी कि भारतीय रेल को नियंत्रित-विसर्जन शौचालय प्रणाली/शून्य विसर्जन शौचालय प्रणाली को अधिकाधिक संभव रेलगाड़ियों/डिब्बों में लगाने की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। उत्तर में, रेलवे मंत्रालय ने बताया था कि विभिन्न डिजाइन/प्रकृति वाले वातावरण हितैषी "हरित शौचालय" का क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा था तथा इन परीक्षणों के मूल्यांकन के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस संदर्भ में मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या इन्होंने रेलवे के साथ मिलकर कोई व्यवस्था की थी जिससे मानव-मल के असुरक्षित निस्तारण तथा रेलवे की पटरियों पर खुले शौच की आदत को हतोत्साहित किया जा सके।

[5] 2012-13 (रेलवे) की रिपोर्ट नं 21

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि इन्होंने प्रस्ताव किया है कि रेलवे डिब्बों में डी.आर.डी.ओ. बायो डाइजेस्टर/बायो-टैंक शौचालयों को संस्थापित किया जाए तथा रेलवे मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है जिससे रेल डिब्बों के पूरे बेड़े में 2022 तक बायो डाइजेस्टर शौचालय संस्थापित कर दिए जाएंगे।

अनुशंसा:

- **मंत्रालय को अन्य योजनाओं की पहचान करनी चाहिए जिनके आपसी समन्वय से स्वच्छता कार्यक्रम सफल हो सके।**

अध्याय-7 अनुश्रवण और मूल्यांकन

7.1 प्रस्तावना

योजना के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर पंच-स्तरीय ढांचा था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

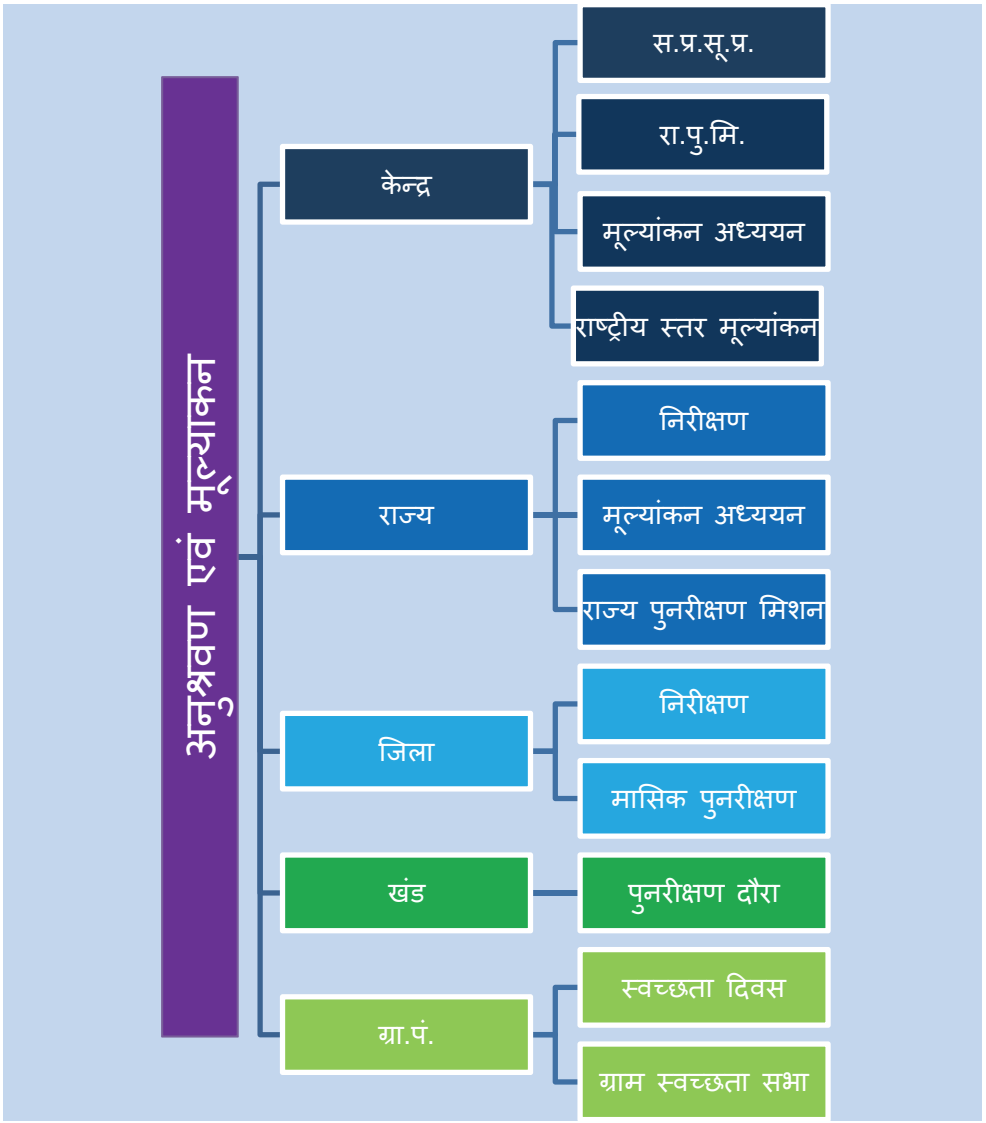

7.2 निधियों का उपयोग न होना

मंत्रालय म. एवं उ. अन्य प्रभारों के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान शीर्ष के अंतर्गत दर्ज ₹ 22.40 करोड़ के व्यय के प्रति मंत्रालय म. एवं उ. के अंतर्गत आवृत गतिविधियों पर केवल ₹ 0.32 करोड़ का ही उपयोग कर सका। शेष ₹ 22.08 करोड़ की राशि का निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रशासन से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे ग्राम पचायतों के भौतिक सत्यापन हेतु एजेसिंयों को भुगतान करने की ओर विपथन कर दिया था। निधियों का कम उपयोग करने से योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष उपलब्धियां प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ा जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने बताया कि नि.ग्रा.पु. हेतु ग्राम पंचायतों का सत्यापन करना अनुश्रवण कार्य का एक भाग था तथा इसके ऊपर खर्च की गई राशि को विपथन के रूप में नहीं समझा जा सकता।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के खर्चों के लिए के एक पृथक बजट शीर्ष "नि.ग्रा.प.-अन्य प्रभार" संचालित किया जा रहा था तथा "नि.ग्रा.प.-अन्य प्रभार" के अंतर्गत उपलब्ध बजट से अधिक भौतिक सत्यापन पर किया गया व्यय अन्य बजट शीर्षो जैसे 'म. एवं उ.' 'मानव संसाधन विकास' तथा 'सू.शि.सं.' को प्रभारित नेमी प्रकार का था।

7.3 समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.)

अनुश्रवण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार सभी परियोजना जिलों को स.प्र.सू.प्र पर माह के दौरान की गई मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

को आगामी माह की 15 तारीख तक अपलोड करना अपेक्षित था तथा एक वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट मंत्रालय को पत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑनलाइन प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता सत्यापित करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के साथ मिलान करके इसकी विश्वसनीयता भी सुनिश्चित नहीं कर रहा था। परिणामत: प्रत्यक्ष प्रगति स.प्र.सू.प्र. पर बहुत अधिक सूचित की गई थी। मंत्रालय की स.प्र.सू.प्र. पर उपलब्ध आंकड़ो के विभिन्न सैटों के बीच व्यापक अंतर थे। उदाहरणार्थ जिलों द्वारा सूचित योजना घटकों की कवरेज ग्रा.पं. (फार्मेट-एफ5) द्वारा सूचित कवरेज की तुलना में बहुत अधिक थी। इसकी संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका-7.1 में दी गई है:

तालिका-7.1: जिला मा.प्र.रि. तथा ग्रा.पं. मा.प्र.रि में अंतर

घटक	उपलब्धि		अंतर	
	जिला मा.प्र.रि	ग्रा.पं.मा.प्र.रि	संख्या	*प्रतिशत*
ग.रे.नी. शौचालय	5,24,53,615	3,06,46,776	2,18,06,839	71.15
ग.रे.उ. शौचालय	4,49,55,539	2,46,80,794	2,02,74,745	82.14
विद्यालय शौचालय	1345,196	5,31,373	8,13,823	153.15
आंगनवाड़ी	4,72,827	2,55,993	2,16,834	84.70
स्वच्छता परिसर	27,901	10,176	17,725	174.18

[स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

उसी तरह, रिपोर्ट जैसे जनगणना 2011, मंत्रालय का आधार रेखा सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13) तथा रा.न.स.का. रिपोर्ट की तुलना में मंत्रालय के स.प्र.सू.प्र. में प्रत्यक्ष प्रगति के आंकड़ों के विभिन्न सैटों की तुलना में भिन्नताएं थी जैसाकि नीचे तालिका 7.2 मे दर्शाया गया है:

तालिका 7.2 प्रत्यक्ष प्रगति के आंकड़ों में भिन्नताएं

वर्ष	शौचालयों तक पहुँच	
2011	जनगणना 2011-32.70 %	स.प्र.सू.प्र.-62.26% (व्य.घ.शौ.)
2012-13	आधार रेखा सर्वेक्षण- 40.35 %	स.प्र.सू.प्र.-72.88% (व्य.घ.शौ.)
2012-13	आर.रे.स. व्य.घ.शौ. 6.91 करोड़	स.प्र.सू.प्. व्य.घ.शौ- 9.16 करोड़
2013	रा.न.स.का-40.60 %	स.प्र.सू.प्र.-72.88% (व्य.घ.शौ.)

[स्रोत: जनगणना 2011, रा.न.स.का. रिपोर्ट तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इसके अतिरिक्त आंकड़ों में वास्तविक भिन्नताएं अधिक हो सकती हैं क्योंकि जनगणना 2011, आधार रेखा सर्वेक्षण, रा.न.स.का. द्वारा सूचित स्वच्छजल कवरेज के आंकड़ों में वे परिवार जिनकी किसी प्रकार के शौचालयों में पहुँच थी और ऐसे परिवार जहाँ शौचालयों का योजना में हस्तक्षेप किए बिना निर्माण किया गया था भी सम्मिलित किए गए थे लेकिन मंत्रालय के स.प्र.सू.प्र के आंकड़ों में योजना के अंतर्गत निर्मित व्य.घ.शौ. की प्रगति ही दर्शायी जा रही थी।

मंत्रालय गलत तथा अधिक बताने वाले इस तथ्य से अवगत था तथा इसका जुलाई 2014 में परिचालित व्य.वि.सं.[1] के ड्राफ्ट ज्ञापन में भी विशेष उल्लेख किया गया था। लेकिन अंतर के मिलान हेतु कभी कोई प्रयास नहीं किया गया।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में पाया गया था कि विभिन्न राज्य[2] भी क्षेत्रीय आंकड़ों को आवधिक रूप से अभिपुष्ट करने में विफल रहे तथा

[1] व्यय वित्त समिति

[2] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

स.प्र.सू.प्र. आंकड़ों की विश्वसनीयता को मासिक प्रगति रिपोर्टों (भा.प्र.रि.) के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से मिलान सुनिश्चित नहीं किया गया था।

व्य.घ.शौ. (ग.रे.नी./ग.रे.उ.) तथा सांस्थानिक शौचालयों के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियों के मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों तथा कुछ राज्यों[3] में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वास्तविक आंकड़ों में अंतर **अनुबंध 7.1** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि सू.प्र.सू.प्र. पर आंकड़े राज्य सरकार द्वारा उचित सत्यापन तथा प्रमाणन करने के पश्चात ही अपलोड किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि डाटा का मिलान परियोजना निरीक्षणों के दौरान किया जा रहा था। तथापि आंकड़ों की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उनके मिलान करने से संबंधित कोई प्रलेख रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के वर्तमान डिजाईन में ग्रामीण आबादी में वृध्दि या कमी अथवा पुराने शौचालयों या अब प्रयोग में न आने वाले या समाप्त शौचालयों सहित पूर्व स्थिति में लौट गए परिवारों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कोई तंत्रविधि नहीं है।

विभिन्न घटकों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण, उनके उपयोग तथा पूर्व स्थिति में लौट जाने के आंकड़े प्राप्त करना गंभीर मुद्दे हैं। स.प्र.सू.प्र. (समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त आंकड़े गंभीर डाटा सत्यनिष्ठा समस्याओं से ग्रस्त हैं। डाटा की मजबूत सटीकता सुनिश्चित करने के

[3] अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा त्रिपुरा।

लिए विभिन्न स्तरों पर डाटा का सत्यापन, बहु स्तरीय जांच करना तथा मंत्रालय द्वारा निरन्तर अनुश्रवण करना अपेक्षित था जोकि नदारद था।

7.4 राज्य स्तर पर मूल्यांकन अध्ययन

योजना दिशानिर्देशों में राज्य/सं.शा.क्षे. सं.स्व.अ. के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करना प्रदत्त करेंगे। राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा इन मूल्याकन अध्ययनों में किए तथा भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए समवर्त्ती मूल्यांकन में की गई अभियुक्तियों के आधार पर उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह पाया गया था कि योजना के कार्यान्वयन पर 17 राज्यों[4] ने कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था।

तथापि, बिहार, कर्नाटक तथा केरल में मूल्यांकन अध्ययन स्वंतत्र एजेंसियों द्वारा किए गए थे।

7.5 राज्य स्तर पर अनुसंघान अध्ययन

योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि अनुसंधान संस्थानों, संगठनों तथा प्रमाणित पूर्व रिकॉर्ड सहित गै.स.सं. को ग्रामीण क्षेत्रों में मानव मलमूत्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली की वर्तमान तकनीक का अध्ययन भी शामिल करना चाहिए। अनुसंधान/अध्ययन के परिणाम से तकनीक को सुधारना इसको अधिक समर्थ बनाना तथा विभिन्न भू-हाइड्रोलोजिक्ल स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षित बनाना चाहिए।

[4] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल।

यह पाया गया था कि 10 राज्य[5] ने अनुसंधान अध्ययन करने के लिए किसी एजेंसी को कार्य नहीं सौपा था। महाराष्ट्र में दो गड़ढा शौचालयों के डिजाइन पर अनुसंधान के अतिरिक्त अनुसंधान अध्ययन नहीं किए गए थे।

7.6 समवर्ती अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

योजना-दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य (राज्यों) में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. परियोजनाओं के एक ग्रुप के प्रगति पुनरीक्षा/अध्ययन के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी भारत सरकार द्वारा ली जा सकती है। अधिकारियों/व्यावसायिकों की एक बहु-एजेंसी टीम विशेष संदर्भ सहित पुनरीक्षा करने के लिए गठित की जाएगी। इस प्रकार की पुनरीक्षाएं, उनमें की गई अभ्युक्तियों के आधार पर समय पर उपचारी कार्रवाई करने में सहायक सिद्ध होती।

मंत्रालय ने कोई समवर्ती मूल्यांकन या कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा नहीं की थी। यह बताया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करने की प्रक्रिया अंतिम रूप दिया जा रहा था। यह भी सूचित किया गया था कि राज्य में नि.भा.अ. परियोजनाओं के समूह के लिए कार्यान्वयन प्रगति पुनरीक्षा/अध्ययन राष्ट्रीय स्तर मॉनीटरों द्वारा किया गया था। एक जिले की पुनरीक्षा करने के लिए एक एजेंसी को कार्य दिये जाने के अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु बहु एजेंसी टीमों का गठन नही किया गया था।

[5] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

7.7 राष्ट्रीय पुनरीक्षण मिशन

योजना के दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर पुनरीक्षा मिशन का प्रावधान है जिन्हे राज्यों में कार्यान्वयन की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से भेजा जा सकता है। यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय में स्टाफ की कमी के कारण राज्यों हेतु इस प्रकार के मिशानों में तैनाती करना संभव नहीं था, इसके बजाए वे इस कार्य को करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती कर रहे थे। तथापि, 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान कोई क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए थे तथा ऐसी प्रथम नियुक्ति केवल फरवरी 2014 में ही की गई थी। इस प्रकार, यह योजना मंत्रालय के प्रत्यक्ष अनुश्रवण के बिना ही प्रक्रामी रूप से जारी रही।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कार्य की देखरेख करने के लिए रिक्त पदों के प्रति सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया तथा इस प्रकार, मंत्रालय में स्टाफ की कोई कमी नहीं थी।

7.8 राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण (रा.स्त.अ.)

ग्रामीण विकास मंत्रालय[6] ने, अपने कार्यक्रमों के स्वतंत्र अनुश्रवण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जनलाभ हेतु स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सम भाव वाले वरिष्ठ स्तर के सेवानिवृत्त सिविल/रक्षा सेवा अधिकारियों तथा अकादमी को शामिल करके राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण की एक व्यापक प्रणाली तैयार की।

---

[6] पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 12 जुलाई 2011 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक भाग था तथा इसे 13 जुलाई 2011 से एक पृथक मंत्रालय बनाया गया था, तथापि, वह आज तक रा.स्त.मॉ. की सेवाओं का उपयोग कर रहा था।

रा.स्त.मां. से एक तिमाही में लगभग 150 जिलों का दौरा करना अपेक्षित था जिससे एक वर्ष में देश के सभी जिले आवृत हो जाएं।

विशेष अनुश्रवण दौरे, जो कि वर्ष के आरंभ में नियोजित किए जाने थे एक कार्यक्रम के गहन आच्छादन अथवा एक कार्यक्रम की निश्चित विशिष्ट विशेष मदों हेतु प्रत्येक वर्ष संचालित किए जाने अपेक्षित थे।

रा.स्त.मॉ द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान किए गए योजना के अनुश्रवण की स्थिति निम्न तालिका-7.3 में दी गई है:

तालिका-7.3: रा.स्त.मॉ. द्वारा जिलों का आच्छादन

वर्ष	आवृत किए जाने वाले जिलों की सं.	वास्तव में आवृत किए गए जिलों की सं.	कमी की प्रतिशतता
नियमित अनुश्रवण			
2009-10	590	शून्य	100
2010-11	607	478	21
2011-12	607	शून्य	100
2012-13	607	583	4
2013-14	607	584	4
विशेष अनुश्रवण			
2009-10 से 2012-13	नहीं किया		
2013-14	उ.न.	57	उ.न.

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इस प्रकार, रा.स्त.अ. 2009-10 तथा 2011-12 में कार्यक्रम का अनुश्रवण नहीं कर सका तथा अन्य वर्षों में यह कमी 4 से 21 प्रतिशत के बीच थी। उसी तरह, 2009-10 से 2012-13 के दौरान कोई विशेष अनुश्रवण नहीं किया गया था।

रा.स्त.अ. प्रणाली की प्रभाविकता महत्वपूर्ण रूप से मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों/जिलों द्वारा उत्साह से की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर थी।

चूंकि राज्य, कार्यक्रम की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां थीं, इन दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को उपचारी कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था तथा जिला स्तर पर कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन को भी भेजा गया था। मंत्रालय के पास तदनुरूपी प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं थी।

7.9 अन्य स्तरों पर अनुश्रवण

7.9.1 निरीक्षण

वरिष्ठ राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आधारिक स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति सत्यापित करने तथा यह सुनिश्चित करने कि निर्माणकार्यों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया तथा विनिर्देशनों के अनुसार था, के लिए नियमित निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। निरीक्षण दलों को जांच करके, सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निर्माणकार्य मानदण्डों के अनुसार किया गया था, लाभार्थियों का चयन पारदर्शी था, निर्माण के पश्चात शौचघरों का उचित उपयोग किया गया तथा सेनिटरी शौचघरों का किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

यह पाया गया था कि राज्य/ जिला अधिकारी योजना कार्यान्वयन का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं कर रहे थे। 11 राज्यों[7] में या तो निरीक्षण नहीं किए गए थे और या आकस्मिक और तदर्थ रूप से किए गए थे। लगभग सभी मामलों में निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थी। आठ राज्यों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई अभ्युक्तियों के ब्यौरे **अनुबंध -7.2** में दिए गए हैं।

[7] अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रेदश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा।

7.9.2 राज्य पुनरीक्षण मिशन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक पुनरीक्षा मिशन, जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उसमें अन्य सम्बद्ध विभागों जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज तथा मानव संसाधन विकास से कम से कम तीन सदस्य तथा स्वच्छता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संगठनों से स्वतंत्र प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, का गठन करना अपेक्षित था। राज्यों को राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले में आवधिक रूप से पुनरीक्षा करने के लिए दक्ष लोगों का एक पैनल बनाने का परामर्श भी दिया गया था। ये पुनरीक्षाएं निधियों की अनुवर्ती किश्त जारी करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य थी।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि मंत्रालय को, राज्य सरकारों से राज्य पुनरीक्षा मिशन की कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों[8] ने, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य पुनरीक्षा मिशन का गठन तक नहीं किया था।

- राज्य पुनरीक्षण मिशन (रा.पु.मि.) **झारखंड** (2013), **पंजाब** (2000) तथा **तमिलनाडु** (2013) में गठित किए गए थे लेकिन वे मार्च 2014 तक योजना कार्यान्वयन का पुनरीक्षण नहीं कर रहे थे।
- **ओडिशा** में, रा.पु.मि. ने 2010 तक कार्य किया तथा उसके पश्चात् कार्य की राज्य स्तर तथा जिला स्तर परामर्शदाताओं (जि.स्त.प.) द्वारा देखरेख की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि सितम्बर 2011 तथा

[8] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड।

अगस्त 2014 के बीच जि.स्त.प. तैनात किए गए थे तथा जि.स्त.प. के पांच पद अभी तक (सितम्बर 2014) रिक्त थे।

असम तथा **पश्चिम बंगाल** में, जि.पु.मि. संस्थापित किए गए थे लेकिन राज्यों ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इस प्रकार के मिशन द्वारा की गई पुनरीक्षा की कोई सिफारिश/रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी। इसी तरह 14 राज्य[9] अपने-अपने राज्यों में विशेषज्ञों का पैनल बनाने में विफल रहे।

ओडिशा में, ओ.रा.ज.स्व.मि. ने नवम्बर 2010 में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया। लेकिन पैनल को पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं बनाया गया था क्योंकि दो परियोजना जिलों[10] में 20 सदस्यों में से केवल 2 सदस्यों ने पुनरीक्षा की (फरवरी/अप्रैल 2011) तथा शेष 28 जिलों में विशेषज्ञ पैनल के किसी सदस्य ने एक बार भी पुनरीक्षा नहीं की थी।

7.9.3 परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा

योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न ब्लॉकों में एक तिमाही में कम से कम एक बार कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन करने का प्रावधान है। तथापि, यह पाया गया था कि दस राज्यों[11] में परियोजना प्राधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के किसी दल का गठन नहीं किया था।

---

[9] आंन्ध्र प्रदेश (तेलगाना सहित), छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

[10] पुरी और बौध्द जिले।

[11] अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा उत्तर प्रेदश।

7.9.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा, स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा (ग्रा.स्व.स.) के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को, मासिक प्रगति दर्ज करने, वैयक्तिक मांग की पहचान करने, मासिक योजना प्रक्षेपित करने, पूर्व स्थिति में पहुंच गए मामलों का पता लगाने तथा प्रोत्साहन राशि के संवितरण, निर्माण, तथा अन्य कार्यों तथा गतिविधियों सहित पूर्व माह में विभिन्न गतिविधियों पर किए गए व्यय का सत्यापन करने के लिए माह के एक विशेष दिन, जिसे 'स्वच्छता दिवस' का नाम दिया जाना था, को निर्दिष्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा द्वारा विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक छः माह में ग्रा.स्व.स. बुलाई जाती है। यह पाया गया था कि 21 राज्यों[12] में ग्राम पंचायतों ने योजना की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए स्वच्छता दिवस का आयोजन नहीं किया था। चार राज्यों में यह बहुत कम अवसरों पर आयोजित किया गया था। विवरण **अनुबंध 7.3** में दिए गए हैं।

इसी प्रकार, 18 राज्यों[13] में ग्राम पंचायतें विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए ग्रा.स्व.स. आयोजित करने में विफल रही। कुछ अन्य राज्यों में ग्रा.स्व.स. की आयोजित बैठकों की स्थिति **अनुबंध-7.3** में दी गई है।

---

[12] आन्ध्र प्रदेश (सिरीकाकुलम जिले के अतिरिक्त), असम (2012-14), बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओड़िशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

[13] असम (2012-14), बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मिर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मैघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

7.9.5 विभागीय अनुश्रवण

सं.स्व.अ. परियोजना का अनुश्रवण सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। खंड पं.रा.सं. तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगति की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिला पंचायत के मु.का.अ./जि.ज.स्व.स. के सचिव को खंड अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव को जिला अधिकारियों के साथ प्रगति की तिमाही समीक्षा करनी चाहिए। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि खंड/पं.रा.सं. स्तरीय अधिकारियों ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना-परियोजनाओं का कभी निरीक्षण नहीं किया था। विभिन्न राज्यों में विभागीय अनुश्रवण के ब्यौरे **अनुबंध -7.4** में दिए गए हैं।

अनुशंसाएं:

- **सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुश्रवण हेतु एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए विशेषज्ञों तथा स्वच्छता में विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित गै.स.सं. को कार्य पर लगाने पर विचार किया जा सकता है।**
- **नि.भा.अ. के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने तथा स्थिति की जांच करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन सामान्य रूप से किए जाने चाहिए।**

अध्याय-8 निष्कर्ष

स्वच्छता की अवधारणा के अन्तर्गत वैयक्तिक स्वास्थ्यकर, घर की साफ-सफाई, सुरक्षित पेयजल, कूड़ा निस्तारण, मल निस्तारण एवं गन्दे पानी का निस्तारण समाहित है। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, जिसे बाद में 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया गया था। बाद में सं.स्व.अ. को 01 अप्रैल 2012 की प्रभावी तिथि से निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) के नाम से पुनर्नामित किया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा से निकाले गए निष्कर्षों को निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

दोषपूर्ण योजना

योजना बनाने के स्तर पर नोट किया गया, चिंता का मुख्य क्षेत्र आधारभूत दृष्टिकोण की कमी थी। ग्राम पंचायत योजनाएं जिला योजनओं से संयोजित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, जिनसे दोनों स्तरों के बीच कड़ी के रूप में बनकर रहना अपेक्षित था उसे भी कई स्थानों में स्थापित नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत योजना को ब्लॉक योजना में समेकित नहीं किया गया था तथा लगभग आधे नमूना परीक्षित जिलों में इसे जिला योजना में समेकित नहीं किया गया था। योजना में समाप्त या अप्रयुक्त शौचालयों या अकार्यात्मक शौचालयों वाले ग्रामीण घरों के वापिस पूर्व स्थिति में पहुंचने की संभावना या वृद्धि या कमी को मापने का कोई तंत्र नहीं था।

निधियों का कम उपयोग

कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अंतरण में विलंब ने भी योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की थी। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध निधियों का व्यय करने में भी शिथिलता बरती गई थी। विपथनों तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों ने भी कम उपयोग के प्रति योगदान किया जिसने लक्ष्यों की भौतिक उपलब्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

अवास्तविक लक्ष्य

राज्य सरकारों द्वारा निधि उपलब्धता तथा संस्वीकृत योजनाओं को निष्पादित करने की उनकी क्षमता को ध्यान में न रखते हुए शौचालयों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके कारणवश, प्रत्येक वर्ष के अंत में उपलब्ध निधियों के 40 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत तक की काफी बड़ी राशियां अव्ययित रही थी।

शौचालयों एंव अवसरंचना का निर्माण

अकार्यात्मक शौचालय की उच्च व्यापकता ने ग्रामीण स्वच्छता की समस्या से निपटने में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को अप्रभावी बना दिया जिसके कारण स्वच्छता सुविधाओं में ज्यादा सुधार नहीं आया तथा बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश निष्फल रहा। इसके कारण मुख्य रूप से निर्माण की खराब गुणवत्ता, जल की अनुपलब्धता, असतत तथा वित्तीय एंव व्यावहारिक बाधाएं थी।

अप्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

सामुदायिक स्तर पर अपेक्षित जागरूकता का सृजन करने के सचेत प्रयास के बिना सू.शि.सं. गतिविधियों को कार्यान्वित किया गया था। इन गतिविधियों को अधिकतर निधि उपयोग अभ्यास के रूप में दैनिक

प्रशासनिक तरीके से शुरू किया गया था, इन्हे जागरूकता सृजन तथा मांग सृजन प्रक्रियाओं से सुव्यवस्थित रूप से संयोजित नहीं किया गया था।

अभिसरण

अधिकतर राज्यों में, ग्रामीण लोगों को स्वच्छता के लाभों से वंचित रखा गया था क्योंकि बहुत कम व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का इंदिरा आवास योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण किया गया था तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, स्कूल के शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों तथा ठोस एंव द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कोई अभिसरण नहीं हुआ था।

कमजोर अनुश्रवण तथा मूल्यांकन तंत्र

मंत्रालय के पास नमूना जांच आधार पर भी परियोजना प्रधिकारियों द्वारा सूचित भौतिक एंव वित्तीय प्रगति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। स्वच्छता पर जागरूकता तथा स्वास्थ्यकर मुद्दों जैसे गुणात्मक मापदंडों की मॉनीटरिंग तथा योजना बनाने एंव परिचालन विवरणों की कुल प्रभावकारिता की उपेक्षा की गई थी।

मंत्रालय आंकड़े प्राप्त करने का विश्वसनीय एंव सत्यापन-योग्य तरीका नहीं अपना पाया। विभिन्न घटकों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण उनके उपयोग तथा उनका पूर्व स्थिति में पहुंच के एकत्रित आंकड़े ऐसे मुद्दे है जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है। स.प्र.सू.प्र. (समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली) पर प्राप्त किया गया डाटा में सत्यता का अभाव था तथा स.प्र.सू.प्र. पर भौतिक प्रगति काफी अधिक रूप से सूचित किया गया था। डाटा की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निरंतर

मॉनीटरिंग तथा विभिन्न स्तरों पर डाटा का सत्यापन तथा जांच किया जाना अपेक्षित है।

तीव्र गति से स्वच्छता में सुधार करने के लिए सू.शि.सं. गतिविधियों की सावधानी से योजना बनाए जाने तथा मांग सृजन हेतु सामुदायिक स्तर पर वितरित किए जाने की आवश्यकता थी। इसे अपेक्षित सुविधाओं के सृजन तथा मात्रात्मक एंव गुणात्मक अवसंरचना द्वारा संपूरित किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1.1
भारत सरकार, राज्य तथा लाभार्थियों द्वारा निधियों के घटक-वार अंश का विवरण
(पैराग्राफ-1.4 के संदर्भ में)

<table>
<tr><th>घटक</th><th>निधियों का अंश</th></tr>
<tr><td>गतिविधियों का आरंभ</td><td>• पू.स्व.अ. के अन्तर्गत, नि.भा.अ. अंतर्गत परियोजना के कुल लागत के 5 प्रतिशत तक कीमत को सीमित किया जाना था, जो सू.शि.सं. निधि से ₹0.10 करोड़ की सीमा सहित प्रदान की जाती है, व इससे अधिक की कोई राशि राज्य द्वारा व्यय की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>सू.शि.सं. गतिविधियॉं</td><td>• सू.शि.सं. लागत तथा गतिविधियों के आरंभ करने की लागत शामिल करते हुए परियोजना की कुल लागत का 15% तक सीमित होगा।
• केन्द्र: राज्य सरकार के बीच अंशदान :: 80:20</td></tr>
<tr><td>व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण (व्य. घ. शौ.)</td><td>पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2007
<table>
<tr><th>शौचालय का प्रकार</th><th>शौचालय की लागत (₹ में)</th><th>केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थियों का अंश</th></tr>
<tr><td>मॉडल 1</td><td>1,500 तक</td><td>60:20:20</td></tr>
<tr><td>मॉडल 2</td><td>1,500-2,000</td><td>30:30:40</td></tr>
<tr><td>मॉडल 3</td><td>2,000 से अधिक</td><td>0:0:100</td></tr>
</table>
पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2010
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश</th><th>राज्य अंश</th><th>लाभार्थी अंश</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>1,500</td><td>700</td><td>300</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन[1]</td><td>2,000</td><td>700</td><td>300</td></tr>
</table>
पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2011
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश</th><th>राज्य अंश</th><th>लाभार्थी अंश</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>2,200</td><td>1,000</td><td>300</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन</td><td>2,700</td><td>1,000</td><td>300</td></tr>
</table>
नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश (₹ में)</th><th>राज्य अंश (₹ में)</th><th>लाभार्थी अंश (₹ में)</th><th>म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. (₹ में)</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>3,200</td><td>1,400</td><td>900</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन</td><td>3,700</td><td>1,400</td><td>900</td><td>4,500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर</td><td>• अधिकतम इकाई लागत: ₹2.00 लाख साझेदारी पद्धति
<table>
<tr><th>दिशानिर्देश वर्ष</th><th>केन्द्र</th><th>राज्य</th><th>समुदाय</th></tr>
<tr><td>2007</td><td>60%</td><td>20%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>2010</td><td>60%</td><td>30%</td><td>10%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>संस्थानिक शौचालय</td><td>
<table>
<tr><th>शौचालय के प्रकार</th><th>इकाई की लागत (₹ में)</th></tr>
<tr><td>स्कूल (सामान्य)</td><td>35,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[1] पहाड़ी एवं जटिल क्षेत्र: आठ उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड एवं एकीकृत कार्य योजना जिले (88 जिले जो शेष पक्ष अतिवाद से प्रभावित है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के योग्य हैं)

	स्कूल (पहाड़ी एवं कठिन)	38,500
	आं.के. (सामान्य)	8,000
	आं.के. (पहाड़ी एवं कठिन)	10,000
	अंश पद्धति- केन्द्र:राज्य :: 70:30	
ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन	• **पू.स्व.अ. के अंतर्गत:** पूंजीगत लागत के लिए परियोजना लागत का 10% तक। लागत साझेदारी-केन्द्र:राज्य:समुदाय:: 60:20:20 • **नि.भा.अ. के अंतर्गत:** प्रति ग्रा.पं. में 150 परिवारों तक ₹7 लाख तक, 300 परिवारों तक ₹12 लाख, 500 परिवारों तक ₹15 लाख तथा 500 परिवारों से अधिक ₹20 लाख तक (लागत साझेदारी-केन्द्र:राज्य :: 70:30)	
परिक्रमी निधी	• जिला परियोजना लागत का 5% जो ₹50 लाख से अधिक न हो (2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹35 लाख तक सीमित थी, जिसे 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹50 लाख कर दिया गया)। लागत साझेदारी केन्द्र:राज्य :: 80:20	
ग्रामीण शौचालय मार्ट एवं उत्पादन केन्द्र (ग्रा.शौ.मा. एवं उ.के.)	• वित्तीय सहायता के रूप में परिक्रमी निधि से ₹3.5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (जो स्थिरता आने के पश्चात वसूलनीय योग्य होगा। (पू.स्व.अ. दिशानिर्देशानुसार) • नि.भा.अ. के दिशानिर्देशानुसार, ऋण प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष पश्चात ऋण 12-18 किस्तों में वसूलनीय होगा।	
प्रशासनिक प्रभार	• **पू.स्व.अ. के अंतर्गत:** लागत का 5**%** प्रतिशत तक, **नि.भा.अ. के अंतर्गत:** लागत का 4% प्रतिशत तक (लागत साझेदारी, केन्द्र:राज्य :: 80:20)	
निर्मल ग्राम पुरस्कार (नि.ग्रा.पु.)	नि.ग्रा.पु. के दिशानिर्देश 2010, 2012 के अनुसार ग्रा.पं., ब्लॉकों एवं जिलों की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।	
क्षमता निर्माण	• सू.शि.सं. बजट का 2**%** (साझेदारी केन्द्र:राज्य **::** 80:20)	

[स्रोत: पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-1.2
कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक उपलब्धि
(पैराग्राफ -1.6 के संदर्भ में)

(कुल जनसंख्या के आंकड़े प्रतिशत में)

नाम	वर्ष	उन्नत स्वच्छता		खुला शौच	
		ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल
भारत	1990	7	18	90	74
	2000	14	25	79	63
	2012	25	36	65	48
पाकिस्तान	1990	7	27	72	52
	2000	20	37	53	37
	2012	34	48	34	23
चीन	1990	15	24	9	7
	2000	35	45	5	4
	2012	56	65	2	1
बांग्लादेश	1990	30	33	40	34
	2000	43	45	23	19
	2012	58	57	3	3
श्रीलंका	1990	65	68	15	14
	2000	78	79	8	7
	2012	94	92	0	0
विकाशशील देशों	1990	21	36	42	31
	2000	32	47	37	25
	2012	43	57	29	17
दक्षिणी एशिया भारत के बिना	1990	25	38	50	38
	2000	36	47	35	25
	2012	49	57	19	12
विश्व	1990	28	49	38	24
	2000	38	56	33	20
	2012	47	64	27	14

खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या

देश	लोगों की संख्या	*प्रतिशत*
भारत	59,36,09,760	60.09
बांग्लादेश	46,40,850	0.47
चीन	1,37,70,650	1.39
पाकिस्तान	4,12,06,800	4.17
श्रीलंका	---	0
इंडोनेशिया	5,43,10,080	5.50
शेष विश्व	28,04,09,520	28.38
कुल	98,79,47,660	100.00

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता की प्रगति: 2012 अद्यतन यूनिसेफ एवं वि.स्वा.सं. द्वारा संयुक्त रूप से जारी।]

अनुबंध-1.3
नमूना परियोजना जिलों की सूची
(पैराग्राफ 1.7.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे का नाम	परियोजना जिलों का नाम
1.	आन्ध्रप्रदेश (तेलंगाना सहित)	1.विशाखापत्तनम, 2.श्रीकाकुलम, 3.चित्चूर, 4.करीमनगर, 5.अदिलाबाद, 6.खम्माम
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.पश्चिमी कामेंग, 8.चांगलांग, 9.पश्चिमी सियांग, 10.पूर्वी सियांग
3.	असम	11.नागाँव, 12.उदालगिरी, 13.तिनसुकिया, 14.नालबाड़ी, 15.ग्वालपाड़ा
4.	बिहार	16.भोजपुर, 17.दरभंगा, 18.गया, 19.कैमूर, 20.कटिहार, 21.मुंगेर, 22.मुजफ्फरपुर, 23.नवादा, 24.पटना, 25.पश्चिमी चंपारण
5.	छत्तीसगढ़	26.रायपुर, 27.कबीरधाम, 28.बस्तर, 29.सुरगुजा
6.	दादर एंव नागर हवेली	30.दादर & नागर हवेली
7.	गुजरात	31.अमरेली, 32.वल्साड़, 33.खेड़ा, 34.भरौच
8.	हरियाणा	35.फतेहाबाद, 36.यमुना नगर, 37.करनाल, 38.हिसार, 39.सिरसा
9.	हिमाचल प्रदेश	40.हमीरपुर, 41. मंडी, 42. सिरमौर
10.	जम्मू एंव कश्मीर	43.लेह, 44.कुपवाड़ा, 45.पुँछ, 46.रामबन, 47.बड़गाम
11.	झारखंड	48.धनबाद, 49.दुमका, 50.गढ़वा, 51.गुमला, 52.रामगढ़, 53.रांची
12.	कर्नाटक	54.तुमकुर, 55.दावनगिरी, 56.चित्तरदुर्ग, 57.रायचुर, 58.बेलगाम, 59.उत्तर कन्नड़, 60.मांड्या, 61.चिकबल्लापुर
13.	केरल	62.अलापुज्झा, 63.कोटयम, 64.त्रिशूर, 65.पलक्कड़
14.	मध्य प्रदेश	66.अनुपपुर, 67.बालाघाट, 68.बरवानी, 69.छिंदवाड़ा, 70.देवास, 71.धार, 72.खांडवा, 73.रतलाम, 74.सागर, 75.सतना, 76.शाहडोल, 77.उज्जैन, 78.विदिशा
15.	महाराष्ट्र	79. बुलधाना, 80.जलगांव, 81.नांदेड़, 82.हिंगोली, 83.परभानी, 84.रायगढ़, 85.सतारा, 86.नागपुर
16.	मणिपुर	87.इंफाल पूर्वी, 88.सेनापति
17.	मेघालय	89.पश्चिमी गारो हिल्स, 90.पूर्वी खासी हिल्स
18.	मिजोरम	91.चेम्फई, 92.लुन्ग्लेई
19.	नागालैण्ड	93.दिमापुर, 94.तुन्सेंग, 95.जुन्हेबोतो
20.	ओडिशा	96.सुन्दरगढ़, 97.मयूरभंज, 98.कोरापुट, 99.अंगुल, 100.पुरी, 101.जाजपुर, 102.बारगढ़, 103.केन्द्रपारा
21.	पंजाब	104.तरणतारण, 105.लुधियाना, 106.रुपनगर, 107.कपूरथला, 108.फतेहगढ़ साहिब
22.	राजस्थान	109.बांसवाड़ा, 110.भिलवाड़ा, 111.चुरू, 112.श्रीगंगानगर, 113.जलौर, 114.करौली, 115.सीकर, 116.उदयपुर

24.	तमिलनाडु	117.तंजावुर, 118.कृष्णागिरि, 119.तिरूवन्नामलई, 120.मदुरई, 121.कोयम्बुटर, 122.तिरूनेवेली, 123.तिरूवुरर
25.	त्रिपुरा	124.दक्षिण त्रिपुरा, 125.पश्चिम त्रिपुरा
26.	उत्तराखण्ड	126.अलमोड़ा, 127.देहरादून, 128.पौड़ी, 129.उधम सिहं नगर
27.	उत्तर प्रदेश	130.आजमगढ़, 131.गोरखपुर, 132.हरदोई, 133.सीतापुर, 134.प्रतापगढ़, 135.देवरिया, 136.लखीमपुर खीरी, 137.कुशीनगर, 138.मिर्जापुर, 139.बिजनौर, 140.जलौन, 141.कौशाम्बी, 142.वाराणसी, 143.औरेया, 144.पिलिभित
28.	पश्चिम बंगाल	145.जलपाइगुड़ी, 146.पूर्बे मेदिनीपुर, 147.बर्द्धमान, 148.मुर्शिदाबाद, 149.उत्तर दिनाजपुर

अनुलग्नक -2.1
प.का.यो. के अनुमोदन/तैयारी में कमियां
(पैराग्राफ 2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	ग्रा.प. योजना जिला परियोजना कार्यान्वयन योजना (पं.का.यो.) में प्रत्यक्ष रूप से संगठित थी, जबकि ब्लॉक स्तर पर चार जिलों में गैर-संगठित थी। पश्चिम श्यांग जिले की प.का.यो. 2009-10 में संशोधित की गई थी तथा पश्चिम कामेंग, चांगलांग एंव पूर्व शियांग जिलो की प.का.यो 2012-13 में संशोधित की गई थी, जो मार्च 2014 तक रा.यो.म.स. एवं रा.यो.मं.स. से अनुमोदित नहीं थी।
2.	असम	मार्च 2014 तक राज्य स्तर पर प.का.यो. तैयार नहीं थी। जिला स्तर पर प.का.यो. तैयार थी, जिसे संशोधित करते समय ग्रा.पं. तथा ब्लॉक स्तर पर प.का.यो तैयार नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए जिलों की प.का.यो. सभी घटकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी, जिससे निर्धारित समय में प्रत्येक ग्रा.पं. द्वारा निर्मल स्थान प्राप्त किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या की आवधिक बढ़त के संदर्भ में प.का.यो. के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों की आवधिक तौर पर समीक्षा नहीं की गई थी, जिसके कारण पिछले वर्ष के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई, परंतु यह निश्चय नहीं हो पाया कि 2022 तक 'निर्मल भारत' के उदेश्यों कि प्राप्ति के लिए प.का.यो. के लिए निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त थे।
3.	गुजरात	वर्ष 2012 में आधार रेखा सर्वे किया गया था, तथा इसके पश्चात आ.रे.स. के आधार पर जिलों द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किए तथा इन्हे रा.स्वा.बा. को अग्रेषित किया, परंतु इन परियोजना प्रस्तावों को अभी तक अनुमोदित नहीं कराया गया था।
4.	झारखण्ड	नमूना जांचित जिलो की प.का.यो. को बिना ग्रा.पं. योजना अथवा ब्लॉक प.का.यो. को संग्रहित किए 2013-14 में जिला स्तर पर संशोधित किया गया था। प.मा.इ. को प्रस्तुत करने से पूर्व संशोधित प.का.यो. को नमूना जांचित जिलों में सशोधित प.का.यो. हेतु वांछित डी.डब्ल्यू.एस.ए. का अनुमोदन जि.ज.स्व.स. द्वारा नहीं प्राप्त किया गया था। रा.यो.मं.स. ने इन प.का.यो को अनुमोदित किया (जुलाई 2014) तथा भारत सरकार को प्रस्तुत किया। संशोधित प.का.यो. की भारत सरकार से संस्वीकृति अभी तक अपेक्षित थी।
5.	कर्नाटक	2009-14 के दौरान पाँच जिलों (चिकबल्लापुर, चित्रदुर्गा, देवनागरी, तुमकुर एवं मान्ड्रया) की प.का.यो. को केवल एक बार संशोधित किया गया था तथा उत्तर कन्नड जिले की प.का.यो

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
		दो बार संशोधित की थी। 2009-14 के दौरान बेलगाम की प.का.यो. संशोधित नहीं की थी। जिला परिषद, रायचूर ने योजना के लिए प.का.यो. की तैयारी/संशोधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।
6.	मणिपुर	यद्यपि 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के निधिकरण के मानदंड बदल दिए गए थे, फिर भी चने हुए जिलों ने प.का.यो. को संशोधित नही किया था। ऐसा 2013-14 में चुने गए जिलों द्वारा तैयार ड्राफ्ट प.का.यो. में सूचित किया गया था कि ग.रे.उ./ग.रे.नी. घरों की संख्या प.का.यो. के अनुसार तथा राज्य सूची से मेल[1] नहीं खाती है, जो यह दर्शाती है कि प.का.यो. के तैयार करने में निचले स्तर पर निविष्टियों को शामिल नहीं किया गया था।
7.	ओडिशा	मार्च 2014 तक न ही ओ.रा.ज.स्व.मि. और न ही जि.ज.स्व.मि. द्वारा जिला-वार संशोधित प.का.यो. को तैयार किया गया था।
8.	पंजाब	वर्ष 2012-17 के लिए ₹1826.49 करोड़ की संशोधित प.का.यो मंत्रालय को प्रस्तुत (अगस्त 2013) की गई थी, परंतु मार्च 2014 तक मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित था। परंतु मार्च 2014 तक मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित था। आगे प.का.यो. ग्राम पंचायतों की निर्मल स्थिति की स्थिरता का मुद्दा शामिल नही था तथा वास्तविक धन उपलब्धता के अनुसार वर्ष के मध्य में कोई भौतिक लक्ष्य को संशोधित नहीं किया गया था।
9.	तमिलनाडु	अगस्त 2010 में अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना का सर्वे वर्ष 2009 (जनगणना 2001) से पूर्व आधार रेखा पर आधारित था। इसके पश्चात किसी घटक की अनुमोदित इकाई लागत में परिवर्तन होने अथवा किसी अन्य कारण से प.का.यो. में कोई संशोधन नहीं हुआ था। 2012 में सशोधित प.का.यो. जनगणना 2011 पर आधारित थी तथा इसे ग्रामीण विकास आयुक्तालय (ग्रा.वि.अ.) (2013) में प्रस्तुत किया गया था, जो अभी तक राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति से अनुमोदित नहीं हुई थी।
10.	त्रिपुरा	आधार रेखा सर्वे के आधार पर राज्य ने सभी लक्ष्यों को वास्तविक रूप से संशोधित किया तथा भारत सरकार को संशोधित परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) प्रस्तुत की। यद्यपि ये संशोधित लक्ष्य भारत सरकार द्वारा अभी संस्वीकृत/अनुमोदित होने थे (अगस्त 2014)।

[1] राज्य सूची के समक्ष प.का.यो. में दर्शाए गए ग.रे.उ. घरों की संख्या 80,947 अधिक थी, जबकि प.का.यो. के समक्ष राज्य सूची 55,174 अधिक थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
11.	उत्तराखण्ड	नमूना जांच किए गए जिलो में आधार रेखा सर्वे (2013) से प्राप्त डाटा को संग्रहण के समय डी.पी.एम.यू. स्तर पर परिवर्तित कर दिया था तथा उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
12.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान एवं मुर्शिदाबाद जि.प.: वित्तीय मानको में परिवर्तन के अनुसार संशोधन करने का पालन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने भी गैर-संशोधन के तथ्यों की पुष्टि की है। जि.पं. ने योजना का कार्यान्वयन नहीं किया। प.का.यों. में सम्मिलित करने के लिए पंचायत समिति ने कोई योजना नहीं बनाई थी। अत: पंचायत समिति की योजना जिला प.का.यो. में समाहित नहीं हो पायी थी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुबंध-2.2

ब्लॉक योजना और आगे जिला योजना में ग्रा.प. योजना का गैर समेकन

(पैराग्राफ 2.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	नमूना जाँच जिलें	जिलों में ब्लॉकों की कुल संख्या	ब्लॉकों की संख्या जिनकी योजना का वा.का.यो. में समेकन नहीं हुआ	ब्लॉकों में ग्रा.प. की संख्या	ग्रा.प. की संख्या जिनकी योजना का वा.का.यो. में समेकन नहीं हुआ
1	असम	5	52	52	582	582
2	बिहार	10	163	163	2,586	2,586
3	छत्तीसगढ़	4	52	52	3,290	3,290
4	हिमाचल प्रदेश	3	22	22	930	930
5	जम्मू & कश्मीर	3	29	29	732	732
6	झारखंड	6	64	64	1,255	1,255
7	कर्नाटक	8	61	61	1,976	1,976
8	केरल	4	51	51	325	325
9	पंजाब	5	35	35	3,012	3,012
10	राजस्थान	6	50	50	1,971	1,971
11	उत्तराखंड	4	39	39	3,066	3,066
12	उत्तर प्रदेश	15	42	42	289	289
	कुल:	**73**	**660**	**660**	**20014**	**20014**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ो को संकलित किया गया]

अनुबंध-2.3
योजना: अन्य कमियाँ
(पैराग्राफ 2.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
1.	आन्ध्र प्रदेश	वा.का.यो. में निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय अर्थात 2022 तक निर्मल स्तर का प्राप्त करने को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। छः नमूना जाँच किए गए जिलों मे से तीन[2] में वा.का.यो. में निर्धारित विभिन्न घटकों के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध निधियों के अनुपात में नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन तीनों जिलों ने निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्षों के मध्य में भौतिक लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। राज्य की वा.का.यों 2009-14 की अवधि में मंत्रालय को अग्रेषित कर दी थी, तथापि, यो.स्वी.स. को अनुशंसाएं इन वा.का.यो. पर नहीं की गई थी।
2.	असम	यद्यपि वा.का.यो. ने पिछले वर्ष में प्रगति[3] की, परंतु उपलब्धियों में भारी कमी के कारण दर्ज नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वा.का.यो. में त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित थे मासिक लक्ष्य नहीं।
3.	बिहार	नौ नमूना जांच किए गए जिलो[4] में, वा.का.यो. 2011-14 में सफलता संदेश, उत्तम प्रथायें, नव विचारों तथा उपयोग की जाने वाली नई तकनीकियों को शामिल नहीं किया गया था
4.	गुजरात	चार नमूना जांच किए गए जिलों में से खेड़ा एवं वलसाड़ जिलों ने वर्ष 2010-11 की वा.का.यो. तैयार नहीं की थी। 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य में परिपूर्ण दृष्टिकोण हेतु किसी ग्रा.पं. का चयन नहीं किया गया था।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य द्वारा पूर्व वर्ष नि.भा.अ. के उदेश्यों को प्राप्त करने मे वा.का.यों के उद्देश्यों की प्रगति में कमी का कारण एवं टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई थी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि में वा.का.यो. में न मासिक तथा त्रैमासिक लक्ष्य रखे गए थे और न ही वास्तविक निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष के मध्य में लक्ष्य संशोधित किए गए थे। कोई भी प्रगति संदेश, उत्तम प्रथाएं, नव विचारों एवं नई तकनीकियों के उपयोग के संबंध में अपलेखन दर्ज नहीं थे।
6.	झारखण्ड	जांच किए गए जिलों ने मध्य में वास्तविक उपलब्धि अथवा उनके पास अव्ययित निधि की उपलब्धता के आधार पर वा.का.यो. संशोधित नहीं की थी। इस प्रकार, वा.का.यो. को एक ग्रा.पं. के लिए परिकल्पित निर्मल स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किया गया था तथा इस प्रकार वर्ष 2011-14 के दौरान नमूना जाँचित जिले का कोई गाँव निर्मल स्तर के नही प्राप्त कर सका था।

[2] आदिलाबाद, चित्तर एवं विशाखापटनम

[3] व्य.घ.शौ. ग.रे.नी. की प्रगति 5,03,109 के लक्ष्य के विरूध्ध 1,53,867 अर्थात 2012-13 में 30.58 प्रतिशत

[4] वर्ष 2012-13 की वा.का.यो. कायमूर जिला द्वारा प्रदान नहीं की गई।

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
7.	कर्नाटक	आठ जिलों की 129 जांच की गई किसी भी ग्रा.पं. ने 2010-11 से 2013-14 के चार वर्षों में वांछित वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की। 2010-11 से 2013-14 में तालुका स्तर पर भी कोई वा.का.यो तैयार नहीं की गई थी। वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में ग्रा.पं. जिन्हे निर्मल बनाया जा सके की पहचान करने की बजाय स्थिर रूप से संभी ग्रा.पं. मे पू.स्व.अ./नि.भा.अ. क्रियान्वित की गई, बिना स्वच्छता स्तर को ध्यान में रखते हुए।
8.	मध्य प्रदेश	वा.क.यो. को सामुदायिक परिपूर्णता दृष्टिकोण जो समग्र स्वच्छता एवं जल आवृत्ति को सम्मिलित करते हुए तैयार नहीं की गई थी, जिसके आधार पर ग्रा.पं. की पहचान की जानी थी, जिससे वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में उन्हे निर्मल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि नौ[5] नमूना जाँचित जिलों मे, वा.का.यो. मे जो भौतिक लक्ष्य स्थापित किए गए थे वे निधि की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार वर्ष के मध्य में संशोधित नही किए गए थे इसलिए योजना के क्रियान्यवन मे कमियों को पहचाना जाए एवं सुधारात्मक उपाय किए जाए।
9.	मणिपुर	नमूना जिलो का जि.ज.स्व. नि. द्वारा जिला कार्यान्वय योजना (जि.क.यो.) तैयार नहीं की थी। इस प्रकार राज्य द्वारा वा.का.यो बिना जिलों से निविष्टियां प्राप्त किए तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य ने वा.का.यो भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्यो के आवंटन को जिला/ब्लॉक/ग्रा.प.-वार नहीं दर्शाया था इस प्राकर ऐसे विशेष आवंटन के अभाव में योजना के कार्यान्वयन में गड़ीबड़ी तथा निधि का निर्गम बहुत अधिक था। राज्य के वार्षिक कार्यान्वयन योजना का गहन अध्ययन दिखाता है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 2009-10 के वित्तीय लक्ष्य में ₹ 11.94 करोड़ निधि की कमी थी, जबकि 2012-13 में ₹ 14.05 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य से अधिक निधि उपलब्ध थी।
10.	नागालैण्ड	ज.स्व.स.स ने गाँवों की आवश्यकता को बिना आंके अथवा जि.ज.स्व.मि. को शामिल किए बिना ही जिला-वार वा.का.प. तैयार की थी।
11.	ओडिशा	वर्ष 2009-12 की वा.का.प. को बिना जिला वा.का.यो. प्राप्त किए तैयार किया गया था। वर्ष 2012-14 की वा.का.प. को जिलों की वा.का.यो. को सम्मिलित किए बिना बनाया गया था। 2012-13 के लिए सात[6] जिलों तथा 2013-14 के लिए 21 जिलों की वा.का.प. ओ.रा.ज.स्व.मि. से प्राप्त नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि राज्य के वा.का.प. में इन जिलों के काल्पनिक आंकड़ो को शामिल किया गया था। जांच किए गए जिलों में 2009-14 के लिए वा.का.प. को बिना ब्लॉक वा.का.प. को प्राप्त करके तैयार किया गया था, जिसे ब्लॉको/ग्रा.पं. द्वारा तैयार नहीं किया गया था, जो चयनित जिलों की ग्रा.प. तथा नमूना ब्लॉकों की जांच में संज्ञान में आया। 2013-14 के लिए जिलों के लिए लक्ष्य विभागीय स्तर पर निर्धारित किए गए थे तथा उन्हे जिलों को

[5] अनुपपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, खांडवा, रतलाम, सागर, शध्डोल एवं उज्जैन

[6] कोरापुर, गंजम, बौध, भद्रक, केन्द्रपारा एवं बारगढ़ जिले

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
		भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ना ही ग्रा.प. का निर्मल अवस्था की स्थिरता का मुद्दा और ना ही पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंर्तगत सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव की नीति को राज्य/जिलों की वा.का.प. में सम्मिलित किया गया था।
12.	पंजाब	वा.का.प. में ग्राम पंचायतों का निर्मल अवस्था की स्थिरता के मुद्दे को शामिल नहीं किया तथा निधि की वास्तविक उपलब्लता के आधार पर वर्ष के मध्य में भौतिक लक्ष्य शंशोधित नहीं किए गए थे।
13.	तमिलनाडु	2010-11 एवं 2011-12 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन भोजना को राज्य स्तर पर स्वंय तैयार किया गया था तथा निचले स्तर को आवृत्त करने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। 2012-13 तथा 2013-14 की वार्षिक कार्यान्वयन योजना में जिला स्तर योजनाओं को समाहित किया गया था। कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्रीय स्तर कार्यालयों में विभिन्न घटकों के लिए वा.का.यो. के आधार पर प्रस्ताव/लक्ष्य का अनुसरण सख्ती से नहीं किया जा रहा था।
14.	त्रिपुरा	योजना प्रक्रिया में वा.का.प. को पंचायत एवं ब्लॉक के निचले स्तर के दृष्टिकोण के अनुपालन में तैयार नहीं किया गया था। वा.का.प. जिला स्तर पर तैयार की गई थी परंतु लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब्लॉक/ग्रा.पं.स्तर पर योजना बनाने के संबंध में रिकॉर्ड नहीं थे। वा.का.प. में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत कुल इकाई, संचयी निष्पादन तथा संबंधित वर्षों के लिए लक्ष्य एवं उन प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निधि की आवश्यकता शामिल थे। इसके अतिरिक्त वा.का.प. में दर्शाया गया निष्पादन डाटा ग्रा.पं./ब्लॉकों की वास्तविक निष्पादनता पर आधारित नहीं था, चूंकि ये इकाइयाँ नियमित आधार पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करती थी।
15.	उत्तर प्रदेश	समस्त जांच किए गए जिलों द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का वा.का.प. तैयार की, जिसमें वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों की आनुपातिक मात्रा (प.का.यो.का 1/10) नहीं थी तथा निर्मल भारत अभियान के विभिन्न घटकों में 2012-14 की अवधि में कमी शून्य से 100 प्रतिशत के बीच थी। प्रलेख एवं सफलता संदेश भी वा.का.प. में शामिल नहीं थे।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुच्छेद-2.4
(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)
(ग.रे.नी. के लाभार्थियों का चयन)

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रेदश	चयनित जिलों में ग.रे.नी के परिवार की आवृत्ति प्रतिशतता 12 से 57 प्रतिशत थी। विशाखापटनम में आधार रेखा सर्वे के अनुसार ग.रे.नी. के परिवार की सूची 25,005 थी, जबकि वेबसाइट पर अपलोड राज्य सूची के अनुसार 31,112 थी।
2.	छत्तीसगढ़	ग.रे.नी. के परिवार द्वारा न ही शौचालय का निर्माण किया गया और न ही उन्हे प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी थी। वास्तव में, शौचालयों का निर्माण ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा संस्वीकृत राशि के उपयोग से किया गया था।
3.	हिमाचल प्रदेश	तीन जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान ग.रे.नी. के परिवारों के लिए लक्षित 43,493 व्य.घ.शौ. के प्रति 43,057 (99 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण किया गया था तथा ₹ 10.05 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको जारी की गई थी। छ: जांच किए गए ब्लॉकों में ग.रे.नी के परिवारों के लिए 13994 व्य.घ.शौ. के निर्माण के प्रति 12685 (91 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण 2009-14 के दौरान किया गया था तथा ₹ 2.19 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको जारी की गई थी। सिरमौर जिलों के जांच किए गए 18 ग्रा.प. में से नाहन तथा पोन्टा साहिब में 205 ग.रे.नी. के परिवारों को ₹0.15 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित नहीं की गई थी। संबंधित पंचायत सचिवों ने कहा (जून-जुलाई 2014) कि लाभार्थी व्य.घ.शौ. का निर्माण करने में रूचि नहीं ले रहे थे क्यों कि उनकों प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि व्य.घ.शौ के निर्माण लागत के एवज में काफी कम थी।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	ग.रे.नी. के परिवारों की ग्रा.पं. द्वारा पहचान नहीं की गई थी, क्यों कि विभाग द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान कोई प्रारंभिक सर्वे नहीं किया था। मार्च2014 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान ग.रे.नी. की श्रेणी के लाभार्थियों में लक्ष्य की प्राप्ति में 48 प्रतिशत तक की कमी थी।
5.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग एवं देवनगरी जि.प. के आठ जांच किए गए ग्रा.प. में ₹37,200 का प्रोत्साहन 11 परिवारों को दिया गया, जिनका ग.रे.नी. की स्थिति का दावा संदेहास्पद था, क्योंकि इनके दावों के संबंध में वांछित दस्तावेजी सबूत (राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र आदि) का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
6.	मेघालय	दो चयनित जिलों (पूर्वी खासी हिल्स एवं पश्चिमी गैरो हिल्स) में योजना के उद्देश्य से समस्त ग.रे.नी. के परिवारों के पहचान एवं सूची नहीं बनाई गई थी।
7.	मिजोरम	31 मार्च 2014 को ग.रे.नी. के परिवारों की श्रेणी के लिए व्य.घ.शौ. के निर्माण में कमी 15 प्रतिशत तक थी।
8.	नागालैण्ड	जांच किए गए सभी तीनों जिलों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य.घ.शौ.) के कार्यान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. द्वारा योग्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान नहीं की थी। इसके बजाय डब्ल्यू.ए.टी.एस.ए.एन/ग्राम समिति द्वारा यादृच्छिक लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत की थी।
9	त्रिपुरा	जि.ज.स्व.स., पश्चिम त्रिपुरा ने ₹0.16 करोड़ की निधियां 2011-12 के दौरान 470

		ग.रे.नी. व्य.घ.शौ. ₹3426 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए जारी की। परंतु ब्लॉ.वि.अ. (खोवई ब्लॉक) ने केवल 161 परिवारों के प्रोत्साहन राशि @₹10,000 प्रदान की जो परिणामत: प्रत्येक परिवार को ₹6574 अदेय लाभ के रूप में ₹0.11 करोड़ अधिक थी। इसलिए, उसके स्वौच्छिक निर्णय से ब्लॉ.वि.अ. ने न केवल 161 ग.रे.नी. के परिवारों के अदेय प्रोत्साहन राशि प्रदान की, बल्कि व्यक्तिग शौचालयों से 309 परिवारों का भी वंचित किया। इसके अतिरिक्त, ब्लॉ.वि.अ. ने जि.ज.स्व.स. को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसलिए वास्तविक 161 परिवारों के प्रति 470 की उपलब्धि की संख्या हेर फेर की संभावना को बल देती है।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुबंध-2.5
(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ मे)
(ग.रे.उ. के लाभार्थियों का चयन)

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम् एवं चित्तूर जिलों में क्रमश: केवल 21 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत ग.रे.उ. के परिवार आवृत थे। खामाम जि.ज.स्व.मि. ने इस संबंध में कोई डाटा प्रदान नहीं किया।
2.	बिहार	सितम्बर 2012 से जनवरी 2014 के दौरान ₹119.87[7] करोड़ 260506 ग.रे.उ. के परिवारों हेतु राज्य को प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जांच किए गए जिलों में जि.ज.स्व.स. के रिकॉर्ड की जांच में यह पाया कि जि.ज.स्व.स. ऐसे योग्य ग.रे.उ के परिवार हेतु व्य.घ.शौ. को आवृत करने के लिए कोई डाटा नहीं रख रहा था। ग.रे.उ. परिवारों का चयन जिले की ग.रे.नी.की सूची से किया जा रहा था, जो नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में निर्धारित ग.रे.उ के परिवारों को वर्गीकृत नहीं कर रहा था। इसलिए ₹119.83 करोड़ की पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित ग.रे.उ की श्रेणी के बिना किया जा रहा था, तथा लाभार्थियों में अयोग्य ग.रे.उ. परिवारों के शामिल होने को नकारा नहीं जा सकता।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	ग्रा.पं. द्वारा योग्य ग.रे.उ. के परिवारों के नहीं पहचाना चूंकि विभाग द्वारा 2009-14 की अवधि में प्रारंभिक सर्वे नहीं किया था। योजना के उद्देश्य के लिए लाभार्थियों की सूची का चयन पंचायत सचिवों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता था तथा यह संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नहीं थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि राज्य में अ.जा./अ.ज.जा/अन्य अल्प संख्यकों के लिए व्य.घ.शौ. के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधान/ विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सका कि भारत सरकार द्वारा समाज के पिछडे वर्गों के उपयोग के लिए व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु जारी ₹18.57 करोड़ (अ.जा. ₹9.79 करोड़, अ.ज.जा ₹8.78 करोड़) की राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य पर किया गया। मार्च 2014 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान ग.रे.उ. की श्रेणी के लाभार्थियों के लिए लक्षित उपलब्धियों में 80 प्रतिशत की कमी थी।
4.	झारखण्ड	2012-13 तक जि.ज.स्व.मि. हेतु लक्षित ग.रे.उ. के परिवारों की कोई सूची नहीं थी। नि.भा.अ. के बाद ग.रे.उ. के परिवारों के लिए 2012-13 में आधार रेखा सर्वे किया गया था तथा ग.रे.उ. के परिवारों की सूची ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा जि.ज.स्व.मि. को अग्रेषित की थी, परंतु ब्लॉक अथवा ग्रा.पं. वार सूची जि.ज.स्व.मि. द्वारा संकलित नहीं की गई थी।
5.	कर्नाटक	तीन जांच की गई ग्रा.पं. तथा जि.प. में चित्रदुर्ग एव देवनगरी में नि.भा.ऊ. के आंरभ से पूर्व ही ₹12,000/ का कुल प्रोत्साहन चार ग.रे.उ के लाभार्थियों को प्रदान किया गया था।
6.	मेघालय	दो चयनित जिलों (पूर्व खासी हिल्स तथा पश्चिमी गारों हिल्स) में योजना के उद्देश्य से ग.रे.उ. के परिवारों की पहचान नहीं की गई थी तथा सूची नहीं बनाई गई थी।

[7] भारत सरकार का अंश ₹.83.36 करोड़ तथा राज्य का अशं -₹36.47 करोड़

		समस्त गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) के परिवारों जो अ.जा./अ.ज.जा. छोटे तथा मझोले किसान, भूमिहीन मजदूर, विक्लांग तथा महिला मुखिया परिवार से संबंधित थे की पहचान करने के संबंध में कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया के आधार के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
7.	नागालैण्ड	जांच किए गए सभी तीन जिलों में, योग्य गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) के परिवारों की सूची की पहचान व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य.घ.शौ.) के कार्यान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. द्वारा नहीं की गई थी। इसके बजाय डब्ल्यू ए.टी.एस.ए.एन/ग्राम समिति द्वारा लाभार्थी सूची प्रस्तुत की गई थी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ा का संकलन किया गया]

अनुबंध-2.6
(पैराग्राफ-2.4.4.1 के संदर्भ में))
(परिपूर्णता हेतु ग्रा.प. का गैर चयन)

		2012-13		2013-14	
क्र.सं.	राज्य	खु.शौ.मु.करने के लिए लक्षित ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु. बने वास्तविक ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु.करने के लिए लक्षित ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु. बने वास्तविक ग्रा.पं. की सं.
1.	आंध्र प्रेदश (तेलंगाना सम्मिलित)	3,350	1,311	550	0
2.	अरूणांचल प्रदेश	161	124	123	0
3.	असम	93	42	111	0
4.	बिहार	634	55	599	0
5.	छत्तीसगढ़	498	210	560	17
6.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	24	0
8.	गुजरात	1,406	837	2,415	92
9.	हरियाणा	1,721	1,311	1,845	0
10.	हिमाचल प्रदेश	2,129	1,619	350	649
11.	जम्मू एवं कश्मीर	17	15	480	0
12.	झारखंड़	171	19	285	0
13.	कर्नाटक	748	484	521	4
14.	केरल	20	19	0	0
15.	मध्य प्रदेश	5,332	2,200	5,332	58
16.	महाराष्ट्र	5,149	2,906	3,695	65
17.	मणिपुर	149	7	100	0
18.	मेघालय	1,989	886	800	95
19.	मिजोरम	249	98	0	0
20.	नागालैंड़	142	127	142	0
21.	ओड़िशा	1,127	400	900	62
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	6,738	568	500	0
24.	राजस्थान	1,057	424	487	10
25.	सिक्किम	0	0	0	0
26.	तमिलनाड़ु	1,698	1,389	2,167	218

27.	त्रिपुरा	63	0	63	0
28.	उत्तराखंड़	3,350	1,870	3,350	3
29.	उत्तर प्रदेश	729	317	145	0
30.	पश्चिम बंगाल	221	108	621	1
	कुल	**38941**	**17346**	**26165**	**1274**

[स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-2.7.1

(पैराग्राफ-2.5.1 के संबंध में)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के बैठकों का विवरण

		2012-13		2013-14	
क्र. सं.	राज्य	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित
1.	असम	2	0	2	1
2.	बिहार	2	1	2	2
3.	छत्तीसगढ़	2	0	2	0
4.	गुजरात	2	0	2	0
5.	जम्मू & कश्मीर	2	1	2	1
6.	कर्नाटक	2	0	2	0
7.	मध्य प्रेदश	2	1	2	0
8.	महाराष्ट	2	1	2	0
9.	मेघालय	2	0	2	0
10.	ओड़िशा	2	0	2	1
11.	पंजाब	2	1	2	1
12.	राजस्थान	2	0	2	0
13.	त्रिपुरा	2	0	2	0
14.	उत्तराखंड	2	1	2	0
15.	उत्तर प्रदेश	2	0	2	0
	कुल:	**30**	**6**	**30**	**6**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों को संकलित किया गया]

अनुबंध-2.7.2

(पैराग्राफ-2.5.2 के संबंध में)

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैठकों का विवरण

			2012-13		2013-14	
Sl. No.	राज्य	जिलों की संख्या	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित
1.	असम	5	20	2	20	0
2.	गुजरात	4	16	8	16	7
3.	जम्मू कश्मीर	5	20	2	20	2
4.	झारखंड	6	24	2	24	1
5.	मध्य प्रदेश	13	52	20	52	9
6.	कर्नाटक	8	32	शून्य	32	शून्य
7.	महाराष्ट्र	1	4	2	4	2
8.	मेघालय	2	8	6	8	5
9.	नागालैण्ड	3	12	0	12	0
10.	पंजाब	5	20	शून्य	20	शून्य
11.	उत्तराखंड	4	16	5	16	3
12.	उत्तर प्रदेश	15	60	43	60	22
	कुल	**71**	**284**	**90**	**284**	**51**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन किया गया]

अनुबंध-2.8
(पैराग्राफ-2.5.3)
(ग्रा.ज.स्व.स. का गैर गठन)

	राज्य	परियोजना जिलों की संख्या	ब्लॉकों की सं. जहाँ पू.स्व.अ. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	ग्रामों की सं. जहाँ पू.स्व.अ. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	ग्रामों की सं. जहाँ ग्रा.ज.स्व.स. नहीं स्थापित किए गए हैं।
1.	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	22	1099	29705	5274
2.	अरूणांचल प्रदेश	16	100	5458	1
3.	असम	26	240	25660	190
4.	बिहार	38	534	38242	6288
5.	छत्तीसगढ़	27	146	19441	1968
6.	दा.एवं ना. हवेली	1	1	3	0
7.	गोवा	2	11	347	0
8.	गुजरात	25	223	17484	1294
9.	हरियाणा	21	119	6740	884
10.	हिमाचल प्रदेश	12	77	18369	128
11.	जम्मू एवं कश्मीर	21	144	5937	3093
12.	झारखंड	24	215	28498	13
13.	कर्नाटक	29	176	27479	608
14.	केरल	14	152	1777	2
15.	मध्य प्रदेश	50	313	51428	1457
16.	महाराष्ट्र	33	351	41174	1150
17.	मणिपुर	9	41	2299	1532
18.	मेघालय	7	39	6690	1829
19.	मिजोरम	8	26	700	41
20.	नागालैंड़	11	52	1165	100
21.	ओड़िशा	30	314	47119	602
22.	पुदुचेरी	1	10	22	0
23.	पंजाब	20	142	11805	8022
24.	राजस्थान	32	237	41178	1882
25.	सिक्किम	4	25	443	0
26.	तमिलनाडु	29	385	12539	1329
27.	त्रिपुरा	8	45	1061	144
28.	उत्तर प्रदेश	75	819	95817	5925
29.	उत्तराखंड	13	95	15373	4713
30.	पश्चिम बंगाल	19	341	40557	2545
	कुल:	**627**	**6472**	**594510**	**51014**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-2.9
(पैराग्राफ-2.5.5 के संबंध में)
प्रखंड संसाधन केन्द्र जो जिले में स्थापित नहीं किए गए।

क्र. सं.	राज्य का नाम	टेस्ट जाँच किए गए जिलों की सं.	जिलों की सं. जहाँ ब.अ.के. नहीं स्थापित किए गए हैं।	जिलें जहाँ ब.अ.के. नहीं स्थापित हैं।
1.	आंध्र प्रदेश	6	2	चित्रू और श्रीकाकुलम
2.	अरूणाचल प्रेदश	4	3	पश्चिमी कमांग, चांगलांग और पश्चिमी सियांग
3.	असम	5	5	नगॉव, उदालगिरी, तिनसुकिया, नालबाड़ी और ग्वालपाड़ा
4.	जम्मू-कश्मीर	5	5	लेह, कुपवाड़ा, पुँछ, रामबन तथा बडगांव
5.	कर्नाटक	8	8	तुमकुर, दावनगिरी, चित्रदुर्ग, रायचुर, बेलगाम, उत्तर कन्नड़, मंदिया तथा चिकबल्लापुर
6.	मणिपुर	2	2	इंफाल पूर्वी तथा सेनापति
7.	मेघालय	2	2	पश्चिमी गारो हिल्स तथा पूर्वी खासी हिल्स
8.	पंजाब	5	5	तरणतारण, लुधियाना, रुपनगर, कपूरथला तथा फतेहगढ साहिब
9.	तमिलनाडु	7	7	तंजाबुर, कृष्णागिरि, तिरूवन्नामलई, मदुरई, कोयम्बटू, तिरूनेवेली तथा तिरूवरूर
10.	उत्तराखंड	4	4	अलमोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा उधम सिहं नगर
11.	उत्तर प्रदेश	15	15	आजमगढ़, गोरखपुर, हरदोई, सीतापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, बिजनौर, जलौन, कौशाम्बी, वाराणसी, औरैया तथा पिलिभित
	कुल	**63**	**58**	

[स्रोत: नमूना प्रयोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध-3.1
(पैराग्राफ 3.1.1 के संदर्भ में)
उपलब्धियों में कमी
व्.घ.शौ. (ग.रे.नी./ग.रे.उ) के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	ग.रे.नी-व्.घ.शौ			ग.रे.उ.-व्.घ.शौ		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलबधि की प्रतिशतता
2009-10	113.52	58.69	51.70	115.26	65.38	56.73
2010-11	121.89	61.56	50.50	147.23	60.88	41.35
2011-12	83.78	47.35	56.51	90.14	40.64	45.09
2012-13	62.70	29.19	46.57	61.04	16.39	26.85
2013-14	44.43	25.53	57.47	56.09	24.26	43.25
कुल:	**426.32**	**222.32**	**52.54**	**469.76**	**207.55**	**44.18**

विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	3,02,601	1,44,480	47.75
2010-11	2,65,542	1,05,509	39.73
2011-12	1,23,413	1,22,471	99.24
2012-13	1,62,376	76,396	47.05
2013-14	73,610	37,822	51.38
कुल:	**9,27,542**	**4,86,678**	**52.47**

आंगनबाड़ी शौचालयों के निर्माण के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	1,45,112	66,227	49.02
2010-11	1,20,933	50,823	42.03
2011-12	50,887	28,409	55.83
2012-13	79,763	36,677	45.98
2013-14	61,983	22,318	36.01
कुल:	**4,58,678**	**2,04,454**	**45.57**

सा.स्वा.प. के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	12,949	2,230	17.22
2010-11	11,799	3,377	28.62
2011-12	7274	2,547	35.02
2012-13	5952	1,995	33.52
2013-14	4,502	1,530	33.98
कुल:	**42,476**	**11,679**	**27.50**

ठो.त.व्य.प्र. के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2009-10	उ.न.	3813	उ.न.
2010-11	उ.न.	9733	उ.न.
2011-12	उ.न.	2729	उ.न.
2012-13	उ.न.	1624	उ.न.
2013-14	उ.न.	1250	उ.न.
		19149	

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-3.2
(पैराग्राफ 3.2.1.1 के संदर्भ में)
मृत शौचालये

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रा.प.सं. द्वारा की गयी प्रविष्टि	कुल एच.एच.				एच.एच.की सं. शौचालय के शाथ			
			शौचालय के साथ	शौचालय के साथ की प्रतिशतता	शौचालय के बिना	शौचालय के बिना की प्रतिशतता	कार्यात्मक शौचालय	कार्यात्मक शौचालय की प्रतिशतता	मृत शौचालयें	मृत शौचालयों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5 =4/(4+6)*100	6	7 =6/(4+6)*100	8	9 =(8/4)*100	10	11 =(10/4)*100
1	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	69	24542	53.77	21104	46.23	23741	96.74	801	3.26
2	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	21620	3712718	30.86	8319104	69.14	3462547	93.26	250171	6.74
3	अरूणाचल प्रदेश	1761	72993	41.49	102931	58.51	51102	70.01	21891	29.99
4	असम	2691	2300990	40.66	3358772	59.34	1678323	72.94	622666	27.06
5	बिहार	8404	4581024	21.41	16816311	78.59	2826747	61.71	1754253	38.29
6	छत्तीसगढ़	9726	1752468	39.57	2676670	60.43	720708	41.13	1031760	58.87
7	गोवा	190	113168	60.72	73224	39.28	113168	100.00	0	0.00
8	गुजरात	13879	3708132	52.75	3321047	47.25	3142755	84.75	565377	15.25
9	हरियाणा	6081	2303961	75.10	763946	24.90	2284176	99.14	19785	0.86
10	हिमाचल प्रदेश	3243	1276405	86.04	207164	13.96	1217466	95.38	58939	4.62
11	जम्मू एवं कश्मीर	4126	412948	24.55	1268792	75.45	372149	90.12	40799	9.88
12	झारखंड	4436	1445672	28.03	3712585	71.97	486650	33.66	959022	66.34
13	कर्नाटक	5630	3015284	35.41	5499270	64.59	2887981	95.78	127303	4.22
14	केरल	977	4921674	94.68	276793	5.32	4731832	96.14	189842	3.86
15	मध्य प्रदेश	22975	3204566	26.17	9039497	73.83	2369422	73.94	835144	26.06
16	महाराष्ट्र	27885	6024352	48.04	6515718	51.96	5308359	88.12	715982	11.88
17	मणिपुर	2935	221232	51.28	210146	48.72	163465	73.89	57767	26.11
18	मेघालय	5564	214925	52.22	196685	47.78	194421	90.46	20504	9.54
19	मिजोरम	680	96513	75.92	30606	24.08	94046	97.44	2467	2.56

20	नागालैंण्ड	1110	130892	49.78	132047	50.22	127613	97.49	3278	2.50
21	ओड़िशा	6235	1038127	11.51	7981973	88.49	564064	54.33	474063	45.67
22	पुदुचेरी	98	45425	50.01	45403	49.99	45315	99.76	110	0.24
23	पंजाब	12826	2399641	75.17	792450	24.83	2373200	98.90	26441	1.10
24	राजस्थान	9176	3136072	27.26	8369638	72.74	2368356	75.52	767716	24.48
25	सिक्किम	176	47593	81.55	10768	18.45	47593	100.00	0	0.00
26	तमिलनाडु	12524	4272829	44.79	5267470	55.21	2970931	69.53	1301898	30.47
27	त्रिपुरा	1038	511174	62.60	305457	37.40	394417	77.16	116757	22.84
28	उत्तर प्रदेश	51893	10122500	35.24	18598344	64.76	6862812	67.80	3259070	32.20
29	उत्तराखंड़	7518	1041586	67.14	509830	32.86	931085	89.39	110501	10.61
30	पश्चिम बंगाल	3349	8389983	55.31	6777830	44.69	7235473	86.24	1154448	13.76
कुल :-		**248815**	**70539389**	**38.81**	**111201575**	**61.19**	**56049917**	**79.46**	**14488755**	**20.54**

[स्रोत: मंत्रालय का स.प्र.सू.प्र.]

अनुबंध-3.3
(पैराग्राफ 3.2.1.3 के संदर्भ में)
अस्वास्थ्यकर शौचालय

क्षेत्र नाम	शौचालय सुविधा का प्रकार: घरेलू खुले नाली में रात्री विष्ठा प्रवृत्त	शौचालय सुविधा का प्रकार: सेवा शौच-विष्ठा को मानव घरों द्वारा हटाया गया	शौचालय सुविधा का प्रकार: विष्ठा को जानवर घरों द्वारा सेवित किया गया।	कुल
आन्ध्र प्रदेश	25,523	3,246	26,338	55,107
अरूणाचल प्रदेश	1,635	959	9,440	12,034
असम	47,345	15,961	32,034	95,340
बिहार	28,899	9,765	29,779	68,443
छत्तीसगढ़	1,504	552	2,213	4,269
दादर एवं नागर हवेली	50	55	26	131
गुजरात	7,586	1,408	2,593	11,587
हरियाणा	6,252	658	2,591	9,501
हिमाचल प्रदेश	1,029	310	453	1792
जम्मू एवं कश्मीर	10,312	1,60,770	9,178	1,80,260
झारखंड	3,615	1,061	2,879	7,555
कर्नाटक	9,328	2,052	13,388	24,768
केरल	4,506	1,358	1,311	7,175
मध्य प्रदेश	10,896	2,947	7,770	21,613
महाराष्ट्र	20,875	4,291	12,528	37,694
मणिपुर	17,025	6,097	2,516	25,638
मेघालय	1,577	1,657	3,986	7,220
मिजोरम	77	107	547	731
नागालैण्ड	804	678	2,420	3,902
ओडिशा	17,691	18,949	17,426	54,066
पंजाब	11,563	2,625	6,870	21,058
राजस्थान	10,069	772	4,663	15,504
तमिलनाडु	15,920	10,245	12,605	38,770
त्रिपुरा	1,948	712	3,444	6,104
उत्तर प्रदेश	56,663	2,19,401	58,752	3,34,816
उत्तराखण्ड	1,870	3,451	2,094	7,415
पश्चिम बंगाल	56,105	1,15,928	48,960	2,20,993
कुल	3,70,667	5,86,015	3,16,804	12,73,486

[स्रोत: भारत 2011 का जनगणना 2011]

अनुबंध-3.4
(पैराग्राफ 3.2.2.1 का संदर्भ)
सा.स्वा.प. का गैर-रखरखाव

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणीयाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	जाँच किए गए जिलों में, ना ही समुदाय ने ना ही विभाग ने रखरखाव की जिम्मेदारी ली, रखरखाव पर किए गए व्यय का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। भौतिक सत्यापन के दौरान, शौचालयों को बंद, खराब रखरखाव अथवा स्टोर के रूप में उपयोग छोटा पाया गया। इसके अतिरिक्त स.प्र.सू.प्र. के डाटा के अनुसार, चांगलांग जिले में कोई भी समुदाय सा.स्वा.प. का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे सा.स्वा.प. पर किया गया पूर्ण व्यय व्यर्थ हुआ।
2.	बिहार	सभी जांच किए गए जिलों में सा.स्वा.प. में जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। इसके अतिरिक्त, चार[1] जांच किए गए जिलों में निर्माण किए गए सा.स्वा.प. के रखरखाव एवं मरम्मत से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। मुजफ्फरपुर जिले में, 53 में से केवल पांच सा.स्वा.प. कार्यशील थे।
3.	गुजरात	दो जांच किए जिलों अर्थात भरूच तथा खेड़ा में, 2005-09 के दौरान 141 निर्मित सा.स्वा.प. में से कोई भी मार्च 2014 तक क्रियाशील नहीं था। अमरेली एवं वलनाड जिलों में क्रमश 2006-09 के दौरान निर्माण किए गए 49 एवं 100 सा.स्वा.प. में से क्रमश: 17 एवं 71 सा.स्वा.प. गैर-क्रियाशील पाए गए।
4.	हिमाचल प्रदेश	ग्रा.प. नरचौक जो ब्लॉ.वि.अ., बाल्ह के अधीन था, क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान यह पाया कि ₹2.50 लाख की लागत पर निर्मित किए गए सा.स्वा.प. (सं.एवं.अ.: ₹1.00 लाख तथा अन्य योजनाएँ: ₹1.50 लाख) अनुपयोगी पड़े हुए थे ब्लॉ.वि.अ. ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि सा.एवं.प. के अनुरक्षण में त्रुटि के कारण ये वे जुलाई 2014 तक क्रियाशील नहीं हो सके।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	दो जिलों (रामबन, बडगाम) के तीन ब्लॉकों में ₹0.22 करोड़ की लागत पर सा.स्वा.प. का निर्माण किया गया जो गैर-प्रयोग में थे, जिससे उन पर किया पूर्ण व्यय व्यर्थ था। यह इंगित करने पर ब्लॉ.वि.अ. ने कहा कि सा.स्वा.प. के निर्माण के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वाली एजेन्सी का चयन होने के बाद इनका उपयोग किया जाएगा।
6.	झारखंड	जि.जल.स्व.मि., रांची निर्माण किए गए सा.स्वा.प. के क्रियाशील होने तथा रखरखाव की स्थिति के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, गढ़वा ब्लॉक के तीन स्कूलों का भौतिक सत्यापन यह दर्शाता है कि स्कूल द्वारा स्वंय सा.स्वा.प. का उपयोग स्कूल द्वारा भी नहीं किया जा रहा था।
7.	कर्नाटक	यद्यपि योजना में परिकल्पित था कि सा.स्वा.प. को क्रियाशील एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायित्व के लिए समूह/समिति का गठन किया जाए, परंतु ऐसा प्रयास ग्रा.पं. में नहीं किया गया था। किसी भी ग्रा.पं. द्वारा रखरखाव हेतु अन्य योजनाओं में से निधियों के उपयोग/अभिसरण हेतु प्रावधान नहीं किए थे। ग्रा.पं. द्वारा सा.स्वा.प. की स्वच्छता एवं रखरखाव हेतु कोई उपयोग प्रभार नहीं लिए थे।

[1] कैमूर, कटिहार, मुंगेर और नवादा

		बालोबल ग्रा.पं. के सा.स्वा.प. का निर्माण ₹1.75 लाख की लागत पर 2012-13 में निर्माण किया गया, जो घनी झाडियों से घिरा हुआ था तथा लोगों के लिए प्रवेश योग्य नहीं था। इसे फरवरी 2013 से बिना तैयार किए ही बीच में छोड़ दिया था, जिससे इस पर किया गया व्यय व्यर्थ हुआ।
8.	केरल	जांच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा अवधि में ₹3.38 करोड़ की लागत पर 130 सा.स्वा.प. का निर्माण किया गया था। जांच किए गए ग्रा.पं. में किसी भी सा.स्वा.प. में घटक जैसे नहाने का केबिन धुलाई स्थल, वॉशबेसिन आदि नहीं थे। अट्टापदी ब्लॉ.प. में निर्माण किए गए सात सा.स्वा.प. स्कूल प्रि-मेट्रिक हॉस्टल आदि स्थलों पर थे जो भारत सरकार के दिशानिर्देश के अंतर्गत आवृत नहीं थे। सभी संस्थानों में इनके उपयोग एवं समय की पाबंदी थी, जिससे इनके उपयोग हेतु जनता को सुगमता नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया कि कुछ सा.स्वा.स. क्षतिग्रस्त अथवा अनुचित अनुरक्षण था। थिरूविलवामाला ग्रा.प. (त्रिशूर जिला) ने मार्च 2010 में शमशान में दो सा.स्वा.प. ₹3.89 लाख के व्यय पर निर्माण किया। जनता को सा.स्वा.प. से लाभ नहीं हुआ क्योंकि पानी, वॉश बेसिन, ओररहेड टैंक तथा विद्युत की अनुपलब्धता के कारण बन्द पड़े थे। पाझयन्नूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) ने अक्टूबर 2010 में ₹3.89 लाख की लागत पर एक सा.स्वा.प. के निर्माण का कार्य पूरा किया था। यद्दपि, सा.स्वा.प. इसके पूर्ण होने के बाद से ही बन्द पड़ा था। अगस्त 2011 में ₹0.90 लाख की लागत पर पी.एच.सी. पुदुप्पारिसरम में मालमपुझा ब्लॉक पंचायत ने एक सा.स्वा.प. का निर्माण किया था। सा.स्वा.प. बिना उचित अनुरक्षण के कारण बुरी स्थिति में थी।
9.	मणिपुर	जि.ज.स्व.मि. के पास सा.स्वा.प. को क्रियाशील व अनुरक्षण के लिए समिति/वर्ग बनाने तथा उपयोग प्रभार वसूली संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
10.	नागलैण्ड	तीनों जांच किए गए जिलों में निर्माण किए गए सभी सा.स्वा.प. का वित्तपोषण पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह पाया गया कि निर्माण किए गए दो-सीट वाले सा.स्वा.प. (दीमापुर जिले के अंतर्गत निहोखू गॉव तथा मेद्जीफेमा शहर प्रत्येक में एक) अनुमोदित नक्शे के अनुसार नहीं थे। यह भी पाया गया कि इनमें पानी का प्रावधान नहीं किया गया था। मेद्जीफेमा शहर में सा.स्वा.प. में केवल दो शौचालय तथा निहोखू गॉव में सा.स्वा.प. में केवल एक सामान्य शौचालय तथा दो पेशाबघर थे।
11.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा एवं पौड़ी जिलों के नमूना ब्लॉकों में छः सा.स्वा.प[2]. में से तीन का मंदिर परिसर में, दो का संबंधित गाँवों में तथा एक का बाजार में निर्माण कराया गया था। सा.स्वा.प. के निर्माण के निर्णय में पाया कि घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए उन गॉवों में जगह की कमी, भूमिहीन परिवारों की संख्या आदि के संबंध में निर्धारण नहीं किया गया था। रियालकोट (अल्मोड़ा) में पाया कि सा.स्वा.प. बन्द है तथा ग्रा.प. के 15 परिवारों की जनसंख्या (बिना व्य.घ.शौ.) ने बताया कि सा.स्वा.प. गॉव से बहुत दूर है तथा इसका उपयोग तभी संभव था जब इसका निर्माण रहने वालों के स्थान पर किया होता।

[2] ग्रा.प. 1.सैंज 2.सरकार-की-आली 3.रियालकोट 4.नौला 5.अल्मोड़ा का तथा 6.पौरी के पौरी ब्लॉक का उफाल्दा

		सरकार-की-आली (अल्मोड़ा) के सा.स्वा.प. में दो शौचालय सीट के स्थान पर केवल एक सीट का निर्माण किया गया था, तथा पेशाबघर भी टूटा हुआ था। वहाँ पानी निकास नहीं था। शौचालय गंदा था, तथा बहुत समय से उपयोग में नहीं था। सैंज (अल्मोड़ा) के सा.स्वा.प. में पाया गया कि इसका कभी-कभार ही उपयोग होता था, परंतु बहुत गंदी स्थिति में था। पौड़ी जिले के उफाल्दा में सा.स्वा.प. बहुत गन्दी स्थिति में पाया गया तथा यह अन्दर-बाहर दोनों तरफ से गन्दा था। इसमे से गन्दी बदबू आ रही थी। नौला तथा लिंगुआंता (अल्मोड़ा) में निर्मित सा.स्वा.प. अच्छी स्थिति में था। यद्यपि, वहाँ पानी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
12.	उत्तर प्रदेश	सा.स्वा.प. के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया था।
13.	पश्चिम बंगाल	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सा.स्वा.प. की मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी। यद्यपि, जलपाइगुडी जि.प. में ₹.1.09 करोड़ राशि के शौचालय कॉम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव जिले के विभिन्न थानों एवं ग्रा.प. में किया गया था। परंतु भौतिक एवं वित्तीय तिष्पादन रिपोर्ट लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसलिए लेखापरीक्षा जि.प. के प्राधिकार के मुद्दों के संबंध में वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगा पाया। सा.स्वा.प. के निर्माण के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.म.स.) से अनुमोदित नहीं कराया गया था। माधवपुर की मोहम्मदपुर ग्रा.प. की बाजार समिति को में पूर्वी मेदिनीपुर जि.प. ने ₹1.80 लाख भुगतान एवं उपयोग करो शौचालय के निर्माण के लिए आंवटित किए। निर्माण की स्थिति को जांचने के लिए एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पाया कि शौचालय कॉम्पलैक्स अस्तित्व में नहीं था। बहुत सारे दुकानदार एवं ग्रा.प. के स्थानीय सदस्यों एवं ग्रा.प. के प्रधान वहाँ उपस्थित थे, और माना कि वहाँ कोई शौचालय कॉम्प्लैक्स का निर्माण नहीं हुआ था। पांच चयनित जिलों में यह पाया गया कि शौचालय सुविधा के अनुरक्षण हेतु समुदाय एवं परिवार के सदस्यों को शिक्षित नहीं किया गया था चयनित 82 पं.रा.सं. में से कोई भी सा.स्वा.प. के अनुरक्षण लागत हेतु उचित तंत्र जैसे उपयोग प्रभार तथा बाद के आवधिक उपयोग के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण सा.स्वा.प. बन्द थे। चयनित पांच जि.पं., 21 थानों एवं 56 ग्रा.पं. द्वारा सा.स्वा.प. की वर्तमान स्थिति एवं डाटा बेस अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित]

अनुबंध- 3.5
(पैराग्राफ 3.2.3.2 के संदर्भ में)
स्कूल शौचालय: अन्य अनियमितताएं

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	तीन जांच-परीक्षित जिलों में आवश्यकता के विरूद्ध महिलाओं के लिए अलग से शौचालयों का प्रावधान शून्य से 31 प्रतिशत[3] तक के बीच था। चित्तूर में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण का प्रतिशत शतप्रतिशत था, विशाखापटनम में यह बहुत निम्न था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	भौतिक जांच किए गए 26 स्कूल शौचालयों में से 23 बन्द थे, परिणामत: ₹4.60 लाख (@ ₹20,000 प्रति इकाई) का व्यर्थ व्यय हुआ।
3.	असम	स्कूल शौचालयों का निर्माण स्व.से.सं./गै.स.सं. द्वारा कराया गया था। तीन जांच-परीक्षित जिलों के रिकार्ड के दोहरे सत्यापन (जून-अगस्त 2014) में उजागर हुआ कि तिनसुकिया जिले में ₹1.31 लाख की लागत पर 10 स्कूल शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया था, जबकि पू.स्व.अ. के अंतर्गत इन्हे निर्मित दिखाया हुआ था।
4.	बिहार	स्कूल शौचालयों के निर्माण की उपलब्धि 94 प्रतिशत से ज्यादा थी। किसी भी जांच-परीक्षित जिले ने स्कूल शौचालय की आवश्यकता हेतु स्कूल में बच्चों की संख्या को आधार नहीं बनाया था तथा स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्यकर शिक्षा में पारंगत शिक्षक नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बच्चों के लिए शौचालय के प्रावधान को विशेष आवश्यकता के रूप में शामिल नहीं किया गया था। स्कूलों के पास स्कूल शौचालयों के अनुरक्षण हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप चार शौचालय गन्दे एवं गैर-अनुरक्षित थे।
5.	गुजरात	मार्च 2012 तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण के संबंध में सितम्बर 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा लेखापरीक्षित जिलों[4] में 2011-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान को 2,712 अतिरिक्त शौचालय इकाईयाँ निर्मित करने के लिए ₹8.32 करोड़ जारी करने के बावजूद केवल 1,505 शौचालय इकाईयाँ (55 प्रतिशत) मार्च 2014 तक पूर्ण हुई थी।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	चयनित जिलों में लड़कियों के लिए शौचालय निर्माण में कमी 40 प्रतिशत एवं 86 प्रतिशत के बीच थी, जिसके कारण मार्च 2014 तक लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के बिना 2196 सह-शिक्षा स्कूल वंचित थे।
7.	झारखण्ड	स्कूलों में एक इकाई[5] अथवा दो इकाई[6] शौचालयों का एकरूप निर्माण किया गया था, जिसमें वास्तविक आवश्यकता हेतु स्कूलों में भर्ती छात्रों की संख्या को शामिल नहीं किया गया था। छात्रों के लिए निर्माण किए गए शौचालयों/पेशाबघरों की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जांच-परीक्षित जि.ज.स्व.मि. के पास शौचालय के निर्माण के समय संबंधित स्कूल में छात्रों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था।
8.	कर्नाटक	संस्थानिक शौचालय के संदर्भ में पाया गया कि आवश्यकता से संबंधित मूल डाटा विश्वसनीय

[3] आदिलाबाद (31 प्रतिशत), चित्तूर (0 प्रतिशत), करीमनगर (100 प्रतिशत), श्रीकाकुलम (5 प्रतिशत) तथा विशाखापटनम (2 प्रतिशत), खम्माम (जानकारी नहीं प्रदान की गई)

[4] अमेरीली जिले के लिए लक्ष्य संशोधित नहीं किए गए थे।

[5] 2010-11 तक लड़के एवं लड़कियों के लिए साझा एक शौचालय तथा दो मूत्रालय शामिल थे।

[6] 2011-12 से लड़के एवं लड़कियों के लिये अलग से दो शौचालय तथा चार मूत्रालय शामिल थे।

		नहीं था। कुछ मामलों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण दर्शाता है कि निर्माण निम्न स्तर का था।
9.	केरल	चार जांच परीक्षित जिलों में से तीन में ₹1.21 करोड़ की लागत पर 323 विद्यालय शौचालयों का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा में आवृत्त अवधि में निधियों के आवंटन न होने के कारण अलप्पुझा जिले में किसी विद्यालय शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था। पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिले में पाया गया कि 209 सरकारी स्कूलों में 1455 शौचालयों की कमी थी।
10.	मध्य प्रेदश	जि.ज.स्व.मि. एवं जांच परीक्षित शाहदोल जिले की ग्रा.पं. के बरहर जि.पं. के स्कूल शौचालयों में 18 फोर्स लिफ्ट पम्प (फो.लि.प.) स्थापित की थी तथा पांच[7] ग्रा.प. के सोहागपुर तथा बियोहरि जि.प. में 25 फो.लि.प. स्थापित किये गए थे। जो गैर-क्रियाशील थे, जिसके कारण इन फो.लि.प. पर किया गया ₹2.91[8] लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। बियोहारी जि.पं. के पांच स्कूलों के भौतिक सत्यापन में यह पाया कि फो.लि.प. अस्तित्व में नहीं थी तथा स्कूल शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे।
11.	महाराष्ट्र	विद्यालय शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा अनुरक्षित एकल जिला सूचना प्रणाली में स्थित 66,444 सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकृत विद्यालयों के आंकड़े के विश्लेषण से उद्घटित (सितम्बर 2013) होता है कि 84 विद्यालयों में शौचालय नहीं थे तथा आठ जांच परीक्षित जिलों के 55 सरकारी विद्यालयों में शौचालय नहीं थे।
12.	मेघालय	जि.ज.स्व.मि. ने सह-शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान नहीं की थी (चयन की प्रतिशतता 2 से 4 प्रतिशत के बीच थी) तथा निष्पादन निकृष्ट था (2011-12 में 55 प्रतिशत को छोड़कर 0 से 15 प्रतिशत)।
13.	राजस्थान	सीकर, चुरू तथा श्रीगंगानगर जिलों में यह पाया गया कि 1605 विद्यालय शौचालय उपयोग में नहीं थे, क्योंकि ये जल आपूर्ति से जुडे नहीं थे।
14.	तमिलनाडु	तीन जिलों में 12 विद्यालयें बिना शौचालय के थे तथा दो जिलों में 156 विद्यालयें बिना पानी की सुविधा के थे।
15.	उत्तर प्रदेश	स्कूल में उपस्थित हो रहे छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शौचालय इकाइयों का निर्माण नहीं किया गया था। संबंधित विभागों से स्कूल शौचालयों के अनुरक्षण का आश्वासन प्राप्त नहीं किया गया था तथा ग्रा.प. द्वारा शौचालयों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
16.	उत्तराखण्ड	सह-शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय के निर्माण तथा स्कूल में उपस्थित हो रहे छात्रों की संख्या के विरूद्ध शौचालयों की आवश्यकता के संबंध में डी.पी.एम.यू. ने कोई निर्धारण/विश्लेषण नहीं किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा डी.पी.एम.यू. से बिना शौचालय के स्कूलों की सूची मांगी थी तथा उसी सूची के आधार पर शिक्षा विभाग को शौचालयों हेतु विद्यालय-वार निधि का अंतरण किया गया था।
17.	पश्चिम बंगाल	2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान शौचालयों के निर्माण हेतु हल्दिया थाने ने ठेकेदार लगाए थे तथा ₹0.15 करोड़ का व्यय किया था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

[7] ग्रा.प. चुनियां (ज.पं. सोहागपुर), ग्रा.पं. बनासी, कल्हारी, कुआ तथा समन (ज.पं. बियोहारी)

[8] जि.पं. बुरहर की ग्रा.पं. में ₹8000-₹1.44 लाख के 18 फो.लि.प. स्थापित किए तथा ₹1.47 लाख के फो.लि.प. ज.पं. सोहागपुर तथा बियोहारी ग्रा.प. में स्थापित किए थे।

अनुलग्न- 3.6
(पैराग्राफ 3.2.4.2 का संदर्भ)
आंगनवाड़ीशौचालय: अन्य अनियमितताएँ

राज्य	टिप्पणियॉ
ऑंध्र प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के पानी एवं स्वरूछता से संबंधित बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गई थीं, जो संचालन एवं अनुरक्षण की कमी के कारण बेकार हो गई थी। इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद, करीमनगर तथा खम्माम जिलों में सरकारी भवन में सभी आंगनवाड़ी में शि.अ.शौ. था, किन्तु आदिलाबाद में 2834 में से 1803 आंगनवाड़ियॉ केवल निजी भवन में थी जिनमें शि.अ.शौ. थे। चित्तूर में (अगस्त 2014 तक) सरकारी भवन में स्थित कुल 745 आंगनवाड़ियों में से 61 बिना शि.अ.शौ. के थी। श्रीकाकुलम में 374 आंगनवाड़ियों में से 210 बिना शि.अ.शौ. के थीं। विशाखापत्तन में 1086 आंगनवाड़ियों में से 562 में शि.अ.शौ. नहीं था।
अरूणाचल प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया।
असम	जॉच परीक्षित जिलों में 2833 आ.वा.के. में 2833 शि.अ.शौ. की आवश्यकता थी। यद्यपि मार्च 2014 तक कोई भी शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था। उदलगुड़ी, नलबाड़ी तथा गोलपाड़ा जिलों में निजी भवन में कार्यशील 412 आ.वां.के. बिना शि.अ.शौ. के पाए गए थे।
बिहार	निजी भवन में चल रही आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था।
गुजरात	चार जिलों के आठ जांच परीक्षित तालुकाओं में 1602 आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 462 शौचालयों (29 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे ये गैर क्रियाशील थे।
केरल	जांच परीक्षित जिलों में निर्माण किए 849 शौचालयों में से केवल 332 शौचालय शि.अ.शौ. थे। यह बतलाया गया था कि शि.अ.शौ. के निर्माण में बाधा शि.अ.शौ. के लिए प्रति इकाई कम लागत प्रदान करना था।
महाराष्ट्र	चयनित आठ जिलों में, 10568 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नहीं थे।
मणिपुर	यद्यपि सरकारी भवनों में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय बने हुए थे, परंतु ये शि.अ.शौ. को नहीं दर्शाते थे।
नागालैंड	तीन जॉच परीक्षित जिलों में निर्माण किए गए सभी आंगनवाड़ी शौचालय इकाई पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थे। 23 गॉवों की 26 आंगनवाड़ियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह उजागर हुआ कि 21 आंगनवाड़ियों में शौचालय थे, जिनमें से केवल 10 क्रियाशील शौचालय थे तथा शेष निष्क्रिय अथवा टूटे हुए थे। आंगनवाड़ी में सभी शौचालय "सामान्य शौचालय" थे तथा शि.अ.शौ. नहीं थे।

पंजाब	आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था।
राजस्थान	तीन ब्लॉकों (24-ब्लॉक रानीवाड़ा, जिला जालौर तथा 22-ब्लॉक घाटोल, 40-ब्लॉक बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा) में निजी भवनों में कार्यशील 86 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था।
तमिलनाडु	निजी भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्मित नहीं था।
उत्तराखंड	यू.एस.नगर एवं देहरादून में कोई आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि पौड़ी अल्मोड़ा में क्रमश: 23 और दो शौचालय का निर्माण किया गया था।
उत्तर प्रदेश	निजी भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्मित नहीं था।

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित]

अनुबंध - 3.7
(पैराग्राफ 3.2.5.1 के संदर्भ में)
ठो.त.व्य.प्र. गतिविधियों को प्रारंभ न करना

क्र. सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	पे.ज.स्व.म. द्वारा टिकाऊ, कम लागत की व्य.घ.शौ./सा.स्वा.प./संस्थानिक शौचालयों के निर्माण में लाभार्थियों की सहायता करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी, सामग्री, अभिकल्पना और पद्धतियों के विषय में विशेषज्ञता/सूचना प्राप्त करने के लिए किसी संगठन/संस्थान के संपर्क नहीं किया गया। तथापि, राज्य सरकार द्वारा व्य.घ.शौ./सा.स्वा.प./संस्थानिक शौचालयों के आरेख/अभिकल्पना को अधिसूचित किया गया। जि.ज.स्व.स., चांगलौंग द्वारा भी चार कक्षों वाले विद्यालयी शौचालयों (लड़कियों एवं बालकों प्रत्येक के लिए दो कक्ष) की आरेख/अभिकल्पना तैयार की गई परंतु केवल दो कमरों वाले विद्यालयी शौचालयों, कन्याओं व बालकों में से प्रत्येक के लिए एक का निर्माण किया गया। पश्चिमी सिमांग जिलें में कुछ मामलों में केवल एक कक्ष वाले विद्यालयी शौचालयों का निर्माण किया गया जिससे विद्यार्थी आवश्यक स्वच्छता/स्वास्थय सुविधाओं से वंचित रहे। निर्वाहक अभिकरणों द्वारा लाभार्थियों को निर्माण के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी।
2.	बिहार	बिहार राज्य जल व स्वच्छता मिशन के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के विभिन्न संघटकों के लिए निधियों के आवंटन का निर्धारण किए बिना जि.ज.स्व.स. को एकमुश्त निधियाँ निर्मुक्त की गयी तथा ठो.त.व्य.प्र. के विभिन्न संघटकों के तहत वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि मार्च 2014 तक राज्य के 8404 ग्रा.प. में से 154 में ही ठो.त.व्य.प्र. का कार्य किया गया।
3.	केरल	चार नमूना-परीक्षित जिलों में ठो.त.व्य.प्र. के लिए निर्धारित ₹5.26 करोड़ रूपयों में से ₹5.23 करोड़ रूपयों का उपयोग किया गया (मार्च 2014)। त्रिशूर जिले के कोडाकारा और कोराट्टी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए ठोस कूड़ा प्रशोधन सयंत्र रखरखाव के अभाव में कार्य नहीं कर रहे थे। ग्राम पंचायतों द्वारा इन्हें क्रियाशील बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका परिणाम सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े-करकट के क्षेपण में हुआ। और ग्राम पंचायतों सामान्य स्वच्छता बनाए रखने में असफल रहीं।
4.	महाराष्ट्र	207 चयनित ग्राम पंचायतों में से केवल 10 ग्राम पंचायतों में ही ठो.त.व्य.प्र. का कार्य पूर्ण किया गया। आठ नमूना-परीक्षित जिलों में, 2009-14 के दौरान 472 ग्राम पंचायतों में से जिन 353 ग्रा.प. को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया उनमें ठो.त.व्य.प्र. नहीं था।
5.	उत्तर प्रदेश	ठो.त.व्य.प्र. को परियोजना प्रणाली के रूप में प्रारम्भ किया गया था परंतु सभी ग्रा.प. में ऐसा नहीं किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में दीर्घकालिक ठो.त.व्य.प्र. परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता परिवारों की संख्या व घटती बढ़ती लागत सहभाजन प्रतिमान पर निर्धारित की गई थी। वानस्पतिक पिट, कृषि-खाद, सामूहिक/सार्वजनिक और निजी बायोगैस प्लांट, कम लागत की जल-निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स, बेकार जल का पुर्नप्रयोग व संग्रहण व्यवस्था, घरेलू कूड़े का पृथक्करण व निपटान जैसी गतिविधियों को ठो.त.व्य.प्र. के अंतर्गत नहीं लिया गया। ठो.त.व्य.प्र. की परियोजनाओं के विकास/जाँच/कार्यान्वयन के लिए वृत्तिक/अनुभवी अभिकरणों की सहायता नहीं ली गई। योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शौचालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्य.घ.शौ./सा.स्वा.स./संस्थागत शौचालयों के अभिकल्प और अनुमान का नमूना अभिकल्प अधिसूचित किया गया (नवम्बर 2005)। तथापि कम लागत की प्रौद्योगिकी और उत्पादों

		का मानकीकरण और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। शौचालयों के निर्माण में लाभार्थियों को सहायता करने के लिए एस.एस.एम./डी.एस.एम. द्वारा नवीन प्रौद्योगिकीयों, सामग्रियों, अभिकल्पों और पद्धतियों के विषय में सूचना व विशेषज्ञता हासिल करने के लिए संगठनों/संस्थाओं से संपर्क नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नमूना अभिकल्प के अनुसार निर्माण के लिए आवश्यक औजारों और सामग्रियों को सुनिश्चित नहीं किया। लागत में मितव्ययिता और निर्माण की गुणवत्तता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण में समन्वय के लिए समिति का निर्माण नहीं किया गया।
6.	उत्तराखंड़	देहरादून में ठो.त.व्य.प्र. गतिविधि नहीं की गई। दे.प.प्र.यू., अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि सारे निर्माण कार्य (केवल अल्मोड़ा जिले में ₹34,500 की राशि से ग्राम पंचायत, सारसू में एक कूड़ागर्त के निर्माण को छोड़कर) केवल निजी परिवारों के लिए गए जो दिशानिर्देशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त जैसा कि नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में उल्लेखित था राज्य की किसी भी ग्राम पंचायत में ठो.त.व्य.प्र. गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की गई।
7.	पश्चिम बंगाल	पूर्बा मेदिनीपुर जिला पंचायत में ठो.त.व्य.प्र. की 17 परियोजनाएँ प्रारम्भ की गईं और बताया गया कि केवल एक परियोजना पूरी की गयी है परंतु लेखापरीक्षा को सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। कॉन्टाई-I पी.एस.के. चयनित सबाजपूत ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि परियोजना अभी भी प्रगति पर है और विशेषज्ञता के अभाव में परियोजना की निगरानी नहीं की जा रही थी। बताया गया कि बर्द्धवान जिले में एक क्षे.प्र.व्य.प्र. परियोजना पूरी कर ली गयी थी परंतु उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद जिलों में कोई भी परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई। यह देखा गया कि ग्राम पंचायत का अधिकत्तर अपशिष्ट जल का निपटान जलाशयों, कृषियोग्य भूमि और सिंचाई के लिए निर्मित नहरों में किया जाता था और समुचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव में अपशिष्ट जल ट्यूबवेलों के आसपास एकत्र हो जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ घरों के सैप्टिक टैंक का अपशिष्ट जल का निपटान सीधे पोखरों/तालाबों या सड़कों में किया जाता था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलोखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध- 4.1
योजना पर व्यय
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12		
		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	
			राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*
1	आंध्र प्रदेश	254.68	64.71	25.41	342.64	101.89	29.74	354.35	114.95	32.44
2	अरूणाचल प्रदेश	19.32	6.90	35.72	15.35	6.78	44.16	14.22	6.43	45.23
3	असम	211.20	126.14	59.72	209.47	94.37	45.05	248.14	138.03	55.63
4	बिहार	253.53	126.10	49.74	311.63	178.91	57.41	380.98	242.06	63.54
5	छत्तीसगढ़	138.21	94.69	68.51	114.31	34.15	29.88	125.27	47.63	38.02
6	दा. एवं ना. हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	गोवा	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8	गुजरात	130.50	75.10	57.55	108.87	53.37	49.02	110.41	44.78	40.56
9	हरियाणा	43.91	16.32	37.17	55.73	19.08	34.23	46.21	22.87	49.49
10	हिमाचल प्रदेश	31.13	18.76	60.27	49.38	28.33	57.38	34.04	18.66	54.82
11	जम्मू व कश्मीर	31.87	20.86	65.45	45.58	16.64	36.51	43.33	30.44	70.25
12	झारखण्ड	210.70	76.41	36.26	193.73	53.59	27.66	226.15	33.14	14.65
13	कर्नाटक	122.37	64.95	53.08	123.82	78.62	63.49	154.87	68.13	43.99
14	केरल	30.95	18.75	60.59	46.29	11.68	25.23	38.52	14.17	36.78
15	मध्य प्रदेश	260.96	176.62	67.68	289.43	174.90	60.43	324.29	228.56	70.48
16	महाराष्ट्र	239.93	162.41	67.69	246.50	98.70	40.04	230.82	110.31	47.79
17	मणिपुर	18.73	5.13	27.39	18.00	11.51	63.94	19.41	9.80	50.49
18	मेघालय	22.68	11.56	50.97	54.67	23.13	42.31	47.83	39.57	82.73
19	मिजोरम	10.17	4.44	43.67	13.55	3.66	27.01	11.08	7.76	70.06
20	नागालैण्ड	12.94	9.72	75.13	17.29	6.14	35.52	13.34	14.16	106.15
21	ओडिशा	244.27	71.88	29.43	256.44	74.76	29.15	322.11	66.63	20.69
22	पुदुचेरी	0.31	0.05	15.95	0.26	0.03	11.39	0.23	0.00	0.00
23	पंजाब	17.24	4.44	25.75	26.32	5.49	20.86	24.06	1.46	6.07
24	राजस्थान	114.19	43.63	38.21	139.33	51.76	37.15	154.91	40.77	26.32
25	सिक्किम	4.76	4.68	98.31	1.21	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	151.73	76.65	50.52	183.95	74.40	40.44	223.41	150.07	67.17
27	त्रिपुरा	18.85	7.73	41.01	22.54	8.50	37.72	17.90	10.17	56.82
28	उत्तर प्रदेश	892.85	611.65	68.51	576.40	328.33	56.96	469.14	190.75	40.66
29	उत्तराखंड	22.62	13.36	59.06	29.83	15.91	53.33	30.41	20.10	66.10
30	पश्चिम बंगाल	185.21	109.34	59.04	181.89	105.53	58.02	285.92	153.49	53.68
	कुल जोड़	**3696.40**	**2022.96**	54.73	**3676.55**	**1660.17**	45.16	**3954.71**	**1824.90**	46.14

(व्यय केन्द्र एवं राज्य के अंश सहित)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.1 (क्रमवत)
योजना पर व्यय
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13			2013-14		
		कुल उपलब्ध निधियॉ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियॉ	व्यय	
			राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*
1	आंध्र प्रदेश	389.74	99.81	25.61	448.86	275.97	61.48
2	अरूणाचल प्रदेश	21.23	4.35	20.49	26.39	15.26	57.83
3	असम	237.80	106.38	44.74	189.69	74.69	39.37
4	बिहार	678.30	282.92	41.71	503.77	156.19	31.00
5	छत्तीसगढ़	146.39	23.13	15.80	125.06	43.28	34.61
6	दा. एवं ना. हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	गोवा	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8	गुजरात	121.56	48.62	40.00	144.22	68.47	47.48
9	हरियाणा	25.13	10.11	40.22	190.26	50.79	26.69
10	हिमाचल प्रदेश	37.29	22.17	59.45	57.72	30.45	52.75
11	जम्मू व कश्मीर	62.49	50.02	80.04	64.17	42.84	66.76
12	झारखण्ड	241.15	25.75	10.68	229.05	58.21	25.41
13	कर्नाटक	298.36	96.68	32.40	296.56	193.77	65.34
14	केरल	24.87	13.23	53.19	74.21	33.96	45.76
15	मध्य प्रदेश	427.95	240.71	56.25	962.08	401.29	41.71
16	महाराष्ट्र	274.05	90.45	33.00	285.59	156.87	54.93
17	मणिपुर	45.27	17.88	39.50	29.46	13.18	44.74
18	मेघालय	43.53	19.80	45.49	126.86	47.51	37.45
19	मिजोरम	9.25	2.82	30.50	17.23	5.12	29.72
20	नागालैण्ड	26.26	7.94	30.24	18.32	17.81	97.23
21	ओडिशा	276.30	44.12	15.97	235.48	24.56	10.43
22	पुदुचेरी	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
23	पंजाब	22.63	5.65	24.96	18.39	3.56	19.35
24	राजस्थान	269.19	106.43	39.54	188.89	88.52	46.86
25	सिक्किम	2.80	0.00	0.00	11.30	5.03	44.50
26	तमिलनाडु	240.78	122.37	50.82	508.84	285.08	56.02
27	त्रिपुरा	12.93	4.79	37.04	25.95	6.23	24.01
28	उत्तर प्रदेश	579.99	237.65	40.97	770.41	310.60	40.32
29	उत्तराखंड	45.62	19.11	41.89	36.40	24.11	66.24
30	पश्चिम बंगाल	498.72	258.78	51.89	437.39	254.84	58.26
	कुल जोड़	**5061.97**	**1961.71**	**38.75**	**6024.89**	**2688.19**	**44.62**

(व्यय केन्द्र एवं राज्य के अंश सहित)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध 4.2

वित्तीय प्रगति में कमी के लिए राज्य-वार कारण

(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	अभ्युक्ति
1	आंध्र प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए छ: जिलों में ₹ 425.76 करोड़ की प्राप्ति के प्रति ₹ 343.49 करोड़ का व्यय किया गया, जो कुल उपलब्ध निधि का 81 प्रतिशत था।
2	अरुणाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए चार जिलों में ₹ 22.21 करोड़ की प्राप्ति के प्रति ₹ 11.43 करोड़ का व्यय किया गया, जो कुल उपलब्ध निधि का 48.55 प्रतिशत था।
3	दा. एवं ना. हवेली	2009-14 के दौरान, निधियों की प्राप्ति और उनका उपयोग नहीं हुआ । वित्तीय वर्ष 2009-10 के आरम्भ में ₹ 1.24 लाख का प्रारंभिक शेष परियोजना लागू करने वाली इकाई के पास पड़ा था । विभाग ने बताया कि वर्ष 2002-03 के दौरान ₹3.13 लाख प्राप्त हुए थे, जिसमें से मार्च 2014 तक अंत शेष ₹ 1.24 लाख था । लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की राशि नगण्य होने के कारण कोई लाभार्थी योजना का लाभ उठाने नहीं आया; अत: उसके बाद कोई निधि नहीं मांगी गयी ।
4	हरियाणा	यहाँ ₹131.48 करोड़ का भारी अव्ययित शेष (मार्च 2014) था, जिसमें से जांचे गए जिलों में ₹37.78 करोड़ अव्ययित पड़े थे (करनाल: ₹8.76 करोड़, यमुना नगर: ₹10.25 करोड़, हिसार: ₹5.86 करोड़, फतेहाबाद: ₹4.55 करोड़, सिरसा: ₹8.36 करोड़) । ज़ि.ग्रा.वि.अ, करनाल ने बताया (जुलाई 2014) कि ठो.त.व्य.प्र. की 60 परियोजनाएं प्रक्रिया में थीं और अव्ययित निधि का उपयोग 2014-15 के दौरान होगा । ज़ि.ग्रा.वि.अ, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा ने बताया (अगस्त-सितम्बर 2014) कि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के बीतने के बाद ₹ 10.48 करोड़, ₹ 7.76 करोड़, व ₹ 9.65 करोड़ तक की निधियां प्राप्त हुई थीं जिनका लोकसभा चुनावों की घोषणा के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था । उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि योजना के कार्यान्वयन के लिए उचित आयोजन नहीं किया गया था ।
5	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए तीन जिलों (हमीरपुर, मंडी, सिरमौर) में ₹ 54.06 करोड़ की मौजूद निधियों में से ₹40.48 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे मार्च 2014 तक ₹ 13.57 करोड़ अव्ययित रहे । जांचे गए खण्डों में निधियों का उपयोग भी असंतोषजनक था जो 32 से 73 प्रतिशत तक था ।
6	जम्मू एवं कश्मीर	2009-14 की अवधि के दौरान, निधियों के उपयोग में 22 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की कमी रही थी । यह लघु-उपयोग निधियों को जारी करने या निधियों की अवधारण में विलम्ब के कारण हुआ था ।
7	झारखण्ड	2009-14 की अवधि के दौरान, रा.ज.स्व.मि. उपलब्ध ₹449.25 करोड़ की निधि में से केवल ₹262.65 करोड़ (58 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका । तथापि, अव्ययित शेष के लगातार संचय के कारण वर्ष वार निधियों का उपयोग बहुत कम था जो 10 से 32

		प्रतिशत के बीच था	उसी प्रकार 2009-14 की अवधि के दौरान जांचे गए जिले ₹ 153.33 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से केवल ₹76.82 करोड़ (50 प्रतिशत) का उपयोग कर सके	जांचे गए पांच जिलों (रामगढ़ को छोड़कर) में उपलब्ध निधियों का उपयोग 23 से 55 प्रतिशत के बीच था	लक्षित स्वच्छता हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण न होना, सू.शि.सं./माँ.सं.वि. क्रियाकलापों पर कम व्यय, शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु अपेक्षित हार्डवेयर की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए निचले स्तर पर ग्रा.स्व.बा./ उ.के की कमी तथा निगरानी का अभाव निधियों के लघु-उपयोग जैसा की जांचे गए जिलों में देखा गया था, के मुख्य कारण थे	

क्रम स॰	राज्य	अभियुक्ति
8	मणिपुर	अव्ययित रोकड़-शेष ₹4.88 करोड़ (2010-11) से ₹32.15 करोड़ (2012-13) था	एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, स.क्ष.वि.इ. निदेशक ने निधियों के धीमे उपयोग की बात मानी और बताया कि जिला अधिकारीयों को निधियों के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है	
9	मेघालय	2009-14 की अवधि के दौरान, रा.ज.स्व.मि के पास कुल ₹ 5.08 करोड़ से ₹ 78.55 करोड़ अव्ययित शेष पड़े थे (अथार्त 11 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच)| अव्ययित निधियों की उच्च प्रतिशतता निम्न कार्यान्वयन को दर्शाता है, जिससे योग्य लाभार्थी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के लाभ से वंचित रहे| पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम समय मिली थीं| इसके अतिरिक्त, ब्लॉक/जिला स्तर से लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने में बहुत समय लगता है| अव्ययित निधियों का उपयोग 2014-15 में किया जा रहा था, तथा संचित निधियां कम हुई थीं| उत्तर वा.क.यो. की दृष्टि से, जिसे खंड तथा जिला स्तर पर तथा अंतत: राज्य वा.क.यो. के रूप में समेकित करते हुए लक्ष्यों की स्थापना के लिए तैयार किया गया, तर्कसंगत नहीं था। लिहाजा, लाभार्थियों के चयन में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता|
10	ओडिशा	मंत्रालय ने 2009-12 के दौरान ₹ 230.41 करोड़ निर्गत किए जिसके विपरीत राज्य ने ₹91.10 करोड़ निर्गत किए| 2009-12 के दौरान उपलब्ध ₹ 484.77 करोड़ में से ₹184.63 करोड़ का काम हुआ तथा ₹ 300.14 करोड़ (62 प्रतिशत) अव्ययित रहे| मंत्रालय ने नगण्य व्यय के कारण 2012-14 के दौरान निधियां निर्गत नहीं की थीं|
11	राजस्थान	ज़ि.ज.स्व.स. ने 2009-14 के दौरान केवल 28.87 प्रतिशत का उपयोग किया जो 1.45 प्रतिशत (2011-12 के दौरान श्रीगंगानगर) से 86.26 प्रतिशत (2009-10 के दौरान भीलवाड़ा) के मध्य था	हालांकि यह देखा गया था कि जाँच किए आठ जिलों में ज़ि.ज.स्व.स. ने कार्यकारी अभिकरणों को निधियां जारी नहीं कीं, और ज़ि.ज.स्व.स. के बैंक अकाउंट में भारी कोष पड़ा था (मार्च 2010- ₹ 11.48 करोड़, मार्च 2011- ₹15.60 करोड़, मार्च 2012- ₹ 25.27 करोड़, मार्च 2013- ₹ 29.61करोड़, व मार्च 2014- ₹27.27

		करोड़)	ज़ि.ज.स्व.स. सीकर व चुरू ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून-जुलाई 2014) कि ब्लॉक/ग्राम पंचायतों द्वारा मांग में कमी होने से निधियां नहीं दी गयीं	
12	उत्तराखंड	2009-14 के दौरान चुने हुए जिलों में दी गयी निधियों के प्रति व्यय निधियों का प्रतिशत 31 से 68 प्रतिशत तक था	यह पाया गया कि अव्ययित शेष विभिन्न ज़ि.ज.स्व.मि. के पास पड़े थे	इसके बावजूद भी रा.ज.स्व.मि. कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को निधियां जारी करता रहा	एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि भौगोलिक इलाके और पहाड़ों पर पहुंचने की समस्या के कारण लक्ष्य के भौतिक सत्यापन की गति बहुत कम थी, इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को केवल सत्यापन के बाद जारी किया गया| यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं थे क्योंकि एग्जिट कांफ्रेंस में बताए तथ्यों पर विचार के बिना ही रा.ज.स्व.मि. ने ज़ि.ज.स्व.मि. को वा.क.यो. के आधार पर निधियां उपलब्ध कराना जारी रखा था|

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध 4.3
राज्य अंश की निर्मुक्ति
(4.4 पैराग्राफ के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	राज्य अंश के निर्मुक्त नहीं होने पर अभ्युक्तियॉ
1	आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. को निधियां जारी नहीं कीं ।
2	असम	राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान ₹ 68.27 करोड़ का अपना राज्यांश जारी नहीं किया ।
3	हरियाणा	2009-10 तथा 2012-13 के दौरान राज्य के अंश जारी नहीं हुए ।
4	कर्नाटक	राज्य सरकार ने 2009-10 के दौरान केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त के प्रति अपना राज्यांश जारी नहीं किया
5	केरल	राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
6	मेघालय	राज्य सरकार ने 2009-10 तथा 2013-14 के दौरान अपना राज्यांश (प्रथम किस्त) जारी नहीं किया ।
7	नागालैंड	राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
8	पंजाब	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
9	आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. को ₹100.23 करोड़ राज्यांश से केवल ₹24.61 करोड़ जारी किए ।
10	अरुणाचल प्रदेश	चुने हुए चार जिलों में, ग्रा.ज.स्व.स. को जिला क्रियान्वयन अभिकरण से योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई निधि जारी नहीं हुई ।
11	बिहार	2009-14 के दौरान ₹390.66 करोड़ के अपेक्षित राज्यांश के प्रति राज्य ने ₹349.17 करोड़ उपलब्ध कराए जिनमे ₹41.49 करोड़ कम थे । 2009-13 के दौरान निधियां उपलब्ध होते हुए भी जि.ज.स्व.स. द्वारा जांच किए जिलों में (कटिहार को छोड़) ग्राम पंचायतों को निधियां हस्तांतरित नहीं की गयीं ।
12	मणिपुर	राज्य के सभी नौ परियोजना जिले के लिए स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 112.74 करोड़ (केन्द्रीय: ₹ 79.09 करोड़; राज्य: ₹ 25.80 करोड़ तथा लाभार्थी अंश ₹ 7.86 करोड़) थी । स.क्ष.वि.इ. के निदेशक के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच ने दर्शाया कि केंद्र ने अपने अंश ₹69.46 करोड़ (₹ 79.09 करोड़ का 87.82%) जारी किए थे, तथापि, राज्य ने केवल ₹15.50 करोड़ जारी किए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.15 करोड़ कम जारी हुए ।
13	मिजोरम	2009-14 के दौरान जारी हुए राज्यांश में ₹ 1.43 करोड़ की कमी थी । राज्य द्वारा जारी कम अंश के कारण SLW&SM इस अवधि में विभिन्न परियोजनाओं के प्रति 3 से 100 प्रतिशत के बीच का अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका ।
14	नगालैंड	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।

15	ओडिशा	2011-12 के दौरान ₹ 33.58 करोड़ की कुल प्राप्य अंश के प्रति केवल ₹20 करोड़ जारी किए गए, परिणामस्वरूप ₹13.58 करोड़ की कमी हुई ।
16	पंजाब	लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान ज़ि.ज.स्व.मि. द्वारा चयनित परियोजना जिलों में ग्राम पंचायतों को कोई निधियां हस्तांतरित नहीं की गयीं । 2012-14 की अवधि के लिए, रा.ज.स्व.मि. द्वारा तैयार ₹ 89.72 करोड़ का वा.का.यो. अनुमोदन हेतु रा.यो.म.स. को भेजा गया लेकिन पिछली देय का उपयोग नहीं होने के कारण मंत्रालय द्वारा कोई निधियां जारी नहीं हुईं इसके परिणामस्वरूप योजना का निम्न कार्यान्वयन हुआ ।
17	तमिलनाडु	2013-14 के दौरान ₹ 181 करोड़ के देय राज्यांश के प्रति राज्य सरकार ने केवल ₹ 90.58 करोड़ जारी किए । योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों को निर्धारित समय के बाद तक, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किए बिना सात चयनित जिलों (तिरुवरुर, तंजौर, कोयम्बटूर, कृष्णगिरी, मदुरै, तिरुवन्नामलाई व तिरुनेलवेली) द्वारा अपने पास रोक कर रखा गया । इसके परिणामस्वरूप जिला अभिकरणों के पास प्रति वर्ष मार्च के अंत तक ₹ 31.62 करोड़ (मार्च 2012), ₹ 62.32 करोड़ (मार्च 2013), तथा ₹65.55 करोड़ (मार्च 2014) अव्ययित अनुदान पड़ा रहा ।
18	उत्तर प्रदेश	2009-14 के दौरान आठ जांच किए गए जिलों (आजमगढ़, बिजनोर, देवरी, हरदोई, जालौन, कुशीनगर, लखीमपुर, खेरी और सीतापुर) में राज्यांश ₹ 19.04 करोड़ कम था ।
19	पश्चिम बंगाल	2011-14 के राज्य स्तरीय वा.क.यो. की संवीक्षा से पता चला कि राज्य को जारी केन्द्रीय अंश हमेशा वा.क.यो. की मांग से भिन्न रहता था । वर्ष 2011-12 और 2013-14 में, केंद्र द्वारा क्रमश: ₹ 92.73 करोड़ तथा ₹ 805.47 करोड़ कम जारी किए गए थे जबकि 2012-13 में ₹ 152.88 वा.क.यो. की मांग से करोड़ अधिक जारी हुए थे ।

[स्रोत: **नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े**]

अनुबंध 4.4
निधियों के हस्तांतरण में विलम्ब
(4.5 पैराग्राफ के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	राज्य स्तर पर देरी पर अभ्युक्तियॉ	विलंब (दिवसों में)
1	अरुणाचल प्रदेश	रा.ज.स्व.मि ने जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां देने में 30 महीनों तक का विलम्ब किया ।	30–900
2	हरियाणा	2010-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी करने में 4 से 45 दिनों तक का विलम्ब था ।	4-45
3	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान ₹45.99 करोड़ की निधियां जारी करने में 6 से 20 दिनों तक का विलम्ब हुआ	6-20
4	झारखण्ड	2009-14 के दौरान राज्य सरकार ने अपना ₹130 करोड़ का राज्यांश प.मा.इ. को 235 से 302 दिनों के विलम्ब से जारी किया । देरी का जिम्मेदार प.मा.इ. था जिसमें जि.ज.स्व.मि. द्वारा प्रस्तुत उ.प्र.प. की समीक्षा में समय लगने, निधियों के हस्तांतरण के लिए विभिन्न स्तर पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी तथा वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली से मंजूरी में विलम्ब था । उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उ.प्र.प. की समीक्षा/धन के हस्तांतरण करने के लिए स्वीकृति 2 से 9 महीने का विलम्ब नहीं हो सकता था ।	235-302
5	कर्नाटक	2009-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि ने केन्द्रीय अंश जारी करने में 21 से 61 दिनों तक का विलम्ब किया । 2010-11 के दौरान, केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त जारी करने में 162 दिनों का विलम्ब हुआ । राज्य के राज्यांश की दूसरी किस्त ज.पं. बेलगरी को 612 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया ।	21-612
6	केरल	2009-14 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को राज्यांश जारी करने में 4 से 180 दिनों तक का विलम्ब नोट किया गया ।	4-180
7	मध्य प्रदेश	2009-14 के दौरान, जि.ज.स्व.मि. को राज्यांश जारी होने में 6 से 81 दिनों तक का विलम्ब हुआ । एस.पी.ओ., नि.भा.अ. ने बताया कि जि.ज.स्व.मि. को राज्यांश बजट उपलब्ध होने पर जारी किया गया । उत्तर के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि केन्द्रीय अनुदान मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे राज्य के राज्यांश के साथ जि.ज.स्व.मि. को जारी करना होता है ।	6-81
8	मणिपुर	2009-14 के दौरान, राज्य को केन्द्रीय अंश मिलने के बाद निदेशक स.क्ष.वि.इ. द्वारा जि.ज.स्व.मि. को जारी करने में 14 से 400 दिनों तक का विलम्ब हुआ ।	14-400

9	मेघालय	दो चुने हुए जिलों जैसे पूर्वी खासी पर्वत तथा पश्चिमी गारो पर्वत को राज्य के राज्यांश जारी होने में 70 से 269 दिनों तक का विलम्ब हुआ। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राज्य के अंश को राज्य सरकार से प्राप्त होने पर ही जारी कर दिया गया था।	70-269
10	मिजोरम	2010-12 के दौरान, एस.एल.डब्ल्यू एवं एस.एम. द्वारा ₹6.84 करोड़ के केन्द्रीय अंश को जि.ज.स्व.मि को देने में 9 से 393 दिनों का विलम्ब हुआ।	9-393
11	नागालैंड	केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा रा.ज.स्व.मि को राज्य का राज्यांश जारी होने में 6 से 14.5 महीनों तक का विलम्ब हुआ।	180-435
12	पंजाब	केन्द्रीय अंश जारी होने के बाद राज्य का राज्यांश समय पर जारी नहीं किया गया।	
13	राजस्थान	2011-13 के दौरान ₹60.85 करोड़ के राज्यांश जारी करने में 68 से 345 दिनों तक का विलम्ब हुआ। निदेशक स.क्ष.वि.इ. ने बताया (जुलाई 2014) कि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति में देरी के कारण राज्यांश जारी करने में विलम्ब हुआ।	68-345
14	तमिलनाडु	राज्य स्तर पर 3 से 150 दिनों का विलम्ब हुआ।	3-150
15	त्रिपुरा	रा.ज.स्व.मि. द्वारा जि.ज.स्व.स को निधियां जारी करने में 5 महीनों तक का अत्यंत विलम्ब हुआ। तथापि अभिलेखों में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थे।	150 दिनों तक
16	उत्तर प्रदेश	2012-14 के दौरान, राज्यों के राज्यांश जारी होने में 1 से 4 महीनों तक का विलम्ब हुआ। लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी जांचे गए जिलों में जारी किए केन्द्रीय अंश जिलों को 2 से 20 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किए गए।	30-120
17	उत्तराखंड	प.मा.इ. ने ज़िलों को राज्यांश जारी करने में 1 से 8 महीनों तक का विलम्ब किया।	30-240
18	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय अंश के भुगतान में 3 से 117 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा राज्य के सम्बन्ध में यह 52 से 195 दिनों तक का विलम्ब था। यह भी देखा गया कि संस्वीकृति आदेश जारी किए जाने की तिथि के 66 दिनों तक के विलम्ब से केन्द्रीय अंश प्राप्त हुआ था।	3-195
		रा.ज.स्व.मि. स्तर पर निधियां जारी करने में विलम्ब	
19	असम	एक को छोड़ कर रा.ज.स्व.मि स्तर पर मंत्रालय से प्राप्त निधियों को ज़िला स्तर पर जारी करने में 2 से 208 दिनों तक का विलम्ब हुआ।	2-208

20	बिहार	2009-13 के दौरान, बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रीय अंश को 6 से 55 दिन के विलम्ब से जि.ज.स्व.स. को जारी किया गया तथा 2009-12 के दौरान, राज्यांश को 68 से 184 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया।	6-184
21	गुजरात	ज़िला क्रियान्वयन अभिकरण को 6 से 86 दिनों के विलम्ब से अनुदान जारी हुए । विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ।	6-85
22	जम्मू एवं कश्मीर	निधियां जारी करने में 6 से 584 दिनों तक का विलम्ब हुआ।	6-584
23	झारखण्ड	प.मा.इ. ने जि.ज.स्व.मि. को निधियां जारी करने में 31 से 226 दिनों का विलम्ब किया ।	31-226
24	नागालैंड	रा.ज.स्व.मि ने ज़िला जल स्वच्छता मिशन को निधियां जारी करने में 22 दिनों से 8 महीनों तक का विलम्ब किया ।	22-240
		जिला स्तर पर निधियां जारी होने में विलम्ब	
25	असम	उदलगुरी जिले में जि.ज.स्व.स ने ग्रा.ज.स्व.स. को राज्यांश हस्तांतरित करने में 1 से 349 दिनों तक का विलम्ब किया ।	1-349
26	जम्मू एवं कश्मीर	चुने हुए जि.ज.स्व.मि. द्वारा चुनी हुई जिला पंचायतों को निधियां जारी करने में 1 से 153 दिनों तक का विलम्ब किया ।	1-153
27	झारखण्ड	चुने हुए जिलों के जि.ज.स्व.स ने प.मा.इ. से निधियां प्राप्त होने के बाद ग्रा.ज.स्व.स. को अग्रिम स्वीकृत करने में 4 से 6 माह का विलम्ब किया । निधियों के न्यून उपयोग तथा ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा आगामी मांग के साथ उ.प्र.प. का गैर प्रस्तुतिकरण, ग्रा.ज.स्व.स. को निधियां जारी करने में विलम्ब का कारण हो सकता था ।	120-180
28	ओडिशा	2009-14 के दौरान ग्रा.पं. को निधियां समय पर जारी नहीं की गयीं ।	-
29	कर्णाटक	ज़.पं. ने किस्तों के आधार पर निधियों को जारी करने हेतु दिशा-निर्देशों की शर्त का पालन नहीं किया ।	-
30	केरल	जिला स्वच्छता मिशन ने इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों जारी नहीं की । इसने तथापि ब्लॉ.प./ग्रा.पं. द्वारा मांग करने पर उन्हें निधियां जारी कीं।	-
31	तमिलनाडु	परियोजना जिलों में जिला स्तर से क्रियान्वयन कार्यालयों को निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि कार्य हेतु ब्लॉ./पंचायतों द्वारा मांग के आधार पर बहु-किश्तों में निधियां स्थानांतरित की गई थी ।	-

32	त्रिपुरा	यहाँ निधियों की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कितनी प्राप्त हुईं और कितनी जि.ज.स्व.स द्वारा वितरित हुआ	जारी करने में 7 से 273 दिनों का विलम्ब हुआ		7-273
33	उत्तराखंड	निधियों की प्राप्ति के पश्चात् 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर डी.पी.एम.यू. स्तर पर ग्रा.पं. को निधियां जारी नहीं की जा रही थीं	नमूना जांच वाले खण्ड (पौड़ी, अल्मोड़ा तथा उधमसिंह नगर) के चयनित 70 ग्रा.पं. को जारी किए गए निधियों के विवरण से यह पाया गया कि 2009-14 की अच्छादित अवधि हेतु जारी किए गए कुल 0.88 करोड़ में से केवल 6.91 लाख ही निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बंधित डी.पी.एम.यू. द्वारा जारी किए गए थे	ग्रा.पं. को समय से जारी की जाने वाली निधियां कुल निर्मुक्ति की मात्रा 7.8 प्रतिशत थी	एग्जिट कांफ्रेंस (नवम्बर 2014) के दौरान, सरकार ने बताया कि ऐसा निधियों को जारी करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण था		
34	उत्तर प्रदेश	नमूना जांच वाले जिलों ने 15 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर ग्रा.पं. को निधियां जारी नहीं कीं		
35	पश्चिम बंगाल	2010-14 के दौरान, वर्धमान जि.पं. ने 18 से 495 दिनों के विलम्ब से पं.स. को 8.64 करोड़ निर्गत किए	2009-14 के दौरान, पुरवा मेदिनीपुर जि.पं. ने 11 से 263 करोड़ की निधियां जारी की	जुलाई 2011 में रघुनाथगंज-II पं.स. के कार्यकारी अधिकारी ने अति प्रवृत्त ग्रसित चार क्षेत्र में व.घ.शौ. तथा स्कूल शौचालय के निर्माण हेतु विशिष्ट निधियों की मांग की थी लेकिन 20 महीने के विलम्ब के बाद अप्रैल 2013 में निधियां जारी की गईं		18-600

अनुबंध 4.5
निधियों की हेराफेरी
(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम में नि.भा.अ. के तहत एम.पी.डी.ओ., कोयम्बटूर मण्डल को निर्गत की गयी ₹0.12 करोड़ की राशि का दुरूपयोग हुआ और छान-बीन के लिए एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गयी । अगस्त 2014 तक रिपोर्ट लम्बित था ।	12.00
2	गुजरात	वलसाड जिला के वलसाड तालुका के ओजर ग्रा.प. में, सरपंच ने शौचालय के निर्माण के लिए 336 ग.रे.नि. लाभार्थियों को ₹1200 प्रति शौचालय तथा 32 ग.र.उ. लाभार्थियों को ₹100 प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए सं.स्व.अ. अनुदान से ₹4.35 लाख की राशि का आहरण किया (मई 2008) । लक्ष्यित लाभार्थियों को भुगतान करने की जगह पर, सरपंच ने 2.85 लाख मूल्य सीमेंट बैग तथा सैनिटरी सामग्रियों का क्रय किया तथा ₹1.50 लाख अपने पास रखा। शिकायत प्राप्त होने तथा प्रारंभिक जांच के पश्चात् जिला विकास अधिकारी (जि.व.अ.) वलसाड ने आदेश किया (जून 2010) कि सरपंच ने ₹1.50 लाख की सरकारी राशि का दुरूपयोग किया था और उससे इस राशि की वसूली की जाए । इस तरह का आदेश जारी करते समय जि.व.अ. ने सरपंच द्वारा सीमेंट बैग तथा अन्य सैनिटरी सामग्रियों के क्रय पर किए गए व्यय को सही माना । जबकि यह पाया गया कि ये सामग्री शौचालय के निर्माण के लिए उपयोगी नहीं थे और इस प्रकार ये सभी 368 लाभार्थी शौचालय का निर्माण नहीं कर सके और इस तरह वे पांच वर्ष से अधिक समय तक शौचालय की सुविधा से वंचित रहे । जून 2010 में जि.व.अ. द्वारा सरपंच से वसूली का आदेश जारी किए जाने के बावजूद, वसूली अभी तक (अगस्त 2014) लंबित था ।	1.50
3	कर्नाटक	(1) नमूना जांच किए गए चार ग्रा.पं. जैसे कनुकोवा, साई कडाडाकट्टी, टी गोपागोंडानहल्ली, पालवनहली (देवनगिरी जिला के) तथा नमूना जांच किए गए दो ग्रा.पं. जैसे गौड़ानहली, कुनीडेरे (चित्रदुर्ग जिले) में, 2009-14 के दौरान बिना किसी विशिष्ट/दर्ज कारण या प्राधिकरण के ही पू.स्व.अ. / नि.भा.अ. खातों में से	11.60

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		₹11.60 लाख की राशि आहरित की गयी थी । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि जांच कराए जाने के बाद कार्यवाई की जाएगी ।	
		(2) कर्नाटक वित्तीय कोड के प्रावधानों के अनुसार, स्वयं के चेक से निधियों का आहरण की अनुमति नहीं थी, तथापि, ग्रा.पं. में सं.स्व.अ./ नि.भा.अ. से संबंधित बैंक खातों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-14 के दौरान नमूना जांच किए गए चार ग्रा.पं. जैसे कोकानौर राजनहाली, येलेहोल तथा बेवीनहाली (हरिहर तालुका के); दो ग्रा.पं. जैसे पांडवपुरा तालुका के अरलाकुप्पी नारायणपुरा; चित्रदुर्ग तालुका का जानुकोंडा ग्रा.पं. तथा होनावारा तालुका का कसरकोड ग्रा.पं. में 60 अवसरों पर ₹2.88 लाख की राशि स्वयं के चेक पर आहरित की गई थी । किसी भी ग्रा.पं. ने स्वयं के चेक पर आहरण के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया ।	2.88
		(3) जि.प., चित्रदुर्गा अंतर्गत ग्रा.पं., जानुकोंड़ा अंतर्गत सं.स्व.अ./नि.भा.अ. से संबंधित बैंक पत्र के सत्यापन पर, यह पाया गया कि 2012-13 के दौरान व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए ₹4700/- की देय राशि के प्रति ₹14500/- 10 लाभार्थियों को तथा ₹24500/- एक लाभार्थी को दिया गया था। इसी प्रकार ₹51700/- देय राशि के प्रति 169500/- का भुगतान किया गया था के कारण ₹1.18 लाख का अधिक भुगतान हुआ। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि अधिक भुगतान के कारणों का पता लगाया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।	1.88
4	महाराष्ट्र	गलवाड़े ग्रा.पं. (जिला जलगाँव ; तालुका चोपड़) ने 1 जून 2011 तथा 26 जुलाई 2011 क्रमश: निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए ₹0.50 लाख तथा व.ढ.शौ. प्रोत्साहन के भुगतान हेतु ₹0.35 लाख की राशि पंचायत समिति से प्राप्त की । यद्यपि गलवाड़े ग्रा.पं. ने बैंक से ₹0.50 लाख (3 जून 2011) तथा ₹0.50 लाख (26 जुलाई 2011) का आहरण किया लेकिन अभिलेख में वाउचर उपलब्ध नहीं थे ।	0.85
5	ओडिशा	दस्तावेजों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कुछ शरारती तत्वों ने 6 नवम्बर 2012 को जि.ज.स्व.मि., अंगुल के पू.स्व.अ. खाते से ₹0.06 लाख का गबन किया था। सी.ई., ओ.रा.ज.स्व.मि. को प्रस्तुत पुलिस अंतरिम जांच रिपोर्ट (30 जनवरी 2014) में दर्शाया गया	9.06

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		था कि जि.ज.स्व.मि. का संविदात्मक सफाई कर्मचारी - सह-चौकीदार एम.एस. जि. ज.स्व.मि., आंगुल की जानकारी के बिना बैंक से एक चेक बुक प्राप्त कर लिया था तथा एम.एस. के जाली हस्ताक्षर से 6 चेकों से राशि का आहरण किया था । अंतिम जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014) । यद्यपि इस घटना के होने की तिथि से लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सितम्बर 2014 तक इस प्रवरण की जानकारी न तो सरकार को दी गई और न ही कोई विभागीय जांच/छान-बीन प्रारम्भ की गयी थी। सी.ई. ओ.रा. ज.स्व.मि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि जांच के प्रभारी अधिकारी से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाई की जाएगी ।	
कुल			39.07
		हेराफेरी के संदिग्ध मामले	
	आंध्र प्रदेश	खम्मम में 2009-10 के दौरान जि.ज.स्व.मि., खम्माम के अग्रिम पंजीकरण के तहत एम.पी.डी.ओ. को ₹3 लाख जारी किए गए थे तेकुलापल्ली (₹1.35 लाख) व सत्तुपल्ली (₹1.65 लाख) । हालाँकि एम.पी.डी.ओ. ने चिंतित बताया कि ऐसी कोई राशि नहीं आई ।	**3.00**
	झारखण्ड	2009-14 के दौरान राँची जिले में निर्मित व्य.घ.शौ. के बिल जो ₹25 करोड़ के खर्च का है (मा.प्र.रि. के अनुसार) उन्हें संवितरण अधिकारी (जि.ज.स्व.मि. का सदस्य सचिव) ने पारित नहीं किया, तथा फाइलों में आदेश के बाद ही भुगतान किया गया । इसी प्रकार अन्य पांच जांचे गए जिलों में संवितरण अधिकारी द्वारा बिल/वाउचर पारित किए गए, लेकिन गुमला को छोड़ पारित बिलों के वाउचर संख्या नहीं दिए गए । लेनदेन को बिना वाउचर संख्या दिखाए नकद खाते में दर्ज किया गया ।	**2500.00**
	मणिपुर	मणिपुर सरकार ने ₹0.15 करोड़ के पू.स्व.अ. फण्ड (मार्च 2010) सदस्य सचिव जि.ज.स्व.मि. (कंगपोकपी) को जारी किए, लेकिन जि.ज.स्व.मि. (कंगपोकपी) की रसीद में राशि को प्रतिबिम्बित नहीं किया गया । इसी प्रकार मणिपुर के स.क्ष.वि.इ. निदेशक के कार्यालय में बने नकद खाते से पता चलता है कि अक्तूबर 2012 के दौरान निदेशक ने सू.शि.सं. गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. (पूर्वी इम्फाल, कंगपोकपी और सेनापति) प्रत्येक को ₹5 लाख दिए थे। तथापि जारी किए ₹0.15 करोड़ तीनों जि.ज.स्व.मि. के नकद खातों में प्रतिबिम्बित नहीं हुए । आगे तीनों	**30.00**

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		जि.ज.स्व.मि. द्वारा सू.शि.सं. गतिविधियों के निष्पादन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था । जि.ज.स्व.मि. द्वारा ₹0.15 करोड़ रुपये के गैर लेखा-जोखा के कारण रिकॉर्ड में नहीं थे ।	
कुल			**2533.00**

[**स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े**]

अनुबंध- 4.6
निधि का विपथन
(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
1	बिहार	2011-12	955.70	कर्मचारी को पेशगी
2	छत्तीसगढ़	2009-10	259.21	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	75.48	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	358.71	कर्मचारी को पेशगी
		2012-13	37.38	कर्मचारी को पेशगी
3	कर्नाटक	2010-11	36.26	कर्मचारी को पेशगी
4	केरल	2011-12	3.77	कर्मचारी को पेशगी
5	मध्य प्रदेश	2009-10	175.30	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	250.51	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	17.81	कर्मचारी को पेशगी
6	महाराष्ट्र	2009-10	52.04	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	60.30	कर्मचारी को पेशगी
7	राजस्थान	2009-10	2.14	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	4.15	कर्मचारी को पेशगी
8	उत्तर प्रदेश	2009-10	1,514.67	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	388.64	कर्मचारी को पेशगी
9	छत्तीसगढ़	2009-10	4.92	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	2.90	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	14.00	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2012-13	2.41	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
10	गुजरात	2010-11	4,774.90	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
11	हरियाणा	2009-10	134.30	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	48.33	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
12	कर्नाटक	2010-11	1,424.58	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	190.03	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
13	मध्य प्रदेश	2009-10	14.15	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	18.11	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
14	महाराष्ट्र	2009-10	15.99	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	2.25	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
15	मणिपुर	2012-13	0.69	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
16	नागालैण्ड	2009-10	1,191.29	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	285.67	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
17	राजस्थान	2009-10	179.77	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	413.44	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	2,566.73	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	3.10	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2012-13	10.42	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
19	गुजरात	2010-11	2.20	अन्य योजनाओं को ऋण.
			1,873.90	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			125.00	अन्य योजनाओं को ऋण.
		2011-12	201.20	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			346.60	अन्य जिलों को स्थानान्तरित
			2.50	अन्य योजनाओं को ऋण.

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
		2012-13	128.00	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			114.60	अन्य योजनाओं को ऋण.
20	कर्नाटक	2011-12	68.52	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
		2012-13	25.50	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
		2011-12	2.00	मोटर वाहन की खरीद
			2.12	कैमरा की खरीद
		2011-12	75.00	जि.ज.स्व.स को स्थानान्तरण
			48.70	निर्मल को स्थानान्तरण
21	केरल	2011-12	6.93	कार्यालय स्वच्छता
		2012-13	0.57	कार्यालय स्वच्छता
22	नागालैण्ड	2013-14	5776.88	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए पूँजीगत अस्तियों का निर्माण
23	पंजाब	2010-11	221.00	अन्य विभागों को स्थानान्तरण
		2011-12	1,359.58	अन्य विभागों को स्थानान्तरण
		2012-13	1,876.95	राज्य समन्वयक को स्थानान्तरण
24	राजस्थान	2011-12	300.00	अन्य जि.ज.स्व.स को स्थानान्तरण
			29.78	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण तुलन पत्र के आधार पर
		2012-13	232.42	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
25	उत्तर प्रदेश	2009-10	1.00	(अवकाश, वेतन एंव पेंशन योगदान)
		2012-13	1.14	मूल्यह्रास
	कुल		**28,312.14**	

[स्रोत: मंत्रालय में लेखाओं के लेखापरीक्षित उक्ति से विवरण लिया गया]

अन्य योजनाओं में निधियों का विपथन			
क्र. सं.	राज्य	अन्य योजनाओं को निधियों का विपथन पर अभियुक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	गुजरात	वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 28.62[1] करोड़ की राशि को नि.भा.अ./पू.स्व.अ. योजना से निर्मल गुजरात एक राज्य प्रायोजित योजना में अनियमित रूप से अंतरित किया गया था। इसी प्रकार से खेड़ा जि.ग्रा.वि.अ. ने भी वर्ष 2011-12 में ₹ 0.60 करोड़ की राशि तथा वर्ष 2012-13 में ₹ 10.00 लाख की राशि को ऋण रूप में निर्मल गुजरात योजना में अंतरित किया था। जि.ग्रा.वि.अ., वल्साड पू.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा राज्य प्रायोजित निर्मल गुजरात योजना के लिए अगस्त 2012 तक एक ही खाता खोल रखा था। सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा निर्मल गुजरात योजना के नए खाते खोलने के समय जि.ग्रा.वि.अ. वल्साड ने 2012-13 में ₹ 2.56 करोड़ की राशि को राज्य प्रायोजित योजना में अंतरित कर दिया था, जबकि यह राशि पू.स्व.अ./नि.भा.अ. से संबंधित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए जाने पर सम्बन्धित निदेशकों जि.ग्रा.वि.अ. ने कहा अंतरित राशि वापस लौटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	2862.00 60.29 10.00 256.00
2	मध्य प्रदेश	जिला देवास के टोंकखुर्द ब्लॉक में पू.स्व.अ. की ₹ 0.19[2] करोड़ की राशि को वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य योजनाओं में अंतरित कर दिया गया था। एस.पी.ओ., नि.भा.अ. के कथनानुसार म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की वजह से इस राशि को अंतरित किया गया था। जिसे आने वाले वर्षों में लौटा दिया जाएगा। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि एक योजना से अन्य योजनाओं में पैसा अंतरित करना मान्य नहीं था।	**19.20**
3	पंजाब	मार्च 2014 में नगर के तालाबों के कायाकल्प के लिए ₹ 1.99 करोड़ की राशि नौ जिला अधिकारियों को दी गई थी।	**199.00**
4	तमिलनाडु	2010-13 के दौरान तीन चयनित जिलों अर्थात् तंजाबुर, मदुरई एवं कृष्णागिरी में योजना निधि ₹44.35 करोड़ को 15 दिनों से 13 महीनों तक की अवधि के लिए अन्य योजनाओं के प्रति अस्थाई रूप से विपथित किया गया था। इस प्रकार, नि.भा.अ. योजना लेखे में ₹ 1.00 करोड़ तक के ब्याज की हानि के अलावा योजना की निधियों का अप्राधिकृत विपथन हुआ था।	**4,434.86**
5	उत्तर प्रदेश	निदेशक (पंचायती राज) ने क्षेत्रीय जिलों के लिए एक रोस्टर निर्धारित किया (जून 2011), जिसके द्वारा जिलों में पू.स्व.अ./नि.भा.अ. की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए प्रतिमाह क्षेत्रीय उप-निदेशक (पंचायत) के कार्यालयों को ₹ 30,000/- का भुगतान किया जाए। इसके अनुसार 11 जॉच किए गए जिलों- (औरैया, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खिरी, प्रतापगढ़, और सीतापुर) के क्षेत्रीय जिला उप-निदेशकों को ₹ 0.13 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। जनवरी 2012 में यह भुगतान रोक दिया गया था परंतु इसे जुलाई 2013 में फिर से चालू कर दिया गया था। जिस तरह क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी संस्था के रूप में नहीं दर्शाया गया था, उनके प्रशासनिक व्यय पर भुगतान की गई राशि अस्वीकार्य थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन पंचायती राज मंत्री के अनुरोध पर पू.स्व.अ. निधि (पू.शि.सं. और ठो.त.व्य.प्र.) राशि ₹ 2.53 करोड़, केन्द्रीय अंश (₹0.99 करोड़) और राज्य अंश से जि.उ.न्या. सीतापुर द्वारा राज्य सरकार के विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत व्य.घ.शौ. को विपथित किया गया (2011-12) था।	**12.60** **253.00**

[1] 2010-11: ₹ 18.74 करोड़, 2011-12: ₹ 2.01 करोड़, 2012-13: ₹ 1.28 करोड़, 2013-14: ₹ 6.59 करोड़,

[2] भावनावम सन्नीरमन कर्मकार मंडल को ₹8.00 लाख, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना को ₹9.30 लाख तथा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना को ₹1.90 लाख

अन्य योजनाओं में निधियों का विपथन			
क्र. सं.	राज्य	अन्य योजनाओं को निधियों का विपथन पर अभियुक्ति	राशि (₹ लाख में)
6	पश्चिम बंगाल	मार्च 2014 में कटवा-II थाने ने नि.भा.अ. निधि से ₹ 0.20 करोड़ की राशि को सं.स्था.से.वि. के खाते में विपथित किया गया।	20.00
		कुल	8126.95

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आँकड़े]

अनुबंध- 4.7

योजना निधि का अंतर-जिला अंतरण में अनियमितता

(पैराग्राफ 4.8 के संदर्भ में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य</th><th>टिप्पणियॉ</th><th>राशि
(₹ लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आन्ध्र प्रदेश</td><td>दिनांक 3 जुलाई 2009 को ₹ 2 करोड़ की राशि जि.ज.स्व.मि. श्रीकाकुलम द्वारा राज्य वित्त संस्थान के खाते से जि.ज.स्व.स., खम्मम के सदस्य सचिव को अंतरित की गई थी, जिसे प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में दर्शाया नहीं गया था।</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गुजरात</td><td>मंत्रालय ने वर्ष 2010-14 के दौरान ₹33.26[3] की राशि को चार चयनित जिलों - अमरेली, भरूच, खेड़ा तथा वल्साड के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय द्वारा यह राशि प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित की गई थी, फिर भी संचार एवं क्षमता विकास इकाई ने मंत्रालय द्वारा चिन्हित राशि को अंतरित नहीं किया था, परंतु उन्होंने निधियों के अंतर जिला विपथन का सहारा लिया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(₹ लाख में)
<table>
<tr><th>जिले का नाम</th><th>वर्ष</th><th>भारत सरकार द्वारा चिन्हित राशि</th><th>स.क्ष.वि.ई. द्वारा जारी भारत सरकार की निधि</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>अमरेली</td><td>2010-11</td><td>77.68</td><td>187.08</td><td>(+)109.40</td></tr>
<tr><td></td><td>2011-12</td><td>206.18</td><td>125.99</td><td>(-) 80.19</td></tr>
<tr><td></td><td>2012-13</td><td>147.56</td><td>100.00</td><td>(-) 47.56</td></tr>
<tr><td></td><td>2013-14</td><td>331.08</td><td>140.83</td><td>(-)190.25</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td>762.50</td><td>553.90</td><td></td></tr>
<tr><td>भरूच</td><td>2010-11</td><td>177.78</td><td>175.33</td><td>(-) 2.45</td></tr>
<tr><td></td><td>2011-12</td><td>269.46</td><td>548.16</td><td>(+)278.70</td></tr>
<tr><td></td><td>2012-13</td><td>196.68</td><td>0.00</td><td>(-) 196.68</td></tr>
<tr><td></td><td>2013-14</td><td>134.97</td><td>60.09</td><td>(-) 74.88</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td>778.89</td><td>783.58</td><td></td></tr>
<tr><td>खेड़ा</td><td>2010-11</td><td>244.44</td><td>262.27</td><td>(+)17.83</td></tr>
<tr><td></td><td>2011-12</td><td>522.80</td><td>656.26</td><td>(+)133.46</td></tr>
</table>
</td><td>3,325.62</td></tr>
</table>

[3] अमरेली - ₹ 762.50 लाख, भारूच- ₹ 778.89 लाख, खेड़ा- ₹ 1356.97 लाख, वल्साड ₹ 427.26 लाख

	2012-13	419.55	0.00	**(-) 419.55**
	2013-14	170.18	65.87	**(-) 104.31**
कुल		**1356.97**	**984.40**	
वल्साद	2010-11	80.46	117.94	**(+)37.48**
	2011-12	114.88	206.23	**(+)91.35**
	2012-13	95.28	0.00	**(-) 95.28**
	2013-14	136.64	57.26	**(-)79.38**
कुल		**427.26**	**381.43**	
कुल योग		3,325.62	2,703.30	

इसके अनुसार संचार एवं क्षमता विकास इकाई ने केन्द्रीय निधि को अस्थाई रूप से अपने क्षेत्रों में अंतरित किया है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने भी लेखापरीक्षा की टिप्पणी को सहमति दी है तथा वर्णित किया है कि जिलों को किए गए अधिक या कम निर्गम के बारे में मंत्रालय को सूचित कर दिया जाएगा।

3 जम्मू एवं कश्मीर — **1,188.00**

लेखापरीक्षा द्वारा पॉच जिलों का निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक मामले में घटक-वार कम निर्गम को दर्शाते हुए प्रत्येक घटक हेतु निर्धारित आबंटन की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए देय राज्य अंश की मात्रा को निर्धारित किया गया था।

(₹ लाख में)

जिला	देय राज्य अंश	राज्य अंश निर्गम **2009-14**	अधिक/कम निर्गम	रेंज
रामबन	131.82	177.37	-45.55	(-) 28.46 to 13.49
पूंछ	269.91	220.83	49.08	(-)19.65 to 58.17
बड़गाम	323.71	190.03	133.68	(-)18.44 to 92.80
कुपवाड़ा	360.21	325.02	35.19	(-)41.30 to 73.18
लेह	101.96	100.75	1.21	(-)21.29 to 23.92
योग	1187.61	1014.00	173.61	(-)41.30 to 92.80

वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य अंश ₹ 11.88 करोड़ की राशि में से ₹10.14 करोड़ की राशि को खर्च कर दिया गया था। यह अंतर(-) ₹0.41 करोड़ से ₹0.93 करोड़ के बीच में था। यह राज्य का जिलों के प्रति असंतुलित वितरण दर्शाता है। विभाग के कथनानुसार इस राशि का घटक वार आबंटन उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था और राज्य अंश का उपयोग निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता था। राज्य जल स्वच्छता मिशन तथा जिला जल स्वच्छता मिशन द्वारा कारण प्रस्तुत किया गया कि मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन घटक वार आधार पर नहीं किया गया था, यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि योजना में किए गए आबंटन, योजना में प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित तथा तथा योजना में प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधार पर निर्गम किया जाना चाहिए था।

4 कर्नाटक — **2,968.60**

वर्ष 2009-10 व 2013-14 के दौरान तीन जिला परिषदों के ₹ 29.65 करोड़[4] की राशि को अन्य जिलों में अंतरित कर दिया था।जिला परिषद, उत्तर कन्नड़ ने बताया (सितम्बर 2014) कि राज्य जल स्वच्छता

[4] उत्तर कन्नड़ (2013-14 के दौरान ₹19.35 करोड़) से बंगलौर (ग्रामीण), बेलगाम, कोड़ागु, गड़ग, दक्षिणा कन्नड़, देवनागिरी, कोप्पल, चिक्काबल्लापुर, तथा तुमकुर जिला तक; मांड्या (2013-14 के दौरान ₹8.35 करोड़) से देवनागिरी तथा दक्षिणा कन्नड़ तक; रायचूर (2009-10, ₹1.95 करोड़) से मैसूर जिला तक;

		मिशन के आदेशानुसार यह राशि अंतरित की गई थी। इसी प्रकार उत्तर कन्नड़ जिले के होनावारा ताल्लुक के अंतर्गत तीन जिलों ने ₹ 3.60[5] लाख की राशि, को अन्य जि.प. को अंतरित किया था।	
5	पंजाब	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिले ने ₹ 0.20 करोड़ तथा ₹ 0.78 करोड़ की राशि को अन्य संभागों में उपयोग किया गया था लेकिन इसके लिए संबंधित संभागों से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। जि.ज.स्व.मि. ने (मई से अगस्त 2014) बताया कि यह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था।	**98.40**
6	उत्तर प्रदेश	वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय ने 25 जिलों के लिए ₹ 115.05 करोड़ की राशि को जारी किया था। यद्यपि राज्य सरकार ने 38 जिलों[6] के लिए राशि जारी की थी, जिसमें 9 जिलों, नमूना जॉच जिलों[7] (औरिया और मिर्जापुर) सहित का केन्द्रीय अंश ₹ 33.08 करोड़ घटाते हुए और इसे 13 जिलों[8] (हरदोई, कुशीनगर और लखीमपुर खिरी सहित) को विपथित किया था। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय अंश जारी नहीं किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है, परंतु मंत्रालय ने उसे स्वीकार नहीं किया था। राज्य सरकार ने (सितम्बर 2012) 13 जिलों को (₹33.08 करोड़) राशि को उन नौ जिलों को वापस लौटाने का निर्देश दिया जहॉ से उस राशि का विपथन हुआ था। इसी प्रकार ₹ 47.43 करोड़ में से ₹ 9.53 करोड़ की राशि को पांच जिलों (सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर, हरदोई और आजमगढ़) के स्थान पर अन्य पॉच जिलों (लखीमपुर, रामपुर, आगरा, जालौन तथा औरैया) हेतु विपथित किया गया था (मार्च 2011)। जिसे यह कह कर केन्द्रीय अंश का उपयोग किया गया कि उक्त हेतु केन्द्रीय अंश आने पर इसकी वापसी कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नि.भा.अ. निधि का अनियमित होने से वर्ष 2012-13 व 2013-14 उपयोगिता प्रमाणपत्र की शुद्धता तथा तुलनपत्र की शुद्धता को प्रभावित किया।	**3,308.00** **953.00**
		कुल	**12,041.62**

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़ा]

5 कासरगोड़ (2009-10 के दौरान ₹1 लाख) से मविनाकुर्वे, केलागीनूर तक; कोड़ानी (2009-10 के दौरान ₹1 लाख) से जल्लावल्ली, करकी तक तथा हदिनाबालु (2010-11 के दौरान ₹1.60 लाख) से केलागीनुर, करकी, मानकी तथा मविनाकुर्वे तक

6 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बांदा, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, ईटावा, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, ज्योतीबा फूले नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खिरी, ललितपुर, लखनऊ, महामाया नगर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर (भदोई) तथा श्रावस्ती

7 इलाहाबाद, औरैया, चंदौली, इटावा, गोंडा, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा संत रविदास नगर (भदोई)।

8 बहराईच, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खिरी, ललितपुर, मथुरा तथा श्रावस्ती

अनुबंध- 4.8
निधियों की पार्किंग
(पैराग्राफ 4.9 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)	अवधि (माह में)
1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम जिले में 2009-11 में प्राप्त ₹20.68 करोड़ रूपये में से अगस्त 2014 तक ₹19.08 करोड (92 प्रतिशत) अप्रयुक्त थे। करीम नगर जिले में 2009-10 के दौरान ₹0.50 करोड़ की राशि अस्थायी रूप से सावधि जमाओं में पार्क की गई। इसी प्रकार से खम्माम जिले में 12 से 24 महीनों की अवधियों से सदस्य सचिव, जि.ज.स्व.स. खम्माम के बैंक खातों में (31 मार्च 2014 को) ₹9.65 करोड़ की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। रा.ज.स्व.मि. द्वारा (2008-09 तथा 2010-11) ₹8.50 करोड़ की राशि की कार्यक्रम निधि का सावधि जमाओं में निवेश किया गया।	**1908.00** **50.00** **965.00** **850.00**	**29** **12-24**
2	असम	2012-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. द्वारा केन्द्रीय हिस्से की ₹ 54.73 करोड़ की राशि को दो से आठ माह के लिए अवरूद्ध रखा गया।	**5472.76**	**4-17**
3	गुजरात	आयुक्त, ग्रामीण विकास (ग्रा.वि.आ.) द्वारा सभी जि.ग्रा.वि.अ. को (सितम्बर 2011) ग्रा.प. के पास पड़े सं.स्व.अ. अनुदान के अप्रयुक्त शेषों को वापस लेने व भविष्य में लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान त.का.से.स. के द्वारा किए जाने का निर्देश दिया गया। 2012-13 के लिए चयनित जिलों में से तीन जिलों (अमरोली- ₹0.15 करोड़ भरूच-₹0.54 करोड़ तथा वल्साड- ₹0.23 करोड़) में मार्च 2013 को कुल ₹0.93 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों के पास पड़ी थी। जि.ग्रा.वि.अ. के निदेशकों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों व त.का.से.स. के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेषों को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	**92.81**	**18**
4	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य द्वारा 2009-14 के दौरान ₹0.13 करोड़ तथा ₹6.51 करोड़ के बीच की राशियाँ को बिना किसी औचित्य के अपने पास रोक कर रखा गया। जि.ज.स्व.मि. से एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चला कि 2009-14 के दौरान ₹0.90 करोड़ से ₹3.40 करोड़ की राशियाँ अनावश्यक रूप से उनके द्वारा अपने पास रोककर रखी गई। पुर्नवीक्षा अवधि के दौरान भी जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा निधियों को अपने पास रोक कर रखा गया। इसके अतिरिक्त रा.ज.स्व.मि. द्वारा कुछ चयनित जि.ज.स्व.मि. के लिए मंत्रालय से प्राप्त निधियों को आंशिक रूप से जारी किया गया और ₹1.52 करोड़ की राशि (मार्च 2014) बैंक में रोककर रखी गई।	**1,143.00**	-
5	केरल	चार जिलों में नमूना जांच किए गए 11 ब्लाक पंचायतों व 22 ग्राम पंचायतों के पास 2008-11 के दौरान ₹2.70 करोड़ की राशियाँ अप्रयुक्त पड़ी थीं।	**270.00**	-
6	मध्य प्रदेश	निर्मल भारत अभियान के तहत जि.ज.स्व.मि. द्वारा रा.ज.स्व.मि. से प्राप्त निधियों का सीधे ग्राम पंचायतों को अंतरण किया जाना था। जनपद पंचायतों के पास उपलब्ध निधियों को ग्राम पंचायतों को जारी किये जाने के लिए जिला पंचायतों को अभ्यर्पण किया जाना था। नमूना जाँच किए गए 27 जनपद पंचायतों के रोकड़ बही व बैंक पास बुक्स के अनुसार, 22 जनपद पंचायतों के पास ₹6.58 करोड़ की राशि की योजना निधियाँ निष्क्रिय पड़ी	**658.00**	-

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)	अवधि (माह में)
		थीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा बाताया गया कि निधियों को योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा। उत्तर, दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि निर्मल भारत अभियान के प्रारम्भ होने के पश्चात जनपद पंचायतों को योजना की निधियों के उपयोग का अधिकार नहीं था। उज्जैन जिले में बादनगर ज.पं. और बालाघाट जिले में बालाघाट ज.पं. द्वारा क्रमश: मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के दौरान ₹0.82 करोड़ की धनराशि को सावधि जमा के रूप में रखा गया।	**82.00**	
7	महाराष्ट्र	वर्ष 2009-14 के दौरान औरंगाबाद जिले में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹2.00 करोड़ की धनराशि को सावधि जमा में निवेश किया गया।	**200.00**	-
8	मणिपुर	2009-10 के दौरान राज्य द्वारा केन्द्रीय हिस्से के रूप में ₹58.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें से ₹47.00 करोड़ की धनराशि 9 जिलों को जारी की गई तथा म.रा.ज.स.मि. के पास ₹11.54 करोड़ की धनराशि शेष बची।	**1,154.45**	**½ - 13**
9	पश्चिम बंगाल	31..8.2012 को ₹83.68 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध थी।	**8,368.00**	**24**
कुल			**21,214.02**	

अनुबंध- 4.9
कार्यान्वयन अभिकरणों के पास उपलब्ध असमायोजित अग्रिम
(पैराग्राफ 4.10 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	जि.ज.स्व.मि., खम्माम के वर्ष 2012-13 के तुलन पत्र के अनुसार, विभिन्न अभिकरणों को दिए गए अग्रिम की ₹5.21 करोड़ की राशि 31.3.2013 को असमायोजित पड़ी थी।	**521.00**
2	हरियाणा	जि.ग्रा.वि.अ. यमुनानगर के वर्ष 2012-13 के तुलन पत्र के अनुसार जून 2010 में मैसर्स अंबूजा सीमेंट कम्पनी को सीमेंट की आपूर्ति के लिए दिया गया ₹0.16 करोड़ का अग्रिम अप्राप्त/असमायोजित था। जि.ग्रा.वि.अ. फतेहाबाद द्वारा (मार्च 2011) फतेहाबाद ब्लॉक के आठ स्कूलों के 36 शौचालयों के निर्माण के लिए ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी (ब्.वि.पं.अ.) फतेहाबाद को ₹0.13 करोड़ की निधियॉ जारी की गई। ब्.वि.पं.अ. ने छ: विद्यालयों में केवल 25 शौचालयों का निर्माण किया और इसके लिए ₹8.49 लाख की धनराशि खर्च की। ₹ 4.90 लाख की शेष धनराशि तीन वर्षों से भी अधिक समय से ब्.वि.पं.अ. के पास पड़ी थी। जि.ग्रा.स्व.मि. फतेहबाद ने बताया (सितम्बर 2014) कि संबंधित ब्.वि.पं.अ. को शेष शौचालयों का निर्माण करने या अव्वयित राशि ब्याज सहित वापस करने को कह दिया गया है।	**16.10** **4.90**
3	झारखण्ड	नमूना जाँच किये गये जिलों के द्वारा (जून 2004 तथा मार्च 2013) जि.शि.अ., प्र.वि.अ., स.अ./क.अ., बा.वि.प.अ. व गै.स.सं. को निजी शौचालयों के निर्माण, सु.शि.स. गतिविधियों तथा विद्यालयी शौचालयों के निर्माण के लिए ₹4.36 करोड़ के अग्रिम दिए गए। ये अग्रिम 16 से 120 माह तक बकाया रहे। इसी प्रकार, प.मा.इ. की 2012-13 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2013 को विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों पर ₹21.77 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुसार नमूना जाँच किये गये जिलों में मार्च 2013 को ₹14.42 करोड़ के अग्रिम बकाया थे परंतु रोकड़ बही के अनुसार बकाया अग्रिम केवल ₹3.47 करोड़ था। चार्टड एकाउंटेंटों द्वारा भी अपने प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में अग्रिम भुगतानों को अग्रिम के रूप में नहीं दिखाया गया। अत: जिन जिलों की नमूना जॉच की गई उनके द्वारा अग्रिमों का समुचित लेखांकन नहीं किया गया था व कुछ अग्रिमों को रोकड़ बहियों में खर्चे के रूप में दिखाया गया था।	**436.00** **1,442.00** **2,177.00**
4	केरल	2008-14 के दौरान पझायन्नुर तथा पल्लकड ब्लाक पंचायतों द्वारा सा.स्व.प., विद्यालयी शौचालयों, ग्रामीण स्वच्छता बाजारों के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹6.8 लाख की राशि के अग्रिम दिए गए। तथापि, वांछित कार्य को अभी भी या तो प्रारम्भ किया जाना था या पूरा नहीं किया गया था या बीच में ही छोड़ दिया गया था व अग्रिमों की वसूली के लिए कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई थी।	**6.80**
5	मणिपुर	2010-14 के दौरान म.रा.ज.स.मि. द्वारा कुल ₹4.96 करोड़ के अग्रिम जारी किये गए जिसमें से ₹2.24 करोड़ का समायोजन कर लिया गया व ₹2.73 करोड़ के अग्रिम शेष रह गए।	**272.75**

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
6	ओडिशा	2009-12 के लिए चार्टड एकाउंटेंटस की रिपोर्टों के अनुसार नमूना जाँच किए गए जिलों में जि.ज.स्व.मि. द्वारा विभिन्न अधिकारियों और संगठनों को ₹16.53 करोड़ के अग्रिमों का भुगतान किया गया (अप्रैल 2003-दिसम्बर 2013) जो अगस्त 2014 तक समायोजित नहीं किए गए थे। जि.ज.स्व.मि. द्वारा भुगतान, उपयोग तथा उनके समायोजन की निगरानी के लिए किसी रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया।इस प्रकार के ब्यौरे के अभाव में बकाया अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।लम्बी अवधि तक अग्रिमों का समायोजन न किए जाने के कारण इस प्रकार के अग्रिमों के दुरूपयोग/गैरवसूली की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जि.ज.स्व.मि. द्वारा बताया गया कि बकाया अग्रिमों के शीघ्र समायोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी। जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि जि.ज.स्व.मि. के कलेक्टर-सह-अध्यक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ₹16.53 करोड़ के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सके।	**20.00**
		कुल	**4896.55**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध- 4.10
उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर प्रस्तुतीकरण
(पैराग्राफ 4.11 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
1	असम	वर्ष 2012-13 के लिए ₹21416.42 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे।	**21416.42**
2	बिहार	चार[9] जिलों की नमूना जॉच से पता चला कि शौचालयों के निर्माण के लिए 653 ग्राम पंचायतों को ₹4.41 करोड़ का अंतरण (मार्च 2007 से सितम्बर 2008) किया गया। परंतु लेखापरीक्षा के समय (अगस्त 2014) तक तीन[10] नमूना जांचित जिलों की संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ₹0.41 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए और शेष ₹4 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र सात वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बकाया थे। इसी प्रकार से चार[11] नमूना-जॉचित जिलों में मार्च 2006 से नवम्बर 2012 के दौरान विद्यालयी शौचालयों के निर्माण के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को ₹3.44 करोड़ के अग्रिम दिए गए। तथापि जि.शि.अ. नवादा द्वारा केवल ₹0.81 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए और शेष ₹2.63 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी बकाया थे। अत: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण स.स्व.अ./नि.भा.अ. निधि में से ₹6.63 करोड़ के अग्रिम असमायोजित रहे।	**663.00**
3	हरियाणा	वर्ष 2012-13 के लिए ₹1132.32 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।	**1132.32**
4	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान दो[12] नमूना जॉचित जि.ग्रा.वि.अ. में प्र.वि.अ. को ₹26.96 करोड़ की राशियाँ जारी की गई जिसमें से मार्च 2014 तक ₹24.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र के उ.प्र. बकाया थे। प.अ., जि.ग्रा.वि.अ., मण्ड़ी ने बताया (अगस्त 2014) कि कार्यान्वयन अभिकरणों को शीघ्रातिशीघ्र उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा। प.अ., जि.ग्रा.वि.अ. हमीरपुर ने बताया (सितम्बर 2014) कि चूंकि नि.भा.अ. मांग आधारित परियोजना है, निधियों का उपयोग जनता की मांग के अनुसार किया जा रहा है।	**264.00**
5	जम्मू एवं कश्मीर	2009-14 के दौरान ₹103.36 करोड़ की केन्द्रीय निधियों के गैर निर्गम दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय को मध्यावधि उपयोगिता प्रमाणपत्रों और ले.ले.वि. का गैर-प्रस्तुतीकरण था।	-

[9] भोजपुर- 213 ग्रा.पं. हेतु ₹1.30 करोड़, दरभंगा- 330 ग्रा.पं. हेतु ₹2.90 करोड़, कटिहार- 104 ग्रा.पं. हेतु ₹0.12 करोड़ तथा नवादा- 6 ग्रा.पं. हेतु ₹0.09 करोड़।

[10] भोजपुर- ₹0.42 लाख, दरभंगा- ₹40.36 लाख तथा कटिहार- ₹0.24 लाख।

[11] कटिहार- ₹1.80 लाख, मुजफ्फरपुर- ₹159.85 लाख, नवादा- ₹123.04 लाख तथा पश्चिमी चंपारण- ₹59.50 लाख।

[12] मंडी तथा हमीरपुर

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
6	झारखण्ड	2009-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा प.मा.इ. को ₹208.67 करोड़ जारी किए गए। तथापि प.मा.इ. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण 2013-14 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य अंश जारी नहीं किया गया।	-
7	कर्नाटक	यद्यपि राज्य अभिकरण मंत्रालय को केवल सभी जिलों के समेकित लेखों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, 2009-13 के दौरान राज्य स्तर पर किए गए ₹2.23[13] करोड़ के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए।	**223.00**
8	मेघालय	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण अत्यंत खराब था क्योंकि 2009-14 (वर्ष 2011-12 को छोडकर जहॉ उपलब्धि 88 प्रतशित थी) के दौरान इसकी प्रतिशतता 38 से 42 प्रतिशत के बीच थी। उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुती में अनावश्यक विलंब किया गया जो वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात 7 से 10 माह के मध्य में थी। 2013-14 के दौरान प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए (सितम्बर 2014)। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि लाभार्थियों/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आ.के. उपयोगता प्रमाणपत्र/समाप्ति प्रमाणपत्र जि.ज.स्व.मि./ब्लाक को प्रस्तुत करने में काफी समय लगाते हैं। तथापि, जि.ज.स्व.मि./ब्लाक्स से संकलित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर उन्हें संकलित करने के पश्चात मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।	-
9	ओडिशा	₹510.10 करोड़ की उपलब्ध निधि में से ओ.रा.ज.स्व.मि. 2009-12 के दौरान ₹257.27 करोड़ खर्च कर सका। परंतु केवल 2009-12 के दौरान खर्च की गई ₹184.63 करोड़ की राशि के ही उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। 2012-14 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा ले.ले.वि. अगस्त 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए गए गए थे। ओ.रा.ज.स्व.मि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि ले.ले.वि. और उ.प्र. के समेकन में विलम्ब का कारण मनरेगा के अभिसरण में वै.पा.शौ. का निर्माण तथा ब्लाक स्तर से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में आई कठनाई से जि.ज.स्व.मि. स्तर पर संकलन में देरी था। उसने आगे बताया कि जिलों से उ.प्र./ले.ले.वि. प्राप्त होने पर उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।	**7264.00**
10	पुदुचेरी	वर्ष 2012-13 के लिए ₹15.77 लाख की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे।	**15.77**
11	पंजाब	2011-12 के दौरान ले.ले.वि. में अन्य मंडलो को ₹12.70 करोड़ की राशि का अंतरण दर्शाया गया है और तदनुसार उपलब्ध केंद्रीय अंश में से शेष राशियों को कम कर दिया गया था। परंतु संबंधित मंडलों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।	**1270.00**

[13] 2009-10 (₹72.92 लाख), 2010-11 (₹54.94 लाख), 2011-12 (₹47.10 लाख) तथा 2012-13 (₹48.62 लाख)।

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
12	राजस्थान	31 मार्च 2013 को रा.ज.स्व.मि. द्वारा ₹207.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण लम्बित था। निदेशक, स.क्ष.वि.इ. ने बताया कि अग्रिमों का निर्गम एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर निर्देश जारी कर दिये गए थे।	**20746.89**
13	उत्तराखण्ड	जि.प.मा.इ. द्वारा विभिन्न सहायक संगठनों[14] (स.स.) को शौचालयों के निर्माण के लिए निधियों का अंतरण किया गया जिसके लिए स.स. को शौचालयों के निर्माण के पश्चात् इन निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे। संबंधित स.स. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र न किये जाने के कारण राज्य में ₹2.19 करोड़ की राशि असमायोजित पड़ी थी (मई 2014)। इसमें से, ₹1.30 करोड़ की राशि जि.ग्रा.वि.अ. के पास थी और ₹0.72 करोड़ की राशि स.जि.शि.अ./जि.शि.अ. के पास शेष थी। यह बताया गया (नवम्बर 2014) कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखे जा चुके हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए जि.शि.अ. व स.जि.शि.अ. के साथ मु.वि.अ. द्वारा निरंतर निगरानी बैठकें की जा रही है	**219.06**
14	पश्चिम बंगाल	2009-14 के दौरान पूर्बा मेदिनीपुर और मुर्शिदाबद जिला पंचायतों के द्वारा पंचायत समितियों को ₹123.75 करोड़ का आबंटन किया गया। तथापि जिला पंजायतों द्वारा केवल ₹106.43 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र ही प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹17.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया रहे। जलपाईगुड़ी जिला प्रचायत में 2009-14 के दौरान प्राप्त कुल ₹86.50 करोड़ की निधियों में से केवल ₹62.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए। अत: ₹23.94 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया रहे। पूर्वा मेदीनीपुर जिला पंचायत की विभिन्न पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को ₹1.23 करोड़ के निर्मल ग्राम पुरस्कार (नि.ग्रा.पु.) प्रदान किए गए परंतु उपयोगिता प्रमाणपत्र रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, मुर्शिदाबाद जिला पंचायत में 22 ग्राम पंचायतों को ₹0.55 करोड़ पुरस्कार के रूप में दिए गए परंतु इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	**1732.00** **2394.00** **123.00** **54.50**
	कुल		**57517.9**

[ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध लेखापरीक्षित लेखा विविरणों से लिए गए है]

[14] जिला शिक्षा अधिकारी (जि.शि.अ.), जिला कार्यक्रम अधिकारी (जि.का.अ.), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.), और गै.स.स. (समितियॉ)

अनुबंध- 4.11
प्रशासनिक गतिविधियों पर व्यय
(पैराग्राफ 4.12 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान योजना पर कुल व्यय	प्रशासनिक गतिविधियो पर व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़	2010-11	3083.86	491.57	16
		2011-12	2123.32	423	19.8
		2012-13	1547.92	262.39	17
2	गुजरात	2011-12	5754.32	326.08	6
		2012-13	7058.36	446.58	6.3
3	हरियाणा	2009-10	1818.63	96.17	5.28
		2010-11	1580.79	97.92	6.1
4	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1662.68	1662.68	100
		2010-11	2505.75	2505.75	100
5	कर्नाटक	2010-11	7267.21	764.27	10.5
6	केरल	2009-10	1831.45	120.55	6.6
		2010-11	1365.89	88.32	6.4
		2011-12	1470.8	146.39	10
		2012-13	1429.54	129.48	9
7	मध्य प्रदेश	2009-10	13361.71	1915.86	14
		2010-11	13362.12	1578.98	11.8
8	मणिपुर	2009-10	355.67	20.98	5.9
9	नागालैण्ड	2010-11	304.01	18.33	6
10	पंजाब	2010-11	747.25	314.08	42
		2011-12	1637.68	1392.85	85
11	राजस्थान	2009-10	3514.28	342.69	9.8
		2010-11	4204.48	655.29	15.6
		2011-12	3886.52	335.37	8.6
		2012-13	5808.82	354.69	6.1
12	उत्तर प्रदेश	2011-12	23236.88	1652.21	7.11
		2012-13	31675	1336.53	4.2

[ब्यौरे मंत्रालय के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण से लिए गए]

अनुबंध- 4.12
बहु बैंक खाते
(पैराग्राफ 4.13(i) के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1	आन्ध्र प्रदेश	नि.म.ले.प. द्वारा एक पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2012-13) में इंगित रा.ज.स्व.मि. द्वारा बहु बैंक खातों के संचालन के प्रति राज्य सरकार ने सुधारात्मक कार्यवाही आश्वासित की थी। तथापि, मामले में सुधार नहीं किया गया था जो कि नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के प्रति छः अलग बैंकों[15] में रा.ज.स्व.मि. द्वारा निधियों के संचालन की निरंतरता से स्पष्ट था। आदिलाबाद जिले में दो बैंक खाते (आन्ध्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) दिशानिर्देशों के उल्लंघन में संचालित किए गए थे। उसी प्रकार करीमनगर जिले में जहाँ रा.ज.स्व.मि., करीमनगर ने छः बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-दो खाते, इंडियन ओवरसीज बैंक, आई.एन.जी. वैश्य-दो खाते, आन्ध्रा बैंक), वहीं आर. डब्ल्यू. एस.,पेद्दापल्ली ने चार बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंडियन बैंक, एस.बी.आई. तथा एक्सिस बैंक) वेमूलवाडा ने दस बैंक खाते, विजया बैंक-तीन खाते, आई.डी.बी.आई.- तीन खाते, एक्सिस बैंक-तीन खाते तथा आन्ध्रा बैंक, आर.डब्ल्यू. एस., करीमनगर ने नौ बैंक खाते, आई.डी.बी.आई.-दो खाते, इंडियन ओवरसीज बैंक-दो खाते, आई.एन.जी. वैश्य बैंक, एक्सिस बैंक-तीन खाते तथा आर.डब्ल्यू.एस., हुजुराबाद ने छः खाते- एस.बी.आई. संचालित किए थे।
2	अरूणाचल प्रदेश	चंगलंग जिले में स्वजल धारा एवं सं.क्ष.वि.ई. निधियों के साथ बचत बैंक खाते में योजना की निधियाँ रखी गई थी।
3	बिहार	चार नमूना परीक्षित जिलों के जि.ज.स्व.अ. द्वारा (भोजपुर:2, दरभंगा:2, मुजफ्फरपुर:8 एवं नवादा:4) 2009-14 के दौरान दो से आठ बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में नहीं था।
4	गुजरात	चार चयनित जिलों में से दो अर्थात् खेड़ा एवं वल्साड में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा निर्मल गुजरात योजना (नि.गु.यो.) के लिए एक की खाते को संचालित कया जा रहा था। अलग खाते क्रमश: जून 2011 तथा अगस्त 2012 से संचालित किए गए थे। टी.डी.ओ. अंकलेश्वर (भरूच जिला) ने मार्च 2014 तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के लिए अलग खाते का अनुरक्षण नहीं किया था। जबकि खेड़ा जिले के नडयाड एवं कथलाल के टी.डी.ओ. ने क्रमश: जून 2012 तथा सितम्बर 2011 तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के लिए अलग खातों को अनुरक्षित नहीं किया था। यह योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।
5	झारखंड	छः नमूना-परीक्षित जिलों में से, धनबाद एवं गढ़वा क्रमश: दो तथा चार बैंक खाते संचालित कर रहे थे।
6	कर्नाटक	एक बैंक खाते को अनुरक्षित करने की आवश्यकता के प्रति राज्य स्तर पर रा.ज.स्व.मि. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए दो बैंक खाते अनुरक्षित किए जा रहे थे जिसमें से एक खाता 2012-13 के दौरान बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जि.प., बेलगाम तथा मंडाया तथा साथ ही टी.पी. बेलहोंगल ने भी योजना निधियों को संचालित करने के लिए एक से अधिक बैंक खाते का अनुरक्षण किया था। उसी प्रकार जि.प. के अन्तर्गत 14 ग्रा.पं., बेलगाम (3), चित्रदुर्ग (1), तुमकुर(2), तथा रायचूर(8), ने बहु बैंक खातों को अनुरक्षित किया था।
7	मध्य प्रदेश	13 जिलों के 27 ब्लॉकों के 231 नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि 13 जिलों में 25 ब्लॉकों के 146 ग्रा.पं. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए रोकड़ बही एवं बैंक

[15] स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, आई.एन.जी. वैश्या बैंक एवं आन्ध्रा बैंक

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		खाता अलग से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए अलग बैंक खाते तथा रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किए जाने के कारण सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों पर अर्जित ब्याज का पता नहीं लगाया जा सका था। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि नि.भा.अ. निधियों के लिए अलग रोकड़ बही तथा बैंक खाते को अनुरक्षित किया जाएगा। 13 नमूना परीक्षित जिलों में से पॉच (अनुपपुर, बालाघाट, देवास, धार, सतना) जिलों के जि.ज.स्व.मि. एक से अधिक बैंक खाते का संचालन कर रहे थे। उसी प्रकार, 27 नमूना परीक्षित ब्लॉकों में से सात ब्लॉक (बालाघाट, निवाली, देवास, सतना, रामनगर, सोहागपुर, ब्योहरी) एक से अधिक बैंक खाते संचालित कर रहे थे। संबंधित जि.प. एवं ज.प. के मु.का.अ. ने बताया कि भविष्य में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के संचालन हेतु एक बैंक खाता ही रखा जाएगा।
8	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने योजना के लिए अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों की प्रकृति तथा इसके पृथक लेखांकन पर जिलों को कोई निर्देश जारी नहीं किए थे जिसके कारण लेखाओं में योजना से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों से अधिक का समावेश हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि गलत लेखांकन के कारण क्रमश: वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान 12 जिलों (₹17.53 करोड़), नौ जिलों (₹11.40 करोड़) तथा छ: जिलों (₹9.42 करोड़), में निधियों के नकारात्मक अथशेष दर्ज किए गए जो कि अन्य योजनाओं के अनुदानों के अनियमित उपयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय दर्शाता है। 2009-10 तथा 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सं.स्व.अ. से भिन्न योजनाओं की प्राप्तियों एवं भुगतान के समावेश के कारण ₹0.96 करोड़ तथा ₹0.59 करोड़ के अंतर सूचित किए गए थे जिनका सामंजस्य नहीं किया जा सका था।
9	पंजाब	जून 2012 में, राज्य समन्वयक ने जि.ज.स्व.मि. को उनके पास पड़े हुए अव्ययित शेषों को एक्सिस बैंक के बचत बैंक खाते में जमा करने के निर्देश जारी किए थे। परंतु, नए खोले गए खाते में जि.ज.स्व.मि. द्वारा ₹ 20.18 करोड़ (जून 2012 से सितम्बर 2013 तक) की राशि जमा करने से पूर्व नए बैंक खाते को खोलने की मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई थी।
10	उत्तर प्रदेश	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राज्य स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बचत बैंक खाता खोला गया था (जनवरी 2011)। 2011-12 से अन्य योजना अर्थात् ई.-पंचायत से निधियों को भी इस खाते में क्रेडिट किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अलग से बैंक खाता नहीं रखा जा सका। कुशीनगर एवं जलाऊँ को छोड़कर जिला स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियॉ अलग बचत बैंक खाते रखे गए थे जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ हेतु दो बैंक खाते अक्तूबर 2012 से जून 2014 के दौरान समानांतर प्रचालन में रखे गए थे। ग्रा.प. स्तर पर सं.स्वा.अ. हेतु अलग बैंक खाता नहीं खोला गया था तथा निधियों (ग्राम निधि-1) को 12/13वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की निधियों के साथ रखा गया था । सं.स्व.अ. निधियों पर अर्जित ब्याज यद्यपि लेखांकित किया गया था परंतु एक ही बैंक खाते में सं.स्व.अ. निधियों को रखे जाने के कारण उसे निर्धारित नहीं किया जा सका था। इन निधियों का उपयोग भी लेखापरीक्षा द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका था। नि.भा.अ. (ग्राम निधि-6) हेतु अलग बैंक खाते अक्तूबर 2012 के पश्चात् खोले गए थे। सं.स्व.अ. हेतु निधियों को निर्धारित न किए जाने के कारण, उचित निधि प्रबंधन आश्वासित नहीं किया जा सका था।
11	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद जि.प. तथा ऑस्ग्राम-।। पं.स. ने दो खाते अनुरक्षित किए थे तथा अलीपुरदुआर-। पं.स. ने अलग-अलग अवधियों में तीन बैंक खाते रखे हुए थे। परंतु उपरोक्त किसी भी मामले में, वित्त विभाग से अपेक्षित संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। तथापि, सं.स्व.अ. निधियों हेतु चयनित जिलों ने अलग बैंक खाते रखे थे।

[विवरण मंत्रालय में उपलब्ध लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी से लिए गए हैं।]

बचत बैंक खाते में न रखी गयी निधियां
(पैराग्राफ सं. 4.13(ii) के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग जिले की सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियां सितम्बर 2011 तक बचत बैंक खाते में रखी गयी थीं, जिसके पश्चात् उनका अंतरण चालू बैंक खाते में कर दिया गया जिसके कारण उसके बाद ब्याज अर्जित नहीं किया जा सका था।	-
2	जम्मू एंव कश्मीर	दो चयनित ब्लॉकों (रामहाल एंव त्रेहगम) तथा जिला विकास आयुक्त, रामबाण ने चालू बैंक खातों में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियां जमा की थीं जिसके कारण विभाग को ब्याज के रूप में ₹5.87 लाख की हानि हुई। अन्य इकाइयों में भी ऐसे मामलों के होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता था। विभाग ने बताया कि भविष्य में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए अनुरक्षित चालू खातों को बचत बैंक खातों में बदल दिया जाएगा।	**5.87**
3	नागालैण्ड	ले.ले.वि. से यह पाया गया कि नागालैण्ड में 2011-12 से 2013-14 के दौरान 11 जिलों में से 5 में योजना की निधियों को चालू खाते में रखा गया जिसके कारण ब्याज की हानि हुई। 2011-12 के दौरान संस्वीकृत ₹4.26 करोड़ के राज्य अंश में से वित्त विभाग ने सिविल जमा (सि.ज.) में 88 दिनों के लिए ₹4.05 करोड़ की राशि रखी थी जिसके कारण रा.ज.स्व.मि. को ₹3.90 लाख के ब्याज की हानि हुई थी।	**3.90**
4	राजस्थान	अनुकूल राज्यीय हिस्सेदारी को जिला परिषदों के निजि जमा (नि.ज.) खातों में रखा गया था। चुरू , सिकर, भिलवाड़ा, जालोर, श्रीगंगानगर एंव उदयपुर के छः नमूना परीक्षित जिलों में राज्य अंश की ₹9.59 करोड़ की राशि को 10 से लेकर 365 दिनों तक नि.ज. खातों से जि.प. के सं.स्व.अ. के खातों में अंतरित किया गया था। संबंधित जि.प. के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (जून-सितम्बर 2014) कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधियों को नि.ज. खातों में प्राप्त किया गया था।	-
5	तमिलनाडु	राज्य अंश को दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से न संचालित कर राज्य वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से किया गया था।	-
6	उत्तर प्रदेश	योजना का केन्द्रीय अंश एस.एस.एम द्वारा सीधे ही डी.एस.एम. के बैंक खातों में जारी किया गया था जबकि राज्य अंश को राज्य राजकोषों में जारी किया गया था। नमूना परीक्षित जिलों ने राजकोषों से निधियां आहरित की थी जिसके कारण 16 से लेकर 348 दिनों तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बैंक खातों में निधियों को क्रेडिट करने में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान ₹1.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।	**112**
		Total	**121.77**

[मंत्रालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा विवरणी से लिए गए विवरण]

ब्याज का गैर लेखांकन
(पैराग्राफ सं. 4.13(iii) के संदर्भ में)

आन्ध्र प्रदेश	राज्य	अभ्युक्ति	राशि(₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर जिले में, चार्टड अकाउटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से पता चला कि 2009-13 की अवधि के दौरान निधि शेष पर अर्जित 15.82 लाख के ब्याज की राशि को नि.भा.अ. खाते में नही लिया गया था।	**15.82**
2	हिमाचल प्रदेश	ज.स्व.स.सं. द्वारा निदेशक, आर.डी.डी. को 2009-14 के दौरान ₹45.99 करोड़ की राशि की निधियों के निर्गम में छ: से लेकर 20 दिनों तक का विलंब हुआ था। इसके कारणवश ज.स्व.स.सं. के बैंक खातों में जून 2014 तक ₹0.18 करोड़ तक की राशि के ब्याज का सचंय हुआ था जिसे मार्च 2014 तक कार्यान्वयन अभिकरणों में अतंरित नहीं किया गया था।	**17.55**
3	जम्मू एंव कश्मीर	रा.ज.स्व.मि. तथा जि.ज.स्व.मि., पुंछ द्वारा अर्जित ₹ 82.05 लाख की राशि को ब्याज के रूप में लेखाओं में लेखांकित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संकथन को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि भविष्य में ब्याज के लेखाकरण में उचित ध्यान रखा जाएगा।	**82.05**
4	झारखंड	2010-11 के दौरान रा.ज.स्व.मि. खाते में शेषों पर ब्याज के रूप में ₹ 0.38 करोड़ की राशि अर्जित की गयी थी। उसी प्रकार, 2011-12 के दौरान रा.अ.स्व.मि. खाते में रखे हुए शेषों पर ₹ 1.13 करोड़ की राशि को ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था।	**37.89** **113.02**
5	मध्य प्रदेश	2009-13 के दौरान, ब्लॉक स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों पर 0.74 करोड़ की राशि को 12 नमूना परीक्षित जिलों के 23 ब्लॉकों में लेखांकित नहीं किया गया था।	**74.00**
6	मणिपुर	2012-13 के दौरान रा.ज.स्व.मि. के खाते में 0.13 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया जो कि दर्शाता है कि खाते में निधियां रखी गयी थी।	**12.86**
7	मेघालय	मेघालय में, क्रमश: 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान रा.ज.स्व.मि. खाते में ₹24.34 लाख तथा ₹47.28 लाख तक की राशि का ब्याज अर्जित हुआ था जोकि यह दर्शाता है कि निधियां खाते में रखी गयी थीं।	**24.34** **47.28**
8	नागालैण्ड	रा.ज.स्व.मि. ने सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों को संचालित करने के लिए बचत बैंक खातों से ब्याज के रूप में 0.38 करोड़ की राशि अर्जित की थी। इस राशि को रा.ज.स्व.मि. के खातों में दर्शाया नहीं गया था।	**38.19**
9	पंजाब	रूपनगर में आनन्दपुर साहिब, जि.ज.स्व.मि. द्वारा 522 आंगनवाडी शौचालयो के निर्माण हेतु अपर उपायुक्त (विकास), रूपनगर को 0.21 करोड़ की राशि अंतरित की थी। बिना कोई कार्य को निष्पादित किए बिना निधियों को वापस (सितम्बर 2011) भेज दिया गया था। अपर उपायुक्त (विकास) के पास अनियमित रूप से निधियॉ रखे जाने के परिणामस्वरूप 0.39 लाख की राशि के ब्याज की हानि हुई थी। उत्तर में, रा.ज.स्व.मि. ने बताया (जून 2014) कि ब्याज की हानि से संबंधित मामले को संबंधित विभाग के समक्ष वसूली के लिए रखा जाएगा।	**0.39**
10	राजस्थान	सीकर, भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर के तीन नमूना परीक्षित जिलों में ग्रामीण स्कूलों में शौचालयों के निर्माण हेतु जिला समन्वयक (जि.स.), सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) को निधियां अंतरित की गई थी। जि.स, स.शि.अ. ने वार्षिक उ.प्र. प्रस्तुत किए थे जिसमें निधियों पर अर्जित 0.17 करोड़ की राशि का ब्याज शामिल नहीं किया गया था। जि.ज.स्व.स, सीकर ने बताया (जून 2014) कि	**16.82** **11.11**

आन्ध्र प्रदेश	राज्य	अभ्युक्ति	राशि(₹ लाख में)
		स.शि.अ. से सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ब्याज को लेखांकित किया जाएगा। जबकि जि.ज.स्व.स., श्री गंगानगर ने बताया (अगस्त 2014) कि स.शि.अ को अंतरित निधि से अर्जित ब्याज वापस लिया जाएगा। जि.ज.स्व.अ., भीलवाड़ा ने स्वीकार किया (जून 2014) कि ₹6.83 लाख की राशि स.शि.अ. के बैंक खाते में पड़ी हुई थी। उसी प्रकार, जि.ज.स्व.स., उदयपुर के सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.)/ मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे आवास (मु.मं.ग.रे.नी.आ.) के अंतर्गत 2012-13 के दौरान वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जि.प. (ग्रा.वि.प्र.) ने ₹18.33 करोड़ की मांग की (फरवरी 2013) थी। जि.ज.स्व.स., उदयपुर ने जि.प. (ग्रा.वि.स.) को ₹5.00 करोड़ अंतरित (फरवरी 2013) किए। जि.प. (ग्रा.वि.स.) ने 2.50 करोड़ (28.01.2014 को 0.50 करोड़ तथा 31.07.2014 को 2.00 करोड़) की अप्रयुक्त राशि को उस पर ₹0.11 करोड़ के अर्जित (31.07.2014 तक) ब्याज के बिना ही वापिस कर दिया था।	
11	उत्तर प्रदेश	2011-14 के दौरान, प्रतापगढ़ में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बैंक खाते में शेष निधियों पर जून 2014 तक अर्जित ब्याज (प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर पर निकाले गए ₹67.14 लाख) को क्रेडिट नहीं किया गया था।	**67.14**
		कुल	**558.47**

[मंत्रालय में उपलब्ध लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी से लिए गए ब्यौरे]

अनुबंध- 4.13
अथशेष और अंतशेष में विसंगतियां
(पैराग्राफ 4.14(i) के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार अथशेष			के अनुसार अंतशेष		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.	उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2011-12	16,380.42	12,968.78	13,272.65	15,604.76	12,788.60	13,892.19
2	छत्तीसगढ़	2009-10	5,756.06	5,756.06	5,792.42	4,331.18	4,325.30	4,352.49
		2010-11	4,331.18	4,331.18	4,352.49	8,601.10	8,601.10	8,015.94
		2011-12	8,601.10	8,601.10	8,015.87	12,024.39	10,206.62	7,763.78
		2012-13	10,206.62	10,206.62	7,763.78	13,273.77	13,273.77	12,325.63
3	गुजरात	2010-11	10,316.05	10,316.10	5,540.34	8,596.60	8,596.60	5,550.95
		2011-12	8,596.60	8,596.60	5,550.95	10,590.02	10,590.00	6,564.25
		2012-13	10,590.02	10,590.00	6,564.25	13,233.97	13,234.00	7294.52
4	हरियाणा	2009-10	3,166.54	2,977.22	3,512.77	2,459.27	2,245.59	2759.7
		2010-11	2,482.17	2,245.59	3,218.55	3,537.56	3,292.29	4,545.04
		2011-12	3,634.57	3,634.38	3,665.68	2,778.24	2,778.25	2,333.93
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1,331.73	1,331.66	1,678.35	1,067.00	1,280.51	1,236.69
		2010-11	1,280.50	1280.50	1,236.69	2,020.38	2,020.38	2,104.64
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	709.54	709.54	1,100.79	992.00	992.00	2,894.18
		2011-12	992.00	992.00	2,894.18	1,112.10	1,112.1	1,289.54
		2012-13	1,112.10	1,112.1	1,289.54	1,079.11	1,052.41	1,247.20
7	झारखण्ड	2010-11	15,697.69	15697.72	13,428.83	15,611.04	15,611.04	14,013.94
		2011-12	15,611.04	15,611.04	14,013.94	22,765.71	22,765.71	19,301.53
8	कर्नाटक	2010-11	3,854.49	3854.49	5,742.48	4,287.22	4,287.22	4,520.24
		2011-12	6,533.53	6,533.55	4,520.24	9,099.18	6488.09	8,674.52
9	केरल	2009-10	1,965.50	1,994.61	1,585.45	1,929.99	1,969.58	1,220.31
10	मध्य प्रदेश	2009-10	9,679.94	9,679.94	13,109.05	8,210.83	4,994.36	8,433.75
		2010-11	8,210.83	4,994.36	8,433.75	18,233.64	10,510.18	11,452.65
		2011-12	18,233.64	10,510.18	11,452.65	14,839.30	3,895.69	9,572.59
		2012-13	14,839.30	3,895.69	9,572.59	18934.75	8,011.44	18,723.04
11	महाराष्ट्र	2009-10	7,620.33	9,086.09	9,941.93	8,678.64	8,774.41	7,751.98
		2010-11	8,678.64	9,050.95	7,751.98	16,404.71	16,810.51	14,931.34
		2011-12	17,440.36	0.98	14,931.34	17,181.77	1.02	12,201.84
		2012-13	17,181.77	1.02	12,201.84	23,984.25	7.86	18,511.42

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार अथशेष			के अनुसार अंतशेष		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.	उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
12	मणिपुर	2009-10	228.62	228.62	498.95	1,361.64	1,361.65	1,359.55
		2010-11	1,361.64	1,361.65	1,359.55	487.52	468.3	648.89
		2011-12	487.52	468.30	648.89	500.79	365.68	960.79
		2012-13	500.79	365.68	960.79	1053.49	733.9	2738.88
13	मेघालय	2011-12	3,259.92	3,259.91	3,154.64	627.21	627.21	826.28
		2012-13	627.21	627.21	826.28	2,472.31	2,472.31	2,373.52
14	नागालैंड	2009-10	31.29	30.98	64.29	20.34	26.84	321.6
		2010-11	20.32	26.84	320.88	1101.18	1101.04	1114.63
		2011-12	1,101.17	1,096.68	1,114.63	410.44	0.81	-82.67
15	ओडिशा	2009-10	14,658.82	11,486.00	14,077.71	18,744.14	13,880.82	17,238.98
		2010-11	18,744.14	13,880.82	17,238.98	21,700.75	16,944.31	18,168.19
		2011-12	21,700.75	16,944.31	18,168.19	30,012.15	25,443.85	25,548.53
16	पंजाब	2009-10	1,324.97	1,324.97	1,551.63	1,061.11	1,061.12	1,280.40
		2010-11	1,061.11	1,061.12	1,280.4	1,899.58	1,899.58	2,083.92
		2011-12	1,899.58	1,899.58	2,082.92	1,980.05	1,980.05	2,261.3
17	राजस्थान	2009-10	7,178.31	4,106.91	5,434.45	9,676.78	5,153.23	7,055.70
		2010-11	9,676.78	4,002.40	7,055.70	9,686.55	3,935.79	8,755.98
		2011-12	9,769.73	3,935.79	8,755.98	13,684.74	5,743.85	11,414.34
		2012-13	13,684.73	5,743.85	11,414.34	20,746.89	8,533.25	16,276.02
18	उत्तराखण्ड	2010-11	1,102.89	1,094.22	924.96	2,157.60	2,204.55	1,391.48
19	उत्तर प्रदेश	2009-10	39,335.86	39,335.86	47,202.21	37,890.84	37,890.84	28,120.91
		2010-11	37,890.84	37,890.84	28,120.91	38,962.88	38,962.88	24,807.73
		2012-13	30,073.78	30,086.92	27,839.24	32,989.72	31,286.30	34,234.57

के.-केन्द्रीय; श-राज्य

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.14
व्यय के आंकड़ों में विसंगतियॉ
(पैराग्राफ 4.14(ii) के सम्बन्ध में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	व्यय		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2009-10	12,210.80	उ.न.	12,609.80
		2010-11	18,084.70	उ.न.	17,890.90
		2011-12	24,713.20	24,713.22	24,206.10
		2012-13	15,746.80	उ.न.	28,292.20
2	छत्तीसगढ़	2009-10	6,383.51	6,383.51	9,468.74
		2010-11	3,083.88	3,083.88	3,415.26
		2011-12	2,138.93	2,123.32	4,763.16
		2012-13	3,932.55	1,547.92	2,313.10
3	गुजरात	2009-10	8,608.31	उ.न.	7,509.59
		2010-11	4,774.90	4,774.90	5,336.90
		2011-12	5,197.46	5,754.32	4,478.10
		2012-13	6,931.82	7,058.36	5,862.31
4	हरियाणा	2009-10	1,523.2	1,818.63	1,631.57
		2010-11	1,565.8	1,580.79	1,908.36
		2011-12	2,187.95	1,938.19	2,287.10
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1,849.06	1,662.68	1,876.04
		2010-11	2,505.75	2,505.75	2,832.91
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	1,597.96	1,597.96	1,663.64
		2011-12	3,037.13	3,037.00	3,043.89
		2012-13	4,366.03	4,392.73	5,002.44
7	झारखण्ड	2009-10	5,849.91	उ.न.	7,641.42
		2010-11	7,188.24	7,188.24	5,358.79
		2011-12	2,421.45	2,421.46	3,313.71
8	कर्नाटक	2009-10	8,983.39	उ.न.	6,494.76
		2010-11	7,267.43	7,267.21	7,862.43
		2011-12	6,330.51	6,488.09	6,812.74
		2012-13	9668.41	9,717.26	9,668.48
9	केरल	2009-10	1,608.43	1,831.45	1,874.56
10	मध्य प्रदेश	2009-10	13,361.70	13,361.70	17,662.10
		2010-11	13,362.10	13,362.13	17,489.90
		2011-12	23,381.60	23,381.57	22,856.10

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	व्यय		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
		2012-13	29,879.50	29,879.44	20,713.70
11	महाराष्ट्र	2009-10	12,402.30	12,402.30	16,241.30
		2010-11	8,392.06	8,198.99	9,869.72
		2011-12	13,339.90	0	11,031.40
		2012-13	10,610.80	12,409.23	9,044.75
12	मणिपुर	2009-10	351.71	355.67	513.08
		2010-11	1,317.47	1,395.93	1,150.96
		2011-12	846.28	1,602.27	979.97
		2012-13	2,110.84	992.42	1,787.99
13	मेघालय	2011-12	3,946.06	3,947.54	3,957.44
		2012-13	2,114.59	2,113.15	1,979.56
14	नागालैंड	2009-10	1,244.38	1,237.95	972.18
		2010-11	323.26	304.01	614.00
		2011-12	1,273.57	1,273.57	1,416.44
15	ओडिशा	2009-10	6,479.83	6,679.00	5,816.85
		2010-11	6,393.42	6,766.78	7,475.82
		2011-12	5,589.83	5,588.32	6,662.99
16	पंजाब	2009-10	441.4	523.80	443.63
		2010-11	502.98	747.25	549.08
		2011-12	277.34	1,637.71	146.3
17	राजस्थान	2009-10	3,474.46	3,514.28	4,362.88
		2010-11	4,342.94	4,204.48	5,176.27
		2011-12	3,895.57	3886.52	4,076.86
		2012-13	5,359.61	5,808.82	10,643.40
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	38,989.20	38,989.19	61,164.50
		2010-11	32,236.10	31,136.63	32,833.20
		2012-13	33,051.80	31,675.00	23,765.30

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.15
ब्याज के आंकड़ों में विसंगतियां
(पैराग्राफ 4.14(iii) के संबंध में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार ब्याज		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	ले.ले.वि.	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2009-10	274.06	उ.न.	301.87
		2010-11	375.61	उ.न.	209.19
		2011-12	621.07	621.07	125.33
		2012-13	0	उ.न.	252.94
2	छत्तीसगढ़	2009-10	238.25	238.24	138.4
		2010-11	222.23	202.23	317.03
		2011-12	203.23	203.23	51.68
		2012-13	387.00	387.00	20.97
3	गुजरात	2009-10	474.13	उ.न.	54.72
		2010-11	326.8	326.80	76.22
		2011-12	453.24	453.23	40.04
		2012-13	484.66	484.68	181.61
4	हरियाणा	2009-10	73.38	82.49	68.32
		2010-11	82.29	83.25	65.38
		2011-12	79.45	79.45	55.91
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	31.93	51.21	16.64
		2010-11	109.46	109.46	49.57
		2012-13	159.37	159.36	22.96
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	36.60	36.60	26.64
		2011-12	111.31	111.30	10.17
		2012-13	106.57	106.57	69.06
7	झारखण्ड	2009-10	215.89	उ.न.	94.88
		2010-11	359.59	359.59	110.13
		2011-12	646.2	646.2	112.89
8	कर्नाटक	2009-10	531.76	उ.न.	18.98
		2010-11	265.85	265.63	14.08
		2011-12	432.29	0	92.76
		2012-13	668.7	668.7	137.83
9	केरल	2009-10	86.33	75.62	86.76
10	मध्य प्रदेश	2009-10	725.64	725.65	144.11
		2010-11	514.53	514.53	109.01
		2011-12	388.71	388.38	290.49
		2012-13	460.96	460.97	189.46
11	महाराष्ट्र	2009-10	354.89	354.89	266.23
		2010-11	471.30	471.30	151.31
		2011-12	775.89	0	162.69
		2012-13	767.82	6.84	144.3

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार ब्याज		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	ले.ले.वि.	स.प्र.सू.प्र.
12	मणिपुर	2009-10	3.78	3.79	0.65
		2010-11	17.66	17.67	0.96
		2011-12	6.56	6.56	46
		2012-13	27.53	27.53	0
13	मेघालय	2011-12	80.93	80.94	16.31
		2012-13	47.28	47.28	42.83
14	नगालैंड	2009-10	4.895	4.89	1.24
		2010-11	0	0.07	1.76
		2011-12	3.64	3.64	0
15	ओड़िसा	2009-10	386.04	341.38	255.66
		2010-11	513.3	507.94	201.33
		2011-12	773.83	772.9	335.64
16	पंजाब	2009-10	50.48	50.48	23.05
		2010-11	49.51	49.5	16.95
		2011-12	58.52	58.52	11.63
17	राजस्थान	2009-10	130.45	130.46	149.51
		2010-11	156.2	156.24	79.09
		2012-13	311.9	311.93	84.53
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	1,055.69	1,746.17	840.94
		2010-11	1,199.60	1,199.59	148.84
		2012-13	1,283.63	1,306.11	51.92
19	उत्तराखण्ड	2010-11	34.94	34.94	20.52

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.16
लेखों की लेखापरीक्षा में विलम्ब
(पैराग्राफ 4.15 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	सी.ए. द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा की तिथि	महीनों में विलम्ब	क्या पहली किश्त जारी की गई	क्या दूसरी किश्त जारी की गई (जारी करने की तिथि)
1	गुजरात	2010-11	05.2.2013	16	हॉ	हॉ(01.03.2011)
		2011-12	25.6.2013	9	हॉ	हॉ(19.03.2012)
		2012-13	28.1.2014	4	हॉ	नहीं
2	हरियाणा	2011-12	27.6.2013	9	हॉ	नहीं
3	हिमाचल प्रदेश	2011-12	18.3.2013	6	हॉ	नहीं
		2012-13	04.3.2014	5	हॉ	नहीं
4	जम्मू एवं कश्मीर	2011-12	23.2.2013	5	हॉ	नहीं
		2012-13	09.3.2014	5	हॉ	नहीं
5	झारखण्ड	2010-11	08.2.2012	4	हॉ	हॉ(25.02.2011)
		2011-12	14.12.2012	3	हॉ	हॉ(07.03.2012)
6	कर्नाटक	2011-12	15.3.2013	6	हॉ	हॉ(02.03.2012)
		2012-13	22.1.2014	4	हॉ	हॉ(28.03.2012)
7	महाराष्ट्र	2010-11	21.02.2012	5	हॉ	हॉ(09.02.2011)
		2011-12	27.03.2014	18	हॉ	नहीं
		2012-13	27.03.2014	6	हॉ	नहीं
9	मणिपुर	2010-11	31.7.2012	10	हॉ	नहीं
		2011-12	26.12.2012	3	हॉ	हॉ(29.03.2012)
		2012-13	31.1.2014	4	हॉ	हॉ(26.03.2013)
10	नागालैंड	2010-11	05.3.2012	5	हॉ	हॉ(28.02.2011)
		2011-12	01.11.2012	1	हॉ	नहीं
		2012-13	04.12.2013	3	हॉ	हॉ(26.03.2013)
11	ओडिशा	2011-12	09.3.2013	5	हॉ	हॉ(20.12.2010)
12	राजस्थान	2010-11	26.2.2012	5	हॉ	हॉ(25.03.2011)
		2011-12	05.3.2013	6	हॉ	हॉ(28.03.2012)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.17
लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों का अप्रस्तुतीकरण
(पैराग्राफ 4.16 के संबंध में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्या लेखापरीक्षकों का अवलोकन प्राप्त हुआ (हॉ/नहीं)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	बिहार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	छत्तीसगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	गुजरात	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	हरियाणा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	झारखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	कर्नाटक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	केरल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	मध्य प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	महाराष्ट्र	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं
12	मणिपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
13	मेघालय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
14	नागालैंड	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ
15	ओडिशा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	पंजाब	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	राजस्थान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं
19	उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.1
सू.शि.सं. निधियों का विचलन
(पैराग्राफ-5.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
1.	भा.प.वि.नि. (एस.ए.सी.ओ.एस.ए.एन.)	डी-11011/77/2007-डी.डबल्यू एस-II	एस.ए.सी.ओ.एस.ए.एन. के प्रतिनिधियों के लिए पास की आपूर्ति	06.2009	80,899
2.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस.)	डी-11011/84/2008-डी.डबल्यू एस-II	नि.ग्रा.पु.विजेताओं के साथ प्रेस वार्ता का कार्यक्रम प्रबंधक	23.06.2009	4,36,288
3.	ड़ाक विभाग	डबल्यू-11037/22/2008 /के.ग्रा.स्वा.का	पोस्टर अनुवाद एवं कला कार्य के डिजायनिंग के लिए	10.07.2009	6,600
4.	विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र	डबल्यू-11037/22/2008/ के.ग्रा.स्वा.का	जल प्रबंधन एवं सतत विकास पर फिल्म की खरीद	10.07.2009	21,280
5.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	डबल्यू-11046/01/2009-के.ग्रा.स्वा.का-पी.टी	आई.सी.डबल्यू जी बैठक का कार्यक्रम प्रबंधक	24.08.2009	2,34,850
6.	स.नि.(इस्टेट्स)	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन की बुकिंग	14.09.2009	98,250
7.	वि.द्र.प्र.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/के.ग्रा.स्वा. का	नि.ग्र.पु. कार्यक्रम के लिए सामाचार पत्रों में विज्ञापन	26.10.2009	60,00,000
8.	के.लो.नि.वि.	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी (पी.टी)	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन में फूल की व्यवस्था	03.11.2009	58,040
9.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस.)	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी.	नि.ग्रा.पु. 2009 के लिए कार्यक्रम प्रबंधक	06.11.2009	12,50,000
10.	के.लो.नि.वि.	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी	नि.ग्रा.पु. 2009 के लिए अ.म.व्य. लाउंज की बुकिंग	12.11.2009	10,500
11.	संपर्क मिडिया प्लानर	डी-11011/25/2007-डी.डबल्यू एस.-II	दो विडियो फिल्मों के निर्माण हेतु	27.11.2009	5,94,220
12.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/ के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु. कार्यक्रम के लिए विज्ञापन की डिजाइनिंग	01.12.2009	15,000
13.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस-II	12000 में मेटों के कुल खर्च का भाग बंदोबस्त	14.01.2010	92,71,440

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
14.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस.-II	परिवहन खर्च	14.01.2010	7,64,359
15.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस-II	12000 मोमेंटों के प्रति खर्च	14.01.2010	23,40,000
16.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/के.ग्रा.स्वा.का	ग्रा.नि.पृ. कार्यक्रम के लिए विज्ञापन की डिजायनिंग पर सेवा कर	18.02.2010	1,545
17.	स्कॉलर प्रकाशन घर	डी-13011/23/2009-ए.जी.वी	6000 मोमेंटों के कुल खर्च का अंश भुगतान	04.03.2010	71,78,167
18.	भा.प.वि.नि.	डी-11011/85/2008-डी.डबल्यू एस-II	कार्यक्रम प्रबंधन	09.03.2010	82,420
19.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	डबल्यू-11046/01/2009-के.ग्रा.स्वा.का-पी.टी	कार्यक्रम प्रबंधन	30.03.2010	2,34,850
20.	के.लो.नि.वि	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी	विज्ञान भवन में फोयर की बुकिंग	31.03.2010	3,400
21.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन	20.10.2010	3,13,965
22.	भा.प.वि.नि	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए खान-पान प्रभारें	08.11.2010	1,20,592
23.	भा.प.वि.नि	जी-12023/3/2010-सा	कार्यक्रम प्रबंधन	16.12.2010	89,306
24.	महेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए वाहनों को किराया पर लेना	16.12.2010	9,201
25.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पृ. कार्यक्रम के लिए सामाचार पत्रों में विज्ञापन	11.02.2011	60,00,000
26.	राष्ट्रीय कृषि बैंक	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	4,96,860
27.	प्रज्ञा अनुसंधान एवं संचार	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,47,050
28.	सामाजिक वि. एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,64,300
29.	मानव अधिकार सोसायटी	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	7,55,580
30.	सामाजिक सेवा सोसायटी	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,83,417
31.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु.कार्यक्रम के लिए विज्ञापनों की डिजायनिंग	19.05.2011	16,545

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
32.	स्कॉलर प्रकाशन घर	डी-13011/23/2009-ए.जी.वी	6000 मोमेटटटों का शेष एवं अंतिम भुगतान	21.07.2011	10,88,761
33.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-कें.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु. कार्यक्रम के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन	16.08.2011	65,37,000
34.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/53/2011-कें.ग्रा.स्वा.का	दिल्ली से राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में रंगीन विज्ञापन	04.01.2012	65,00,000
35.	भा.प.वि.नि (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2010 कार्यक्रम प्रबंधन	18.01.2012	8,45,784
36.	भा.प.वि.नि (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 कार्यक्रम प्रबंधन	05.03.2012	7,60,000
37.	कें.लो.नि.वि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन कि बुकिंग	09.03.2012	1,47,000
38.	कें.लो.नि.वि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन में फूलों की व्यवस्था।	09.03.2012	57,435
39.	भा.प.वि.नि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए अग्रिम खान-पान प्रभारें	--.03.2012	1,60,338
40.	पृथ्वी स्टेशन	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 के लिए मोमेंटों की आपूर्ति	24.03.2012	96,000
41.	भा.प.वि.नि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिन खान-पान प्रभारें	24.03.2012	4,03,596
42.	34 सर्वेक्षण अभिकरण	डबल्यू-11045/42/2010-के.ग्रा.स्वा.का	सर्वेक्षण प्रभारें	30.03.2012	64,17,000
43.	माहेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 के लिए वाहनों की आपूर्ति	08.05.2012	44,936
44.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/9/2012-के.ग्रा.स्वा.का	निविदा पूछताछ का विज्ञापन	30.05.2012	1,00,000
45.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2012-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011-12 के संबंध में समस्त गतिविधियाँ	21.07.2012	5,53,939
46.	एल.ए. कुशन	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु मध्याह्न भोजन आदि	26.12.2012	2,89,897
47.	एक्सिस कम्यूनिकेशन	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु तार्किक व्यवस्था	02.01.2013	2,19,777
48.	स्कोप कॉम्पलेक्स	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु बुकिंग	08.01.2013	8,989

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
49.	माहेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श के लिए वाहनों को किराये पर लेना	07.03.2013	18,132
	कुल:				**6,24,27,508**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.2
राज्य स्तर पर सू.शि.सं. निधियों के उपयोग में अनियमितताएं
(पैराग्राफ-5.2.2 के संदर्भ में)

राज्य	अभ्युक्ति	₹ करोड में
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश, रा.ज.स्व.मि. ने ₹ 170 प्रत्येक पर फलैक्स वाल हैंगिंग की आपूर्ति हेतु नामांकन आधार पर मैसर्स सेटविन, हैदराबाद का चयन (2012) किया। यह पाया गया था कि रा.ज.स्व.मि. ने बाद में खुली निविदा प्रणाली के आधार पर ₹ 124 प्रति वाल हैंगिग, जो नामांकन आधार पर चयनित अभिकरण के साथ सहमत दर से 46 कम थी, पर फ्लैक्स वाल हैंगिग की आपूर्ति हेतु मैसर्स विश्व साई एड का चयन किया था। इस प्रकार, एक नमूना जांच किए गए जिले (चित्तूर) में मैसर्स सेटविन से प्राप्त ₹ 116698 हैंगिंगो पर परिहार्य व्यय को ₹ 0.54 करोड़ परिकलित किया जाना था।	0.54
असम	चार नमूना जांच किए गए जिलों अर्थात् नौगांव, तीसूखियां, नवबारी तथा गोलपाड़ा में ₹ 1.07 करोड की लागत पर सितंबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान लगाए गए 177 होर्डिंगो को जिला प्रशासन द्वारा 'लोक सभा चुनाव-2014 हेतु आचार संहिता' के लागू होने के कारण हटा दिया गया था तथा भण्डार में व्यर्थ पड़े (अगस्त 2014) थे।	1.07
	इसके अतिरिक्त, रा.ज.स्व.मि. ने एक नीजी टी.वी. चैनल के माध्यम से 18,000 सैकेंड़ो को शामिल करके 62 दिनों हेतु 19 नवम्बर 2013 से 18 जनवरी 2014 के दौरान विभिन्न सू.शि.सं. कार्यों पर पांच विज्ञापन फिल्मों के निर्माण एंव प्रसारण के प्रति दिसंबर 2013 से जनवरी 2014 के दौरान ₹ 0.39 करोड का व्यय किया था जो कि स्वच्छता पर विस्तृत जागरूकता सृजित करने हेतु पर्याप्त नहीं था। इसके स्थान पर, रा.ज.स्व.मि. 'दूरदर्शन', जिसका अधिक विस्तृत दर्शक आधार है, सहित अन्य टी.वी. चैनलों के साथ बातचीत करके पूरे वर्ष इसके प्रसारण की योजना कर सकता था।	0.39
बिहार	भोजपुर, दरभंगा, गया, नवादा तथा पटना के पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ₹ 0.21 करोड़ की लागत पर 5285 वाल राईटिंग से 1667 स्थानों का आवरण किया गया था। चूंकि 17 लेखो को कुछ स्थानों पर दीवार पर लिखा गया था। इसलिए वह सामाज के सभी वर्गों तक पहुचने हेतु सू.शि.सं. का उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके थे।	0.21
छत्तीसगढ़	₹ 0.48 करोड का व्यय 2010-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले ग्राम में सेवाओं की मांग का मूल्यांकन करने हेतु ग्राम सूरज अभियान, राज्य सरकार की एक पहल, के कार्यों पर किया गया था। वाहनों को किराए पर लेने, खान-पान सामाग्रियों के प्रापण तथा टेंट सामग्री को किराए पर लेने पर व्यय की गई इस राशि को अनियमित रूप से योजना के सू.शि.सं. को प्रभारित किया गया था।	0.48
गुजरात	जि.ग्रा.वि.अ, वलसाड ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना 10 ग्रा.प. के लिए ठोस व्यर्थ के प्रबंधन हेतु ₹ 16,200 प्रति इकाई की दर पर 15 तिपाहिया तथा ₹ 823 प्रति इकाई की दर पर 225 स्थिर कूड़े दानों की खरीद	0.04

	की साईकिलों तथा ₹4.28 लाख के व्यय को सू.शि.सं. संघटक के अंतर्गत अनियमित रूप से दर्ज किया गया था (मार्च 2011)।	
हिमाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.अ., नाहन ने सू.शि.सं. संघटक से घड़ियों, बैगों, टोपी आदि की खरीद पर ₹5.50 लाख का व्यय किया। यह बताया (जून 2014) गया था कि मदों की खरीद पचांयती राज संस्थानो, गै.स.सं. आदि के प्रायोजन के लिए की गई थी।	0.06
जम्मू एंव कश्मीर	2009-14 के दौरान पुस्तकों शीर्षक शहरी सरकार, शहर तथा स्वच्छता की खरीद पर किए गए ₹0.25 लाख (मार्च 2014) के व्यय को सू.शि.सं. के अंतर्गत दर्ज किया गया था जबकि पुस्तकों की खरीद सू.शि.सं. कार्यों के क्षेत्र से बाहर की गई थी।	0.03
मध्य प्रदेश	सू.शि.सं. निधियों के ₹0.13 करोड़ का जि.ज.स्व.मि. शहडोल द्वारा ग्रा.ज.स्व.स. कार्यवृत पंजिका, मॉनीटरिंग पंजिका, माप पुस्तिका, मूल्यांकन रिपोर्ट के फार्म तथा समापन प्रमाणपत्रों के मुद्रण पर व्यय किया गया था।	0.13
राजस्थान	रा.ज.स्व.मि. द्वारा 2013-14 के दौरान निर्मल ग्राम पंचायत के भौतिक सत्यापन तथा, जल स्वच्छता, सफाई (धुलाई) अनुसमर्थन सर्वेक्षण पर खर्च किए गए ₹2.63 लाख को जि.ज.स्व.स. चुरू में सू.शि.सं. को डेबिट किया गया था, जबकि यह प्रशासनिक व्यय से संबधित था।	0.03
तमिलनाडु	प्रारम्भ में यूनिसेफ को अंतरिम तथा सू.शि.सं. व्यय के रूप में दर्शाए गए ₹3.50 करोड़ की योजना निधि को बाद में योजना खाते में वापस कर दिया गया था।	3.50
उत्तर प्रदेश	सं.झ.वि.ई. ने उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना जिला पंचायत उद्योगों को आदेश देकर नुक्कड़ नाटक, सू.शि.सं. सामग्री, ग्राम प्रेरकों एंव विभागीय कार्यकताओं को प्रक्षिक्षण आदि पर ₹0.70 करोड का व्यय किया। इसी प्रकार, तीन जिलों (पीलीभीत, सीतापुर तथा कुशीनगर) ने रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड। लोहे की शीट/निर्देश बोर्ड की आपूर्ति/संस्थापना हेतु जिला पंचायत उद्योगों को ₹0.48 करोड़ की लागत का आदेश दिया तथा पांच नमूना जांच किए गए जिलों ने तीन अभिकरणों को नुक्कड नाटकों हेतु खुली निविदा प्रमाणित किए बिना ₹0.62 करोड़ अदा किए।	1.80
	₹0.48 लाख की सू.शि.सं. निधि का तीन हैंडीकैम की खरीद हेतु अपवर्तन किया गया था। विधानसभा आम चुनाव-2012 के उद्देश्य हेतु मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को प्रदत्त तीन में से दो हैंडीकैम को वापस नहीं किया गया था जून 2014)। इसके अतिरिक्त, ₹2.32 लाख का राज्य सरकार द्वारा जिला प्रतापगढ़ के जिलाधीश तथा मुख्य विकास अधिकारी को प्रदान किए गए वाहनों तथा जिलाधीश के कैम्प कार्यालय में लगाए गए जेनरेटर हेतु डीजल/पेट्रोल की खरीद हेतु अपवर्तन किया गया था।	0.07
पश्चिम बंगाल	2012-13 के दौरान सू.शि.सं. के उद्देश्य हेतु पूर्व मिदनापूर जिले की सवाजपूत ग्रा.पं. का आंवटित ₹5.00 लाख का ट्यूबवेलों की संस्थापना हेतु उपयोग किया गया था।	0.05
	कुल	**8.40**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध-5.3
वर्ष 2013-2014 के लिए सू.शि.सं. की उपलब्धि
(पैराग्राफ-5.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख मे)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रवेश किए गए जिलों की संख्या	सू.शि.सं. की गतिविधियाँ			
			प्रस्तावित गतिविधियों की संख्या	उपलब्धि प्राप्त गतिविधियों की संख्या	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	12	91,216	440	2,480.96	230.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	1,798	2	322.28	2.18
3.	असम	4	18,819	0	189. 80	0.00
4.	बिहार	38	3,31,537	4,177	9,815.21	134.27
5.	छत्तीसगढ़	16	1,02,474	19,174	1,706.42	283.22
6.	दा. एवं ना. हवेली	0	0	0	0.00	0.00
7.	गोआ	0	0	0	0.00	0.00
8.	गुजरात	25	84,655	5,716	1,589.44	107.53
9.	हरियाणा	0	0	0	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	12	36,167	7,924	1,150.51	199.55
11.	जम्मू एवं कश्मीर	20	22,436	0	1,971.95	0.00
12.	झारखंड	24	1,46,004	41,305	3,378.56	642.85
13.	कर्नाटक	25	1,51,800	4,338	3,688.25	104.11
14.	केरल	1	0	0	85.47	0.00
15.	मध्य प्रदेश	50	3,64,521	6,369	20,630.43	309.86
16.	महाराष्ट्र	33	1,14,972	45,960	5,185.70	1,313.67
17.	मणिपुर	1	70	2	9.53	0.42
18.	मेघालय	7	8,780	0	365.00	0.00
19.	मिजोरम	8	559	0	77.25	0.00
20.	नागालैण्ड	11	166	0	163.85	0.00
21.	ओडिशा	30	9,95,650	27,518	2,324.51	178.63
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0.00	0.00
23.	पंजाब	20	5,780	0	115.00	0.00
24.	राजस्थान	32	145,888	11,371	5,236.16	199.25
25.	सिक्किम	0	0	0	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	29	2,75,878	74,355	6,089.18	171.57
27.	त्रिपुरा	4	41,996	1,665	593.00	25.51
28.	उत्तर प्रदेश	67	3,50,771	144	12,851.39	3.40
29.	उत्तराखंड	13	15,12,217	11,73,835	232.78	149.20
30.	पश्चिम बंगाल	19	6,11,788	2,87,239	7,009.79	1,161.90
	कुल :-	**517**	**54,15,942**	**17,11,534**	**87,262.42**	**5,217.33**

[स्रोत:- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.4
उपयोगिता का राज्यवार इसी तरह सू.शं.स. की उपलब्धता
(पैराग्राफ-5.3 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	उपलब्ध निधि	व्यय की गई राशि
1.	**आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)**	82.08	32.12
2.	बिहार	149.47	22.11*
3.	छत्तीसगढ़	47.67	16.86
4.	जम्मू एवं कश्मीर	NA	1.41*
5.	मध्य प्रदेश	1.35	2.77*
6.	मिजोरम	1.60	0.67*
7.	ओडिसा	47.31	10.66*
8.	पंजाब	36.20 11.27	1.22 NIL*
9.	राजस्थान	15.83	5.41*
10.	तमिलनाडु	47.61	2.62
11.	त्रिपुरा	12.72	2.28
12.	उत्तर प्रदेश	71.19	21.05*
13.	उत्तराखंड	40.86	1.90
14.	महाराष्ट्र	178.50	68.38

*केवल जाँच किये गये जिलों के सापेक्ष आँकड़े

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन]

अनुबंध-6.1
अभिसरण के तहत उपलब्धि
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)
2012-13

क्र.सं.	राज्य नाम	नि.भा.अ. जिलों की कुल संख्या	व्य.घ.शौ, ग.रे.नी				व्य.घ.शौ, ग.र.उ			
			नि.भा.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनरेगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	नि.भा.अ. के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनेरगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	22	3,24,735	15,011	0	0	59,544	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	16	4,775	0	0	0	985	0	0	0
3	असम	26	1,77,008	0	0	0	96,232	0	0	0
4	बिहार	38	5,60,678	0	0	0	2,36,021	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	27	30,222	47	0	0	21,823	149	0	0
6	दा.एवं.ना. हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	25	34,927	317	313	0	1,37,050	1,366	0	0
9	हरियाणा	21	17,435	0	0	0	45,514	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	12	1,275	1	0	0	3,908	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	21	50,589	0	0	0	21,311	0	0	0
12	झारखंड	24	39,702	0	0	0	8,798	0	0	0
13	कर्नाटक	29	2,03,399	0	0	0	93,030	0	0	0
14	केरल	14	5,674	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	50	3,39,282	0	0	0	2,18,907	0	0	0
16	महाराष्ट्र	33	92,103	0	0	0	97,203	1,820	0	0
17	मणिपुर	9	32,208	0	0	0	11,709	0	0	0
18	मेघालय	7	11,955	0	0	0	2,451	0	0	0
19	मिजोरम	8	4,655	0	0	0	312	0	0	0
20	नागालैंण्ड	11	18,630	0	0	0	3519	0	0	0
21	ओड़िशा	30	85,870	0	0	0	32448	0	0	0
22	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	20	43,101	0	0	0	14,320	0	0	0
24	राजस्थान	32	81,700	0	0	0	1,71,100	0	0	0
25	सिक्किम	4	0	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	29	2,43,966	0	0	0	80,250	0	0	0
27	त्रिपुरा	8	4,569	0	0	0	2,466	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	75	45,359	6,958	0	2293	89,514	2,009	0	0
29	उत्तराखंड़	13	37,554	16	359	0	60,261	0	0	0
30	प. बंगाल	19	4,28,448	87	33	0	1,30,667	0	0	0
कुल :-		**627**	**29,19,819**	**22,437**	**705**	**2293**	**16,39,343**	**5,344**	**0**	**0**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-6.2
अभिसरण के तहत उपलब्धि
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)
2013-14

क्र.सं.	राज्य नाम	नि.आ. अ जिलों की कुल संख्या	व्य.घ.शौ, ग.रे.नी				व्य.घ.शौ, ग.र.उ			
			नि.आ.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनेरगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	नि.आ.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनेरगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	22	3,13,802	1,22,113	6,076	0	5,601	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	16	13,789	0	0	0	644	0	0	0
3	असम	26	1,24,408	0	369	0	36,194	0	0	0
4	बिहार	38	98,456	424	310	1,545	63,190	152	0	0
5	छत्तीसगढ़	27	38,088	3,334	0	0	29,369	6,485	0	0
6	दा.एवं.ना. हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	25	25,767	8,439	897	0	1,29,501	20,794	2	0
9	हरियाणा	21	46,316	1,111	5,418	0	70,110	3,461	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	12	2,462	0	0	0	6,708	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	21	50,493	0	0	0	20,391	0	0	0
12	झारखंड	24	43,327	3,974	0	47	33,491	7,287	0	0
13	कर्नाटक	29	3,64,045	1,616	0	0	1,41,652	10,358	0	0
14	केरल	14	39,167	0	0	0	434	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	50	2,79,845	11,348	0	0	2,35,738	3,152	0	0
16	महाराष्ट्र	33	1,98,271	21,675	9,208	0	3,60,771	34,530	0	0
17	मणिपुर	9	24,444	0	0	0	10,998	0	0	0
18	मेघालय	7	22,488	0	3	0	6,524	0	0	0
19	मिजोरम	8	3,940	0	0	0	584	0	0	0
20	नागालैण्ड	11	20,102	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	30	24,784	3,003	0	0	8,975	2,363	0	0
22	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	20	1,597	0	0	0	2,315	0	0	0
24	राजस्थान	32	1,02,905	4,781	510	1,098	1,63,292	25,081	0	0
25	सिक्किम	4	3,389	0	0	0	54	0	0	0
26	तमिलनाडु	29	1,60,747	4,051	0	3,108	1,52,655	7,206	0	245
27	त्रिपुरा	8	5,365	2,164	0	0	712	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	75	2,13,312	37,569	3,025	6,871	5,75,780	81,982	0	40
29	उत्तराखंड	13	25,899	302	1,368	0	65,185	140	0	0
30	पश्चिम बंगाल	19	3,06,363	60,723	1,394	2,064	3,01,855	69,994	0	0
कुल :-		**627**	**25,53,571**	**2,86,627**	**28,578**	**14,733**	**24,22,723**	**2,72,985**	**2**	**285**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-6.3
राज्य स्तर पर अभिसरण
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)

राज्य	अवलोकन
आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	2013-14 के दौरान म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में की गयी भुगतान के संबंध में रा.ज.स्व.मि. का बैंक विवरण यह उद्घाटित करता है कि एकल खिड़की व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया ₹4.27 करोड़, बैंक खातों के गैर आस्तित्व/विभिन्न नाम के साथ खातों के गैर अस्तित्व/विभिन्न खाते के कारण वापस लौट गया। जिला स्तर पर, छः जॉच परीक्षित जिलों के दो (अदिलाबाद तथा करीमनगर) में अभिसरण पाया गया, जहॉ म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत उपलब्ध ₹140.54 करोड़ में से, केवल 31.33 करोड़ व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। कोई भी विद्यालय शौचालय करीमनगर को छोड़कर जहॉ ₹2.10 करोड़ के खर्च पर 600 का निर्माण किया गया था किसी भी जिले में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो के साथ अभिसरण के अंतर्गत नहीं बनाया गया। कोई भी आंगनबाड़ी शौचालय तथा ठो.त.व्य.प्र. कार्य किसी भी जॉच परीक्षित जिले में म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण के अंतर्गत हाथ में नहीं लिया गया। जि.ज.स्व.मि. विशाखापत्तनम ने सा.स्व.पं. के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को वर्णित किया।
अरूणाचल प्रदेश	यद्यपि कार्यान्वयन अभिकरणों ने दावा किया कि नि.भा.अ. परियोजनाओं के प्रभावी योजना एवं कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण क्रियाविधि बनायी है, परंतु इसके समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं था।
असम	राज्य सरकार प्रति व्य.घ.शौ. ₹6000 की कीमत तथा बांस के अस्थायी अधिसंरचना तथा छत पर एक जी.सी.आई शीट से बने व्य.घ.शौ. के प्रारूप को अंतिम रूप दिये गये स्वीकृति (सितम्बर 2013) के समय म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन हेतु विचार नहीं किया। इसके कारण, अधिसंरचना ईंट की दीवार से नहीं पूर्ण हुआ तथा 2013-14 के दौरान ₹4.76 करोड़ (7931x 6000) के कुल व्यय से नलबारी जिले में निर्मित किए गए 7,931 व्य.घ.शौ. निम्नकोटी के साबित हुए। आगे, असम के पॉच नमूना जिलों में विषय विभाग के बीच सहयोग के अभाव के कारण इस अवधि के दौरान बने 1.61 लाख इं.आ.यो. घरों में योजना के अंतर्गत केवल 8222 व्य.घ.शौ. ही बन सके।
बिहार	जॉच परीक्षित जिलों के जि.ज.स्व.स. ने इं.आ.यो. के लिए 166 ब्ला.वि.अ. को ₹36.60 करोड़ का तथा म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के अंतर्गत व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए 927 ग्रा.प. को ₹27.95 करोड़ का हस्तांतरण किया (दिसम्बर 2011 से मार्च 2014) लेकिन केवल तीन जांच-परीक्षित जिलों[1] ने म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. अभिसरण अंतर्गत 825 इकाईयों के लिए `0.38 करोड़ की उ.प्र. प्रस्तुत किया (अगस्त 2014)। इं.आ.यो. अभिसरण के अंतर्गत व्य.घ.शौ. के निर्माण के विषय में ब्ला.वि.अ. ने अगस्त 2014 तक सूचित नहीं किया।
छत्तीसगढ़	चार जांच परीक्षित जिलों में,म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण में 2012-14 के दौरान 29,674 शौचालयों को संस्वीकृति प्रदान की गयी। फिर भी, ₹13.36 करोड़ का नि.भ.अ. अंश ग्रा.ज.स्व.स. को अवमुक्त किया गया जबकि ग्रा.ज.स्व.जि.प. को ₹13.35 करोड़ का म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंश न तो अवमुक्त किया गया न ही नवम्बर 2014 तक म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. प्राधिकरण द्वारा अनुमत्त शौचालयों के निर्माण हेतु भुगतान किया गया था। यह आगे पाया गया कि जॉच परीक्षित ग्रां.प. में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में हाथ में ली गयी कुल 2995 में से केवल 1181 शौचालय (49 प्रतिशत) ही वास्तव में पूर्ण हुए तथा शेष को म.गां.रा;ग्रा.रो.गां.यो. अंश के अभाव के कारण नवम्बर 2014 तक शुरू नहीं किया जा सका।

[1] नवादा- 401: ₹0.18 करोड़, दरभंगा-300: ₹0.14 करोड़ तथा गया -124: ₹0.06 करोड़

राज्य	अवलोकन
जम्मू एवं कश्मीर	पांच चयनित जिलों के 1045 ग्रा.प. में अभिसरण निम्न था जैसा कि 17378 इं.आ.यो घरों में केवल 305 व्य.घ.शौ. (2 प्रतिशत) का निर्माण हुआ था तथा शेष 17073 घरों में स्वच्छता सुविधाओं का कोई प्रावधान नही था।
झारखण्ड	प.मा.इ. ने 2012-13 तक प्राथमिक आधार पर इं.आ.यो. घरों के आच्छादन के लिए कोई विशेष लक्ष्य तय नहीं किया था। जि.ज.स्व.नि. द्वारा 2013-14 में आच्छादन के लिए 67,153 इ.आ.यो. घरों का एक लक्ष्य अंतिम रूप से तय किया गया था (मई 2013)। इसमें जॉच परीक्षित जिलों में 18,687 शौचालयों का लक्ष्य शामिल था। तय लक्ष्य के प्रति, छः जॉच परीक्षित जिलों में से चार[2] ने ही मार्च 2014 तक 14,130 शौचालयों (म.गां.रा.रो.गां.यो. अभिसरण अंतर्गत 9530 शौचालय सम्मिलित) का निर्माण हाथ में ले सका।
कर्नाटक	तीन जॉच परीक्षित जि.पं. ने इं.आ.यो. घरों जो बिना शौचालय के बने हुए, बिना कार्य स्थल के उचित निरीक्षण के तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु 2013-14 के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड (रा.गां.ग्रा.आ.नि.लि.) को ₹2.55 करोड़ की कुल राशि अवमुक्त की। आगे,रा.गां.ग्रा.आ.नि.लि. ने कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लक्ष्यित पूर्ण इ.आ.यो. घरों एवं लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी सहायता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया। जांच परीक्षित जि.पं./ग्रा.पं. में से किसी ने भी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत सृजित सुविधाएँ या तो निर्माण के लिए या अनुरक्षण के लिए अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो, वि.स.क्षे.वि.यो., म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. तथा राज्य/ग्रा.पं. निधियों से निधियों की सामंजस्यता एवं अभिसरण द्वारा अन्य घटकों जैसे आंगनबाड़ी शौचालयों/विद्यालयों शौचालयों/ठो.त.व्य.प्र. का कार्यान्वयन करने का प्रयास नहीं किया।
केरल	नि.भा.अ. का इं.आ.यो. के साथ अभिसरण था। फिर भी, नि.भा.अ. के साथ म.गां.रा;ग्रा.रो;गां.यो. के साथ कोई उपयोगी अभिसरण नहीं पाया गया।
महाराष्ट्र	207 चयनित ग्रा.पं; में,191 ग्रा.पं. में म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण के द्वारा व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था जबकि 158 ग्रा.पं. में, इं.आ.यो. घरों में व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के साथ पू.स्व.अ./नि.आ.अ. का अभिसरण नहीं हुआ था।
मणिपुर	दो नमूना जिलों में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ कोई अभिसरण कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया था। आगे, इं.आ.यो. के साथ अभिसरण के संबंध में अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था।
मेघालय	दो चयनित जिलों में से,म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में व्य.घ.शौ. के निर्माण कार्य पूर्वी खासी हिल्स जिले के केवल दो चयनित ब्लाकों में (मॉकिन्रियू तथा मिलियम) में आरंभ किया गया। आंगनबाड़ी शौचालय, विद्यालय शौचालय तथा ठो.त.व्य.प्र. कार्य का निर्माण आरंभ नहीं किया गया तथा नि.भा.अ. के साथ म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरित करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स.क्षे.वि.यो., म.गां.ग्रा.रो.गां.यो. इत्यादि से निधियों के सामंजस्य करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया था।
मिजोरम	राज्य स्तर जल एवं स्वच्छता मिशन ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण क्रियाविधि विकिसित करने हेतु कोई संगठित प्रयास नहीं किया।
नागालैण्ड	राज्य में कार्यान्वित म.गां.रा;ग्रा.रो.गां.यो. या अन्य योजनओं के साथ पू.स्व.अ./नि.भा.अ. को कोई अभिसरण नहीं था।
ओडिशा	2009-14 के दौरान 21 नमूना ब्लाकों में से 17 में 17580 इं.आ.यो. घरों का निर्माण बिना शौचालय के किया गया था लेकिन ये घर व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत अच्छादित नहीं थे क्योंकि जि.ज.स्व.मि. ने संबंधित जिलों के किसी भी ब्ला.वि.अ. को निष्पादन पर प्रोत्साहन राशि नहीं प्रदान की। आगे, म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में नि.भा.अ. के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सशक्तिकरण कार्यक्रम (गा.स.का.) के राज्य कार्यक्रम में 49.31 लाख लाभार्थी (ग.रे.नि. `22.26 लाख,

[2] दुमका, गढ़वा, गुमला तथा रामगढ़

राज्य	अवलोकन
	ग.रे.उ. `27.00 लाख तथा आ.के. `0.05 लाख) चिन्हित किए गए थे, फिर भी 2013-14 के दौरान राज्य में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में केवल 5366 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया जा सका। 2013-14 के दौरान आठ जॉच परीक्षित जिलों में से दो में म.गा.रा.रो.गां.यो. के अभिसरण में नि.भा.अ. के अंतर्गत केवल 2,095 व्य.घ.शौ. निर्मित किए गए थे।
पंजाब	2012-14 के दौरान 7,814 इं.आ.यो. घर बिना शौचालय के बने थे जो पर्याप्त निधि रहने के बावजूद व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे। आगे, म.गां.रा.गा.रो.गां.यो. के साथ कोई अभिसरण क्रियाविधि नहीं अपनायी गयी थी।
राजस्थान	2009-10 से 2013-14 के दौरान इं.आ.यो./अन्य राज्य आवसीय योजना के अंतर्गत आठ जिलों में 16 परीक्षित ब्लाकों में 26692 घरों को निर्मित किया गया था। लेकिन पू.स्व.अ. अंतर्गत केवल 6168 (23 प्रतिशत) घरों में शौचालय निर्मित किए गए थे।
तमिलनाडु	व्य.घ.शौ. को छोडकर म.गां.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में कोई अन्य योजना घटक कार्यान्वित नहीं किया गया था।
त्रिपुरा	बोक्सनगर ब्लाक में, 450 व्य.घ.शौ. का निर्माण म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. से ₹4,500 प्रति व्य.घ.शौ. के वित्तीय सहायता के साथ आरंभ किया गया था। म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन के बजाय, ₹0.20 करोड़ की सम्पूर्ण राशि पू.स्व.अ. बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गयी थी तथा कार्य पू.स्व.अ. अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की गई थी, जो पूर्ण होनी अभी तक बाकी थी। मोहनपुर ब्लाक में, 2013-14 में 487 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु, लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹4500 के म.गां.रा.ग्रा.रो.यो. घटक का हस्तांतरण हुआ था। फिर भी, कार्य अगस्त 2014 तक पूर्ण नहीं हुआ था। 17,197 इं.आ.यो. घरों जो बिना शौचालय के निर्मित थे, योजना से कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए गए थे। स.शि.अ. निधि का योगदान दक्षिण त्रिपुरा जिले में 590 विद्यालय शौचालयों के निर्माण में हुआ तथा पश्चिमी त्रिपुरा जिले में 890 विद्यालय शौचालयों का निर्माण सां.स्था.क्षे.वि.यो. तथा 13वें वित्त आयोग के साथ अभिसरण में हुआ था। पश्चिमी त्रिपुरा जिले में, म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में 310 आंगनबाड़ी शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ था।
उत्तर प्रदेश	सात जिलों में, म.गां.रा.ग्रा.यो. के साथ अभिसरण में संस्वीकृत 0.60 लाख व्य.घ.शौ. में से, 0.35 लाख व्य.घ.शौ. (64 प्रतिशत) अभिसरण में विलंब के कारण अपूर्ण रहे। संस्थागत शौचालयों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने तथा ठो.त.व्य.प्र. तथा सामुदायिक योगदान को पूरा करने के लिए भी अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स्था.क्षे.वि.यो., राज्य/ग्रा.पं. निधि से निधियों की सामंजस्यता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
उत्तराखण्ड	उ.सि. नगर को छोड़कर चयनित जिलों में लाभार्थियों को जिन्होंने म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. निधि से व्य.घ.शौ. का निर्माण कराया था को प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था।
पश्चिम बंगाल	पांच चयनित जिलों में से किसी में भी योजना के अंतर्गत कोई भी निधि इं.आ.यो. लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गई थी। जहॉ तक म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण का संबंध है कुल गतिविधियॉ मुर्शिदाबाद तथा वर्धमान जि.पं. द्वारा सूचित की गई थी। फिर भी, पूर्वा, मेदिनीपुर, जलपाईगुरी तथा उत्तर दीनाजपुर जि.पं. में अभिसरण का कोई सबूत नहीं था आगे पांच चयनित जिलों में संस्थागत शौचालयों के अतिरिक्त व्यय तथा ठो.त.व्य. को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे सा.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स्था.क्षे.वि.यो. तथा राज्य/ग्रा.पं. निधि में से निधियों का उपयोग किया गया था। पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत सृजित सुविधाओं को अनुक्षरण या सा.स्व.पं. के निर्माण के लिए सामुदायिक अंशदान को दर्शाने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित किए गए]

अनुबंध-7.1

(पैराग्राफ-7.3 के संदर्भ में)

अ. **मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये ग.रे.नी.-व्य.घ.शौ (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकडों में अंतर**

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़ें	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	29201	33941
		2010-11	लक्ष्य	41464	51266
		2010-11	उपलब्धि	14346	13412
		2012-13	लक्ष्य	31014	12345
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	64915	51644
		2010-11	लक्ष्य	30266	31472
		2011-12	लक्ष्य	1990	3975
		2013-14	लक्ष्य	2	17500
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	लक्ष्य	157536	157554
		2009-10	उपलब्धि	48672	49636
		2010-11	लक्ष्य	211845	212581
		2010-11	उपलब्धि	30038	35880
		2011-12	लक्ष्य	77700	80000
		2011-12	उपलब्धि	60639	51352
		2012-13	उपलब्धि	50589	50125
		2013-14	लक्ष्य	128163	144471
		2013-14	उपलब्धि	50493	62730
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	638181	600949
		2010-11	लक्ष्य	887105	831150
		2011-12	लक्ष्य	456285	644244
		2011-12	उपलब्धि	197070	191070
		2012-13	लक्ष्य	280799	284641
		2013-14	लक्ष्य	217187	304927
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	68551	63846
		2013-14	लक्ष्य	5034	44000
		2013-14	उपलब्धि	24444	17616
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	957781	916892
		2009-10	उपलब्धि	285318	262112
		2010-11	लक्ष्य	1291111	1218299
		2010-11	उपलब्धि	396500	407550
		2013-14	उपलब्धि	24784	18886
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	116050
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	31068	25819
		2013-14	लक्ष्य	4685	5028

ब. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये ग.रे.उ.-व्य.घ.शौ (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकड़ों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़े	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	1156	10256
		2010-11	लक्ष्य	6489	7357
		2010-11	उपलब्धि	5433	3270
		2012-13	लक्ष्य	4339	1048
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	155933	95183
		2010-11	लक्ष्य	40283	59080
		2011-12	लक्ष्य	5300	11257
		2013-14	लक्ष्य	120	98000
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2012-13	उपलब्धि	21311	18194
		2013-14	लक्ष्य	81544	94844
		2013-14	उपलब्धि	20391	27312
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	828152	877720
		2010-11	लक्ष्य	911659	989102
		2011-12	लक्ष्य	399098	640146
		2012-13	लक्ष्य	274162	272417
		2013-14	लक्ष्य	217359	182360
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	19517	23517
		2013-14	लक्ष्य	700	16000
		2013-14	उपलब्धि	10998	8984
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	613423	660094
		2009-10	उपलब्धि	253759	214442
		2010-11	लक्ष्य	1066034	1030708
		2010-11	उपलब्धि	456803	479039
		2013-14	लक्ष्य	343218	343216
		2013-14	उपलब्धि	8975	5947
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	86623
		2009-10	उपलब्धि	120663	37397
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	45500	32173
		2013-14	लक्ष्य	9695	12161

स. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये स्कूल शौचालय (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकड़ों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़ा	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	2092	510
		2010-11	लक्ष्य	201	401
		2010-11	उपलब्धि	335	111
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	8368	4242
		2010-11	लक्ष्य	7818	8271
		2011-12	लक्ष्य	1842	5598
		2013-14	लक्ष्य	1813	3500
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	उपलब्धि	3540	3499
		2010-11	लक्ष्य	3201	9182
		2010-11	उपलब्धि	1480	1545
		2011-12	उपलब्धि	2682	2671
		2012-13	उपलब्धि	2011	1728
		2013-14	लक्ष्य	3051	3313
		2013-14	उपलब्धि	363	454
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	1276	740
		2010-11	लक्ष्य	1900	2102
		2011-12	लक्ष्य	1353	4890
		2012-13	लक्ष्य	2044	3573
		2013-14	लक्ष्य	323	2453
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	1772	2064
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	20940	21143
		2009-10	उपलब्धि	14262	13727
		2010-11	लक्ष्य	6766	6488
		2010-11	उपलब्धि	3418	4414
		2012-13	उपलब्धि	1138	1043
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	2787
		2013-14	लक्ष्य	90	0
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	1574	1495
		2013-14	लक्ष्य	704	131

द. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आँगनबाड़ी शौचालयों के आँकडों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़े	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	787	722
		2010-11	लक्ष्य	515	303
		2010-11	उपलब्धि	331	201
2.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	उपलब्धि	29	24
		2010-11	लक्ष्य	850	868
		2010-11	उपलब्धि	42	40
		2011-12	उपलब्धि	97	79
		2012-13	उपलब्धि	76	78
		2013-14	लक्ष्य	204	222
		2013-14	उपलब्धि	4	52
3.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	3901	2625
		2010-11	लक्ष्य	6377	6498
		2011-12	लक्ष्य	2151	5690
		2013-14	लक्ष्य	456	700
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	2140	616
		2010-11	लक्ष्य	2794	154
		2011-12	लक्ष्य	3831	4331
		2012-13	लक्ष्य	2514	3658
		2013-14	लक्ष्य	713	3495
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	577	1006
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	11419	11298
		2009-10	उपलब्धि	4866	4694
		2010-11	लक्ष्य	5657	6110
		2010-11	उपलब्धि	1459	1558
		2011-12	लक्ष्य	3138	3138
		2011-12	उपलब्धि	3320	3320
		2012-13	लक्ष्य	2141	2141
		2012-13	उपलब्धि	956	942
		2013-14	लक्ष्य	1840	1840
		2013-14	उपलब्धि	45	28
7.	पंजाब	2013-14	लक्ष्य	1383	6566
		2013-14	उपलब्धि	162	21
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	792	507
		2012-13	लक्ष्य	27	0
		2013-14	लक्ष्य	25	0

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-7.2
राज्य/जिला स्तर पर निरीक्षण
(पैराग्राफ-7.9.1 में संदर्भित)

राज्य	अभियुक्ति
आँध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	श्रीकाकुलम में निरीक्षण किया गया लेकिन चित्तूर, करीमनगर तथा विशाखापत्तनम के मामले में कोई क्षेत्र निरीक्षण का संचालन नहीं किया गया था। अदिलाबाद और खम्माम के संबंध में स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
जम्मू तथा कश्मीर	2009-14 के दौरान निरीक्षण नहीं किया गया था। फिर भी, बड़गाम जिले ने 2009-14 के दौरान चार निरीक्षण किया था, परन्तु अभी तक इन निरीक्षणों का प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं था या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
मेघालय	निरीक्षण की सूची तैयार नहीं थी लिहाजा ऐसे निरीक्षणों को यदा-कदा, अव्यवस्थित तथा तदर्थ तरीके से किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे निरीक्षणों का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
मिजोरम	यह दावा किया गया था कि नियमित क्षेत्र निरीक्षण भिन्न-भिन्न राज्य एंव राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा संपन्न हुए थे लेकिन राज्य/राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी निरीक्षण प्रतिवेदनों/टिप्पणियों की कोई भी प्रतिलिपि, यदि कोई थी, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई जा सकी थी।
पंजाब	योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लागत निम्न होने के कारण, वांछित व्य.घ.शौ, का निर्माण नहीं किया जा सका, लेकिन जहाँ कहीं भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी शौचालएँ बनाई गई थीं विभाग के संबंधित राज्य अधिकारी द्वारा अनिवार्य निरीक्षणें की गई थीं। फिर भी, इससे संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
उत्तर प्रदेश	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया था। जिला पंचायती राज अधिकारी (जि.पं.रा.अ) तथा जिला परियोजना समन्वयक (जि.प.स.) ने 2009-14 के दौरान गाँवों में चल रहे योजना का संयुक्त निरीक्षण किया था तथा पू.स्व.अ./नि.भा.अ. को सम्मिलित करते हुए सभी योजनाओं पर निरीक्षण प्रतिवेदनों को तैयार किया था। निरीक्षण प्रतिवेदनों में व्य.घ.शौ. की गुणवत्ता के मामले में निर्माण में कमी परिलक्षित हुआ। आरोग्यकर शौचालयों के गैर/अनुचित उपयोग के मामले भी पाये गये थे। अधिकांश मामलों में, निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। फिर भी, निरीक्षण प्रतिवदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
उत्तराखंड	चार नमूना जिलों में से, केवल जि.का.प्र.ई. उ. सिंह नगर ने अप्रैल 2012 तक निरीक्षणें की। तथापि, अन्य नमूना राज्यों में से किसी में ऐसी कोई निरीक्षण नहीं की गयी थी। यह भी देखा गया था कि अप्रैल 2012 में प.मा.ई से निर्देश मिलने के बाद, उ.सिहं नगर एंव अलमोड़ा जिलों में क्षेत्र स्तर पर निरीक्षणें की गई थीं। तथापि, ऐसी कोई सूचना या अभिलेख अन्य दो जिलों देहरादून तथा

	पौड़ी में उपलब्ध नहीं थी।
पश्चिम बंगाल	राज्य में लगातार निरीक्षण किया जा रहा था। तथापि, केवल नि.ग्रा.पु. निरीक्षण प्रतिवेदनें ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ग्रा.वि.मं. को प्रस्तुत की गई थी। मुर्शिदाबाद जिला में, पांच चयनित प.स. के प.स. स्तर के अधिकारियों ने 2012-13 से तथा बाद के शौचालयों के निर्माण का निरीक्षण किया।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़ा संकलित]

अनुबंध-7.3
स्वच्छता दिवस
(पैराग्राफ-7.9.4 में संदर्भित)

राज्य	अभ्युक्ति
महाराष्ट्र	207 चयनित ग्रा.प. में, 2009-14 की अवधि के दौरान 8,727 के विरूद्ध केवल 1,635 स्वच्छता दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त, 871 स्वच्छता दिवस के सबंध में कार्यवाहियों का अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया।
नागालैण्ड	स्वच्छता दिवस वर्ष में एक से चार गुना तक मनाया गया लेकिन गाँवों द्वारा दिशा-निर्देश में परिकल्पित मानकों का पालन नहीं किया गया।
राजस्थान	2011-12 के दौरान 147 जाँच-परीक्षित ग्रा.पं. में से रानीवारा के छः ग्रा.प. (रानीवारा कलां, बंधार, जलेरा खुर्द, अजोदर, कागमाला तथा दहीपुर) ने केवल एक स्वच्छता दिवस मनाया तथा शेष ग्रा.प. में यह नहीं मनाया गया।
तमिलनाडु	थिरूवन्नमलई जिलें में 860 ग्राम पंचायतों में से केवल 40 में एक वर्ष में छः महीनों के लिए स्वच्छता दिवस देखा गया (2009-10 से 2013-14).

ग्राम स्वच्छता सभा

राज्य	अभियुक्ति
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	श्रीकाकुलम राज्य में छोड़कर (कमी के बावजूद), अदिलाबाद करीमनगर, खम्माम, चित्तुर तथा विशाखापत्तनम में से किसी अन्य ग्रा.पं. में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ग्रा.स्व.स. संचालित नहीं की गयी।
महाराष्ट्र	107 चयनित ग्रां.प. में (207 में से), 2009-14 अवधि के दौरान नियत की गयी 1,070 के विरूद्ध 214 ग्रा.स्व.स. बुलायी गयी।
मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स में, प्रत्येक गाँव में ग्रा.स्व.स. के स्थान पर ग्रा.ज.स्व.स. थी तथा यह पू.स्व.अ. योजना तथा स्वच्छता एंव अन्य सम्बंधित गतिविधियों के लिए नियमित बैठक करती थीं। फिर भी, ब्लॉक/राज्य को कोई लिखित कार्यवृत प्रस्तुत नहीं की गयी।
राजस्थान	147 जाँच-परीक्षित ग्रां.प. में से केवल चार ग्रा.प. बंधार, जलेरा खुर्द, दहीपुर (2011-12 के दौरान) तथा रानीवारा कलां (2011-14) में ग्रा.स्व.स. बुलायी गयी। ग्रा.स्व.स. अन्य किसी जाँच-परीक्षित ग्रा.प. में नहीं बुलायी गयी।
तमिलनाडु	40 ग्राम पंचाययों द्वारा भी ग्राम स्वच्छता सभा बुलायी गयी, यघपि इस कार्य के लिए अभिलेख अनुरक्षित नहीं की गयी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित की गई]

अनुबंध-7.4
विभागीय परीवीक्षण
(पैराग्राफ-7.9.5 के संदर्भ में)

राज्य	अभियुक्ति
अरूणाचल प्रदेश	ब्लॉक/पं.रा.सं. स्तर के अधिकारियों ने प्रत्येक ग्रा.पं. में प्रगति की समीक्षा नहीं की थी। राज्य पंचायत के मु.का.अ./जि.ज.स्व.सम. के सचिवों ने ब्लॉक अधिकारियों के साथ योजना के प्रगति की समीक्षा नहीं की थी।
जम्मू एंव कश्मीर	ब्लॉक पं.रा.सं. तथा विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 2009-14 के दौरान बड़गाम को छोड़कर जहाँ प्रत्येक वर्ष के दौरान एक बैठक होती थी, कार्यों के प्रगति समीक्षा नहीं की। ब्लॉक अधिकारियों के साथ मासिक आधार पर राज्य पंचायत अधिकारियों द्वारा ब्लॉकों में परियोजना के प्रगति की ऐसी समीक्षा के संचालन के संबंध में अभिलेखो को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया।
झारखंड़	जिम्मेवार निकायों द्वारा किसी भी स्तर पर सावधिक बैठकें नहीं की गयी थीं। जाँच परीक्षित जि.ज.स्व.मि./जि.ज.स्व.स. की समीक्षा बैठक सामान्यत: लक्ष्यो एंव उपलब्धियों की चर्चा करने तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों को कार्यान्वयन की गति तेज करने का निर्देश देने तक सीमित थी। समान स्थिति राज्य पर की गयी समीक्षा बैठकों में भी पायी गयी।
कर्नाटक	129 जाँच-परीक्षित ग्रा.प. में से किसी में भी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन की समीक्षा तालुक /ब्लॉक स्तर के अधिकारियों या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा 2009-14 अवधि के दौरान नहीं की गयी। राज्य स्तर पर, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी-सचिव को राज्य अधिकारियों के साथ पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के प्रगति की समीक्षा करनी थी। ऐसी कोई भी समीक्षा राज्य स्तर पर संचालित नहीं की गयी।
ओडिशा	ब्लॉक प.रा.सं. तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 2009-14 के दौरान ब्लॉकों के किसी भी ग्रा.प.में प्रगति की समीक्षा नहीं की। ब्लॉक विकास अधिकारीगण 2009-14 के दौरान राज्य पंचायतों के मु.का.अ. द्वारा ब्लॉक अधिकारियों के साथ की गयी मासिक समीक्षा में कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने में असफल रहें। आगे, 2009-14 के दौरान, न तो ब्लॉक अधिकारियों के साथ स.स. द्वारा पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के प्रगति की समीक्षा से संबंधित अभिलेख और न ही सदस्य सचिवों, जि.ज.स्व.मि. द्वारा प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये।
उत्तर प्रदेश	व्य.घ.शौ. के अंतर्गत पूर्व स्थिति में लौटे मामलों को चिन्हित नहीं किया गया तथा पू.स्व.अ. के अंतर्गत सामुदाय को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई।
उत्तराखंड	किसी स्तर पर न नि.भा.अ. परियोजनाओं के परीविक्षण के लिए क्रियाविधि विकसीत की गयी और न दिशा-निर्देशों के अनुसार परीविक्षण किया गया। यह पाया गया कि राज्य स्तर पर अनिवार्य 20 समीक्षाओं में से केवल एक विडीयो कांफ्रेंस तथा एक बैठक (10 प्रतिशत) संचालित की गयी।

पश्चिम बंगाल	ग्रा.प. स्तर पर स्वच्छता कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रणाली नहीं थे। अत: पाँच चयनित राज्यों में ऐसी कोई समीक्षा प.स.स्तर पर नहीं की गयी। जि.प. कार्य एंव स्वच्छता के कार्यान्वयन तथा प्रगति के प्रति समीक्षा करने के लिए अधिकृत या ने भी ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य अधिकारियों के प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर आयुक्त द्वारा तथा त्रैमासिक आधार पर प्रभारी-सचिव द्वारा की जाती है। फिर भी, उन समीक्षाओं के संचालन की अवधि को दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध नहीं था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आकड़े संकलित]

शब्दावली

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
ऐ.आई.पी	वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो)
ए.पी.सी	अतिरिक्त उत्पादन केन्द्र (अ.उ.के)
ए.पी.एल	गरीबी रेखा से उपर (ग.र.उ)
ए.एस.ए	लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी (ले.ले.वि)
ए.एस.एच.ए	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियतावादी (प्र.सा.स्वा.स)
ए.डब्ल्यू.सी	आंगनबाड़ी केन्द्र (आ.के)
बी.एफ.टी	शिशु अनुकूल शौचालय (शि.अ.शौ)
बी.एल.एस	आधार-रेखा सर्वेक्षण (आ.रे.स)
बी.पी.एल	गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी)
बी.आर.सी.	ब्लाक अनुसंधान केन्द्र (ब्.अ.के)
सी.ए.जी	भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक (भा.नि.म.प)
सी.बी.आई	केन्द्रीय जांच ब्यूरो (के.जा.ब्)
सी.सी.डी.यू	संचार एंव क्षमता विकास इकाई (स.क्ष.वि.इ)
सी.ई.ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ)
सी.आर.एस.पी.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (के.ग्रा.स्वा.का)
सी.एस.सी	सामुदायिक स्वास्थ्यकर परिसर (सा.स्वा.प)
डी.ए.वी.पी	विज्ञान एंव दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.द्.प्र.नि)
डी.ई.ई	प्राथमिक शिक्षा विभाग (प्रा.शि.वि)
डी.एल.सी	जिला स्तरीय सलाहकार (जि.स्त.स)
डी.आर.डी.ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ)
डी.आर.डी.ओ	रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (र.अ.वि.सं)
डी.डब्ल्यू.एस.सी	जिला जल एंव स्वच्छता समिति (जि.ज.स्व.स.)
डी.डब्ल्यू.एस.एम	जिला जल एव स्वच्छता मिशन (जि.ज.स्व.मि.)
ई.एफ.सी	व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स)
एफ.डी.आर	सावधि जमा प्राप्ति (सा.ज.धि)
एफ.एल.पी	फोर्स लिफ्ट पम्प (फो.लि.प)
जी.पी	ग्राम पंचायत (ग्रा.पं)
जी.एस.एस	ग्राम स्वच्छता सभा (ग्रा.स्व.स)
एच.आर.डी	मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि)
आई.ए.वाई	इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो)
आई.सी.डी.एस	समेकित बाल विकास सेवा योजना (स.बा.वि.से.यो)
आई.ई.सी	सूचना, शिक्षा एंव संचार (सू.शि.सं)
आई.एच.एच.एल	व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व.घ.शौ)
आई.एम.आई.एस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र)
आई.टी.डी.ए	समेकित जनजातीय विकास प्राधिकरण (स.ज.वि.प्रा)
जे.पी.	जनपद पंचायत (ज.पं.)
एल.एस.टी.वी	लोकसभा टेलीविजन (लो.टे)
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो)
एम.आई.एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र)
एम.एल.ए.एल.ए.डी.एस	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (वि.स.क्षे.वि.यो)
एम.ओ.आर.डी	ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं)
एम.ओ.यू	समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा)
एम.पी.एल.ए.डी.एस	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो)

एम.पी.आर	मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.)
एन.बी.ए	निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ)
एन.एफ.डी.सी	भारतीय राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (भा.रा.च.वि.नि.)
एन.जी.ओ	गैर-सरकारी संगठन (गै.स.सं)
एन.जी.पी	निर्मल ग्राम पुरस्कार (नि.ग्रा.पु)
एन.आर.एच.एम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि)
एन.एस.एस.सी	राष्ट्रीय योजना मजदूरीदाता समिति (रा.यो.म.स)
एन.एस.एस.ओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (रा.न.स.का)
ओ.डी.एफ	खुला शौच मुक्त (खु.शौ.मु)
ओ.एस.डब्ल्यू.एस.एम	ओडिशा राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (ओ.रा.ज.स्व.मि)
पी.ए.सी	योजना स्वीकृति समिति (यो.स्वी.स)
पी.सी	उत्पादन केन्द्र (उ.के)
पी.डी	निजी जमा (नि.ज)
पी.एच.इ.डी	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (लो.स्वा.अ.वि)
पी.आई.पी.	परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो)
पी.एम.यू	परियोजना मानीटरिंग इकाई (प.मा.इ)
पी.आर.आई	पंचायती राज संस्थान (पं.रा.सं)
पी.एस	पंचायत समिति (पं.स)
आर.एस.एम	ग्रामीण स्वास्थ्यकर बाजार (ग्रा.स्वा.बा)
आर.टी.जी.एस	वास्तविक समय निपटान प्रणाली (वा.स.नि.प्र)
एस.एच.जी	स्वयं सेवा समूह (स.से.स)
एस.एल.डब्ल्यू.एम	ठोस तरल व्यर्थ प्रबंधन (ठो.त.व्य.प्र)
एस.आर.एस	प्रणालीगत यादृच्छिक नमूना (प्र.या.न)
एस.आर.एम	राज्य समीक्षा मिशन (रा.स.मि)
एस.एस.ए	सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ)
एस.एस.एस.सी	राज्य योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.मं.स)
एस.डब्ल्यू.एस.एम	राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि)
टी.एस.सी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ)
यू.सी	उपयोग प्रमाण पत्र (उ.प्र.प)
यू.एन.आई.सी.ई.एफ	सयुंक्त राष्ट्र बाल निधि (स.रा.बा.नि)
वी.एच.एस.सी	ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वस्छता समिति (ग्रा.स.स.समिति)
वी.डब्ल्यू.एस.सी	ग्राम जल एंव स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स)
डब्ल्यू.सी.डी	महिला एंव बाल विकास (म.बा.वि)
डब्ल्यू.एच.ओ	विश्व स्वास्थ्य सगंठन (वि.स्वा.स)
डब्ल्यू.एस.सी	जल एंव स्वस्छता समिति (ज.स्व.स)
डब्ल्यू.एस.एस.ओ	जल एंव स्वच्छता सहयोग सगंठन (ज.स्व.स.स)
जेड.पी	जिला पंचायत (जि.पं.)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in